राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का इकतालीसवां दिवस [संख्या : 23

सोमवार,

6 अप्रैल, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम साहब। नमस्कार, नमस्कार। राम-राम साहब। विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान बर्बाद हो चुका है, आत्महत्या कर रहा है और महारानी साहिबा, मुख्य मंत्रीजी जापान यात्रा कर रही हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को ऊंट के मुंह में जीरे वाला जो पैकेज दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा तरीका है? ये कौन से नियमों के तहत बोल रहे हैं? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह कौनसा तरीका है इनका? ये कौन से नियमों में आ रहे हैं? ये कौन से नियमों में आ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज किसान की हालत यह हो गई है कि उसके खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, तीसरी बार ओलावृष्टि हुई है। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी, विदेशों में यात्रा कर रही हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों, प्रक्रियाओं से चलेगा। यह विधान सभा है, यह कोई चौराहा नहीं है जो खड़े होकर बात कहनी चालू कर दी। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी कहां है? (व्यवधान) आपका युवा नेता कहां है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनके युवा नेता राहुल गांधी कहां है उसका पता लगाओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आता है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको शांत किया जाए और प्रश्नकाल चालू किया जाए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये हंगामा कर रहे हैं केवल सुर्खियों में आने के लिए। डोटासरा जी, राहुल गांधी कहां हैं? (व्यवधान) राहुल गांधी का पता लगाओ। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): राहुल गांधी कहां है ढूंढकर लाओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उसकी मां को पता नहीं है। (व्यवधान) राहुल गांधी का पता लगाओ कि वो कहां है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसान बर्बादी के कगार पर हैं और हमारी मुख्य मंत्रीजी जापान की यात्रा पर जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हमारी नेता तो विदेशी निवेश लाने के लिए गई हैं, इस देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए गई हैं...(व्यवधान) लेकिन इनका राहुल गांधी कहां है यह पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल करना चाहिए। राजस्थान के किसानों के बिजली के बिल माफ किये जा रहे हैं। (व्यवधान) राजस्थान के किसानों द्वारा जो कर्जे लिए गए हैं उनको छूट दी गई है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राहुल गांधी किसके साथ गया, राहुल गांधी किसको लेकर गया, यह पता लगाओ। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): हमारे ओलावृष्टि हुई थी उस ओलावृष्टि से बीकानेर और कोलायत विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में...(व्यवधान) फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान के पास आज खाने को एक दाना नहीं है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) हमारी मुख्य मंत्रीजी को, जो जापान की यात्रा पर गई हैं... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हमेशा हंगामा करना कांग्रेस की परम्परा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है और इस प्रदेश में...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, 200-200, 400-400 ग्राम के ओले गिर गये हैं, फसल खराब हो गई है और आप खुद चुप बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सर्वे करवाया जाए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आज किसान की स्थिति आत्महत्या करने जैसी हो रही है और हमारी मुख्य मंत्रीजी जापान यात्रा पर गई हैं। (व्यवधान) इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रदेश में 30 हजार करोड़ का नुकसान किसानों का हो गया है और उसके बावजूद भी...(व्यवधान) हमारी मुख्य मंत्रीजी जापान की सैर कर रही हैं। (व्यवधान) प्रदेश में किसान मर रहा है। (व्यवधान) आप किसान परिवार से आते हैं तो आपको किसान का दर्द पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसान परिवार से आते हैं, आज पूरे प्रदेश का किसान बेहाल है, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, खाने के लिए उसके पास में एक किलो अनाज नहीं है और हमारी मुख्य मंत्रीजी विदेश यात्रा कर रही हैं, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता। (व्यवधान) इससे बड़ी शर्मनाक बात प्रदेश की सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है और उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मैटर है यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री नन्दकिशोर महरिया।

सीकर जिले में मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना में प्राप्त आवेदन

188. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 100 से कम आबादी की ढाणियों में मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना हेतु कोई

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में उक्त योजना के तहत 5-5 के समूह में कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए? सहायक अभियन्ता कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र समूह में प्राप्त करने के पश्चात् जारी दिशा-निर्देशों को परिवर्तित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में 31 दिसम्बर, 2013 तक मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के तहत 5 के समूह में प्राप्त आवेदनों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने समूहों को इस योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया गया तथा कितने लोगों को डिमाण्ड नोट जारी किये गये, उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि जुलाई, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 के मध्य उक्त योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जी हां। सम्बन्धित आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला सीकर में उक्त योजना के तहत 5-5 के समूह में सहायक अभियन्ता कार्यालयवार प्राप्त आवेदनों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। जारी दिशा-निर्देशों को सरलीकरण करने हेतु समय-समय पर परिवर्तित किया गया है ताकि अधिकाधिक परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। आदेशों की प्रतियां प्रपत्र 'स-1 से स-5' पर उपलब्ध है।

(4) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के तहत 5-5 के समूह में कुल 367 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त कुल 367 समूह के आवेदनों में से सफल समूह की संख्या 171 थी। उक्त में से प्रथम चरण में 154 समूह के मांग पत्र जारी किए गये, जिनमें से 152 समूह ने मांग पत्र जमा कराये तथा 149 समूह के कनेक्शन जारी किए गये। 3 समूह के कनेक्शन विवाद के कारण जारी नहीं किए जा सके। द्वितीय चरण में 17 सफल समूह का निस्तारण आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार किया जाना सम्भावित है।

(6) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में जुलाई, 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के मध्य उक्त योजनान्तर्गत कुल 202 समूह के आवेदन प्राप्त हुए, जिनके सर्वे का कार्य किया गया। सर्वे के पश्चात् 17 सफल समूह पाये गये। उक्त 17 सफल समूह का निस्तारण आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार किया जाना सम्भावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों से ज्यादा महत्वपूर्ण किसान को बचाना है। इस प्राकृतिक आपदा में किसान को पैकेज मिलना चाहिए था वो सरकार दे नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, किसानों की सुध नहीं लेने वाली सरकार है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, यह संवेदनहीन सरकार है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मुख्य मंत्री जापान गई हैं और हमारे किसान यहां पर मर रहे हैं, उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। राजस्थान के किसानों को सरकार ने अभी तक कोई राहत नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ... से समझौता करने गई है, कोई विशेष निवेश के लिए नहीं गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हमारे किसान मर रहे हैं, मुख्य मंत्री और सरकार को चिंता नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): राजस्थान के किसानों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सरकार के लिए व्यक्तिगत बात करने का समय नहीं है, यह किसानों को राहत प्रदान करने का समय है और सरकार को चाहिए कि वो किसानों के आंसू पौंछे, उनको राहत पैकेज दे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह किसान विरोधी सरकार है और सरकार को किसान की चिंता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरक क्या, मूल ही प्रश्न है कि किसान को राहत पैकेज दे। (व्यवधान) किसान विरोधी सरकार है और एक रुपये का फायदा किसान को नहीं दे रही है। (व्यवधान) इस सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। किसान विरोधी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ... इनका एक ही काम है कि पहले भी लोगों को लूटा, आम आदमी, किसानों की भूमि राज्य सरकार हड़पना चाहती है और भूमि निवेश का बहाना करके लैण्ड बैंक बना रही है और आज हमारे किसान पूरे राजस्थान में...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, किसानों को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसका मतलब यह हुआ कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए नहीं है, केवल माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी के बिल को अटकाने के लिए एडजोर्न किया गया था। (व्यवधान) सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दीं। (व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना शुरू हुई है उसमें जून, 2013 तक 5521 आवेदन आये उनमें से 97 परसेंट को सही माना गया। उसके बाद 6222 आवेदन आये लेकिन ज्यों ही आचार संहिता लागू हुई, तीन प्रतिशत आवेदनों को सही माना गया और 97 को कैन्सिल कर दिया गया। इस तरह के निगम के अधिकारियों के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आने दीजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना 2008 में शुरू हुई थी। उसके बाद में 2012-13 में सरकार द्वारा यह योजना वापस शुरू की गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इसके तहत 5 के समूह में दो किलोमीटर लाइन, एक किलोमीटर एल.टी., एक किलोमीटर एच.टी. लाइन.... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि किसान की बात हमें यहां उठाने नहीं देते। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सरकार की मुखिया आज जापान घूम रही हैं और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बात कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ढाई लाख रुपये तक अधिकतम देना इस योजना में था। राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2003 के तहत 100 व उससे कम आबादी वाली जो भी ढाणियां हैं उन्हीं ढाणियों में कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में सर्वे करवाया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज तीन दिन से लगातार ओले गिर रहे हैं, बरसात हो रही है, प्रदेश में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान का सब-कुछ लुट चुका है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इसमें मात्र 17 समूह हैं जिनका आगे आने वाले समय में काम पूरा कराएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत जिन लोगों के डेढ़ साल पहले डिमाण्ड नोट के पैसे जमा हो गए उनको भी अब तक कनेक्शन नहीं मिला है तो उनको कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस योजना में और आवेदन लिए जाएंगे या योजना बन्द की जाएगी? कृपया मंत्रीजी बताएं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो किसान के बेटे हैं, आपको तो किसान के दर्द का पता है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इस सरकार का एक ही मुद्दा रह गया है कि किसान की भूमि बर्बाद करनी है, भूमि को अधिग्रहण करना है और अडानी, अम्बानी जैसे लोगों को हमारी राजस्थान की भूमि को देना है, यहां के लोगों को बेरोजगार बनाना है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसान के हित में एडजोर्न नहीं हुआ था हाउस, वह तो घनश्याम जी तिवाड़ी को निपटाने के लिए हाउस एडजोर्न किया गया था। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में मात्र 17 कनेक्शन पैण्डिंग हैं जिनको आने वाले समय में पूरा करा दूंगा यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इसको सम्मिलित की है, हम इसका पूरा सर्वे करा रहे हैं और जो ढाणियां राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वेक्षण में चयनित हैं उन ढाणियों का सर्वे कराकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इनका प्रस्ताव तैयार करके केन्द्र सरकार को भिजवाकर इसको स्वीकृत करायेंगे। इसके तहत जो बाकी वंचित हैं उनको विद्युतीकृत कर सकें। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): यह सरकार हर मौके पर विफल है, राजस्थान का अन्नदाता किसान मरने को मजबूर हो रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप किसान विरोधी हो। आप शहर के क्या जानो, आप तो किसान विरोधी हो। (व्यवधान) आप और कालीचरणजी तो शहर से आते हो, आपको किसान के दर्द का पता नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ये लोग किसानों के प्रति कितने चिंतित हैं इसका नमूना यहां नजर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जिनके पास में पट्टे नहीं हैं, क्या उनको भी कनेक्शन जारी करेंगे? जिन लोगों के पास में पट्टे नहीं हैं, क्या उनको भी आप कनेक्शन जारी करेंगे? (व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): ये किसानों के कितने हितैषी हैं, इससे पता लग रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह किसानों के हित में नहीं है। (व्यवधान) किसान का नुकसान हुआ है, उसको ये सरकार 2,000 रुपये दे रही है। किसान मुआवजा ले नहीं रहा है। उसको उचित मुआवजा दिलाया जाये। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जिन किसानों के पास पट्टा नहीं है, अगर वह स्वयं की जमीन पर भी बैठा है, अगर वह ढाणी है, उस सर्वे में वह ढाणी है तो उसको निश्चित रूप से कनेक्शन मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा। दूसरा पूरक प्रश्न। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: किसान विरोधी सरकार, हाय हाय। (व्यवधान) किसान विरोधी सरकार, हाय हाय। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं विपक्ष से यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से काला कानून ये लाये। ये ढाणियों में विभेद करने वाला काला कानून लाये थे 2010 में। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मंत्रीजी से कि उन्होंने ये कितनी तारीख को आदेश दिया है? जिन ढाणियों को अलग काउंट किया गया है, गांवों को अलग काउंट किया गया है 100 की आबादी के...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान विरोधी सरकार है। सरकार व्यापार में शेयर कर रही है। किसान आत्महत्याएं कर रहा है। किसान लुट रहा है। (व्यवधान) किसानों को कोई पैकेज दे नहीं रही है, केन्द्र सरकार की ओर से मुआवजा दे रहे हो, राज्य सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ...ये कब आदेश दिया गया? ये किस सरकार का आदेश है? (व्यवधान) मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान) 100 की आबादी के सर्वे के आदेश निकले, ये कब निकले और किसके आदेश से निकले और कब तक ये कनेक्शन कर दिये जायेंगे? (व्यवधान) जहां-जहां 100 की आबादी स्वीकृत हो गई है, वहां कब तक...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों को बाहर करना चाहती है। इतनी संवेदनहीन किसान विरोधी सरकार को...(व्यवधान) ये मंत्रीजी अक्षम हैं। संसदीय कार्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ...उनको कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): भिण्डा साहब, आपके क्षेत्र में चार बार ओले गिरे हैं। चार बार ओले गिरे हैं भिण्डा साहब। (व्यवधान) आप किसान की बात करते हो। (व्यवधान) चौथी बार ओले पड़े हैं आपके क्षेत्र के अन्दर। (व्यवधान) फिर भी आप पैरोकारी कर रहे हो सरकार की। (व्यवधान) इस तरह की किसान विरोधी सरकार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये किसान विरोधी सरकार है। (व्यवधान) इनको निर्देशित कीजिये...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ये 100 से कम की ढाणियां कब तक विद्युतीकृत हो जायेंगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण है हैबिटेशन्स का, 100 से कम आबादी वाली लगभग 30,000 ढाणियां हैं राजस्थान में, इसमें लगभग 20,000 ढाणियां विद्युतीकृत हो गई हैं, मात्र 10,000 ऐसी चयनित ढाणियां हैं, जो विद्युतीकृत होनी बाकी हैं। उनका सर्वे कराकर हम केन्द्र सरकार को भिजवाकर जल्दी ही इन ढाणियों को जुड़वायेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। किसान मर रहा है, आत्महत्याओं के लिए मजबूर हो रहा है। किसान को एक वक्त का अनाज नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी भी सुनो। (व्यवधान) किसानों को मुआवजा मिलना चाहिये।

एक माननीय सदस्य: डोटासराजी बैठ जाओ, बहुत हो गया। (व्यवधान) डोटासराजी, बैठ जाओ। बैठ जाओ, बहुत हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान भूखा मर रहा है। (व्यवधान) किसान भूखा मर रहा है, उस पर सत्ता पक्ष ताली बजा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री बाबूसिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के कनेक्शन की कट-आफ डेट क्या है, कब तक कनेक्शन कर देंगे? (व्यवधान)

(श्री बाबू सिंह)

ऐसी ढाणियां जो 100 से अधिक की हैं, बहुत सारी ढाणियां हैं, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, उस योजना में कब तक कनेक्शन कर देंगे? (व्यवधान) दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के बारे में और मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना कब तक पूरे कनेक्शन कर देंगे? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम वाक-आउट करते हैं। (व्यवधान) किसान विरोधी सरकार के रवैये के कारण हम वाक-आउट करते हैं।

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत लगभग 1,454 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और इसमें लगभग 28 जिलों में यह काम बहुत जल्दी प्रारम्भ हो जायेगा। टेण्डर्स हो गये हैं, वर्क आर्डर्स भी जारी हो गये हैं, सर्वे भी शुरु हो गया है। कई जगह टेण्डर नहीं हुए, वहां डिपार्टमेंट सीआरआरसी के तहत काम कराने जा रहा है जहां-जहां टेण्डर्स नहीं हुए हैं। आने वाले डेढ़ साल में इस योजना को जो बीपीएल परिवार है, जो ढाणियां 100 से ऊपर की हैं, जो आज भी विद्युतीकृत नहीं हुई हैं, उन ढाणियों को इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जितनी भी हमारी 100 से ऊपर की ढाणियां हैं, उनका हम सर्वे कराकर आने वाले डेढ़ साल के अन्दर इस पूरी योजना को करेंगे और जो छह जिले बाकी रहते हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उस योजना का 816 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सकार को भिजवाया है और ये योजना बहुत जल्दी स्वीकृत होकर हमारे पास आयेगी और उसके भी हम टेण्डर्स लगवाकर इन छह जिले जो बाकी रहे हैं, 816 करोड़ रुपये की मुख्य मंत्रीजी ने बजट में भी घोषणा की थी, उनको भी हम जल्दी से जल्दी जुड़वायेंगे।

श्री अध्यक्षः हां, आपको, महरिया साहब, फिर एक सवाल कर लीजिये। मैं विशेष अनुमति दे रहा हूं आपको।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना है, इसमें जो आवेदन पेंडिंग हैं, उनको कनेक्शन दिये जायेंगे या इस योजना को बंद किया जायेगा, अगर दिये जायेंगे तो कब तक दिये जायेंगे? क्योंकि पिछली बार पूर्ववर्ती सरकार के टाइम जून तक मेरे सीकर जिले में

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

6,000 के करीब आवेदन आये थे, उनमें से 97 प्रतिशत को दिया गया और ज्योंही चुनाव की डेट नजदीक आई, घोषणा हुई, निगम ने जो लगभग 6,000 फार्म जमा थे, उनमें से 97 प्रतिशत को निरस्त कर दिया, सिर्फ तीन प्रतिशत आवेदकों को सफल माना और जो 960 समूह, लगभग 4,800 परिवार जिनके डिमांड नोट जमा हो चुके हैं, उनका भी अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया है, उनको कब तक कनेक्शन मिल जायेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र का है। लगभग 367 लोगों ने डिमांड की, उसमें 149 लोगों के कनेक्शन हो गये हैं, 152 लोगों, समूह का डिमांड भरा गया है, उनमें 149 लोगों के कनेक्शन जारी हो गये हैं। तीन समूह में कनेक्शन विवाद के कारण नहीं हो सका। उसके बाद में माननीय सदस्य जो कहना चाह रहे हैं कि एक जुलाई से लेकर 31 दिसम्बर तक कितने आवेदन आये हैं, उसमें लगभग 202 आवेदन आये हैं। उनमें से मात्र 17 आवेदन पास हुए, कारण कि जब यह योजना निकाली गई है, इस योजना के तहत पांच का समूह और राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वे 2003 में वह 100 से कम आबादी वाली ढाणी चयनित होनी चाहिए, तभी जाकर उन आवेदकों के कनेक्शन होंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न। श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण के आयुर्वेद औषधालयों के भवनों का नवीनीकरण

189. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में कितने राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में राजकीय आयुर्वेद औषधालय भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायतों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जर्जर हो चुके भवनों को दुरुस्त या नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालय

(श्री फूलसिंह मीणा)

में वर्तमान में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में 14 राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कोई भी जर्जर अथवा गिरने योग्य भवन नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या (2) के अनुसार लागू नहीं।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, फूलसिंहजी।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में तीन आयुर्वेद अस्पतालों के भवन बने हुए हैं, कानपुर, तितरड़ी और जावर के वह क्षतिग्रस्त हैं। मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट आई है, जर्जर हालत में नहीं है। कानपुर का तो जो भवन है उसमें कोई बैठता ही नहीं है, दूसरी जगह जाकर बैठ रहे हैं, दूसरा, उसमें रिपयेरिंग की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: सवाल करो, आप सवाल करो।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो पंचायतों में झामरकोटड़ा और सरू में अभी भवन बने नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह चल रहे हैं। क्या उनके भवन की अनुमति देंगे और ये जर्जर हालत में जो बता रहे हैं, एक की तो कंडीशन खराब है और दो रिपेयरिंग मांग रहे हैं। यह रिपेयरिंग कब तक होगी और जो दो भवन नहीं हैं, वे कब तक बनने की स्वीकृति होगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के बारे में सवाल किया है। उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कुल 14 आयुर्वेद औषधालय हैं, 12 राजकीय आयुर्वेद औषधालय तो राजकीय भवन में संचालित हैं और दो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित हैं। माननीय सदस्य ने जिन तीन आयुर्वेद औषधालय का वर्णन किया है तितरड़ी, जावर और कानपुर, अध्यक्ष महोदय, ये इतने क्षतिग्रस्त नहीं हैं कि इनको गिराया जाये, मरम्मत योग्य जरूर हैं, जो मैंने उत्तर में भी कहा है और निश्चित तौर पर इसी बजट के अन्दर इनका तकमीना बनाकर इनकी मरम्मत करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजीवजी भट्ट जिसकी सर्विस तो हमारी विधान सभा क्षेत्र चणावदा में है, वहां तो वह कार्यरत हैं और नौकरी सिटी में करते हैं। उनकी नियुक्ति प्राकृतिक चिकित्सालय, भटानी चोटा, सिंधी बाजार और रसायनशाला में है और वहां शहर के अन्दर अनेक औषधालय और अनेक अस्पताल हैं। यहां उदयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर हमारा क्षेत्र है, चासदा पंचायत है और वहां पर एक कम्पाउण्डर के भरोसे वह आयुर्वेद औषधालय चल रहा है। क्या उस डाक्टर को वापस वहां लगायेंगे या कोई दूसरा इंतजाम करेंगे? मंत्री महोदय, बताइये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूचना दी गई है, उनके अनुसार श्री राजीव भट्ट 28.3.2002 से राजकीय आयुर्वेद औषधालय चणावदा में पदस्थापित है इन्हें प्रतिनियुक्ति पर अगर और कहीं लगाया गया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं न केवल इनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त करूंगा बल्कि जितने भी राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं उन सब की सूची बनाकर और उन सब की प्रतिनियुक्तियां निरस्त करके अग्रिम कार्यवाही जो भी आवश्यक है, वह निश्चित तौर पर करूंगा।

श्री अध्यक्ष: शंकर सिंहजी, लेकिन यह उदयपुर ग्रामीण से होना चाहिए आपका।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): उदयपुर जिले का है।

श्री अध्यक्ष: जिला नहीं, केवल उदयपुर ग्रामीण का, उदयपुर ग्रामीण से सम्बन्धित है तो बोलिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा उदयपुर ग्रामीण में पिछली बार 2003 से 2008 की सरकार में सीएचसी लेवल पर एक छत के नीचे औषधालय आ गये। अब जो आयुर्वेद अस्पताल, जो भवन आपके सीएचसी में आ गए वो भवन नकारा पड़े हैं, उन भवनों के उपयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसका कोई उपयोग होगा या नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में एक छत के नीचे 118 राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का भवन नहीं है और जहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में भवन उपलब्ध है। एनआरएचएम के अन्तर्गत एक योजना आई थी, एनआरएचएम के अन्तर्गत जिनको हमने पदस्थापित किया था आयुर्वेद चिकित्सकों को, उनको हमने एक छत के कारण से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में बिठाया था। मैं इस पूरी का मूल्यांकन करा लूंगा, जहां कहीं भी इस प्रकार की आवश्यकता होगी, आवश्यकतानुसार अगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जो हमारा है एलोपैथी का, वहां बैठना सुविधाजनक है तो निश्चित तौर पर उस पर विचार करके उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक कंवर लाल जी। लेकिन उदयपुर ग्रामीण से इधर उधर नहीं होना।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सकों को आयुष के तहत एक छत के नीचे लगाने का जो प्रस्ताव रखा था, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा आयुष के तहत जो चिकित्सक लगा रखे हैं, उनको आधुनिक चिकित्सा पद्धति की ट्रेनिंग दिलाकर प्रसव, सिजेरियन प्रसव, डिलीवरी या इमरजेंसी देखने का अधिकार देने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, ठीक सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग पैथी हैं। आयुर्वेद की पैथी अलग है, ऐलोपैथी की पैथी अलग है, होम्योपैथी की पैथी अलग है। आयुर्वेद चिकित्सकों को हम ऐलोपैथी का किसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रकार का कोर्स दिलाकर उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की अनुमति, न तो हमारे आयुर्वेदिक की जो कौंसिल बनी हुई है, उसके नियमों में है, न इस प्रकार का कोई प्रावधान है। हां, सामान्य तौर पर उन्हें सामान्य चिकित्सा के लिए जहां एक छत के नीचे बैठे हैं और सामान्य व्यक्ति कोई आता है तो उसके लिए आवश्यक उपचार ये जरूर करते हैं। परन्तु वो अपनी पैथी अनुसार ही इलाज कर सकते हैं। इलाज की पद्धति आयुर्वेद के हिसाब से होगी, ना कि ऐलोपैथी के अनुसार।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, नो, नो। कंवर लालजी, बैठिये। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में गत पांच वर्ष में जिस तरह से...

श्री अध्यक्ष: जिले की सूचना नहीं होगी, यह उदयपुर ग्रामीण का प्रश्न है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उदयपुर का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उदयपुर ग्रामीण का पूछिए आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उदयपुर जिले में गत पांच वर्ष में जिस तरह से नि:शुल्क दवा योजना के तहत ऐलोपैथी की दवाई दी गई...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। माननीय मंत्री महोदय, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, यह उदयपुर ग्रामीण से सम्बन्धित नहीं है।

अगला सवाल। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को यात्रा व दैनिक भत्तों का भुगतान

190. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत राज्य खेल संघों के माध्यम से आयोजित राज्य प्रतियोगिताओं एवं भारतीय खेल संघों के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

लेने व इससे पूर्व आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को यात्रा व दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों द्वारा राज्य खेल संघों के माध्यम से आयोजित राज्य प्रतियोगिताओं एवं भारतीय खेल संघों के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया एवं कितने खिलाड़ियों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान कर दिया गया तथा कितनों को भुगतान करना शेष है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भुगतान से वंचित रहे शेष खिलाड़ियों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) जी हां। राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम, 2005 की अक्षरशः पालना करने के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के परिपत्र दिनांक 22.10.2005 एवं 20.03.2014 में उल्लिखित पूर्तियों के उपरांत भुगतान हेतु विचार किया जाता है। परिपत्रों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट क एवं ख पर संलग्न हैं।

(2) गत पांच वर्षों में राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भाग लेने वाले, भुगतान किए गए एवं भुगतान के लिए शेष रहे वर्षवार खिलाड़ियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	खिलाड़ियों की संख्या			राष्ट्रीय		
		कुल	भुगतान	भुगतान	कुल	भुगतान	भुगतान
1	2009-10	4220	4220	-	664	664	-
2	2010-11	5353	4723	630	509	509	-
3	2011-12	6243	4439	1804	585	481	104
4	2012-13	6360	3892	2468	608	388	220
5	2013-14	6752	2864	3388	3274	472	2802
	कुल	28928	20138	8290	5640	2514	3126

(श्री गजेन्द्रसिंह)

भुगतान करने के लिए शेष रहे खिलाड़ियों से सम्बन्धित प्रस्ताव विभिन्न आपत्तियों के संदर्भ में अस्वीकृत किए जा चुके हैं। आपत्तियों के नियमानुसार पूर्ण निराकरण के उपरांत प्राप्त दावों के भुगतान की प्रक्रिया विचारार्थ ली जा सकेगी।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के परिपत्र दिनांक 22.10.2005 एवं 20.03.2014 में उल्लिखित पूर्तियों के उपरांत भुगतान हेतु विचार किया जा सकेगा। परिपत्रों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट क एवं ख पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान खेलों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है, अपने जिला स्तरीय से लेकर राज्य स्तरीय जो टीए/डीए होता है वह काफी कम मात्रा में है। प्रदेश के जिला खेल संघों द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में सरकार द्वारा कितना दैनिक भत्ता, खुराक भत्ता व यात्रा भत्ता दिया जाता है। किस मद में दिया जाता है, क्या उक्त भत्ते दिए जाने के लिए सरकार द्वारा किसी क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है अथवा शिक्षण संस्थाओं द्वारा ही छात्र कोष के माध्यम से पूर्ति किए जाने के निर्देश हैं? मंत्रीजी को यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान के विद्यार्थी खिलाड़ियों को टीए/डीए जिला स्तर पर 50 रुपये दिए जाते हैं जबकि 50 रुपये में एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है और राज्य स्तर पर 70 रुपये मिलते हैं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 125 रुपये प्रतिदिन मिलता है। जबकि ओपन प्रतियोगिताएं होती हैं जिसके सर्टिफ़िकेट, आप उनको मान्यता प्राप्त नहीं मानते हैं, बल्कि मानना चाहिए उनको। उन खिलाड़ियों को 300 रुपये और राष्ट्रीय स्तर पर 400 रुपये का प्रावधान है। क्योंकि स्कूल के बच्चे को, कालेज के बच्चे को टीए/डीए इतना कम दिया जाता है, आज की तारीख में 50 रुपये में, गांवों में तो ऐसा सिस्टम है कि गांव वाले मिलकर के उनको खाना खिलाते हैं। अगर वो खाना नहीं खिलाये तो खिलाड़ी, जो खेलने जाता है, उसको एक टाइम का भोजन 50 रुपये में मिल सकता है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

पूछना चाहता हूं कि एक बच्चा 50 रुपये में पूरा दिन कैसे निकालेगा? 70 रुपये, राज्य स्तरीय खिलाड़ी खेलने जाएगा, आज अगर चित्तौड़ से चूरू कोई खेलने जाएगा या बाड़मेर खेलने जाएगा तो वह 70 रुपये में कैसे खेलेगा?

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे मंत्रीजी हैं, आप खिलाड़ियों के और बच्चों के बहुत बड़े हितैषी हैं। क्योंकि आप इन खिलाड़ियों के पैसे कम से कम...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सवाल तो, वही कह रहा हूं कि 300 रुपये ओपन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलना चाहिए और राज्य स्तर पर कम से कम 400 रुपये उन बच्चों को मिले तो वो पौष्टिक खाना भी खाएंगे और खिलाड़ियों में खेलों की उत्साह की भावना भी होगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डीए अलाउंस है, हमारी सरकार ने इस वर्ष 50 प्रतिशत स्टेट लेवल के खिलाड़ियों के लिए बढ़ा दिया है जो कि 200 से 300 रुपये हो गया है और नेशनल जो हैं वह 300 से 500 रुपये हो गया है। मतलब 66 प्रतिशत बढ़ गया है। माननीय सदस्य जो फरमा रहे थे कि हमें विचाराधीन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में महंगाई को देखते हुए एक खिलाड़ी के भोजन में कितना खर्चा लगता है, इसको हम देखेंगे पूरा और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गेम्स हैं, उसके अन्दर मैं पूरा मंथन करूंगा और जो प्रैक्टिकल हैं, एक्चुअल में जो महंगाई को देखते हुए है, अगर बढ़ाना होगा तो हम इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक और प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग की प्रतियोगिता में भाग लेने पर हजार रुपये स्पोर्टस किट हेतु और अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली में तीन हजार रुपये किट के मिलते हैं, खेलने जाता है राज्य स्तर पर तो, पंजाब

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

में 2,500 रुपये मिलते हैं, हरियाणा में 2,000 रुपये हैं। छोटे राज्यों में भी दो हजार रुपये से कम कहीं नहीं मिलता है और अपने यहां का राज्य स्तर पर कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसको हजार रुपये आप देते हैं। तो राज्य के खिलाड़ियों के साथ अन्याय क्यों है? ओपन प्रतियोगिता में स्पोर्टस किट की खिलाड़ियों को कोई राशि नहीं दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यही कहना चाहता हूं कि स्पोर्टस किट के पैसे भी दूसरे राज्यों के बराबर मिले ।

जो ओपन प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट माननीय, शारीरिक शिक्षकों में या दूसरी कोई नियुक्ति होती है, उसमें ओपन आप गेम्स भी करवाते हो, वो खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सर्टिफिकेट पहले मान्य थे। अपनी पिछली सरकार के वक्त भी मान्य थे और इस कांग्रेस सरकार के वक्त में मान्य नहीं हुए। तो अध्यक्षजी के माध्यम से मैं मंत्रीजी को पूछना चाहता हूं ये जो ओपन के सर्टिफिकेट होते हैं, राज्य स्तर के होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को भी मान्य करें और किट के पैसे भी उनके इसके साथ-साथ आप बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो यह है कि जो सामग्री जिला स्तर पर भेजी जाती है खिलाड़ियों के लिए, उसके अन्दर हम संशोधन यह लाना चाह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट मिल रहा है वो स्टैण्डर्ड का होना चाहिए। दूसरा इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में बहुत भारी संशोधन किया है युवा और खेल विभाग में। तो अब हमारे पास चूंकि अच्छा बजट प्राप्त है तो हम ये जितने भी अपने खिलाड़ी हैं, जो अपकमिंग स्पोर्टसमैन हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो स्टेट स्तर पर हो, हम उनकी किट्स का पूरा प्रबंध करेंगे। यह उनको मैं पूर्ण आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक। प्रश्न श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक बात जानना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी इसमें पात्रता रखते हैं उसके क्या मापदंड हैं? यदि कोई ऐसा खिलाड़ी जो किसी आर्गेनाइजेशन से नहीं आता है और फिर भी राष्ट्रीय लेवल पर अचीव करता है, कोई स्पेशल राजस्थान का गौरव बढ़ाता है, क्या वो लोग भी इसमें पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं इन भत्तों की? बस यही जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली जो लोग मैडल्स जीतते हैं उनको सम्मानित करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। जो यंग टेलेंट है, उसको आइडेंटीफाई करने के लिए अब हम एक नीति बनाने जा रहे हैं। इसके अन्दर खाली यंग स्पोर्टसमैन की आईडेंटीफिकेशन ही नहीं, हम सम्भागीय स्तर पर कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर में, एक साथ ही इन सब स्तर पर स्पोर्टस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रियेट किया जाए और हमारा जो यूथ है, जो अपकमिंग स्पोर्टसमैन है, उसको आईडेंटीफाई करना, उसको स्पेशल कोचिंग देना, उसके ऊपर मैं, इसको बहुत हाई प्रायोरिटी से स्पीड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका स्पोर्टस का जो खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा अगर मिलने की सम्भावना है तो वो स्कूल में मिलेगा। जो शारीरिक शिक्षक लगे हुए हैं आज प्रदेश में, माननीय अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षकों के पास वो संसाधन ही उपलब्ध नहीं हैं ताकि उनके आधार पर वो बच्चों को तैयारी करा सकें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो शारीरिक शिक्षक विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उनको भी आप खेल सामग्री उपलब्ध कराना चाहोगे, ताकि वो स्पोर्टस के बच्चे तैयार कर सके?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि सबसे जरूरी चीज है शिक्षा विभाग और खेल विभाग में आपस में तालमेल होकर स्पोर्ट्स को महत्व कैसे देना चाहिए स्कूल लेवल पर। आप देखें कि आज का जो युवा है, जो हमारा आगे का भविष्य बनेगा अगर वो स्पोर्टस एक्टीविटीज में पार्टीसिपेट नहीं करेगा और अपना फाउंडेशन, अपना स्वास्थ्य स्कूल लेवल पर डवलप नहीं कर पाएगा तो वो बड़ा होकर जब नौकरी प्राप्त करेगा और उसकी प्रोडक्टिव एज होगी, चालीस साल की उम्र के बाद में उसको बीमारियां होंगी और वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। आज हमारा देश डाइबिटीज, कैंसर और हार्ट के अन्दर वर्ल्ड का कैपिटल बन रहा है। इसलिए मेरा सोच है कि शिक्षा विभाग और खेल विभाग आपस में तालमेल करके और

(श्री गजेन्द्रसिंह)

हम स्कूल लेवल के जो स्पोर्टस हैं उसको कम्पल्सरी करें और हम उन स्कूल्स को भी सामग्री देने की सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कोई विशेष सुविधाएं दे रहे हैं एवं राज्य में खिलाड़ी को जो हम यात्रा भत्ता और अन्य दैनिक भत्ते देते हैं वो क्या अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम हैं? यदि कम हैं, तो क्या हम उनको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे प्रदेश हैं जो हमसे ज्यादा बजट दे रहे हैं और हमने भी अभी जो एक नयी घोषणा की है बजट में जिसमें हमारे जितने भी मैडलिस्ट हैं, कामनवैल्थ, एशियन गेम्स, ओलम्पिक्स के, उनको जो राशि मिल रही है, जैसे गोल्ड, सिल्वर में 75 लाख और ये जो राशि मिली है, इनको प्लाट दिये जा रहे हैं, इनको 220 वर्ग मीटर के जयपुर शहर में और इनको नौकरियां दी जा रही हैं डीवाईएसपी लेवल की। तो हम पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पोर्टस को पूरा बढ़ावा दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला प्रश्न। डा. राजकुमार।

प्रदेश में उर्वरक के अग्रिम भण्डारण पर व्यय राशि

191. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खरीफ व रबी मौसम में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, पर्याप्त उर्वरक बढ़ाने के लिए, पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में यूरिया, डीएपी तथा सिंगल सुपर फास्फेट का अग्रिम भण्डारण किया जाना तय किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितना भण्डारण किया गया और इस पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर यूरिया, डीएपी उपलब्ध नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) सरकार द्वारा भावी खरीफ व रबी मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया व डीएपी की उपलब्धता हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभु लाल सैनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। वर्ष 2014-15 में 10 मार्च, 2015 तक 1.67 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 0.45 लाख मीट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भण्डारण राजफैड के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में कराया गया है एवं भण्डारण जारी है। इस हेतु विभाग द्वारा 28.5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है एवं राजफैड द्वारा 16.86 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का राज्य में स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने व पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के मद्देनजर अग्रिम भण्डारण नहीं कराया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों का आबंटन प्राप्त कर किसानों को मांग के अनुसार उपलब्ध करवाया गया है। माह अक्टूबर, 2014 से फरवरी, 2015 तक राज्य में आकलित मांग 11.18 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 11.30 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हुई है। भारत सरकार द्वारा विगत वर्षो की खपत एवं वर्तमान फसल स्थिति के अनुरूप संकलित मांग के आधार पर माहवार व कम्पनीजवार उर्वरकों का आबंटन जारी किया जाता है। उसी के आधार पर कंपनियों से उर्वरक प्राप्त कर कृषकों को सहकारी/निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरित करवाया गया है।

(3) विभाग द्वारा खरीफ 2015 हेतु गत वर्षों में हुई खपत के आधार पर 8.00 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 4.00 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग भारत सरकार को प्रेषित की गई है, जो स्वीकृत हो चुकी है। रबी 2015-16 हेतु माह अगस्त मध्य से फसल बुवाई का क्षेत्र प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार गणना कर रबी में उर्वरकों की मांग भारत सरकार को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। गत वर्ष की भांति वर्ष 2015-16 में 3.00 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 1.00 लाख मीट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भण्डारण राजफैड के माध्यम से कराया जायेगा, जिस पर 55.00 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसानों को डीएपी व यूरिया न देकर, माननीय मंत्री महोदय ने अभी

(डा. राजकुमार शर्मा)

अधिकारियों के द्वारा जो लिखा गया वो पढ़ दिया। पूरा राजस्थान जानता है, राजस्थान का हर किसान जानता है कि यूरिया को लेकर किस प्रकार से पूरे राजस्थान में कानून-व्यवस्था बिगड़ी। हर गांव में, हर जिले में किसान लाइन लगाकर यूरिया लेने के लिए गये और वहां पर उनको यूरिया नहीं मिली, बल्कि उनको लाठियां मिलीं और कई जगह तो पुलिस के साथ में और जनता के बीच में, किसानों के बीच में आपस में खूब लड़ाइयां भी हुईं। पहले यूरिया नहीं देकर, माननीय मंत्री महोदय, राज रूठा और अब अति ओलावृष्टि से और बेमौसमी बारिश से राज रूठ गया किसान बरबाद हो चुका है।

मैं तो माननीय मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आपने सितम्बर, 2014 से फरवरी, 2015 तक केन्द्र सरकार से डीएपी और यूरिया की माहवार कितनी मांग की और उसके मुकाबले केन्द्र सरकार की ओर से माहवार कितना डीएपी, यूरिया उपलब्ध करवाया गया?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, ला एंड आर्डर की स्थिति और फरवरी तक कुल कितना फर्टीलाइजर भारत सरकार से मांगा इसके बारे में प्रश्न उठाया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अक्टूबर से मार्च तक 12 लाख 87 हजार मैट्रिक टन की हमने यहां से मांग भेजी थी और उसी मांग के रखते हुए भारत सरकार द्वारा हमें 12 लाख मैट्रिक टन की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 31 मार्च, 2015 की आपूर्ति अगर हम देखें तो 12 मैट्रिक टन के मुकाबले 12 लाख 5 हजार मैट्रिक टन किसानों को आपूर्ति की गई है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा ला एण्ड आर्डर की स्थिति, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ला एण्ड आर्डर की आप बात कैसे कर सकते हैं? ला की बात तो ला मिनिस्टर करेंगे और आर्डर केवल मैडम का चलता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): दोनों की शक्तियां निहित हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, कहां निहित है, ला केवल ला मिनिस्टर और आर्डर केवल मैडम का। ला एण्ड आर्डर के बारे में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है, विराजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): ...(व्यवधान) छोटा विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अक्टूबर और नवम्बर माह में निश्चित रूप से राजस्थान में यूरिया की कमी रही है। अक्टूबर के महीने में 1 लाख 80 हजार की हमारी योजना थी उसके मुकाबले 1 लाख 50 हजार मैट्रिक टन, यानी कि 0.30 लाख मैट्रिक टन की कमी रही और नवम्बर 2014 में 2 लाख 68 हजार मैट्रिक टन के मुकाबले 2 लाख 5 हजार मैट्रिक टन ही हमें उपलब्ध हुई। इसका मुख्य कारण यह रहा चूंकि अक्टूबर और नवम्बर, 2014 में प्राकृतिक आपदा से भरे दो महीने रहे और दोनों महीनों में प्राकृतिक आपदा में हुदहुद और निलोफर तूफान आये, उनके कारण से पश्चिमी बंदरगाहों, मूंदडा, पीपाड और कांडला, तीनों बंदरगाहों पर रेक्स नहीं लग पाये और इसी के चलते उस समय यूरिया की थोड़ी कमी रही। लेकिन उसकी पूर्ति दिसम्बर महीने में 2 लाख 85 हजार मैट्रिक टन के मुकाबले 3 लाख 51 हजार मैट्रिक टन हमें माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से और हमारे सभी लोगों के प्रयास से, कई प्रयास करने के बाद हमें मिला। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यह 12 लाख के मुकाबले 12 लाख 5 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि झुंझनूं जिले व इसकी विभिन्न तहसीलों में अक्टूबर, 2014 से फरवरी, 2015 तक वहां से कितनी मांग आई और उसके मुकाबले कितना यूरिया व डीएपी उपलब्ध कराया। आपने झुंझुनूं जिले में मांग के मुकाबले 25 प्रतिशत भी यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं कराया और मजबूरन किसानों को ब्लैक में आपने जो सेंटर बना रखे थे, सहकारी समितियां जहां पर आप भण्डारण करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर ब्लैक में किसानों को यूरिया बेची गई और सरकार के गोदामों में यूरिया नहीं मिली लेकिन जो व्यापारी कालाबाजारी करते थे उनके गोदाम भरे पड़े थे और 500-500 रुपये पर कट्टे के भाव उनको देने पड़े।

(डा. राजकुमार शर्मा)

आपने कहा, आपने स्वीकार भी कर लिया कि हुदहुद और निलोफर, मैं तो यह कह रहा हूं कि जिस दिन किसान ने अपने खेत में हल चलाया उस दिन से ही वह तो बरबाद हो गया था क्योंकि आपके हुदहुद और निलोफर से और यह हुदहुद और निलोफर तो गुजर गया और अब सरकार कह रही है कि हट हट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है इस बात का कि मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं। माननीय मंत्री महोदय किसान परिवार से आते हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं लेकिन समाचार पत्र में इनका एक स्टेटमेंट आया कि यूरिया किल्लत के लिये किसान जिम्मेदार है। बड़ी तकलीफ होती है कि आप जैसा व्यक्ति जो किसान परिवार से जन्मा है और किसान की दुख तकलीफ को समझता है और उसके बाद यह कहे कि यूरिया किल्लत के लिये किसान जिम्मेदार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी का भी स्टेटमेंट आया, गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट तो आ सकता है लेकिन गुलाब जी भाईसाहब से उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई अगर खेत में फंदे से लटक रहा है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

किसान जाये कहां, किसान किसके पास रोये? कोटा में कल किसानों ने आपका मुआवजा लेने के लिये मना कर दिया और मना इसलिए कर दिया कि शुरू में आपने यूरिया नहीं दी, आपने डीएपी नहीं दी और आज स्थिति यह है कि मुआवजे के लिये भी किसान रो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सवाल कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): और वह कहता है कि अब मरने का विचार त्याग दिया, बरबाद हो गया लेकिन मरुंगा नहीं। आज एक समाचार पत्र ने भी लिखा है...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए। माननीय सदस्य, सवाल कीजिए, भाषण नहीं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): कि हम तो गड्ढे खोद कर ही पेट भरेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: हां, हां, सवाल पूछिए आप। जो आपके सवाल से सम्बन्धित है उसका पूरक प्रश्न पूछिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना

(डा. राजकुमार शर्मा)

चाहता हूं कि एक अल्पसंख्यक सदस्य का सवाल आपको भाषण लग रहा है और सत्ता पक्ष के सदस्य जब सवाल पूछते हैं तो उनको जितना चाहे, उतना समय देते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं किसी को नहीं देता, मैं सबके साथ न्याय करता हूं, लेकिन आप प्रश्न से सम्बन्धित सवाल कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण दो। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि राजधर्म का तकाजा है कि शासक को सामान्य से हटकर भी समावेशी होना, दिखना और महसूस करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सदन में बहुमत नहीं है। लोकतंत्र में छोटे से छोटे अल्पसंख्यक की भी एक आवाज होती है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल का मतलब समझिए, प्रश्न से सम्बन्धित सवाल कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन उसको पसंद करें या नहीं करें, उसकी बात रखने का उसको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अगला सवाल। श्री संजीव कुमार। श्री संजीव कुमार पूरक प्रश्न कीजिए। आप पूरक प्रश्न कीजिए। भाषण के लिये नहीं है। हां, जवाब दीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): ×××

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दो बात कही, नम्बर एक कि झुंझुनूं में कुल कितना खाद इनको दिया। 2013-14 की यदि बात करें जब आपकी सरकार थी, उस समय 16890 मैट्रिक टन की इनकी मांग थी लेकिन झुंझुनूं को मिला 14108, 2014-15 में जब हमारी सरकार थी 15 हजार मैट्रिक टन की मांग थी उसके मुकाबले 16604 मैट्रिक टन आपूर्ति सरकार के द्वारा इनको की गई, जो लगभग 118 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति किसानों को की गई।

जहां तक ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, काफी यह हुआ, वो हुआ, जैसा आपने कहा। मैंने जो स्टेटमेंट अख़बार में दिये थे वह समझने का फर्क है। मैं सदन के माध्यम से अब भी कह रहा हूं, कृषि विकास में पैकेज एवं प्रेक्टिस बनी हुई है, नियम बने हुए हैं कौनसा फर्टीलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टीसाइड कितना प्रतिशत किसान को देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उसकी दोगुनी मात्रा बढ़ गई और कारण यह हुआ कि आज यदि गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करते हैं, जो अग्रणी जिले हैं, आज कैंसर की ट्रेनें वहां पर चल रही हैं।

इसलिए सरकार ने पूरा प्रयास किया। हम लोगों ने कहा कि जितनी आवश्यकता है, जितना नाइट्रोजन देना है, उतनी ही मात्रा में, 46 परसेंट देना है, उसकी कितनी मात्रा एक बीघा में होनी चाहिये वही देना चाहिये। मैंने यही कहा था। उसका आशय जो आप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सीकर डिवीजन की बात करें तो लगभग 59300 मैट्रिक टन के मुकाबले 66651 मैट्रिक टन की आपूर्ति किसानों को की गई है।

मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा, माननीय, उसके बहुत कारण थे। नवम्बर का महीना था, आप भी जानते हैं चुनाव का समय था, चुनाव में लोग राजनीति करने के लिये बहुत सारा माहौल खराब भी इधर उधर करते थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बाद में इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की है आगामी वर्ष 2015 की पूरी मांग की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। उसमें यूरिया 8 लाख मैट्रिक टन, डीएपी लगभग 4 लाख, एसएसपी 3.65 लाख मैट्रिक टन, अन्य 58, यानी 16 लाख मैट्रिक टन। खाद की कोई कमी आगामी 2015 की खरीफ की फसल में नहीं रहेगी। पिछले पांच वर्षों का औसतन अगर मैं आकलन करूं तो 11.62 लाख मैट्रिक टन के मुकाबले 16 लाख की व्यवस्था खरीफ की भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मैं माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा खरीफ के मौसम में किसी भी प्रकार के फर्टीलाइजर की कमी राजस्थान में नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। संजीव कुमार।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मेरे सवाल का जवाब तो आने दो।

श्री अध्यक्ष: मैंने पूरक प्रश्न ले लिया, आप मिल लीजिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय, सदन में जो यह बात उठी है कि रबी की फसल के समय किसानों को यूरिया खाद के लिये भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से आते हैं, वास्तव में किसानों को भारी दिक्कत आई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय

(श्री संजीव कुमार)

से पूछना चाहूंगा कि इसके लिये जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, कब तक कार्यवाही करने जा रहे हो।

दूसरा, स्टाक की जहां तक बात है, जो खुदरा व्यापारी हैं, जो यूरिया व दूसरी खादों का स्टाक कर लेते हैं और ऐसे समय में वह इसकी भारी कालाबाजारी करते हैं, भारी ब्लैक करते हैं...

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ऐसी ब्लैक को रोकने के लिये क्या आप कोई प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, कोई ऐसी योजना बनाने जा रहे हैं, किस तरह की योजना बनाकर आप इसको रोकने का प्रयास करोगे, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजर की, यूरिया की कमी रही। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा 66200 मैट्रिक टन के मुकाबले 79763 मैट्रिक टन, यानी कि 117 प्रतिशत वहां पर यूरिया की आपूर्ति की गई है।

जहां तक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही सदन को कहा है कि अक्टूबर और नवम्बर के महीने में प्राकृतिक आपदाओं के वश, यूरिया की कमी नहीं रही है। किसी अधिकारी की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, चीफ सैक्रेटरी व सारे विभाग द्वारा, हम लोगों ने कई बार भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया, स्पेशल रेक की मांग की गई, उसके बाद हमें जो भी आवश्यकता थी उसके आधार पर फर्टीलाइजर मिला। यह जवाब मैं आपको देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न। श्री रामपाल।

श्री संजीव कुमार (भादरा): जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या करोगे? यह तो बताओ।

श्री अध्यक्षः यह बता दो।

श्री संजीव कुमार (भादरा): जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करोगे आप?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कालाबाजारी का प्रश्न है, निश्चित रूप से हमारा फर्टीलाइजर कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के मुताबिक हम लोगों ने लगभग 7-8, मुझे एग्जेक्ट ध्यान नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की है, न्यायालय में भी हम चालान पेश कर रहे हैं। यदि और कोई सूचना इस प्रकार की मिलती है तो निश्चित रूप से विभाग उसकी प्रभावी कार्यवाही करता है। उनके खिलाफ चालान भी पेश करता है।

श्री अध्यक्षः बैठिए। श्री रामपाल, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उनके लाइसैंस भी सस्पैण्ड करते हैं। आगे भी हम लोग करते रहेंगे।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न। रामपाल।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राज्य में सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, अन्य भण्डार गृह हैं, उनकी क्षमता काफी कम है। जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और अन्य भण्डार गृह जहां पर उपलब्ध नहीं हैं, क्या उनको नये भण्डार गृह बनाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अध्यक्षः आप विराजिए। यह सहकारिता से सम्बन्धित है, आपके पास जवाब हो तो दे दीजिए, बाकी अगला प्रश्न लेता हूं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता को मौका.....

श्री अध्यक्षः दे दिया, दो पूरक प्रश्न का आपका अधिकार है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): लोगों को तीन-तीन, चार-चार का मौका देते हो, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः जगदीश नारायण। तीसरा पूरक प्रश्न। जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं कि पिछले एक महीने से प्रकृति का प्रकोप चल रहा है और सरकार ने सजग रहते

(श्री जगदीश नारायण)

हुए किसानों के प्रति काम भी किया है, मुआवजा भी तय किया है लेकिन पहली बार, एक महीने पहले ओलावृष्टि से या बरसात के कारण फसल का जो नुकसान हुआ, उसकी तो भरपाई हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी लगातार, अभी तक, वह क्रम थमा नहीं है। अभी तक वह समस्या चलती आ रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सरकार इसके लिए कुछ विचार रखती है या किसानों को राहत पहुंचाने की कोई योजना बना रही है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। पहले ही नष्ट हो गया।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि प्राकृतिक आपदा लगातार चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारे आपदा राहत मंत्री जी ने काफी गम्भीरता से, जब-जब भी बारिश हुई है, चाहे वह 28 फरवरी को हुई हो, या 01 मार्च को हुई हो, चाहे 12-13 से लेकर 15 तक हुई हो, चाहे 30-31 की हो, सरकार ने उसको बहुत गम्भीरता से लिया है। कई जिलों में जब 80 प्रतिशत,100 प्रतिशत खराबा हो गया, वहां मैं समझता हूं कि दोबारा दिखवाने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जहां कम हुआ है और वहां पर यदि फिर भी मौसम बदला है, मौसम ने नुकसान किया है तो सरकार उस पर पूरी नजर रखे हुए है। निश्चित रूप से हम समय रहते कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना के पुलिस थानों का सीमांकन

192. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पुराने पुलिस थानों का सीमांकन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पुलिस थानों का सीमांकन सही प्रकार से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थानों का सीमांकन विधान सभा क्षेत्र के अनुसार करने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(श्री हमीरसिंह भायल)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पुराना थाना परिसर सिवाना, होड़ू, सिणधरी, इन्दाण व सैला में पुलिस चौकी एवं पादरू में नवीन पुलिस थाना स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प. 9 (37) राजस्व/2012 दिनांक 20.01.2014 के द्वारा श्री परमेश चन्द्र सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो नये जिलों, उपखण्डों, पुलिस उपखण्डों के पुनर्गठन/सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देगी। यह समिति इस बिन्दु पर भी विचार करेगी कि पुलिस थानों का पुनर्गठन इस प्रकार हो कि एक थाने का क्षेत्राधिकार एक से अधिक तहसीलों में न पड़े।

(2) पुलिस थानों का सीमांकन राजस्व तहसील के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव उक्तानुसार समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन पुलिस थाने/ पुलिस चौकियों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नये पुलिस थाना/पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय क्षेत्र की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पुराना पुलिस थाना सिवाना में है, पर नया जो बना है, बाहर है। सिटी के अन्दर एक पुलिस चौकी स्थापित की जाए। क्योंकि समय के हिसाब से, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। पादरू में भी पुलिस थाने की आवश्यकता थी, सिणधरी में भी, होड़ू में भी आवश्यकता थी। सिवाना में जो पुराना थाना था, न तो वहां भवन बनाने की आवश्यकता है, भवन बना हुआ है, वहां अगर पुलिस चौकी हो जाए, बड़ा कस्बा होने की वजह से कुछ राहत मिलेगी। पहले पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम अपराध होते थे। अब तो अपराध की संख्या सब जगह ही बढ़ गई है। इसलिए नफरी भी थानों का सीमांकन होकर बननी अति आवश्यक है। यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा सिवाना थाना बाहर जो नया बन गया, पुराना परिसर था वहां से थाना हट गया, निश्चित रूप से शहर की बस्ती से थोड़ा दूर है। अभी एकदम तो नहीं कह सकते, लेकिन सिवाना परिसर पुराना था उसमें केवल 78 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पूरे थाने के 304 हैं । 304 में से 78 मुकदमे पुराने परिसर के अन्दर दर्ज हुए हैं।

जहां आपने चौकियां मांगी हैं, उनमें भी अपराध की दृष्टि से अगर देखें तो वास्तव में आंकड़ों के आधार पर या जो मुकदमे हैं उसके आधार पर चौकी मोसलसर थाना सिवाना, 2012 में 45 मुकदमे थे, 2013 में 54 थे और अभी 61 मुकदमे इसमें हैं।

चौकी सावरडा थाना समदड़ी 2012 में 39, 2013 में 57 और अभी 63 है। होड्डू सिणधरी में आप मांग रहे हो, उसमें 2012 में 18 मुकदमे थे, 2013 में 16 और अभी 25 है। इंदाराना थाना आप मांग रहे हो सिवाना में, उसके अन्दर 2012 में 32, 2013 में 22 और अभी 29 मुकदमे दर्ज हैं। सैला थाना सिवाना में आप मांग रहे हो, उसमें 2012 में 14 मुकदमें, 2013 में 15 और अभी 18 है। चौकी पादरू थाना सिवाना आप मांग रहे हो, उसमें 2012 में 39, 2013 में 60 और अभी 71 है। मुकदमों की संख्या के आधार पर स्टेट का एवरेज है वह 311 है प्रति थाना । आपके यहां का एवरेज 268 आता है।

मैं सोचता हूं कि उस दृष्टि से तो इसकी नहीं बनती, लेकिन विशेषकर सिवाना गांव का मेन था, जिसको हमने बाहर शिफ्ट किया, उसके कारण, निश्चित रूप से, उस गांव की सुरक्षा में दिक्कत आई है। जैसे ही वित्तीय साधन हमें उपलब्ध होंगे निश्चित रूप से उसमें हम, जो कुछ भी हमसे सम्भव होगा, मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवाना शहर के अन्दर, आदरणीय मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अपराध की संख्या बाड़मेर जिले में और पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम होती थी, 4 तारीख की घटना है, मेरे सिवाना...

श्री अध्यक्ष: आप घटना छोड़ो। आप मूल प्रश्न के बारे में कुछ पूछना हो।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): वही निवेदन कर रहा था, इस वजह से पुलिस में अच्छी गाड़ियां मिले, नफरी भी बढ़े, चौकियां बढ़े, तो अपराध कम होंगे, यही निवेदन था।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब देंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से बढ़े, यह तो आप, मैं और सारा राजस्थान भी चाहता है पर वित्तीय प्रबंधन जैसे-जैसे हमारे पास उपलब्ध होंगे, अभी परमेश जी की कमेटी का आएगा, उसमें हर तहसील और उप तहसील पर थाना हो, यह सिद्धान्त: उन्होंने भी अपनी रिकमंडेशन भेजी है। मैं सोचता हूं कि हम कोशिश करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग को 17.3.2015 को ही अपनी कुछ गाइड लाइन्स भेजी है। किसी भी पुलिस थाने का क्षेत्र सम्बन्धित तहसील के अन्तर्गत ही होगा, ना कि एक से अधिक तहसील में। दूसरा, किसी भी तहसील में एक से अधिक थाने हो सकते हैं पर उस स्थिति में उन सभी थानों का क्षेत्र उस तहसील के अन्दर ही होगा। तीसरा, तहसील और उप तहसील मुख्यालय पर थाना अवश्य होना चाहिए, ऐसी उनकी रिकमंडेशन है। ग्रामीण क्षेत्र के थानों में कोई शहरी क्षेत्र नहीं होगा। प्रत्येक थाने के क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों का पूरा क्षेत्र उसी थाने में होगा और ऐसा नहीं होगा कि किसी भी पंचायत का क्षेत्र एक से अधिक थानों में हो। किसी भी थाने में पुलिस चौकी के लिए भी यह ध्यान रखा जाए कि उस चौकी के क्षेत्राधिकार में पूर्ण ग्राम पंचायतें आयें, अर्थात किसी भी पंचायत क्षेत्र के भाग दो पुलिस चौकियों में विभक्त न हों।

यह उनकी गाइडलाइन हमें इसी 17 को प्राप्त हुई है। जैसे ही तहसीलों का, एसडीओ हैडक्वार्टर का जब निर्धारण हो जाएगा, पंचायत समितियों का हमने निर्धारण कर लिया है। थानों और चौकियों के बारे में उनकी यह गाइड लाइन हमको मिल गई है। उन सबके बाद हम वापिस इस पर सोचेंगे कि कहां–कहां हमें आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। माननीय मंत्री महोदय, अब विराजिये।

(12.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, नियम 48, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, आपकी ही व्यवस्था की हुई है। नियम 48, अल्प सूचना प्रश्न, अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से मैंने नियमों के अनुसार अल्प सूचना प्रश्न दिया था, जो आपने ग्राह्य कर लिया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसका नियम यह है कि आप सरकार को भेजते हैं और 14 दिन में जवाब देते हैं। सरकार प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद दो मिनट में उसका जवाब देती है। मेरा एक सामान्य-सा प्रश्न था, राज्य सरकार के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें, यह प्रश्न करने के लिये सरकार की, मंत्रीजी की सहमति जरूरी थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी सहमति हो गई, अध्यक्ष महोदय, सरकार की नहीं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। हम तो भेजते हैं, सरकार से यह पूछने के लिये कि क्या आप इसका जवाब देने को तैयार हैं। जब उनकी सहमति आ जाए तब आपको पूछने का अधिकार होगा, अभी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार सहमति नहीं दे, अध्यक्ष महोदय, तो?

श्री अध्यक्ष: आप मेरे से चैम्बर में आकर बात कर लीजिये, रिमाइण्डर कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, कर लेंगे आपके चैम्बर में आकर।

श्री अध्यक्ष: यस। शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए मिजोरम के पूर्व मुख्य मंत्री श्री थेनफुंगा सेलो तथा पूर्व मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

थेनफुंगा सेलो, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, मिजोरम

मिजोरम के पूर्व मुख्य मंत्री श्री थेनफुंगा सेलो का जन्म 1 जनवरी, 1922 को मिजोरम के लंगलेई में हुआ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की।

श्री थेनफुंगा सेलो ने वर्ष 1942 में ब्रिटिश-भारतीय सेना में द्वितीय लेफ्टीनेंट के रूप में सेवाएं प्रारम्भ कीं तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लिया। आर्मी में विभिन्न पदों पर रहते हुए आप वर्ष 1966 में बिग्रेडियर बने तथा वर्ष

(श्री अध्यक्ष)

1974 तक अपनी सेवाएं दीं। मानव अधिकारों के पक्षधर श्री सेलो ने वर्ष 1975 में पीपुल्स कांफ्रेंस पार्टी का गठन किया। आप जून से नवम्बर, 1978 एवं मई, 1979 से मई, 1984 तक मिजोरम के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। मुख्य मंत्री के रूप में आपने खाद्य, ऊर्जा, जल आपूर्ति, संचार, यातायात तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया।

श्री थेनफुंगा सेलो को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको वर्ष 2011 में मिजो अवार्ड से भी विभूषित किया गया।

श्री थेनफुंगा सेलो का दिनांक 27 मार्च, 2015 को निधन हो गया।

ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री और विधायक श्री ललित किशोर चतुर्वेदी का जन्म 2 अगस्त, 1931 को कोटा में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में एम.एससी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री चतुर्वेदी वर्ष 1977 से 1998 तक छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं राजस्थान विधान सभा में कोटा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। आप 2004 से 2010 तक राज्य सभा में सांसद भी रहे। वर्ष 1954 से 1967 तक राजस्थान शिक्षा सेवा में प्राध्यापक रहे।

राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर संघ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। आप भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री तथा प्रान्तीय महामंत्री रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री तथा दो बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। आपने शिमला समझौता विरोधी सत्याग्रह, कच्छ भूमि हस्तान्तरण विरोधी आन्दोलन सहित अनेक आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेकर दस बार जेल यात्राएं कीं।

श्री चतुर्वेदी छठी, नौवीं, और दसवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। आप जून, 1977 से फरवरी, 1978 तक आवासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, नगर आयोजना, भाषा और भाषायी अल्पसंख्यक, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण और स्वायत्त शासन विभाग तथा फरवरी, 1978 से फरवरी 1980 तक ऊर्जा और सिंचाई विभाग के मंत्री रहे। आप मार्च, 1990 से नवम्बर, 1992 तक

(श्री अध्यक्ष)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री रहे। आपने दिसम्बर, 1993 से नवम्बर, 1998 तक सार्वजनिक निर्माण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन किया।

वर्ष 1991-92 में आप सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति रहे। सातवीं और आठवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट और सिण्डीकेट के सदस्य भी रहे।

राजस्थान की राजनीति में विशेष पहचान बनाने वाले श्री चतुर्वेदी एक शिक्षाविद्, प्रखर वक्ता और कुशल प्रशासक भी थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी का दिनांक 5 अप्रैल, 2015 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

संदेश

राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 पर पुनर्विचार का अनुरोध

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। प्रक्रिया के नियम 21 के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 का महामहिम राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है।

(श्री अध्यक्ष)

Kalyan Singh, Governor, Rajasthan, Raj Bhawan Jaipur. 302006 dated : 01st April, 2015

Message.

Whereas, the Rajasthan State Highways Bill, 2014 was reserved for consideration and assent of Hon'ble President in pursuance of the provisions of Article 254(2) of the Constitution of India.

And whereas, the State govt. has decided that the provisions requiring assent of Hon'ble President should not be made, therefore, on the request of the State Govt., the said Bill has been withdrawn.

Now, therefore, I, Kalyan Singh, Governor of Rajasthan, in pursuance of the first proviso to Article 200 of the Constitution of India, do hereby return the Bill and request the House of the State Legislature that the Bill be reconsidered and the provisions which require assent of Hon'ble President under Article 254(2) of the Constitution of India be removed therefrom.

Kalyan Singh,

Governor of Rajasthan.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था पैदा होती है।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मैं बाद में सुन लूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, इसी पर। जो राज्यपाल महोदय को राज्य सरकार ने बिल पास करके भेजा। राज्यपाल महोदय ने वापस कर दिया। लेकिन चूंकि इसके पहले नया बिल आपने पेश कर दिया ना। राज्य सरकार ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इधर-इधर, आसन से बात कीजिये। आसन से बात कीजिये, पूछिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इधर-उधर ताकने-झांकने की थोड़ी बहुत इजाजत तो होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको नहीं होगी। यह तो मेरे पर ही लागू होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह केवल कुंवारों के लिये रिजर्व है?

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो संवैधानिक बिल है, जिसमें पहले स्वीकृति लेनी चाहिए थी, राष्ट्रपति महोदय की। वह स्वीकृति हमने नहीं ली और सदन से हमने पारित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया है, एक बात। इसी प्रकार से दूसरा विधेयक जो हमने भूमि अर्जन का प्रस्तुत किया था, वह विधेयक हमने प्रवर समिति को भेज दिया। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी।

आज उसकी क्या स्थिति है इसका भी हमको पता नहीं है क्योंकि जिस कानून में हमने संशोधन करके प्रवर समिति को भेजा था, भारत सरकार ने उस कानून को बदलकर नया कानून लागू कर दिया, जो लोक सभा में पास हो गया और वह राज्य सभा में है। तो यह जो दो स्थिति, कानूनी स्थिति है, उनका सरकार को यहां पर स्पष्टीकरण करना आवश्यक है ताकि उस पर सदन की राय को हम प्रकट कर सकें।

श्री अध्यक्ष: मैं आपके पाइंट आफ आर्डर को रिजर्व रखता हूं और कल इस पर अपनी व्यवस्था दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के खेत से आलू 1 से 2 रुपये किलो के भाव पर बिकने और उनकी मेहनत का पूरा भुगतान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से आर.पी.एस.सी. में फैले भ्रष्टाचार की जांच सदन की एक कमेटी बनाकर करवाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित उद्योगों द्वारा श्रम कानूनों का पालन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर के लगभग बीस गांवों में तेज अंधड़, बारिश व ओलावृष्टि से हुए भारी नुकसान के सम्बन्ध में।

(5) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सैकड़ों गांवों में दिनांक 2 व 3 अप्रैल, 2015 को हुई ओलावृष्टि, तेज तूफान व भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री मनोज कुमार, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री भंवर सिंह को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से सांगोद उपखण्ड मुख्यालय में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा परकाम्य लिखित अधिनियम न्यायालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर का पुनर्गठन कर बालोतरा को जिला बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(3) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से अलवर ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से जयपुर जिले के उपखण्ड चाकसू में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से मेड़ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड का घोषित करने एवं केन्द्र में ब्लड बैंक एवं सोनोग्राफी सेंटर की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के किसानों को एस.डी.आर.एफ. के मानदंडों के परिवर्तन करते हुए ओलावृष्टि राहत पैकेज देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर के वार्ड नम्बर 1 व 2 की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत नान्दोली, मेड़तिया पंचायत समिति, मकराना में वर्ष 2009-10 में कराए गये ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का भुगतान वास्तविक सामग्री सप्लायर को करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में दो अन्य अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जनवरी, 2014 में आयोजित लिपिक ग्रेड-II के 7538 पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के कतिपय गांवों की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(12) डा. मंजू बाघमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बैड में क्रमोन्नत करने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 43 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री केसाराम चौधरी- राज्य में जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय की गयी सौर ऊर्जा लाइटों में भारी भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अलका सिंह- जयपुर में फर्जी दस्तावेजों के द्वारा आधार कार्ड बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री संदीप शर्मा- कोटा शहर की सिटी बस सेवा को शीघ्र आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'- विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में रूडीप के द्वारा कराए जा रहे सीवरेज लाइन के कार्य में शिथिलता के कारण सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री प्रद्युम्न सिंहजी, आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे। मुझे आपको टोकने का मौका नहीं आए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, यह निवेदन करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 295 अगर पढ़े हुए मान लिए जाएं तो अच्छा रहेगा।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 के प्रस्ताव तीन बार लगाए और तीन बार ही रिजेक्ट हो गये, मेरे 295 का नहीं आ रहा है। पूरे समाज के छात्रावास के वास्ते मेरा प्रश्न है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आलू उत्पादक किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इतने लम्बे विधान सभा के कार्यकाल में जो करीब 35-36 साल का हो गया है, मैं दूसरी बार स्थगन प्रस्ताव के ऊपर बोल रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। (व्यवधान) एक मिनट।

इसीलिए मैंने यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

मैं आपके माध्यम से, खास तौर से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर जिला आज राजस्थान का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला बन गया है। यू.पी. से लगा हुआ है और आज वहां पर स्थिति यह है कि एक रुपये किलो के अन्दर भी आलू खरीदने वाला कोई नहीं है। अभी अख़बार में भी आया। दिल्ली की आजादपुर मंडी के अन्दर एक रुपये किलो आलू बिक रहा है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यू.पी., गुजरात, सब जगह पर आलू की बम्पर क्राप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बीघे के ऊपर क्योंकि पिछले साल आलू का भाव 2200-2300 रुपये क्विंटल था और एक बीघे आलू के अन्दर माननीय कृषि मंत्रीजी, करीब 20 क्विंटल आलू डलता है, बीस हजार रुपये का तो आलू डाला किसान ने और खाद, डी.ए.पी., यूरिया दोनों ही चाहिए, पानी, खुदाई और जुताई, करीब 35 हजार रुपये की लागत आई और आज उसको 100 रुपये क्विंटल लेने वाला नहीं है। मेरे बाड़ी के साथी ने मुझे बताया और आज भी 40-50 प्रतिशत आलू खेतों में पड़ा हुआ है। धौलपुर में 12-13 कोल्ड स्टोरेज भर चुके हैं, वहां पर जगह नहीं है। यू.पी. के कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है। आज जो किसान की दुर्दशा है, कहीं ऐसा न हो कि जैसे उड़ीसा और बंगाल में किसानों ने वहां पर आत्महत्या की है, अखबारों में आ रहा है, आलू जलाया जा रहा है, पंजाब के अन्दर आलू को रोड-रोलर से लोगों ने कुचला है। आज आलू उत्पादक की दयनीय स्थिति है।

मैं सरकार से चाहूंगा कि आप किसानों की सहायता करें। आपके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सामने भी समस्या है या तो आप गिरदावरी कराएं या गिरदावरी नहीं कराए तो जो कोल्ड स्टोरेज में कोई व्यापारी ने तो आलू लिया नहीं है, सारा किसान का आलू है। आप किसान को कम से कम पांच सौ रुपये क्विंटल की सहायता उपलब्ध कराएं तब जाकर किसान के आलू बिकने वाले हैं। बी.जे.पी. के मैनिफेस्टो में भी है, जो जारी किया है आदरणीय राजनाथ सिंहजी द्वारा, किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा। तो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप धौलपुर जिले के आलू उत्पादकों की दशा की तरफ, मेरे साथी बाड़ी के जो माननीय विधायक हैं, इन लोगों ने आलरेडी चम्बल में आलू फेंकना शुरू कर दिया है, चम्बल नदी का पोल्यूशन भी बढ़ेगा अगर उसमें आप आलू फेंकेंगे तो। खेतों में आलू पड़ा हुआ है। पचास फीसदी फसल तो अभी खेतों में पड़ी हुई है और इस तेज गर्मी के अन्दर आलू का 15 दिन में सत्यानाश हो जायेगा। तो उस किसान उत्पादक की, इतने बड़े पैमाने पर आलू पैदा हुआ है पिछले साल के भाव के कारण तो आप उनको आर्थिक सहायता दें, पांच सौ रुपये क्विंटल की आप आर्थिक सहायता दें। कितना खर्चा आएगा? आपके इतने बड़े बजट में आपके 25-30 करोड़ रुपये में उसके आंसू पुछ जाएंगे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप देने की कृपा करें। आप उनकी मदद करें। धौलपुर के आलू उत्पादक किसान, सिर्फ थोड़ा-बहुत, भरतपुर में होता है और कहीं आलू होता नहीं है राजस्थान के अन्दर, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दें। मैंने आपसे मौखिक रूप से भी चार-पांच दिन पहले निवेदन किया था। तो, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप आलू उत्पादक, धौलपुर के आलू उत्पादक की मदद करें। आपकी अति कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय रेस्पोंड करेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आप कहो तो कर लें साहब।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। मेरा निवेदन है कि आप कीजिये। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): करो भाई करो कुछ।

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं। कृपया आपसी चर्चा नहीं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने आलू के उत्पादन और आलू की कीमत

(श्री प्रभू लाल सैनी)

के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। यह सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष राजस्थान में उत्पादन चार गुना बढ़ा है। पहले राजस्थान में लगभग 11.48 लाख क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन होता था और इस साल की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं लगभग 45.44 लाख क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन हुआ है। यानी चार गुना उत्पादन अधिक हुआ है और यह निश्चित रूप से ठीक बात है, लेकिन कुछ मंडियों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैंने 31 मार्च तक के आंकड़े लिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में वर्तमान में जो रेट चल रही है वह 400 से 600 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग है और पिछले वर्षों में 700 से 800 रुपये क्विंटल थी। निश्चित रूप से आधा नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। कोटा में 500-600 थी, पहले 650 और 900 थी। अजमेर में 400 से 750 थी, इसके पहले साल में 700 से 1100, यानी माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडियों की जो अराइवल हमें प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि गत वर्षों के मुकाबले निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन इतनी भी अभी रेट्स नहीं आईं कि एक रुपये किलो या दो रुपये किलो, ऐसी स्थिति अभी जो आंकड़े मैंने देखे, उसमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीति हमारी बनी हुई है, उस नीति के अन्तर्गत कोई भी आलू के प्रोडक्शन के बाद यदि उसको वैल्यू एडीशन प्रोसेसिंग करें या अंकल चिप्स की तरह करें तो उसको एक करोड़ रुपये तक के सब्सिडी देने के प्रोविजन भी किये हुए हैं। साथ में सब्जी निर्यात प्रोत्साहन योजना भी हमने चालू की हुई है। यदि आलू का भी कोई एक्सपोर्ट होता है, तो साढ़े तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको दिया जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजा देने का प्रावधान, इनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, अब तक ऐसा कोई विषय नहीं आया है। इस विषय को निश्चित रूप से मैं सदन के माध्यम से कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में हम लोग लायेंगे और जैसी परिस्थितियां होंगी उस पर निश्चित रूप से अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी तो जापान हैं, कब लाओगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट रूकिये। अध्यक्ष महोदय, मैं बहस नहीं कर रहा। माननीय मंत्री महोदय, आप विराजें। एक मिनट, मैं बहस नहीं करता इस मामले के अन्दर।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सचेतक महोदय, राहुल गांधी कहां है, यह भी बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्लीज, प्लीज, भगवान के लिये आप विराजें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन करूं न तो उदयपुर में आलू होता है, न कोटा में होता है, न अजमेर में होता है, लेकिन हमारे यहां ट्रांसपोट कोस्ट लगकर जब वहां जाता है, तो ट्रांसपोर्ट कोस्ट ही आ जाती है 250-300 रुपये क्विंटल की। इससे वहां आपको लगता है कि उन मंडियों में भाव ज्यादा है। हकीकत में जहां उद्गम स्थान है, वहां पर सिर्फ एक रुपये-डेढ़ रुपये किलो ही बिक रहा है। मैं आपसे हलफ़ से कह रहा हूं इस सदन के अन्दर, धौलपुर में आप अपने अधिकारियों से पता लगा लीजिये। उस ट्रांसपोर्ट कोस्ट को आप मत जोड़िये इसके अन्दर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान बरबाद हो रहा है। किसान बर्बाद हो रहा है और सरकार सोयी हुई है। सरकार कोई अनुदान देने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो। बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बिलकुल अंकित नहीं हो। लिखा है तो काट दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: यह अंकित नहीं करना है। मेरी बिना अनुमति के बोला जा रहा है, अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के बोला जा रहा है, अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अनुशासन नहीं मान रहे हैं, इसलिये अंकित नहीं हो और जाना हो, तो जाओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आप नीचे तो बैठो। आप जो कहोगे वो करूंगा क्या मैं अब? आप कहोगे जो करूंगा क्या अब? माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विद्वान साथी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं जैसे आलू राजस्थान में पहली बार हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: विद्वान की परिभाषा क्या होगी? (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): और इनकी सरकार में कभी आलू पैदा ही नहीं हुए। और जब पैदा हुए तो इन्होंने काफी पैसा किसानों को दिया। राजस्थान की पहली सरकार है जिसने इंटरवेंशन आफ द मार्केटिंग लहसुन और प्याज का जब हुआ था, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी ने किया था। इनकी सरकार जब आई, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस किसान की चिन्ता अब ये कर रहे हैं, किसान की ये बात कर रहे हैं, 50 साल तक शासन किया होगा, एम.एस.पी. का पैसा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की और माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है, लेकिन मैं पिछले आपको 30-35 साल का रिकार्ड बता सकता हूं, अकाल पहले भी पड़े, फसल पहले भी खराब हुई लेकिन 15 दिन में गिरदावरी करना और सारे के सारे गांवों को आइडेंटिफाई करना और उसकी आपदा का पैसा 350 करोड़ कलक्टर्स को दे देना और उसका बंट जाना, फिर क्या चाहते हो? क्या चाहते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्या चिल्लाते हो आप। आप अपनी जन्म-पत्री देखो ना पहले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहले अपनी जन्म-पत्री देखो। 15 दिन में कभी कोई हुआ है क्या? यह वसुन्धराजी का निर्णय था कि हमने 15 दिन में गिरदावरी कराकर पैसा कलक्टर को दे दिया और माननीय सदस्य अपने-अपने जिले में...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सारा पैसा हमने समय पर बंटवाया है। यह पहली बार हुआ होगा। यह राजस्थान की विधान सभा का पहला रिकार्ड होगा कि 15 दिन में पैसा किसान के घर में पहुंचा दिया, 15 दिन में पैसा घर पर पहुंचा दिया। चिल्लाते काहे को हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप चिल्लाते काहे को हो, रिकार्ड देखो। यह चिल्लाने में तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। (व्यवधान) आपके लिये अकेला ही पर्याप्त हूं। यह राजस्थान की पहली मुख्य मंत्री का निर्णय है जिसने 15 दिनों में किसान को मुआवजा उसके घर पर पहुंचा दिया। और साढ़े

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तीन सौ करोड़ रुपया हमने बंटवा दिया है आज की तारीख में ...(व्यवधान) अपने-अपने क्षेत्र में कलक्टर के साथ जाकर के साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया हमने कल तक बंटवा दिया है...(व्यवधान) आज दिन तक नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ×××

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) बोलिये, बोलिये आप। इनके दो व्यक्ति नहीं बोलना चाहते...(व्यवधान) उन्होंने मना कर दिया बोलने से, मैंने नाम पुकारा। मानिकजी आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा...(व्यवधान) मैंने नाम पुकारा और नहीं बोले, बैठ जाइये। आप भाषण चालू रखिये। अब अंकित कीजिए, मानिकजी का अंकित कीजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कंट्रोल तो करो...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, बिना अनुमति के बोल रहे हैं। हां, मानिकजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: करने दो, धां-धूं करने दो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, कुछ व्यवस्था हो तो मैं अपना पाइंट आफ आर्डर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपना वक्तव्य दीजिए। (व्यवधान) आप अपना वक्तव्य दीजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरसिंह। अपना वक्तव्य दीजिए। (व्यवधान) अपना वक्तव्य दीजिए...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया उसको सारे सदन ने बहुत गम्भीरता से सुना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने पुकार लिया है, कोई बोलने को तैयार नहीं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री केसाराम चौधरी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, मैंने नाम पुकारा जब नहीं बोले आप। बैठिये मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं आपने बोलना शुरू नहीं किया। (व्यवधान) आप बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइये। मैं नहीं बोलने दूंगा, नहीं दूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्षः नहीं दूंगा इजाजत। मैंने आपका नाम बोल दिया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्षः नहीं। नो, नो, नो। बैठ जाइये। श्री केसाराम चौधरी। (व्यवधान) बैठ जाइये, अव्यवस्था मत फैलाइये। बैठ जाओ, अव्यवस्था मत फैलाइये। जाना हो तो जाइये। (व्यवधान) अव्यवस्था फैलाने के लिए नहीं है यह सदन। यह चौराहा नहीं है। मैंने पहले भी कहा, शांति से सुनना हो तो सुनिये नहीं तो आप लगाइये नारे जितने लगाना हो। एक अव्यवस्था फैला रहे हैं, संसदीय परम्परा नहीं समझ रहे हैं। आपका वरिष्ठ सदस्य एक मिनट भी नहीं बोला है इस बारे में आपके साथ नहीं है। यह आपका झगड़ा आप यहां क्यों करते हैं? कहां है आपका प्रतिपक्ष का नेता?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों के द्वारा...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, सदन के किसी भी माननीय सदस्य को सारी कार्यवाही को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही को जिस तरीके से रोका जा रहा है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। (व्यवधान) कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया जाए और मुझे मेरे स्थगन पर दो मिनट जो इजाजत आपने दी है उसको कहने की इजाजत दी जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रतिपक्ष का कर्तव्य निभाना चाहिए वो नहीं निभा कर और सिवाय इस सदन में बाधा खड़ी करने के, इस सदन में हंगामा खड़ा करने के और इस सदन में नारेबाजी करने के, मैं इनकी निंदा करता हूं, इनसे कहता हूं ये चुपचाप सदन की कार्यवाही चलने दें, सदन की मर्यादाओं को समझें। यह मेरा इनसे निवेदन है। आप नहीं बोल रहे हैं।

कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट रखिये आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 16)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को मध्याह्न पश्चात् दो बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने 15वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2015 एवं बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): तथा 15वें प्रतिवेदन के अनुसार 7 अप्रैल, 2015 को लिये जाने वाले कार्य यथावत रहेंगे:-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2015 1- अतिरेक मांगें वर्ष 2011-12 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण।

2- राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

3- राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 ;

4- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 ; एवं

5- राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण।

बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 1- राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 ;

2- राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 ; एवं

3- राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण।

श्री अध्यक्षः आराम से रख दिया आपने?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

मैं पर्ची के माध्यम से पुनः आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। आप भी बोलिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठ जाइये। मैंने उस समय नाम पुकार लिया था। बैठ जाइये...(व्यवधान) नहीं, नहीं, बाहर निकाल दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम उसके लिये जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: नो, नो...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारा स्थगन है...(व्यवधान) अगर कांग्रेस हंगामा करती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। (व्यवधान) हमारा स्थगन आया है। हमें बोलने का मौका दीजिये। अध्यक्ष महोदय, हमने क्या किया है? हंगामा कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): खाली भाषण देने से किसान का पेट नहीं भर सकता है...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया। मेरा स्थगन है...(व्यवधान) आप मुझे उसके लिए अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: अच्छा। इनके बाद बोल लेना, दो मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका नाम नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, खाली अखबारों में एडवरटाइजमेंट देने से ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हनुमानजी, अध्यक्ष महोदय ने दे दी व्यवस्था। दो मिनट बोलने दे रहे हैं, बैठो आप ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इससे पेट भरने वाला नहीं है। आप सदन के अन्दर बड़ी-बड़ी बात करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किसान राजस्थान के अन्दर आत्महत्या कर रहा है। मैं भी आपकी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूं। यह मेरा अधिकार है।

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है और परम्पराओं से चलता है। आसन की सहृदयता है, अध्यक्ष महोदय। चूंकि इस बार सदन के कुछ अंतिम दिन रह गये हैं। आपने जितनी सहृदयता से जितनी बार स्थगन पर बोलने का मौका प्रतिपक्ष को दिया है। प्रक्रियाओं के नियम 50 के अन्तर्गत सिर्फ प्रतिपक्ष ही स्थगन लगाता है। उसके पश्चात् भी जिस प्रकार का आचरण प्रतिपक्ष कर रहा है। आपके वेश्म में कई बार चर्चा हो चुकी है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने मिलकर चर्चा की।

कई समाचार-पत्रों ने यह लिखा है कि इस बार राजस्थान की विधान सभा बड़ी लय में चली, बड़ी अच्छी चली, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करके समाचार-पत्रों में समाचार आ जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार का पक्ष माननीय मंत्रीजी ने बड़ी मजबूती से रखा। पहली बार सरकार ने सहृदयता दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई। समय पर गिरदावरी हुई और गिरदावरी के बाद किसान के पास पैसा पहुंचा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके वेश्म में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हो या जब कभी मौका हो, आप सदन को सुचारु रुप से चलाने के लिए हमें तो कहते ही हैं, लेकिन यह प्रतिपक्ष जो गैर जिम्मेदाराना तरीके का व्यवहार कर रहा है। यह सही बात है कि इनकी अंदरूनी टकराहट सदन में परिलक्षित हो, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं इनके इस कृत्य का जो आज इन्होंने दो बार किया, एक बार नहीं, एक ही विषय पर दो बार किया, सदन के अन्दर जो इस प्रकार का आचरण किया, मैं उसकी निन्दा करता हूं और आसन से निवेदन करूंगा कि आसन के साथ सत्ता पक्ष हर मामले में, आप जैसा भी निर्णय करेंगे, आपके साथ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मानिक चन्द सुराना।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर के बीस गांवों में तेज अंधड़, बारिश व ओलावृष्टि से भारी नुकसान

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह बहुत तकलीफ की बात है, व्यथा की बात है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आलू का मुद्दा उठाया, हमने बड़ी गम्भीरता से उसको सुना और माननीय कृषि मंत्रीजी का जवाब भी सुना। लेकिन उसके बाद जो कुछ किया गया कांग्रेस पार्टी के अधिकतर सदस्यों के द्वारा, वह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, इस विधान सभा की प्रक्रियाओं के लिए भी कोई शोभाजनक बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं है। एक तारीख को इन्होंने जो हल्ला करके दो प्राइवेट मैम्बर्स के बिल पहली बार आ रहे थे...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): षड्यंत्रपूर्वक उन बिलों को भी रुकवा दिया।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए आपने हमें बोलने की इजाजत दी थी।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय आपदा राहत मंत्री जी मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जो कुछ भी किसानों पर कहर पड़ रहा है, 2 अप्रैल को मेरे क्षेत्र के बीसों गांवों में इतना तेज अंधड़, मूसलाधार बारिश और ओले पड़े, जिसमें तेजरासर गांव है, गुंसाईसर गांव है, सेरेरा की रोई है, रुनियाबड़ा बास है, रादेरा है, कतरियासर है और मोलानिया है, सेकसर, खोड़ाला, लूणकरणसर तहसील के और इसके साथ में इर्द-गिर्द के दसों गांवों में इतनी बढ़िया फसल लहलहा रही थी। उसको भी 30 परसेंट का नुकसान हो गया था,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पहले की 2013-14 की बारिश में। उस नुकसान के बावजूद वह फसलें आड़ी हो गयी, चना पूरा नष्ट हो गया। ईसबग़ोल पूरा नष्ट हो गया। जीरा नष्ट हो गया। गेहूं सारा का सारा काला पड़ गया। उस गेहूं की कीमत बाजार में आधी भी नहीं रही, 75 परसेंट कीमत उसकी खतम हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय आपदा राहत मंत्रीजी ने, गृह मंत्रीजी ने कहा है कि राहत के हमने जो 350 करोड़ भेजे हैं, वह बंट चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह बंटने शुरू हुए हैं, अभी शुरू ही हुए हैं। मेरी बीकानेर के कलक्टर से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमने शुरू किया है अभी 5-7 दिन में वह बंटेगा। मेरा निवेदन है कि आपने जो नार्म्स घोषित किये हैं सरकार ने, कि हम 4 हैक्टेयर तक का मुआवजा देंगे। राजस्थान की विपत्ति को देखते हुए माननीय गृह मंत्रीजी और आपदा राहत मंत्रीजी, इस मदद को, आपदा की मदद को 4 हैक्टेयर नहीं, सारे राजस्थान को रिलीफ देने के लिए इसकी सीमा 6 हैक्टेयर तक कम से कम बढ़ाने की कृपा करें 6 हैक्टेयर तक कम से कम बढ़ायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे क्षेत्र के किसानों की यह स्थिति नहीं है, सहकारिता मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि 30 जून तक जमा करा देना। जब फसलें ही बर्बाद हो गईं सहकारिता मंत्रीजी, तो किस तरह 30 जून तक जमा करायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार यह तैयारी करे कि जो छोटे किसान हैं, 8 हैक्टेयर तक के, उनको आप अगली फसल में भी सहकारी बैंकों से अल्पकालीन ऋण, बिना किसी अन्य सिक्योरिटी के दिलाने की सोचें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी आज की स्थिति ना तो फसल बोने की है, ना फसल जुताई की है और न बुवाई की है, न ही आज उनकी स्थिति खाद और बीज देने की है। यह सारा इंतजाम राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि करोड़ों रुपयों की फसल जो लहलहा रही थी इन खेतों में, जिनके मैंने नाम लिये हैं, वह लाखों की नहीं रही हैं। यह स्थिति कोई मेरे क्षेत्र की नहीं है। यह राजस्थान के अनेक हिस्सों में है। कोटा में है, बूंदी में है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हाड़ौती में है। चित्तौड़ में है। सब जगह है। राज्य सरकार अपने पैकेज को रिवाइज करने की सोचे।

श्री अध्यक्ष: विषय आ गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 4 हैक्टेयर की जगह 6 हैक्टेयर करने की सोचें। मैं इसी निवेदन के साथ दोबारा आप कलक्टर को फर्मा करके इन गांवों में वापिस जहां ओले पड़े हैं 2 अप्रैल को, उनकी सर्वे कराने के आदेश कलक्टर को देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: मनोज कुमार न्यांगलीजी।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): खाजूवाला में भी ऐसा हुआ है। माननीय आपदा मंत्रीजी, खाजूवाला में भी हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप भी एसोसिएट कर रहे हैं? इनको भी एसोसिएट किया जाये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय आपदा मंत्रीजी, हमारे खाजूवाला में भी ऐसा हुआ है, 2 तारीख को ओलावृष्टि हुई है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान को ही आश्वस्त कर रहा हूं कि जितना क्विक हो सकता है। आपने देखा होगा कि 28 फरवरी और 1, 2 मार्च को जो हुआ उसकी गिरदावरी हमने 15 दिन में करने के आश्वासन दिये और पूरा किया। उसके बाद 14, 15 और 16 की जो बारिश हुई, उसकी गिरदावरी भी हमने 28 तक पूरी कर ली।

मुख्य मंत्रीजी का बार-बार आग्रह होने से केन्द्र की टीम भी यहां आ गई, केन्द्र के वित्त मंत्री यहां आ गये केन्द्र के कृषि मंत्री यहां आ गये। मौके पर देखा और 31 तारीख को हमने मेमोरेंडम बनाकर, शायद इतने कम समय में इस राजस्थान के इतिहास में, कभी मेमोरेंडम बनकर के केन्द्र सरकार के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मंत्रियों को नहीं पहुंचा होगा जो हमने पहुंचाया है।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, जिसके कारण से जो नुकसान हुआ है, हमने तुरन्त आदेश दे दिया। उनकी गिरदावरी होकर 15 दिन में गिरदावरी का रिजल्ट आने के बाद खराबा होगा, उनको निश्चित रूप से हम मदद करेंगे। 1103 करोड़ रुपये इस साल के हमको मिलने वाले हैं। हमने आग्रह किया है कि इसको 2 किश्तों में नहीं देकर आप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक किश्त में दे दो।

मैं आज आपके माध्यम से, आपने विषय उठा दिया, मुख्य मंत्रीजी का जितना इस पर ध्यान है और जितना उन्होंने इस पर मेहनत की है, मैं यह कह सकता हूं कि शायद इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि और तैयारी करना, हमने एक-एक गांव को आइडेंटिफाई कर लिया। 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान जो गांवों में हुआ वह आइडेंटिफाई कर लिया। कलक्टर के खाते में हमने पैसा रिलीज कर दिया और कहा कि आप पैसा बांटते चले जाइये। सैकिण्ड किश्त जब हमारे पास आ रही है तो वह हम और भेज रहे हैं। नार्म्स बदलकर के भी हमने सरकार से 8251 करोड़ का एक पैकेज और मांगा है।

इस पैकेज में हमने एग्रीकल्चर इनपुट आप जो देते हैं, पैंतालीस सौ रुपया, नौ हजार रुपया और बारह हजार रुपया, इसको हमने हमारी तरफ से बढ़ाकर पैंतालीस सौ का जो प्रस्ताव भेजा उसमें हमने सात हजार रुपया किया, नौ हजार वाले को हमने चौदह हजार रुपये किया और बारह हजार को हमने चौबीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव भेजा। तीन हजार छह सौ पांच करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर हमने भेजा है। हमने यह भी कहा कि पच्चीस से लेकर पचास के बीच में जो नुकसान हो रहा है, वह पचास परससेंट से नीचे आ रहा है तो उसे एक पैसा भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता, उसके सहयोग के लिए भी हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। मनरेगा में जिसके सौ दिन पूरे हो गए उसको दो सौ दिन तक काम करने के लिए मनरेगा का हमें पैसा मिले और उसको जो खेती में से सामान उठाना है या फसल को समेटना है, उसको भी उसमें किसी प्रकार से जोड़कर उसे मदद की जाए। मैं सोचता हूं कि यह आठ हजार दो सौ इक्यावन करोड़ रुपए का पैकेज हमने केन्द्र सरकार से मांगा है और बहुत जल्दी ही हमें यह मिलेगा। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं और कोई ऐसा आदेश नहीं है जो हमने समय पर नहीं निकाला हो। मैं आपको अभिमान से नहीं कह रहा हूं लेकिन निश्चित रूप से जो दर्द राजस्थान की जनता को, मुझको भी है और आपको भी है, सरकार ने जितना क्विक एक्शन लेना चाहिए और जितना क्विक आर्डर निकालना चाहिए, अब तक का पचास साल पुराना रिकार्ड इस आपदा प्रबन्धन का उठाकर आप देख लेना, पन्द्रह दिन में इस प्रकार से किसान को उसकी चीज की मदद पहुंचा देना शायद कभी नहीं हुआ होगा, हमने करने का प्रयत्न किया लेकिन केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करना कि मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, मुख्य

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मंत्रीजी से क्या चीज चाहिए आपको, मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयास किया और जितनी टीमों का, ईवन प्रधान मंत्रीजी को उन्होंने पत्र लिखा, व्यक्तिगत वह वहां मिलकर उन्होंने उनको बताया, गृह मंत्री यहां आकर गये, सारे लोगों को हमने कहा और जितना हम लोगों का सहयोग ले रहे हैं और हो सकता है कि दो-तीन दिन में हमको कुछ मिल जाए। यह ओलावृष्टि प्रभावित किसानों का आबियाना शुल्क माफ करने का आदेश हमने 20.3.15 को निकाल दिया कि इनको आबियाना शुल्क माफ किया जाए। इसी तरह से ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के चार माह के बिजली के बिल माफ करने के लिए हमने 20.3.15 को आदेश जारी कर दिया। मतलब क्या चीज हमने बाकी रखी है? ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों की भू-राजस्व वसूली को स्थगित करने का हमने 30.3.15 को आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो अल्पकालीन ऋण हैं उनको दीर्घकालीन ऋण में कन्वर्ट करने के लिए आदेश दे दिया। इसके साथ ही 31 मार्च, 2015 तक अगर उसने पैसा जमा नहीं करवाया तो उसको जीरो परसेंट ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा, उसको जून के अन्त की तारीख तक बढ़ा दिया, और क्या चीज चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि जो सरकार कर सकती है और मैं कर सकता हूं, मेरा विभाग कर सकता है, मुख्य मंत्रीजी कर सकती हैं, शायद राजस्थान में यह पूरा इतिहास उठा लेना पचास साल का, कभी भी इतना क्विक किसान के पास उसकी जो मदद पहुंचाई जा सकती है नियमों में रहते हुए वह हमने पहुंचा दी। नियमों में आगे जो बदलवाव आएगा उसके अनुसार और पैसे की कमी पड़ेगी वह हम पहुंचा देंगे। जिस कलक्टर ने जितना रुपया मांगा, सेम डे उसको पैसा ट्रांसफर किया ताकि किसी प्रकार की किसान को तकलीफ ना पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो खराबा इन दो-तीन दिनों में हुआ है, उसकी भी गिरदावरी की सूचना हमने दे दी है, पन्द्रह दिन में वह गिरदावरी अपने पास पेश करेंगे और किसान को जो राहत देना है वह सरकार निश्चित रूप से देगी, यह मैं आपके माध्यम से राजस्थान के उन सब किसानों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके इस कष्ट में स्वयं भी अपने आपको दु:खी महसूस करती है और जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सकती है वह मदद पहुंचाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री न्यांगली। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अब आप विराजें। हो गया। श्री न्यांगली। (व्यवधान) आप व्यक्तिगत बात कर लेना।

राजस्थान लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक बहुत गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बेरोजगार नवयुवक मेहनत करता है, मां-बाप के गाढ़े पसीने की कमाई से स्कूल, कालेज की फीस भरता है, वह भविष्य के अपने सपने संजोता है लेकिन आरपीएससी में बैठे चन्द लुटेरों के कारण बेबस हो जाता है आरपीएससी में फैले भ्रष्टाचार के कारण सभी पेपर सुनियोजित तरीके से आउट हो जाते हैं, अपनों को दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही बेरोजगारों के सपने टूट जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बेरोजगार आतुरता से इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत की ओर अपनी दृष्टि लगाए बैठा है कि यह सबसे बड़ी पंचायत दुर्योधन और दुःशासन बनी आरपीएससी को बेरोजगार नवयुवकों का चीरहरण नहीं करने देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन धृतराष्ट नहीं अपितु एक शक्तिशाली, प्रभावशाली और सशक्त सदन है। यह सदन इस भ्रष्ट व्यवस्था को पटरी पर लाने में पूर्णतः सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर पाए तो भविष्य में इस सदन को भी नहीं बख्शा जाएगा, नवयुवक सड़कों पर आएगा और महा संग्राम होगा। मैं भी इस बेरोजगारी की विभीषिका से गुजरा हूं इसलिए उनके दर्द को बखूबी समझता हूं। जो इस दौर से गुजर रहा है वह किसी के लिए अभिशाप है तो किसी के लिए ऐसा नासूर जिसके इलाज के लिए इस पीएससी से दूसरी पीएससी और यूपीएससी के माध्यम से बेरोजगार दौड़ लगाता है और पीएससी और लोक सेवा आयोग रूपी अस्पताल में लोगों के द्वारा फीस देने पर भी नासूर ज्यों का त्यों बना रहता है। फिर कह नहीं पाता तो बेरोजगारी कुण्ठा का रूप ले लेती है और कुण्ठा और अवसाद ने कितने नौनिहाल और बेरोजगारों का जीवन लील लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं, जो सच्चे अर्थों में विद्वान, चिन्तक और विचारक थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 (1) में यह व्यवस्था दी कि केन्द्र व राज्य के अन्दर एक लोक सेवा

(श्री मनोज कुमार)

आयोग होगा, दो या अधिक राज्य की सहमति से एक लोक सेवा आयोग होगा, गठित कर सकते हैं, संविधान निर्माताओं की यह सोच थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पीएससी के माध्यम से न केवल राज्य और केन्द्र में कुशल सेवक व श्रेष्ठ नौकरशाह प्राप्त हो सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसके कारण हमें कुशल प्रशासक नहीं मिल रहे, आरजेएस की भर्ती में पेपर आउट, आरएएस की भर्ती में पेपर आउट, डाक्टर की भर्ती में पेपर आउट, इंजीनियर की भर्ती में पेपर आउट होने के कारण अयोग्य व्यक्ति इन पदों पर सुशोभित हो जाते हैं लेकिन योग्य व्यक्ति जो इस पूरे तंत्र को चलाते हैं वह हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने पिछले दस पन्द्रह वर्षों से राज्य में पीएससी की जो दुर्दशा हुई है उससे शायद ही कोई अनभिज्ञ होगा। हमारे पीएससी से पर्चा लीक के प्रकरणों से समाचार पत्रों ने खूब चर्चा बटोरी है, वहीं बेरोजगारों के जीवन में अंधकार कर दिया है। चाहे आरएएस भर्ती परीक्षा हो चाहे, न्यायिक परीक्षा, पत्रिका में एलडीसी की भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में ला दिया है। बेरोजगारों का जीवन।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अन्धकार में रास्ता नहीं सूझ रहा, किधर जाएं, किस पर विश्वास करें जब अपनों ने ही धोखा दिया, तोड़ दिया दिल। क्या हुआ? छात्रों का विश्वास टूट गया है, धैर्य जवाब दे गया है। अपनी बचत से फीस देकर परीक्षा में शामिल होते हैं, आरपीएससी की नाकामी, उस भर्ती को कोर्ट में अटका देते हैं या फिर किसी अधिकारी के निजी स्वार्थ से पेपर को मार्केट में पहुंचा देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में आरपीएससी द्वारा...

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये। आपने दो मिनट मांगे थे, पांच मिनट हो गए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक सैकिण्ड में कुछ होता है क्या? आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन के माध्यम से पुरजोर मांग है कि आरपीएससी की काली करतूतों की

(श्री मनोज कुमार)

जांच सदन की कमेटी से करवाई जाए जो विस्तृत जांच कर इस सदन में रखे और इस सदन को गम्भीरता से लेकर आरपीएससी में जो गम्भीर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप रेस्पोण्ड करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है वह केवल इनकी ही नहीं राजस्थान के सब नौजवानों की पीड़ा है, इसमें कोई दोराय हो ही नहीं सकती। पर चूंकि संवैधानिक कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जिन संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर ही काम किया जा सकता है क्योंकि यह जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होता है वह संविधान के अनुच्छेद 316 के अन्तर्गत होता है और उसके अन्तर्गत उनके कुछ अपने अधिकार हैं और उनको हटाने की प्रक्रिया 317 में इंगित है, केवल राष्ट्रपति के अलावा किसी को यह अधिकार नहीं है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की जाए। लेकिन उसके बाद भी जो अधिकार हमको प्राप्त हैं, राजस्थान की पुलिस को प्राप्त है, वह कार्यवाही हमने की है। इस बात को भी आपको एप्रिशिएट करना चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार के संवैधानिक पद पर बैठे हुए संस्था के खिलाफ भी एसओजी के द्वारा मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारी के वारण्ट निकाले जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

चार प्रकरण एसओजी ने दर्ज किए हैं। आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा 2013 का है, 4/14 मुकदमा दर्ज हुआ है, 420, 120, 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 के तहत, हमारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसकी जांच कर रहा है। संगठित गिरोह द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्र को प्रकट कर अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया। मुल्जिम अमृत लाल मीणा, संजीव कुमार मीणा, हंसराज मीणा, आरके सिंह, सुनील कुमार, बाबूलाल, बाबूराम राजपूत, दिलीप पाण्डे, महावीर सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया, गिरफ्तारी होकर चालान पेश किया है जो अभी भी आपके अनुसंधान के अन्तर्गत चल रहा है।

केस नम्बर दो, कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा, 2013, मुकदमा संख्या 11/14 धारा 420, 120-बी, भारतीय दण्ड संहिता के 4, 5, 6 ख-1 के अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 के तहत इसमें विद्याधर डूडी, उप अधीक्षक, इसकी जांच कर रहा है, संगठित गिरोह द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्र को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रकट कर अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया। मुल्जिम इसमें अमृत लाल, संजीव कुमार, आर के सिंह को गिरफ्तार किया, तफ्तीश जारी है, जेर अनुसंधान है। इसी तरह से तीसरा मुकदमा 12/14 यह चेयरमैन के खिलाफ है।

आरपीएससी चेयरमैन की पुत्री परीक्षा में सम्मिलित थी, उसके बावजूद चेयरमैन ने प्रिंटिंग प्रेस में विजिट कर प्रश्न-पत्र नोट करने बाबत, मैं सोचता हूं इससे बड़ा और कोई काम नहीं किया जा सकता है। चेयरमैन के खिलाफ भी हमने 12/14 मुकदमा दर्ज किया है। मुल्जिम की न्यायालय में अग्रिम जमानत मिल गई। हमने गिरफ्तारी का भी प्रयास किया, लेकिन जब अग्रिम जमानत मिल गई तो वह भी जैर अनुसंधान में है।

(13.00 बजे)

तीसरा मुकदमा हमने वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी परीक्षा, 2013 10/14 मुकदमा दर्ज किया इन्हीं धाराओं के अन्दर, इसकी जांच हो रही है। परीक्षा के पश्चात ओएमआर शीट्स में गड़बड़ कर आरपीएससी से पास करवाने के षड्यंत्र के बाबत मुलजिम प्रकाश पारचा के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से गम्भीर प्रकरण है और इतनी बड़ी संस्था के द्वारा इस प्रकार का काम करना सबके लिए लज्जा जैसा है, लेकिन संवैधानिक संस्था होने के कारण से उस पर सीधी कोई कार्यवाही करना तो हमारे लिए सम्भव नहीं है। फिर आपने अपने सुझाव में यह मांगा था कि सदन की एक कमेटी बना दी जाय, इनकी जांच के लिए सदन की कमेटी या कोई कमेटी कानून के तहत नहीं है, केवल और केवल राष्ट्रपति ही इसके लिए अधिकृत हैं, वो ही इसकी जांच करवाएंगे तो उसके परिणाम आ सकते हैं। उसके लिए भी हमने लिखकर भेज रखा है, अब वहां से आगे की कार्यवाही होना तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है, जो हमारे हाथ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। बैठिए आप। नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आरपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया, और क्या।

श्री अध्यक्ष: स्थिति स्पष्ट हो गई। आप बात कर लीजिए। आप बात कर लीजिए। स्थिति स्पष्ट हो गई है। बैठिए आप। मिस्टर मनोज, मैंने आपको बड़ी...(व्यवधान) यह क्या मतलब। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह क्या मतलब? बैठ जाइए आप। इनसे बात कर लीजिए, स्थिति स्पष्ट हो गई। मैंने 295 के प्रस्ताव आज पढ़े हुए मान लिये जाने की एक रूलिंग दे दी है। पर्ची पर बुलाऊंगा आपको। केसाराम चौधरी पर्ची पर अपनी बात रखेंगे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सौर ऊर्जा लाइट खरीद में अनियमितताएं

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्रीजी का एक ऐसे विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं कि उन्होंने पंचायत राज में पंचायत राज की जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के द्वारा विभिन्न मदों में एसएफसी, टीएफसी, अनटाइड फण्ड और निजी आय से सौर ऊर्जा लाइटों को जिस तरीके से खरीदा गया राजस्थान प्रदेश में और जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है उसकी पराकाष्ठा होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही पूरे राजस्थान में जैसे बारां जिले में है, एक व्यक्ति ने सौर ऊर्जा लाइट 6850 रुपये में लगायी है वहीं बारां जिले में 49 हजार, 28500, 38 हजार, 22 हजार, 40 हजार, 30 हजार तक सौर ऊर्जा लाइटों की कीमत लगाकर बिल सरकार से उठाये हैं। इसी तरह से गंगानगर जिले में अगर देखा जाय तो एक ही लाइट के 88 हजार, 29 हजार, 21 हजार, 33875 लगाये हैं। हर जिले में इस तरह से लाइटें खरीदी गयीं, उसमें अलग-अलग रेटों से लाइटें खरीदकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। ऐसा दुरुपयोग जो दिखता हुआ है, एक ही फर्म से अलग-अलग रेट पर लिया है। जयपुर के अन्दर सांवरिया सेठ, जयपुर के नाम से लाइट देता है तो 31940 रुपये में, वही सांवरिया सेठ जयपुर में ही 21800 रुपये में लाइट दे रहा है। इस तरह से लाइटों की खरीद में काफी घोटाला हुआ है।

इसी तरह से जयपुर के अन्दर दूसरी कंपनी द्वारा वही लाइट 70 हजार में दी जा रही है। इस तरह से हर जिले में लाखों, करोड़ों रुपये का घोटाला इस सौर ऊर्जा की खरीद में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में भी इस तरह से लाइटें खरीदने में मनमर्जी सरपंच की हुई, उस मर्जी से लाइट खरीदकर सरकारी धन

(श्री केसाराम चौधरी)

का जिस तरह से घोटाला किया गया पूर्ववर्ती सरकार के समय उसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस मद का पैसा होता है उसी मद में खर्च किया गया जाना चाहिए, मगर अनटाइड फण्ड, एसएफसी, टीएफसी में पंचायत के पास पैसा नहीं था तो किसी भी मद से पैसे उठाकर सौर ऊर्जा लाइटें खरीद की गयी हैं, 6800 रुपये में सौर ऊर्जा लग सकती है तो वही सौर ऊर्जा 80 हजार, 70 हजार, 50 हजार, 49 हजार में पूरे प्रदेश में हर जिले में खरीद करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन सौर ऊर्जा लाइटों में पूर्ववर्ती सरकार के समय जो घोटाले हुए उस सरकार के कारनामों को खोला जाय। उनके साथ ही पाली जिले में कार्यशाला जो बनायी है, वह बिलकुल बनायी ही नहीं गयी है, फिर भी सीईओ, पाली उसकी आडिट रिपोर्ट नहीं भेज रहा है जिससे पुलिस में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। आप सीईओ को भी पाबंद करें कि वह आडिट रिपोर्ट जल्दी भेजे ताकि पुलिस मुकदमा दर्ज करके जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सही मायने में जांच हो सके और लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मैं मांग करता हूं। इस तरह के घोटाले अगर होते रहे तो पंचायत में विभिन्न मदों में जो पैसा आता है उस मद का पैसा किसी मद में खर्च करके विभिन्न तरीकों से भ्रष्टाचार करके जनता के गाढ़ी खून-पसीने का पैसा, गरीब जनता का पैसा सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समितियों द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत राज मंत्री से निवेदन करता हूं कि इसकी पूरी जांच करवायी जाय और सख्त से सख्त कार्यवाही करके ऐसे लोगों को सज़ा दिलायी जाय और सरकारी धन का वापस पुनर्भरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती अलका सिंह। अच्छा, आप रेस्पोंड करेंगे? अलका सिंहजी, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने सौर ऊर्जा लाइटों की खरीद में अनियमितताओं के सम्बन्ध में विस्तार से बताया। राजस्थान में जो गंगानगर में हुआ, बारां में हुआ, अन्य जिलों में हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया, मैं इनकी बात से सहमत हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही हमें पता लगा माननीय सदस्यों के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माध्यम से अन्य पंचायत समिति या अन्य जागरुक लोगों के द्वारा तो हमने पंचायत राज विभाग के आदेश क्रमांक 28/87 दिनांक 17.06.14 से सौर ऊर्जा की लाइटों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में किसी प्रकार की कोई खरीद नहीं हो रही है। मुझे जानकारी देते हुए कोई संकोच नहीं है कि 32 जिलों में 82288 सोलर लाइटें क्रय की गयीं इसमें 43.64 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है। इसमें से 2 करोड़ 20 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है। सम्पूर्ण राजस्थान में जो सोलर लाइटें खरीदी गयीं उनकी जांच चल रही है, कहीं वसूली की कार्यवाही चल रही है और दोषियों के विरुद्ध, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि विधिसम्मत कार्यवाही होगी और किसी प्रकार की उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और जिन्होंने भी घोटाले किये हैं, मैं आपको बताऊं जयपुर में जो घोटाले किये उनके खिलाफ 11 सरपंचों को निलम्बित किया गया, परन्तु 200 सिविल रिट याचिकाएं माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। उनमें स्टे आने के कारण वे प्रक्रियाधीन हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि धनराशि का दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वह भी कार्यवाही करेंगे, दिशा-निर्देश बनाएंगे और सोलर लाइटों की खरीद में घोटाला न हो उसमें अनियमितता नहीं हो, समुचित रूप से व्यवस्था हो इसकी पूरी कार्यवाही करेंगे और जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ विधि-सम्मत कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

जयपुर शहर में आधार-कार्ड बनाये जाने में अनियमितताएं

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आधार कार्ड में यह होता है कि पहचान-पत्र की आवश्यकता होती है, फोटोयुक्त पहचान-पत्र हो, जिसमें पता भी हो। अगर पहचान-पत्र नहीं है तो तहसीलदार, एसडीएम या सरपंच का सिग्नेचर है उसके आधार पर दस्तावेज प्रमाणित किये जाते हैं। लेकिन जयपुर शहर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या बिना दस्तावेजों की जांच किये ही 150 से 450 रुपये तक लेकर फर्जी आधार-कार्ड बनाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पिछले दिनों एक लीडिंग समाचार-पत्र में भी खबर आयी थी और मैं लोकतंत्र के उस चौथे स्तम्भ को साधुवाद देना चाहूंगी कि जिसने इस तरह की बातें

(श्रीमती अलका सिंह)

उठायी हैं जो जनहित की हैं और देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है। पत्रकार ने हमारे जो डीजीपी मनोज भट्ट जी हैं उनका ही आधार कार्ड बनवा लिया था। इससे ज्यादा सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकता, डीजीपी का आधार कार्ड ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बन जाय तो इससे बड़ी सुरक्षा में चूक और कोई नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगी कि जो कियोस्क बने हुए हैं वहां पर बांग्लादेशियों की लाइन लगी रहती है और बिना दस्तावेजों को प्रमाणित किए, बिना दस्तावेजों को चैक किये उनके आधार कार्ड बन जाते हैं और फिर ये आधार कार्ड उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो यहां के नागरिक हैं। उससे सुरक्षा में चूक होती है। वो यहां पर रहने लग जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि रात को ट्रेन आती है और इन बांग्लादेशियों के जत्थे के जत्थे आते हैं और फिर वो शहर की कच्ची बस्तियों नाहरगढ़, भट्टा बस्ती, रामगंज बाजार में आकर बस जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक काम और होता है कि ये लोग संगठित रूप से अपराध करते हैं। पिछले दिनों वैशाली नगर में जो अपराध हुआ था उसमें बांग्लादेश के गिरोह का ही हाथ था और ये लोग अपराध करके वापस फिर अपने देश में भाग जाते हैं। एक घटना और बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों मैंने अख़बार में पढ़ा था, सरकार को यह आभास हुआ था, सूचना मिली थी कि जो अपराधी हैं वो पालड़ी मीणा की कच्ची बस्तियों में छिपे हुए हैं और जब पुलिस वहां गई तो पूरी बस्ती खाली थी। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि इस तरह की चीजों की जांच करें क्योंकि यह सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं, यह देश की सुरक्षा के अलावा मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगी कि यह देशद्रोह का मामला बनता है क्योंकि देश की सुरक्षा की चूक है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): एक मिनट और। इसमें यह भी जांच की जाए कि यह जो कम्पनीज को ठेका दिया जाता है आधार कार्ड बनाने का, वो कम्पनीज आगे जाकर सबलैट कर देती हैं अलग-अलग कियोस्क के आनर्स को और उन पर कोई चैक किसी का नहीं रहता है। वो कम्पनीज मानीटर नहीं

(श्रीमती अलका सिंह)

करती हैं तो सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि ये जो आधार कार्ड बन रहे हैं इनको चैक किया जाए और इस तरह के लोग जो फर्जी तरीके से, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस तरह के कार्ड बना जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगी कि ट्रेन से जो जत्थे आते हैं उनके चैकिंग की कोई व्यवस्था की जाए। जब एयरपोर्ट पर चैक होता है, बिना कानूनी दस्तावेज के न तो कोई एयरपोर्ट में जा सकता है और न ही कोई बाहर आ सकता है तो जब हमारा भारत 21वीं सदी की तरफ जा रहा है तो इस तरह ट्रेन में भी चैकिंग की व्यवस्था की जाए। हमारी सरकार वैसे बहुत संवेदनशील है, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी और हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है लेकिन चूक की गुंजाइश आगे नहीं रहे इसके लिए कोई फुलप्रूफ प्रोग्राम बनाया जाए, यह मैं आपसे अपील करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने एक बहुत ही गम्भीर विषय पर ध्यान आकर्षित किया है, निश्चित रूप से विषय की गम्भीरता जैसे ही ध्यान में आई वैसे ही हमने कार्यवाही की है। यह बात जरूर है हो सकता है कि विषय काफी फैला हुआ हो लेकिन अभी तक हमारी पकड़ में जितना आना चाहिए उतना नहीं आया, पर प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ही विषय ध्यान में आया, एक मुखबिर के जरिये जैसे ही सूचना मिली कि एक सुमित दगाइचा नाम का कोई व्यक्ति है जो केवल शपथ पत्र के आधार पर अधिक फीस लेकर आधार कार्ड बनाता है तो इस पर सुमेर सिंह, उप निरीक्षक बाबा हरिशचन्द मार्ग पहुंचा और हमारे ही पुलिस के आदमी को, सहायक उप निरीक्षक को, हमने इन्फार्मर बनाकर धरमसिंह को सुमित दगाइचा के पास भेजा। उसने 500 रुपये लेकर शपथ पत्र के आधार पर आधार कार्ड बनाया, जिसे हमने तुरन्त गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह से एक और वारदात है कि हमारे जो वर्तमान डी.जी. है मनोज भट्ट और फारूख नाम से दो आधार कार्ड फर्जी बनाये थे जिनकी प्रति उनसे प्राप्त हुई। साथ ही अन्य आधार कार्ड फार्म, शपथ पत्र और रसीदें बरामद की गईं। मुलजिम सुमित दगाइचा के साथ ही सोनू चौरासिया को भी गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ ही हमने मुकदमा नम्बर 145/15 दर्ज किया है जिसमें 420, 468, 471, 120 में मुकदमा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दर्ज करके उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की है। साथ ही बाकी को भी सूचना दी है कि इस प्रकार की जहां-जहां से भी इनके माध्यम से या और किसी माध्यम से सूचना मिले तो पुलिस निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। इसके अलावा जो आप बांग्लादेशियों के बारे में कह रहे हैं, मैं सोचता हूं कि इस बारे में केन्द्र सरकार और हम सब मिलकर रेलवे से आने वाले जो लोग हैं उनको हम किस तरह से देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। जिला कलक्टरों को भी इस बारे में सूचना दी है कि बिना दस्तावेज के आधार कार्ड न बनें। इसलिए प्रयत्न जरूर कर रहे हैं लेकिन वास्तव में विषय जितना गम्भीर है उतनी अभी तक हमारी जांच उसके तह तक नहीं पहुंच पाई है। प्रयत्न कर रहे हैं कि तह तक पहुंच कर इस समस्या का स्थायी कोई हल निकाला जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर में सिटी बस सेवा का संचालन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान कोटा शहर की एक प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

कोटा नगर निगम क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विस्तृत है और कोटा का काफी विस्तार होता जा रहा है। लगभग 12 लाख की जनसंख्या वाले शहर में अभी तक शहरी यातायात के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शहर के स्टेशन से लेकर रंगबाड़ी और जगपुरा तक लगभग 30 किलोमीटर का क्षेत्र है। पश्चिम से दूसरी ओर जो क्षेत्र है वह बड़गांव से लेकर ताथेड़ तक लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्र में कोटा फैला हुआ है जो कोटा नगर निगम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की हुई है जिससे व्यक्ति अपने यातायात को सुगम बना सके या उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सके। प्राइवेट वाहन के द्वारा मनमाने शुल्क लिए जाते हैं, अभद्र व्यवहार किया जाता है और कई प्रकार के प्रकरण भी इस मामले में दर्ज हुए हैं। जो वाहन चालक हैं, प्राइवेट टैक्सियां हैं वो यूनियन बनाकर लड़ाई-झगड़े करते हैं और उनका इस प्रकार का व्यवहार दिन-भर चलता रहता है। कोटा शहरवासियों की पुरजोर मांग रही है कि कोटा में मिनी बस सेवा, सिटी बस सेवा प्रारम्भ की जाए।

(श्री संदीप शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो कई बस्तियां ऐसी हैं जहां पर प्राइवेट वाहन तक भी नहीं जा पाते और उन लोगों को यदि वाहन पकड़ने हों तो लगभग 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर पकड़ना पड़ता है, जैसे आरकेपुरम, स्वामी विवेकानन्द नगर, श्रीनाथपुरम के क्षेत्र ऐसे हैं जो प्राइवेट वाहनों से भी वंचित हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर सिटी बस सेवा, जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड द्वारा नगर निगम कोटा क्षेत्र में संचालित करने का प्रयास किया और उन्होंने 34 लो-फ्लोर बसें खरीदीं जिनके संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम कोटा को दी गई। परन्तु पूर्व नगर निगम इस विषय में कोई सार्थक प्रयास नहीं कर पाई, उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को अपनाया लेकिन वो उसमें असफल रहे और आज भी वो 34 की 34 लो-फ्लोर सिटी बसें नगर निगम में यथावत खड़ी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन है कि जिस प्रक्रिया के तहत जयपुर शहर और राजस्थान के अन्य शहरों में सिटी बस सेवायें चल रही हैं उसी प्रक्रिया के तहत कोटा शहर में भी इन सिटी बस सेवाओं को शीघ्र चालू कर जो बसें खड़ी हैं उनको जनता के उपयोग में लाया जाए। लगभग तीन वर्ष के उपरांत भी कोटा शहर में सिटी बसें वैसे ही खड़ी हैं और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से लोगों के लिए दु:खदायी बन चुकी है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार यदि बसें और अधिक समय तक खड़ी रहीं तो उनकी मशीनरी निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। इसलिए इनको चलाने के लिए यदि कोई ठोस कदम नहीं उठा पाये तो करोड़ों रुपये की लागत से आई ये लो-फ्लोर सिटी बसें तो खराब होंगी ही साथ ही कोटा की जनता भी यातायात सेवायें न मिल पाने से वंचित है, परेशान है।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं नगरीय विकास मंत्रीजी से निवेदन है कि कोटा नगर निगम क्षेत्र में बेकार खड़ी हुई इन लो-फ्लोर बसों का शीघ्र संचालन कर कोटा शहर की जनता को इसका लाभ दिलायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, रेस्पोंड करेंगे क्या? कीजिये-कीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री):

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि शहरों के अन्दर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिस प्रकार का राजस्थान में होना चाहिए उस प्रकार की राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की कोई लम्बी-चौड़ी कोशिश नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, 2011, 2012, 2013 में कोटा में सिटी बस चलाने की अफरा-तफरी में बजट में घोषणा हुई। सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी दुनिया में बड़ा ही इंट्रीकेट सिस्टम है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें प्रोफिटेबिलिटी कम होती है, इसमें वायबिलिटी गैप होता है। इसलिए किसी भी शहर में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाना है तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने से पहले किस प्रकार का फाइनेंशियल कोस्ट, किस प्रकार का फाइनेंशियल माडल होगा, किस प्रकार का उसका टैक्नीकल बैक-अप होगा, किस प्रकार का मैन पावर स्ट्रक्चर होगा, उसका बस डिपो तो कहां बनेगा, उसकी मेंटिनेंस का कारखाना कहां बनेगा, इस प्रकार की रचना किये बिना रातों-रात अफरा-तफरी में सिटी बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता लेकिन 2012-13 के अन्दर जाते-जाते कांग्रेस की सरकार ने घोषणा तो कर दी और कुछ रुपया आया हुआ पड़ा था। उस रुपये का दुरुपयोग करते हुए 34 बसें कोटा में सिटी बस चलाने के नाम पर खरीद लीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10.19 करोड़ रुपये की बसें खरीदकर नगर निगम को दे दीं और नगर निगम के पास में बसें चलाने के लिए कोई मैन-पावर नहीं है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जब उनके पास मैन-पावर नहीं है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो उन्होंने क्या किया कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के साथ अनुबंध कर लिया। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने यह सोचकर अनुबंध कर लिया कि हम ड्राइवर्स का रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, हम कंडक्टर्स का रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। उन्होंने ड्राइवर्स का रिक्रूटमेंट नहीं किया, उन्होंने कंडक्टर्स का रिक्रूटमेंट नहीं किया और जो 34 बसें 10.19 करोड़ रुपये की कोटा नगर निगम को दीं, उन्होंने केवल दो बसें चलाईं, बसें भी कुछ महीनों के लिए चलाईं। उसमें 79 लाख रुपये का खर्चा हुआ जो नगर निगम ने भुगता और आज की तारीख में वे 34 की 34 बसें खड़ी हैं। उनके वायबिलिटी गैप को किस प्रकार से भरा जाये, इसकी चिंता नहीं की गई। उसको किस प्रकार का मैन-पावर सपोर्ट दिया जाये, उसकी चिंता नहीं की गई। उसके लिए किस प्रकार का टैक्नीकल सपोर्ट दिया जाये, उसकी चिंता नहीं की गई और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

यही स्थिति है, यही कारण है कि जहां पर कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई टैक्नीकल सपोर्ट नहीं है, कोई मैन-पावर स्ट्रक्चर नहीं है। इसी कारण जो निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, उसमें एक भी आदमी निविदा में नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि 34 बसें वहां खड़ी हैं। सैकड़ों की तादाद में बसें जयपुर में, जोधपुर में खड़ी हैं। इसलिए हमने देखा कि जब तक उसकी कम्पनी बनाकर इसको रन करने की कोशिश नहीं की जायेगी। जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वायबिलिटी गैप की व्यवस्था किस प्रकार से की जाये, उनको टैक्नीकल सपोर्ट किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाये, उनके डिपो का इंतजाम किस प्रकार से किया जाये, उनके कारखानों का इंतजाम किस प्रकार से किया जाये, इन सारे इंतजामात को करने के लिए कम्पनी बननी चाहिये।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के अन्दर हमने 2.2.2015 को एक आदेश निकालकर कहा है कि कम्पनी एक्ट के तहत कोटा बस सर्विस लिमिटेड नाम की कम्पनी का गठन किया जाये और मैं आपके माध्यम से उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 15 दिन के अन्दर इस कम्पनी का गठन कर देंगे। इस प्रकार से इस कम्पनी का गठन करने के बाद में इन बसों के संचालन में किस प्रकार का खर्चा आयेगा, उस खर्चे में जो गैप आयेगा, उस गैप को राजस्थान ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड के माध्यम से किस प्रकार से धन की व्यवस्था की जाये, इसकी चिंता भी हमने की है। इसके बारे में सी.एस. से मीटिंग की है और सी.एस. से मीटिंग करने के बाद यह तय हुआ कि इस फंड के माध्यम से फाइनेंशल सपोर्ट देकर किस प्रकार से जयपुर में ढंग से और कोटा व जोधपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

चित्तौड़गढ़ में जारी सीवरेज लाइन के कार्यों की शिथिलता

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में आरयूआईडीपी के द्वारा कराये जा रहे सीवरेज लाइन के कार्यों की शिथिलता के कारण सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

आरयूआईडीपी का काम चला है 16.11.2011 को,

कार्य समाप्ति का दिनांक था 15.5.2014 को।

कुल राशि थी 30.64 करोड़ रुपये,

मार्च, 2015 तक व्यय राशि 6.70 करोड़ रुपये थी।

शेष राशि है 23.94 करोड़ रुपये।

कार्य की वर्तमान स्थिति में कार्य प्रगति पर है तथा 10 महीने की देरी हो चुकी है। यह देरी ठेकेदार की उदासीनता के कारण हुई है।

देरी के कारण फर्म के विरुद्ध दिनांक 13.3.2015 को विभाग द्वारा संवेदक पर 1.10 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई है।

वर्तमान में कार्य की प्रगति बहुत धीमी गति से है।

रोड की वर्तमान स्थिति में

कुल खोदी गई रोड 11 किलोमीटर एवं 35 मीटर है।

आज दिनांक तक कुल मरम्मत की गई रोड की लम्बाई:- 10 किलोमीटर एवं 955 मीटर।

आज दिनांक तक बकाया मरम्मत, मधुवन कालोनी, संगम रोड (100 मीटर), नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के कनिष्ठ अभियन्ता के साथ संयुक्त साइट विजिट के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि इस रोड पर जल्दी ही नगर परिषद द्वारा नई रोड बना दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में राजस्थान शहरी आधारभूत परियोजना (आरयूआईडीपी) के माध्यम से शहर में बुनियादी सुविधाओं में सुधार, जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कार्य किये जा रहे हैं, जो लगभग पांच वर्ष से अभी तक अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ सके हैं। पूरे शहर में पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज लाइन डालने के लिए गत सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लिया गया, उसे लगभग मई, 2014 तक पूरा कर लिया जाना चाहिये था, किन्तु अभी तक उक्त कार्यों की प्रथम स्टेज ही पूरी नहीं हो पाई है। कार्य की शिथिलता से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य अगले पांच वर्ष तक भी पूर्ण नहीं हो पायेंगे। कार्य के नाम पर ठेकेदार द्वारा शहर की सड़कों की खुदाई करके छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन उक्त

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

खड्डों से हो रही दुर्घटनाओं को भी प्रशासन एवं ठेकेदार गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। गत सरकार के समय पेयजल हेतु पाइप लाइनें बिछाने के लिए आरयूआईडीपी द्वारा गलत सर्वे किया गया, जिस कारण वर्तमान में डाली जाने वाली पाइप लाइनें भी गलत डाली जा रही हैं। इनका सर्वे पुनः होना चाहिये, जिससे शहर में प्रत्येक नागरिक को पेयजल की आपूर्ति की जा सके। कार्य की शिथिलता के कारण उक्त कार्य 10 महीने के विलम्ब से है, जिसमें भी अभी तक कार्य गति नहीं पकड़ पाया है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल ठेकेदार को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देकर चित्तौड़गढ़ की आम जनता को राहत पहुंचायें। पहले जो काम हुए हैं कांग्रेस के राज में, वह भी बिलकुल गलत हुए हैं, उनको आप गुणवत्ता की दृष्टि से एक बार चैक करवायें क्योंकि जो सीवरेज का पानी है, वह किसी भी कंडीशन में आगे नहीं पहुंच पायेगा। जो पाइप लाइन डाली है, वह बिल्कुल गलत पाइप लाइन डाली है, वहां के नागरिकों ने काफी विरोध भी किया है, तो भी वह व्यवस्थित नहीं हो पाया है। यह भी मैं मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये। मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं। आप बैठिये। मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में सदन में मैंने बार-बार इस बात को रखने की कोशिश की है कि आरयूआईडीपी फेज-सैकिण्ड में जितने भी प्रोजेक्ट लिये गये हैं पूरे राजस्थान में, वह मिस-मैनेजमेंट का एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। अब आरयूआईडीपी फेज-टू के इन प्रोजेक्ट्स को जो पहले से ही बहुत लेट चल रहे हैं, उनको किस प्रकार से गति देकर, कम से कम समय में, समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाये, इसकी चिंता सरकार लगातार कर रही है। मैंने पहले भी आपके माध्यम से सदन को निवेदन किया था कि मुख्य मंत्रीजी इस मामले में रिव्यू मीटिंग ले चुकी हैं और मैंने भी निर्देशित किया है कि हमारा प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, आरयूआईडीपी है, वह सभी जगहों पर जायें। वह चित्तौड़गढ़ भी दो बार जा चुका है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ शहर में 38 किलोमीटर की सीवरेज लाइन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए काम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तो शुरु किया एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट में, जिसमें 70 प्रतिशत एडीबी का लोन है और 30 प्रतिशत स्टेट का शेयर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16.11.2011 को यह काम शुरु हुआ। जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं कह रहे थे और 15.5.2014 को यह काम पूरा हो जाना चाहिये था। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और 10 किलोमीटर की सीवरेज लाइन डाली गई है। अभी आउटफाल पर काम चल रहा है। आउटफाल की 200 मीटर लाइन पर अभी काम चल रहा है और एसटीपी के काम में अभी गतिरोध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा है कि छह करोड़ और कुछ रुपये का यह काम हुआ है और उस पर हमने इस देरी के कारण एक करोड़ रुपये से ज्यादा की पैनल्टी लगाई है। छह करोड़ रुपये के काम पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा की पैनल्टी, मैंने कहा कि इससे पहले किसी के ऊपर इस प्रकार की पैनल्टी नहीं लगी है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जल्दी ही प्रोजेक्ट डाइरेक्टर को चित्तौड़गढ़ मैं एक बार फिर भेजूंगा। ए टू जेड, जो कम्पनी है, जो यह काम कर रही है, वह कम्पनी इस काम को गति देकर आने वाले दिसम्बर तक लगभग सारा काम पूरा कर दे, इस बात को हमें लगेगा तो कम्पनी लगातार काम करेगी और अगर ऐसा नहीं लगा तो कम्पनी के कांट्रेक्ट को हम टर्मिनेट कर देंगे।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवरेज का काम पूरा का पूरा 38 किलोमीटर का बन भी जायेगा, काम हो भी जायेगा तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम अभी ढंग से गति नहीं ले पाया है। उसके लिए संवेदक जिम्मेदार नहीं है। वहां पर आम तौर पर जनता ने थोड़ा बहुत विरोध किया है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एमएलए साहब की सहायता लेना चाहूंगा कि बोईखेड़ा के अन्दर एसटीपी प्रोजेक्ट प्लांट लगना है, उस एसटीपी प्लांट को लगाने में अगर आप मदद करेंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस साल के अंत तक लगभग चित्तौड़ का सारा काम हम पूरा करा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्षः विराजो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ज्ञानचन्द पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली नगर परिषद क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा पट्टे जारी करने में हुई अनियमितता

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी का ध्यान नगर परिषद, पाली क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा काटी गई आवासीय बस्तियों के भूखण्डों में भविष्य में कोई गड़बड़ी न हो, उस हेतु इन भूखण्ड मालिकों को पट्टे देने अथवा समितियों द्वारा जारी किये गये पट्टों को नगर परिषद, पाली द्वारा जांच कर प्रमाणित करने एवं नगर परिषद, पाली में पट्टों की लम्बित पड़ी करीब 5,000 पत्रावलियों का निस्तारण करने एवं इनके भूखण्ड मालिकों को पट्टे देने की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। वक्तव्य।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली नगर परिषद क्षेत्र में भगवान महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति, कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति, आदिनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति, भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति को पूर्व में उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) जिला कलक्टर कार्यालय, पाली द्वारा वर्ष 2000 के पूर्व पट्टे दिये गये। राजस्थान विधियां (संशोधन) नियम, 1999, जो वर्ष 2000 में प्रभावशील हुए थे, के पश्चात् कृषि भूमि रूपान्तरण का कार्य नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है नगर परिषद को महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति की लम्बित पत्रावलियां उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण से प्राप्त हुई थीं एवं नगर परिषद द्वारा लम्बित पत्रावलियों के पट्टे देने सम्बन्धी कार्यवाही की गई थी एवं कुछ प्रकरणों में पट्टे भी जारी किए गए थे। लेकिन परिषद में एक ही भूखण्ड के समिति द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों का आबंटन पट्टे देने सम्बन्धी तथ्य ध्यान में आने पर पट्टे जारी करने सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में आबंटियों द्वारा पट्टे प्राप्त करने हेतु 134 पत्रावलियां प्रस्तुत की गई थीं। जिस पर नगर परिषद द्वारा विवाद की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर कार्यवाही करते हुए आबंटियों द्वारा प्रस्तुत 92 पत्रावलियों के सम्बन्ध में समाचार पत्र में आपतियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन समिति द्वारा रिकार्ड उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के कार्यालय में जमा नहीं करवाने के कारण

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सहकारिता विभाग द्वारा समिति को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी एवं प्रशासक द्वारा नगर परिषद को पट्टे देने के सम्बन्धी कार्यवाही को स्थगित किए जाने के निर्देश दिए जाने पर परिषद द्वारा पट्टे सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नगर परिषद द्वारा कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति, अम्बेडकर सर्किल के पास, गोदाई गांव में कुल 10 पट्टे दिए गए हैं एण्ड कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति की एक अन्य योजना जो सुमेरपुर रोड पर स्थित है उसमें उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण द्वारा पट्टे दिए गए थे। नगर परिषद में इस योजना का पट्टा सम्बन्धित पत्रावलियां लम्बित नहीं हैं।

आदिनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति की एक योजना जो राजस्व ग्राम पाली के चक द्वितीय के खसरा संख्या 1380 पर स्थित है। उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण द्वारा पट्टे दिए गए थे। नगर परिषद में वहां की पट्टा सम्बन्धी पत्रावलियां लम्बित नहीं हैं एवं आदिनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति की एक योजना जो राजस्व ग्राम पाली के चक तृतीय के खसरा नम्बर 1378 रकबा 17 बीघा, 15 बिस्वा पर परिषद द्वारा पट्टे दिए गए हैं। इस योजना के भूखण्ड संख्या 14 की भूमि के दो आबंटियों द्वारा पट्टे की मांग किए जाने पर प्रकरण अभी लम्बित है एवं न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति में भी राज्य सरकार द्वारा समिति को भंग किया जाकर प्रशासक नियुक्त किया गया है। नगर परिषद कार्यालय में इस समिति के पट्टों सम्बन्धी पत्रावलियां नहीं हैं। नगर परिषद में समितियों द्वारा एक ही भूखण्ड के दो-दो आबंटन पत्र जारी होने सम्बन्धी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है एवं समितियों द्वारा आबंटन सम्बन्धी रिकार्ड उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, पाली के कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाने के कारण सहकारिता विभाग द्वारा समितियों को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न कीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यही कह रहा हूं कि वहां बहुत गड़बड़ी है और माननीय मंत्री महोदय, खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक भूखण्ड के दो-दो आबंटन पत्र जारी किए हुए हैं। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

यह चाहता हूं कि जो गड़बड़िया पहले हो गईं, उसकी तो आप जांच करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप करा दें, चाहे सहकारिता मंत्रीजी करा दें, पर भविष्य में ये भू-माफिया और लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं करे। इसलिए जिन-जिन भूखण्ड मालिकों के पास पट्टे नहीं हैं, आप कोई विज्ञप्ति जारी करवा दें अख़बार में, आवेदन मांग ले और उसके बाद में आप जांच कर लें कि कौन-कौन सही हैं, उनको आप पट्टे दे दो, यही मेरी मांग है। दूसरा, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मेरा एक बिन्दु और है कि नगर परिषद पाली में कम से कम पांच हजार ऐसी पत्रावलियां लम्बित हैं जो पट्टे का इंतजार कर रही हैं तो आप उनका निस्तारण भी करवा दें ताकि नगर परिषद को भी आय हो जाए और जो भूखण्ड मालिक पट्टा लेना चाहते हैं उनको पट्टा मिल जाए, मेरी इस बात का जवाब दे दें आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने मोटे तौर पर चार सहकारी समितियों की चर्चा की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति उसकी स्कीम दो हैं। एक स्कीम में कुल भूखण्ड 993 थे, उसमें से प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण द्वारा पट्टे 1029 दे दिए गए, परिषद द्वारा भी 103 पट्टे दे दिए गए और इस प्रकार 1132 पट्टे दे दिए गए हैं और 202 शेष हैं। उसमें से 134 पत्रावलियां ही पैंडिंग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 134 पत्रावलियों में जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमने अख़बार में साया कराकर के उनको पट्टे देने की व्यवस्था की थी। लेकिन इसी बीच में प्रशासक ने एक पत्र लिखा 10.3.2004 को और उसने कहा डबल पट्टे के मामले हैं, हमको सहकारी समितियों का रिकार्ड नहीं मिला है। चूंकि सहकारी समितियों ने हमें अभी तक बार-बार लिखने के बावजूद रिकार्ड नहीं दिया है। इसलिए जब तक सहकारी समिति का रिकार्ड हमको नहीं प्राप्त हो जाए तब तक आगे पट्टे देने की कार्यवाही आप नहीं करें। लिहाज़ा पट्टे देने की कार्यवाही रोक ली गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समिति का जब प्रशासक बैठ जाने के बाद सहकारी समिति अपने सदस्यों का और पट्टे का रिकार्ड अगर उपलब्ध नहीं कराती है तो हमने कई स्थान पर विकास समितियों को इसके लिए अधिकृत किया है। ये विकास समितियां अगर अपने सदस्यों की लिस्ट जमा कराती है तो हम डाक्यूमेंट्स का वैरिफिकेशन करने के बाद

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उसको मान लेते हैं। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम पाली में भी लागू कर सकते हैं। इसको एग्जामिन कराकर के उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे।

दूसरी जो स्कीम संख्या दो थी, उसमें 341 भूखण्ड थे और सारे के सारे भूखण्डों के ऊपर प्राधिकृत अधिकारी ने पट्टे दे दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति की केवल एक स्कीम है जिसमें 55 भूखण्ड हैं और 55 में से 54 भूखण्डों को परिषद ने पट्टे दे दिए हैं। केवल एक भूखण्ड है और वह है प्लाट नम्बर-14 जिसमें दो आबंटी आये हैं और यह प्रकरण न्यायालय में है। इस कारण से उसका पट्टा नहीं दिया गया है। भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति में 142 प्लाट हैं लेकिन प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण ने, एडीएम (कन्वर्जन) ने पूरे इलाक़े का एकल पट्टा दे दिया। वह एकल पट्टा दे दिया तो नगर परिषद को इसकी जानकारी नहीं है कि वो 142 प्लाट किनके पास हैं? ऐसी की ऐसी स्थिति कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति की ग्राम मंडली में जो योजना है उसमें भी एडीएम (लैंड कन्वर्जन) द्वारा सम्पूर्ण योजना का एकल पट्टा जारी कर दिया गया, जहां 262 प्लाट हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पट्टों के बारे में, जिनको एकल पट्टा दे दिया गया है और एकल पट्टे में कई सारे प्लाट हैं जैसे कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति के 262 और भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति के 142 प्लाट हैं इन प्लाटों में पट्टेधारी कौन हैं, कौन इसके मालिक हैं? इसके लिए अख़बार में साया करके उसकी जानकारी मंगा लेंगे, जो भी आदमी उनके पट्टे लेकर के आएगा उसको हम कुछ पांच, दस, पच्चीस रुपये जो भी शुल्क लेकर के उसको रजिस्टर्ड कर देंगे और रजिस्टर्ड करने के साथ उसकी अपने रिकार्ड में एन्ट्री कर लेंगे और रिकार्ड में एंट्री करने के बाद जिस प्रकार की चिंता आपने की कि बाद में दो पट्टे आ सकते हैं उस चिंता का निराकरण हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि पाली नगर परिषद के अन्दर करीब हज़ारों की संख्या में पट्टे लम्बित हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कुल 26 हजार पत्रावलियां आई और 26 हजार पत्रावलियों में से 22 हजार पत्रावलियों का निराकरण हो गया है। केवल 4 हजार पत्रावलियां ऐसी हैं जिनका निस्तारण करना बाकी है उसमें से 391 के अन्दर 90-ए हो गई है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, 4 हजार केवल नहीं होती हैं बहुत सारी होती हैं, 4 हजार केवल नहीं होतीं, बहुत होती हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 26 हजार में से 22 हजार को हम जब निकाल देते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 हजार बहुत बड़ी नहीं होती नहीं हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उन 26 हजार में से 22 हजार निकाली हैं तो ये 4 हजार भी निकाल दें आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 हजार पत्रावलियों में से 22 हजार पत्रावलियों का निस्तारण कर दिया गया है और बची हुई केवल 4 हजार पत्रावलियां हैं, आने वाले छह महीने में हम उनका निस्तारण कर देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप तो एक जवाब दे दो कि पिछले एक साल में कितनी निकाली हैं, यह बता दो आप?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसकी जानकारी तो मैं लेकर के नहीं आया हूं एक साल में कितनी निकालीं। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 4 हजार पत्रावलियां...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मुझे है इसकी जानकारी।

श्री अध्यक्ष: आप वह जानकारी दे दो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पिछले एक साल में नाम मात्र की निकाली हैं, सारी पैंडिंग पड़ी हैं, इनको निकाल दें, मैं यही तो चाहता हूं। गलत थोड़ी ही हैं वह, गलत मत निकालो आप, जो सही है उनकी निकाल दो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 4 हजार पत्रावलियां जो पैंडिंग पड़ी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन 4 हजार पत्रावलियों का निस्तारण हम आने वाले छह महीने में कर देंगे और इस प्रकार से कोई भी ऐसा केस पैंडिंग नहीं बचेगा जो हमारे रिकार्ड पर नहीं होगा या जिसका लेजिटिमेट राइट है पट्टा लेने का, उस आदमी को पट्टा नहीं मिले, ऐसा केस पाली में एक भी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे एक बात से आपको सूचित करना है कि यह प्रतियां हमारे विधान सभा सचिवालय में तो आ गईं लेकिन आप तक ये नहीं पहुंची हैं। इसलिए मेरे विशेषाधिकारों का, क्योंकि भूतपूर्व विधायकों से सम्बन्धित यह है, बड़े लम्बे समय से वे लड़ाई लड़ रहे थे और मेरी इच्छा है, सबकी इच्छा होगी कि यह इसी सत्र में पास हो जाए। इसलिए मेरे अधिकारों का मैंने प्रयोग करते हुए इसको पुर:स्थापित करने की आज्ञा दी है शाम तक या कल सवेरे तक आपके पास इसकी छपी हुई सब प्रतियां पहुंच जाएंगी, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री युनुस खान।

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

पुरःस्थापित कीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कैलाश वर्मा, श्री झाबर सिंह खर्रा दोनों की तरफ से।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मियों की मिलीभगत से भूमि को खुर्द-बुर्द किये जाने का प्रकरण

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियांत्रिकी एवं विधिक शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से आपसी मिलीभगत कर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि को खुर्द-बुर्द करने के सम्बन्ध में नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(13.41 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति पदासीन)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है उसके माध्यम से दो-तीन चीजों पर उन्होंने जोर डाला है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने धाउवास, अजमेर रोड, जयपुर में अपने स्वामित्व की भूमि पर 2003 में राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कार्मिकों को आवासीय प्रयोजनार्थ कालोनी विकसित कर भूखण्ड आबंटित किये थे। भूखण्ड संख्या 1 से 110 के आबंटियों को आबंटन पत्र जारी होने एवं आबंटन राशि जमा होने के बाद वर्ष 2003 से आज तक कब्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नम्बर 172, 186,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

187 व 188 के सम्बन्ध में न्यायालयों में अतिक्रमियों द्वारा वाद दायर कर रखे हैं। उक्त भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका एसबी सिविल याचिका संख्या 18284/2013 श्रीमती बादामी देवी व अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.3.2014 के द्वारा उक्त भूमि के खसरों में यथास्थिति के आदेश दे रखे हैं। ग्राम धाउवास के खसरा नम्बर 34/263, 35/264, 36/265, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 184, 149, 150, 151, 152, 153, 227/271, 239/272, 240, 241/273 किता 22, रकबा 97 बीघा 2 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके सम्बन्ध में विविध न्यायालयों में निम्नानुसार वाद चल रहे हैं। राजस्थान कृषि जोत अधिरोपण अधिनियम, 1973 के नियमों के तहत लक्ष्मीनारायण के वारिश भूरा के कब्जे एवं काश्त एवं खातेदार पर दर्ज भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 9.5.1988 को उक्त खसरा नम्बरान को अधिग्रहण करने के आदेश दिए थे। उक्त आदेश से पीड़ित होकर लक्ष्मीनारायण की विधवा श्रीमती रुक्मणी देवी द्वारा सीलिंग अपील संख्या 16/89 न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 8.2.93 में अपील स्वीकार कर ली गई तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.5.88 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, जयपुर को निर्णय पारित करने बाबत प्रेषित किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम ने सीलिंग प्रकरण संख्या 3/93 में निर्णय दिनांक 9.1.97 में उक्त भूमि को सीलिंग की भूमि मान लिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय 9.1.97 से गठित होकर अपील संख्या 7/97 प्रस्तुत की गई। न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 7/97 राजस्व अपील में निर्णय दिनांक 20.3.2006 को उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.1.97 को निरस्त किया गया तथा पक्षकारान को समुचित साक्ष्य एवं कागज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर विस्तृत जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देश प्रदान किये गये। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर अपील संख्या 30/2001 में निर्णय दिनांक 30.8.2001 द्वारा नामान्तरण संख्या 103 को निरस्त कर दिया गया। प्रकरण को तहसीलदार, जयपुर को इस निर्देश के साथ दिया गया कि वो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गुणावगुण के आधार पर पक्षकारों को सुनकर जिला कलक्टर महोदय, जयपुर के आदेश दिनांक 8.2.93 के परिप्रेक्ष्य में पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 3/93 निर्णय दिनांक 7.6.2008 में माननीय जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 8.2.93 के तहत जिसमें तहसीलदार, जयपुर द्वारा खोले गये नामान्तरण को निरस्त किया गया वो इसी परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.8.2001 को तहसीलदार, जयपुर को निर्देश किया गया कि वो मृतक लक्ष्मीनारायण के कानूनी वारिसान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण को निर्णित करे।

इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें नामांतरण खोलने से पूर्व विधिक वारिसों का परीक्षण किया जाना शेष है। उक्त नामान्तरण का अन्तिम निर्णय होने पर व उक्त नामांतरण के निर्णय के अवलोकन पश्चात विपक्षीगण के विरुद्ध राजस्थान कृषि जोत अधिनियम, 1973 के तहत विचाराधीन कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी प्रथम द्वारा ड्राप कर दी गई। सीलिंग प्रकरण में अपील की कार्यवाही तहसीलदार, जयपुर द्वारा ही की जानी थी। मौके पर खसरा नम्बर 237/271, 239/272, 240, 241/273 की भूमि पर काफी समय पूर्व ही गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा योजना विकसित की हुई है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। ग्राम धाउवास के खसरा नम्बर 58, 60, 68 से 174, 148 ये 153 की 90ए की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है। धारा-ए के पश्चात वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ये भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 172, 186, 187 व 188 की भूमि का प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि से वायर फेंसिंग, बोर्ड हटाने के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस थाना करणीविहार में दिनांक 10.11.2012 को अभियोग संख्या 256/12, धारा 448, 353 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 पीडीपी एक्ट के तहत दर्ज कर कार्यवाही की गई थी, जिसका चालान मुल्जिम वृद्धिचन्द व बनवारी लाल मीणा के विरुद्ध दिनांक 12.5.2014 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई सवाल पूछेंगे आप?

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं इस बात को और मुख्य मंत्रीजी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद में उन्होंने कालवाड़ रोड और वैशाली नगर में बेशकीमती जमीन जो जेडीए की करोड़ों-अरबों रुपयों की थी, उस सरकारी भूमि का तुरन्त कब्जा लिया और वैशाली नगर में ही एक बेशकीमती भूमि जेडीए की थी उसको भी जेडीए की खातेदारी दर्ज करने हेतु कलक्टर को निर्देशित किया, मगर मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि दिनांक 10 नवंबर, 2012 को भूमाफिया ने जब खसरा नम्बर 172, 186 और 187 भूमि से जयपुर विकास प्राधिकरण के बोर्ड व फेंसिंग को बलपूर्वक हटाने की कार्यवाही की तो जेडीए ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? दूसरा जेडीए ने अब तक दोषियों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में कन्टेम्प्ट क्यों नहीं लगाया और जेडीए द्वारा अब कब तक कन्टेम्प्ट की कार्यवाही कर ली जाएगी? मंत्रीजी इस मामले में भी आश्वासन दें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अभी अपने जवाब में निवेदन किया था कि खसरा नम्बर 172, 186, 187, 188 की भूमि का प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर स्टे है, लेकिन उस स्टे से पहले जेडीए ने जिस भूमि को इससे पूर्ववर्ती स्टे के दरमियान अपने कब्जे में ले लिया था, जो अतिक्रमी ने जेडीए के बोर्डों को उखाड़ दिया। अब माननीय सभापति महोदय, जेडीए के बोर्डों को उखाड़ने की जब जानकारी मिली तब पुलिस थाना करणीविहार में 10.11.2012 को अभियोग संख्या 256/12 धारा 484, 353 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 पीडीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करायी और उसी आधार पर मुल्जिम वृद्धिचन्द, बनवारीलाल मीणा का 12.5.2014 को माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

सभापति महोदय, जहां तक स्टे का ताल्लुक है यह सही है कि स्टे के बाद में जेडीए ने जिस दिन जमीन पर कब्जा लिया और प्रकारांतर से उसने जो दूसरा स्टे लिया उसके दरमियान उसने बोर्ड को उखाड़ दिया। बोर्ड के उखाड़ने के बाद जेडीए के पास चूंकि स्टेटस को मेंटेन करने के लिये कोर्ट ने कहा है इसलिए जेडीए के पास केवल एफआईआर दर्ज कराने के अलावा कोई चारा नहीं था। माननीय सभापति महोदय, अभी आपने कहा कि कन्टेम्प्ट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आफ कोर्ट करना चाहते हैं क्या। सभापति महोदय, अभी केस लास्ट फेज में है। एसडीएम आमेर इस केस को देख रहे हैं। एसडीएम आमेर को हाई कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2014 में निर्देशित किया है और कहा है कि एक साल के अन्दर-अन्दर इस केस का निस्तारण कर दिया जाना चाहिये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक साल इस अप्रैल में खत्म होने वाला है, हाई कोर्ट के उस निर्णय को एसडीएम तक पहुंचने के बाद एक साल तक एसडीएम को इस मामले का निस्तारण करना था। इस महीने में अगर एसडीएम आमेर ने इसका निस्तारण नहीं किया तो जेडीए के स्तर पर हम इसको एग्जामिन करायेंगे कि क्या यह कन्टेम्पट आफ कोर्ट का केस बनता है। अगर यह कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का केस बनता है तो निश्चित रूप से कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसेडिंग्स की जायेगी, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं इस पूरे मामले में जहां तक आपने कहा है कि उस जमीन पर कब्जा जेडीए का था, कब्जा हट गया, हमने तो केवल एफआईआर दर्ज कराई। यह सही है कि विधान सभा के एम्प्लाइज को जिस दिन उस जमीन का अलाटमेंट किया गया, लाटरी खोली गई, उस लाटरी के दिन भी स्टे था और जिस जमीन पर स्टे हो, भले ही वह जमीन जयपुर विकास प्राधिकरण की हो, वहां लाटरी खोल लें और लाटरी खोलने के बाद लोगों को कब्जा केवल इस आधार पर हम नहीं दे सकें कि स्टे है तो स्टे के दरमियान लाटरी खोलने के बाद आबंटन पत्र जारी करके कब्जा देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। इसलिए इस बात को एग्जामिन कराने की कोशिश करेंगे, एग्जामिन करायेंगे कि जिस जमीन पर जेडीए का कब्जा उस दिनांक को नहीं था, जिस जमीन पर स्टे था और स्टे के बावजूद जिन लोगों को लाटरी के द्वारा मकान आबंटित किये गये किस प्रकार से उनके हितों की रक्षा की जाये, उनके हितों की रक्षा करने के लिये चाहे हाई कोर्ट में कन्टेम्प्ट का केस बनता है और कन्टेम्प्ट का केस बनता है तो निश्चित रूप से कन्टेम्प्ट की कार्यवाही करेंगे और लाटरी स्टे के बावजूद जेडीए ने लाटरी निकाली है उसके आधार पर उनके क्या अधिकार बनते हैं उन अधिकारों को भी एग्जामिन कर लेंगे और उन अधिकारों का किस प्रकार से विधि सम्मत प्रोटक्शन किया जा सकता है, उनका भी निश्चित रूप से प्रोटक्शन करेंगे।

सूचना

सूरजपोल मण्डी में खुले में पड़े गेहूं का नुकसान

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, एक पाइंट आफ इन्फोरमेशन है, सूरजपोल मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है और इतनी भारी बरसात हो रही है, डीलरों को उठाने के लिये जबरदस्ती की जा रही है और 10 तारीख से पहले-पहले डीलरों को वह गेहूं उठाना है। वह गेहूं सड़ने की स्थिति में है। एक तरफ तो किसानों की फसल बरबाद हो गई और दूसरी तरफ हजारों बोरी गेहूं खुले में पड़ा है और अधिकारी कह रहे हैं कि खुले के अलावा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और उसको भीगने के लिये सरकार ने छोड़ रखा है। वह गेहूं वितरित न किया जाये, यह मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री झाबर सिंह खर्रा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मियों की मिलीभगत से भूमि को खुर्द-बुर्द किये जाने का प्रकरण

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह जानना चाहूंगा कि न्यायालय के स्थगन के बावजूद जेडीए के अधिकारियों ने लाटरी निकाली, भूखण्ड आबंटन किये, आबंटन पत्र जारी कर दिये। क्या यह अधिकारियों की लापरवाही थी उन्होंने नियम विरुद्ध कार्यवाही की इसकी जांच करवाकर क्या मंत्री महोदय दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे और जो पीड़ित भूखण्ड आबंटी हैं उनको इस योजना में या किसी दूसरी योजना में कब तक भूखण्ड आबंटित कर राहत प्रदान की जायेगी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय बहुत विस्तार से इसका जवाब दे चुके हैं, यह पूरा का पूरा जवाब पहले आ चुका है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की एक एवं आबकारी विभाग की पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की एक व आबकारी विभाग की पांच निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना संख्या : प.12(23)वित्त/कर/2015-241 दिनांक 31 मार्च, 2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14 जुलाई, 2014 में संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी।

आबकारी विभाग

1- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा देशी मदिरा समूह के अनुज्ञाधारियों को, जिन्होंने मासिक एक्सक्लूजिव प्रिवीलेज रकम की किश्त का 105 प्रतिशत से अधिक आबकारी शुल्क निक्षिप्त करा दिया है तो मासिक एक्सक्लूजिव प्रिवीलेज रकम की किश्त की पूर्ति में उठाई जाने वाली देशी मदिरा की मात्रा में 105 प्रतिशत से अधिक जारी की गई देशी मदिरा की मात्रा पर आबकारी शुल्क के संदाय से 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

2- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.4(17)वित्त/आब/2004 दिनांक 1.4.2005 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है; एवं

5- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

याचिका

श्री सभापति: श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

दौसा में सोमनाथ चौराहे से आगरा हाइवे तक सड़क को चौड़ा करने व दोनों तरफ नाले का निर्माण

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार दौसा शहर में गुप्तेश्वर एवं सोमनाथ चौराहे से आगरा हाइवे तक सड़क को चौड़ा करने एवं दोनों तरफ नाले का निर्माण कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

मुखबंद

अतिरेक मांग वर्ष 2011-12 का पारण

विद्युत मांग संख्या-48

श्री सभापति: अतिरेक मांगें वर्ष 2011-2012 मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,980 (अक्षरे एक लाख चौबीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये मात्र) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015, को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

(राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

अनुसूची-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

(14.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए? श्री गोबिन्द सिंह डोटासरा। श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे ही विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो यह बिल राजस्थान सिविल कोर्ट अमेंडमेंट बिल, 2014 जो पूर्व में इस विधान सभा में आया था उसकी कमी पूर्ति के लिए है। टैक्नीकल भाषा में, जहां-जहां जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था वह उस बार नहीं हो सका। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिक्वेस्ट पर यह बिल लाया गया है। बिल के सम्बन्ध में सब आर्डिनेट जजेज को अब जहां हमारे सीनियर सिविल जज और सिविल जज के नाम से सम्बोधित करने हेतु पिछली बार इस माननीय विधान सभा में एक्ट पारित किया था उसके सम्बन्ध में दो-तीन बातों का निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा।

(श्री जोगाराम पटेल)

वर्तमान युग में न्याय व्यवस्था सस्ती हो, सुलभ हो, गरीब को तुरन्त न्याय मिले, न्याय में देरी नहीं हो, न्याय में पारदर्शिता हो। यह हम सबकी मांग है। न्याय लेने वाला और न्याय देने वाला, दोनों को यह लगे कि वास्तव में हमको न्याय मिल रहा है, लेकिन आज यह होने लगा है कि न्याय देने वाला इतनी देरी कर देता है कि न्याय लेने वाला अपने आपका न्याय मिलने के बावजूद भी वह न्याय नहीं मिलना मानता है। धीरे-धीरे इसकी कमी एक दिन में नहीं आई है, कई दिनों के बाद आई है। सबसे पहले जब हम इस फील्ड में छोटे थे। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर है, वह मारवाड़ का चीप जुबली कोर्ट था, ऐतिहासिक भवन था, उसके ऊपर लिखा था High court for judicature पर कालांतर में जब हमको लगा, स्वयं न्यायपालिका को भी लगा कि ज्युडिकेचर तो आज सिर्फ जस्टिस ही रह गयी है, इसलिए उसके ऊपर नाम बदलकर High court for justice कर दिया। अब जस्टिस, ऐसे पेपर पर आती हैं जैसी पत्रावली पर एवीडेंस आती है वैसी जस्टिस हो जाती है, जिसको पेपर जस्टिस भी कहते हैं। लेकिन जो High court for judicature था, उस ज्युडिकेचर में कमी आई है इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा।

कानून की अपनी महत्ता है, कानून का अपना महत्व है। व्यक्ति के पास अंत में न्याय प्राप्त करने वही जाता है जहां जाकर वह न्याय लेना चाहता है। न्याय प्राप्ति में तीन पक्षकार होते हैं। दो पक्षकार तो वे हैं जिनको एक ही हम लिटिगेंट कहते हैं। एक क्लेम कर रहा है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है। दूसरा कानून है, तीसरा न्याय देने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी युग में आप लें न्याय का हमेशा बोलबाला रहा है। चाहे आप द्वापर युग से लें, त्रेता युग से लें, कलयुग में लें। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। वर्तमान युग में विक्रमादित्य ले, पूर्व के युग में लें, तो ऐसे कई महान नेता हुए हैं जैसे युधिष्ठिर थे वह न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वह न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन यह व्यवस्था धीरे-धीरे युगों के साथ ही, समय के साथ ही, स्वार्थ के कारण, नोलेज के अभाव के कारण और अन्य कई कारण शामिल हैं, यह कम होती गई।

माननीय सभापति महोदय, आज जो न्याय लेने वाला है वह खुद यह कह रहा है, हे साहिब–ए-इंसाफ, खुद इंसाफ का तालिब, मोहर उसकी है, मिजान बदस्ते दीगरा है। न्याय देने वाला ही आजकल न्याय मांगने लग गया है। वर्तमान में चाहे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हो या ऐसे अन्य दूसरे

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिसूचित न्यायालय हैं वह हों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, उन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया थी, वह संविधान के तहत प्रदत्त एक प्रक्रिया थी जिसके सम्बन्ध में पूर्व सत्र में इस विधान सभा में काफी विस्तृत विवेचन हुआ था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से हो, कौन व्यक्ति उसकी नियुक्ति करे। आम व्यक्ति में, न्याय पाने वाले, न्याय देने वालों में कैसे विश्वास हो। आखिरकार यह न्याय व्यवस्था थी, कोलेजियम सिस्टम था, वह कोलेजियम सिस्टम धीरे-धीरे कोलेप्स होता गया। मजबूरी में या समय की मांग के अनुसार या यूं कहें कि ऐतिहासिक कदम के कारण राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग कायम हुआ। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का और कानून मंत्री का आभारी भी हूं, उन्होंने ऐसे कानून की पुष्टि के लिए सर्वप्रथम राजस्थान में उस राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग को पेश किया और राजस्थान की विधान सभा ने सर्वसम्मति से उसको पारित किया। अब माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक विधिवत प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया की पारदर्शिता के तहत, योग्य व्यक्तियों का चयन, चाहे वह किसी भी उच्च न्यायालय में हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हो, उसकी नियुक्ति होगी। कोलेजियम को बदलने में अनेकों वर्ष लग गए, अनेकों तर्क वितर्क हुए, अनेक तरह के आरोप भी लगे। उन आरोपों में ऐसे भी आरोप है जो सहन करने योग्य भी नहीं है ऐसे आरोप हैं जो देखने योग्य भी हैं। माननीय न्यायाधीशों पर जो आरोप लगे, हिन्दुस्तान की न्यायिक गैलरी में, विधान सभाओं में, पार्लियामेंट में और आम जनता में जो फेमस केसेज हुए, जेसे कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सौमित्र सेन पर महाभियोग लगा। महाभियोग प्रकरण पहली बार हिन्दुस्तान की संसदीय कार्यप्रणाली में, राज्य सभा में वह पारित हो गया। माननीय सभापति महोदय, उन पर आरोप क्या था, उन पर यह आरोप था कि कोर्ट रिसीवर के तौर पर 32 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ऐसे आरोप भी हमारे न्यायाधीशों पर लगे। वह आरोप दर प्रति दर जांच में सही पाता गया, अंत में राज्य सभा में वह महाभियोग पारित हो गया। जब लोक सभा में पेश हुआ और मत विभाजन की स्टेज आई तब उन माननीय न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया। इसी कारण वह महाभियोग पारित नहीं हो सका। लेकिन एक दूसरा उदाहरण यह है कि माननीय न्यायाधीश पर भी ऐसा ही रिश्वत लेने का आरोप भी लगा। ऐसा ही आरोप कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे पी.डी. दिनकरन पर भी लगा। उनका नाम माननीय सर्वोच्च

(श्री जोगाराम पटेल)

न्यायालय में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने एप्रूव्ड कर दिया। कोलेजियम में एप्रूव्ड करने के बाद यह आरोप लगा कि सन् 2009 से पहले जब उनका नाम कोलेजियम ने एप्रूव्ड किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए, उससे पूर्व उन पर इतनी अथाह सम्पत्ति इकट्ठी करने का आरोप लगा, उसका कोई सोर्स भी डिक्लेयर नहीं हुआ और उस पर महाभियोग लगने की कार्यवाही उठी। आखिर उनका स्थानान्तरण सिक्किम हाई कोर्ट में कर दिया। बाद में उन्होंने स्वयं ने इस्तीफा दे दिया, बाकी वह भी महाभियोग था।

माननीय सभापतिजी, इतना ही नहीं, पूर्व में हमारे बहुत लम्बे समय तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे के.जी. बालकृष्ण, न्यायिक व्यवस्था में सबसे छोटी अदालत से वह आए थे, सभी अदालतों का उनको अनुभव भी था। कानून के जानकार भी थे। परन्तु उन पर भी आयकर विभाग ने अनेक आरोप लगाए। कई आरोप आयकर विभाग ने सही भी माने। इस सम्बन्ध में आखिरकार जब उन्होंने मानवाधिकार आयोग से इस्तीफा नहीं दिया तो उनके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका पेश हुई। वह याचिका कामन काज की ओर से पेश हुई, वह आज भी विचाराधीन है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश निर्मल यादव थी, उनके ऊपर भी 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इसकी घटना आप सुनेंगे तो अचम्भित रह जाएंगे।

जिस व्यक्ति को रिश्वत देनी थी, वह रिश्वत की 15 लाख रुपये की राशि लेकर देने के लिये गया, उस कालोनी में निर्मल यादव नाम की दूसरी भी एक अधिकारी थी, वह उनके घर रिश्वत लेकर पहुंच गया। जब उनको रिश्वत की राशि दी तो उन्होंने कम्पलेंट की, तब पता लगा कि यह रिश्वत न्यायाधीश के पास पहुंचाई जा रही थी। ऐसे आरोप लगे और इन आरोपों के उपरान्त भी मजबूरी में जा करके सारा यह सिस्टम बदलना पड़ा। सिस्टम बदल करके कोलेजियम के स्थान पर दूसरा सिस्टम, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का लाया गया। उसके बाद ही आज की तारीख में राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग के बाद यह जो आरोप लगे हैं, अब परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आरोप हमारे किसी भी सम्माननीय न्यायाधीश पर नहीं लगें।

इतना ही नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था में धीरे-धीरे कुछ कमियां भी

(श्री जोगाराम पटेल)

आती गयीं और वह कमियां इतनी आ गयीं कि अब असहनीय हो गयी हैं। जिसमें सबसे पहली है, बैंच हंटिंग की बीमारी। हमारे यहां कौन न्यायाधीश चेयर पर बैठा है, हम कभी ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन वर्तमान में यह बैंच हंटिंग वाला विषय बहुत अधिक हो गया। आज मुझे अमुक न्यायाधीश के पास केस लगाना है, अमुक न्यायाधीश के पास केस नहीं लगाना है, अमुक न्यायाधीश की इस विषय पर इतनी ज्ञानता है, या अमुक न्यायाधीश की इस विषय पर इतनी गहरी ज्ञानता नहीं है, या ये मुझे फेवर करेंगे, ये मुझे फेवर नहीं करेंगे। बैंच हंटिंग वाली यह बीमारी दिनोंदिन बहुत अधिक फैल रही है। बैंच हंटिंग की वजह से कौनसा न्यायाधीश किस केस को सुनेगा, यह एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति न्याय क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिये हो गई है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, कौन अधिवक्ता किस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके कितने अंकल जजेज, उसके पिता या भाई न्याय देने के लिये न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं और वह न्याय की कुर्सी पर जो उसके रिश्तेदार बैठे हैं उसका क्या दुरुपयोग या सदुपयोग हो रहा है, यह विषय भी बहुत गहनता से जानने का है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अगर मुझे किसी केस का फैसला अपने फेवर में ही कराना है और मुझे पता है कि अमुक तारीख को काज लिस्ट में फलां नम्बर पर मेरा केस लगा है और फलां माननीय न्यायाधीश विराजमान हैं, वह न्याय के प्रति समर्पित हैं, मेरे फेवर में नहीं करेंगे तो मैं दूसरे हथकण्डे अपना लेता हूं। मैं हथकण्डे यह अपना लेता हूं कि उसके रिश्तेदार का वकालतनामा पेश करा देता हूं, येन-केन प्रकारेण उसे एडजोर्न करा लेता हूं। अगर इसमें भी माननीय न्यायाधीश महोदय मेरे से सहमत नहीं हों और वह न्याय करने के लिये समर्पित हों तो और कोई हथकण्डे भी अपनाये जाते हैं। आपको याद होगा, मार्च, 2012 में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता कृपाशंकर सिंह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओपन-कोर्ट में, जस्टिस डी.के. जैन और जस्टिस एच.आर. दवे बैंच ने खुले रूप में यह आरोप लगाया था कि इस तरह से बैंच हंटिंग से बचना चाहिए और इससे हमें प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये। मैं इतना भी निवेदन करूंगा, बैंच हंटिंग की कोशिशों को रोकने में वरिष्ठ वकील, कोर्ट, बतौर अधिकारी के रूप में भी जिम्मेवार हैं, हमारी बार उतनी ही जिम्मेवार है जितनी हमारी बैंच को आरोपित किया जा रहा है। इसलिये मेरा यह भी

(श्री जोगाराम पटेल)

निवेदन है इस विषय पर भी गम्भीरता से विचार करना, हमारी न्यायपालिका में अपवाद रूप जो कमियां आ रही हैं, उसको दूर किया जाना भी आवश्यक है।

इतना ही नहीं, आजकल पार्ट-हर्ड केसेज का भी बहुत बड़ा मामला चल रहा है। अगर किसी न्यायाधीश को यह जच जाए कि मुझे इसका फैसला करना ही है और सुनवाई पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है, कल उनकी बैंच नहीं बने तो वह पार्ट-हर्ड करके रख देते हैं। पार्ट-हर्ड का मतलब यह है कि वह केस वापस 10 दिन बाद में, महीना बाद में, छह महीने बाद में उन्हीं के पास लगेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी न्याय देने की हमारी व्यवस्था में आ रही है। न्यायाधीश को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि यह केस कौन सुने? आज आपके पास है, आप सुन लीजिये। अपने न्याय के अनुसार फैसला कर दीजिये। कल किसके पास जायेगा, इसकी चिंता नहीं करें। पर पार्ट-हर्ड के नाम पर भी आजकल यह बहुत बड़ा आरोप हमारे न्यायाधीशों पर लग रहा है। उसको भी कम करना चाहिए।

दूसरा, केस वैल्यू और फेस वैल्यू, यह भी एक बहुत बड़ी तकलीफ देह बात हमारी न्याय व्यवस्था में है। केस वैल्यू से किस तरह से फैसला होगा और फेस वैल्यू से किस तरह से फैसला होगा। कई केस जो हैं वे अपनी मैरिट और डि-मैरिट रखते हैं। उस मैरिट और डि-मैरिट के आधार पर उसका फैसला होता है। कई केस ऐसे होते हैं जो उस केस की मैरिट और डि-मैरिट नहीं देखते हैं। सामने जो आर्ग्यू कर रहा है या सामने जो खड़ा है उसकी फेस वैल्यू के आधार पर फैसले होते हैं। इसको भी समाप्त किया जाना बहुत जरुरी है।

मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि यह बहुत अधिकता से फैल रहा है। इसको फैलने से रोकना चाहिए। मैं किसकी ओर से खड़ा हूं, सामने कौन खड़ा है, कौन अधिवक्ता है, कौन बहस कर रहा है, उससे कोई कन्सर्न नहीं है। उस फाइल पर मैरिट में क्या है, उसके आधार पर फैसला होना चाहिये।

इसलिये मैंने आपके सामने कुछ अपवाद हमारी न्याय व्यवस्था में आ रहे हैं, उनको रोका जाना भी आवश्यक है। अंतिम जो अपवाद आ रहा है, वह डिले डिफीट जस्टिस। डिले डिफीट जस्टिस के दो आधार हैं एक तो आपका मुकदमा लगे ही नहीं, आपका नम्बर ही नहीं आए, वर्षों बीत जाएं। कहीं आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। कल या परसों के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में

(श्री जोगाराम पटेल)

समाचार छपा था, पिता ने मुकदमा किया, पोते तक फैसला नहीं हुआ। एक समाचार पत्र ने छापा था, एक कर्मचारी अपने जीवन भर लड़ता रहा, उसकी मृत्यु के बाद जा करके उसको न्याय मिला। यह ऐसे समाचार आते ही रहते हैं और हकीकत भी है। इसलिये यह अपवाद तो एक है कि हमारा केस, नम्बर आफ केसेज की वजह से, जजेज की कमी की वजह से, डिस्पोजल नहीं होने की वजह से, लेकिन दूसरा एक और है, जो महत्वपूर्ण है, जो कई लोगों को जानकारी में नहीं है। आज जज साहब ने मुकदमा सुन लिया, जजमेंट रिजर्व कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें कोई छह महीने से, कोई साल भर से भी फैसला नहीं आये। साल भर बाद वापस केस लगा कि पार्ट-हर्ड के रूप में दर्ज करके फिर सुनवाई करेंगे, तो यह स्पष्ट है कि इससे डिले डिफीट जस्टिस हो रही है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

मैं इस मौके पर इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर मुकदमों का शीघ्र निस्तारण होगा तो वह न्याय होगा अगर मुकदमों का शीघ्र निस्तारण नहीं होता है तो उसे न्याय नहीं माना जायेगा। दूसरा मामला यह भी है कि अनेक ऐसे प्रकरण आते हैं जो जजेज से सम्बन्धित हैं, उनके परिवार से सम्बन्धित हैं। उनको भी आजकल अपवाद रूप में, कोई न कोई रूप में उसमें लाया जाता है और आरोप लगते हैं। ऐसे आरोप नहीं लगें और जजेज भी अनेक मामलों में तो न्यायप्रिय हैं, वे प्रभावित भी नहीं होते हैं, भयभीत भी नहीं होते। लेकिन कुछ अपवाद रूप केस हो जाते हैं, जिसमें वे प्रभावित भी हो जाते हैं और भयभीत भी हो जाते हैं। न्यायाधीश महेन्द्र भूषणजी थे। उनके बहनोई ने अपना वकालतनामा, जब पार्ट-हर्ड केस लगा दिया तो उन्होंने ओपन कोर्ट में कह दिया कि यह नहीं चलेगा यह केस तो नहीं चलेगा तो उनके बहनोई का वकालतनामा पेश करा दिया। दूसरे दिन जब केस लगा, उन्होंने कहा, नहीं, आपका वकालतनामा पेश करने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस केस का फैसला तो मैरिट और डि-मैरिट के आधार पर ही होगा। ऐसे अनेक उदाहरण है। अरुण मिश्राजी की अदालत में भी बैंच हंटिंग का मामला चला 2013 में चीफ जस्टिस अरुण मिश्राजी की खण्डपीठ में दिल्ली में कोई बहुत बड़ी इमारत अनधिकृत थी, जब ओपन कोर्ट में उनका व्यू आ गया कि नहीं, ये इस बिल्डिंग को तोड़ने में हैं तो दूसरे दिन उस केस को उस बैंच से उचकाने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने इस मामले में बहुत सीरियस व्यू

(श्री जोगाराम पटेल)

लेते हुए कहा कि आप इस तरह से बैंच-हंटिंग के आधार पर केस उचकाने का मामला नहीं चलेगा। इसके अलावा विशेष रूप से देखने योग्य बात है, वह है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और कार्यों पर अतिक्रमण? इसके लिये ज्यादातर कार्यपालिका भी जिम्मेवार है, पर न्यायपालिका का अतिक्रमण भी है।

माननीय सभापति महोदय, रोज पी.आई.एल. के नाम पर अनेक तरह के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हो या अन्य कोई माननीय न्यायालय हों, उनके निर्देश सुन रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ रही है, इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर कार्यपालिका अपने आप में सशक्त है, अपने काम के प्रति समर्पित है, नियमित रूप से काम करती है, समय पर काम करती है तो न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं रहती है लेकिन हम रोज देखते हैं कि पी.आई.एल. के नाम पर अनेक प्रकरण लगते हैं। जजेज कार्यपालिका के अनेक हमारे अधिकारियों को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं और वह दिन भर खड़ा रखते हैं। कई तरह के कमेण्ट्स भी होते हैं। कई कमेण्ट्स लिखित में नहीं होते, ओरली होते हैं। अख़बार की सुर्खियां बन जाते हैं लेकिन वे रिटर्न में कहीं भी नहीं हैं। माननीय न्यायपालिका से मेरा निवेदन है कि जो लिखित में नहीं है, वह सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनें, ऐसे कमेण्ट्स नहीं करने चाहिए। जो अधिकारी जानबूझकर के न्यायालय के आदेश की अवहेलना करें, उनको जरूर प्रताड़ित भी किया जाना चाहिए लेकिन अनावश्यक रूप से रोजाना कोर्ट में खड़ा कर देना, कोई छोटी-मोटी बात के लिये न्यायपालिका के रोज के आदेश होना कि फलां प्रिंसिपल सैक्रेटरी, चीफ सैक्रेटरी, सैक्रेटरी या अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो जाएं, उससे काम की व्यवस्था में व्यवधान होता है, प्रगति नहीं आती है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो कार्यपालिका अपने कार्य के प्रति समर्पित बने, समय पर करे, पारदर्शिता से करे और अगर ऐसा हो जाएगा तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ज्योंही कार्यपालिका अपने कर्तव्य से विमुख होगी, देरी करेगी या कार्य नहीं करेगी तो उसमें जरूर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। महेन्द्र लोढा का जो केस है, वह पी.आई.एल. है, दस साल तक चली। रोजाना पी.आई.एल. पेश होती है, ट्रैफिक व्यवस्था हो, गंदे पानी की नाली की व्यवस्था हो, सीवरेज

(श्री जोगाराम पटेल)

लाइन की व्यवस्था हो, इन सब में आजकल हस्तक्षेप हो रहा है। वह क्यों हो रहा है? हम कार्यपालिका वाले जो लोग हैं, वह समय पर इन कार्यों को नहीं कर रहे हैं और समय पर इन कार्यों को नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता पैदा हुई है, सबसे पहला मेरा यह निवेदन है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य अब कोर्ट में अपीयर होने वाले नहीं हैं, यह लगातार विधायक बनकर या मंत्री बनकर ही सदन में रहेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जो हकीकत है वह बयां करना फर्ज है। पर यह भी है, मैं माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज न्याय व्यवस्था ही है, यह एक ही ऐसी व्यवस्था है जिस पर सबका फेथ है, फेथ वाजिब भी है। वह न्याय व्यवस्था ही है जो समय पर हमारे अपने अधिकारों की रक्षा करती है। हमारे फंडामेंटल अधिकार हों, उनकी रक्षा करती है और कोई अधिकार हों, उनकी रक्षा करती है और समय-समय पर न्यायपालिका ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद कोई व्यवस्था दूसरी भी होती। हम न्यायपालिका के प्रति समर्पित हैं, हमारा आदरभाव है और बहुत अच्छे इसके कार्य हैं लेकिन जो धीरे-धीरे विकृतियां आई हैं वह मैंने गिनाई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था विकृत हो चुकी है। इसका तात्पर्य आप यह कदापि नहीं लें, लेकिन यह विकृतियां भी नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका, न्याय में पारदर्शिता हो, समय पर हो, न्याय की पत्रावली पर जितना भी मैटीरियल आया है, उसके अनुसार हो और कोशिश करें कि न्याय हो। हालांकि, न्यायाधीश तो पेपर जस्टिस ही कर पाते हैं क्योंकि उनके सामने जो मैटीरियल पेश होगा, वह ही कर पाएंगे।

ऐसी स्थिति में मैं जो निवेदन कर रहा था, वह यह है कि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रही है और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रही है इसी कारण से न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। मैं सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन भी करना चाहता हूं आपके मार्फत, माननीय सभापति महोदय, मैं उनको सम्बोधित नहीं कर रहा हूं लेकिन, कार्यपालिका अगर अपना कार्य नहीं करेगी, कार्यपालिका अपने कार्यों से विमुख होगी तो यह हस्तक्षेप आएगा और यदि अपन कार्य समय पर कर लेंगे तो

(श्री जोगाराम पटेल)

न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, उनका समय भी बचेगा और उनको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

जो एक सबसे अहम विषय है, वह विषय यह भी है कि संविधान के अध्याय चार में न्यायपालिका और संविधान के अध्याय-छह में चैप्टर दो और तीन में कार्यपालिका के अपने-अपने अधिकार परिभाषित हैं। दोनों के अपने अधिकार और कर्तव्य परिभाषित हैं लेकिन अगर आप चैप्टर-4 और चैप्टर-6 को पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि न्यायपालिका कहीं पर भी जाकर जो व्यक्ति के फंडामेंटल अधिकार हैं, स्वतंत्र अधिकार हैं या इन अध्याय/चैप्टर में जो अधिकार दिये गये हैं, उनके प्रति उसके अधिकारों की रक्षा नहीं करे, वह अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है और मैं तो इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकता हूं कि कटिबद्ध भी है और उनके जितने अधिकारों की रक्षा करे, उतनी न्यायपालिका को करनी चाहिए, पर उससे पहले हमारा कर्तव्य यह हो जाता है कि हम उन अधिकारों की रक्षा करें।

एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि आजकल कानून का जो अंकुश है, वह टूटने लगा है जबकि कानून का अंकुश नहीं टूटना चाहिए, कानून का डर बराबर होना चाहिए। न तो कानून का डर रहा है और न कानून का अंकुश रहा है और कानून का अंकुश और डर नहीं रहने की वजह से यह सारी बातें अभी आपके सामने आ रही हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। बढ़ते मुकदमे, जल्दी जमानत होना, जो प्रोसीक्यूट करके या हम जो केस लेकर जाते हैं, उसकी पूरी तैयारी के साथ मैटीरियल नहीं रखना, फाइल में कमी रखना, अपराधी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना, मुकदमे में जान-बूझकर देरी करना, यह अनेक कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से कानून का अंकुश टूट रहा है। जैसा मैं आपको उदाहरण के तौर पर नमूने दूं कि 2012 में 8541 नाबालिग बलात्कार के शिकार हुए। यह सब प्रतिशत बढ़ रहा है और यह जो 7.5 प्रतिशत महिलाओं के अपहरण के मामले बढ़े हैं, 2.3 प्रतिशत अपराधिक घटनाओं के केसेज बढ़े हैं, तो यह सब जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है? इनके कारणों में जाना पड़ेगा। इनके कारणों में जाना पड़ेगा, न्यायपालिका कतई जिम्मेदार नहीं है, उतनी ही कार्यपालिका भी जिम्मेदार है, जितनी न्यायपालिका है और यदि हम कानून के अंकुश को रखना चाहें और अपराधी में अपराध करने के प्रति डर पैदा करना चाहें, कानून का डर पैदा करना चाहें तो उसको

(श्री जोगाराम पटेल)

उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलेगी तब जब सज़ा के लिए जितने भी मैटीरियल चाहिए वह माननीय न्यायाधीश के सामने पेश करें। अगर वहां पर पेश ही नहीं करेंगे तो न्यायाधीश अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है, कानून से बंधा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जैसे वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, कल ही हमारे कानून मंत्रीजी एक बहुत बड़ी क्रांफ्रेंस में भाग लेकर आए हैं। इन्होंने अपनी बात, राजस्थान की बात बहुत बखूबी से और जोर लगाकर वहां पर रखी है कि हमारे कितने न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं, मुकदमों का अम्बार है। राजस्थान उच्च न्यायालय में और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं और मेरी जानकारी के अनुसार अभी जो जून, 2014 तक के जो आंकड़े हैं 3 लाख 9 हजार 216 से अधिक केसेज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में और 4 लाख 42 हजार 840 से अधिक केसेज हैं वह अधीनस्थ अदालतों में विचाराधीन हैं और इतना बड़ा अम्बार है, वह दिनोंदिन और बढ़ रहा है।

मैं विशेष ध्यान देने योग्य निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार के 60 हजार करोड़ के जो केसेज हैं वह 6700 केसेज हैं जो रेड केटेगरी के केसेज हैं। वह सारे के सारे जिसमें एक केस में वैल्यू 10-10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ इससे अधिक भी है तो इतनी वैल्यू के केसेज वहां पर पेंडिंग है। सरकार की ओर से उनकी कोई पैरवी नहीं हो रही है। ड्यू कोर्स में लगे हैं तो ड्यू कोर्स में पड़े हैं। कोई डिफेक्ट में पड़े हैं तो डिफेक्ट में पड़े हैं। कभी कोई जोर लगाकर, मेरा निवेदन है कि जब इतनी हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में, बार-बार हम चिंता व्यक्त करते हैं तो 60 हजार करोड़ के केसेज अगर समय पर निपटा दिए जाएं तो हो सकता है कि उनमें से 60 हजार करोड़ की रिकवरी नहीं हो लेकिन बहुत अधिक मूल्य की रिकवरी हो सकती है और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ा काम आ सकता है।

जुलाई, 2014 तक जो हमारी अधीनस्थ अदालतें हैं, उनमें 3 करोड़ 13 हजार 65 विभिन्न तरह के मुकदमे लम्बित थे और जब 3 करोड़ मुकदमे अगर लम्बित हों और सर्वोच्च न्यायालय में 63 हजार 840 तो ऐसे विभिन्न मामले हों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 44 लाख 62 हजार 705 केसेज लम्बित हों तो हम मान सकते हैं कि हम न्याय व्यवस्था को किधर ले जा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग भी हैं। उसमें हमारे अधिवक्ता भी एक पार्ट में हो सकते हैं। हमारी कार्यपालिका भी एक पार्ट में हो सकती है

(श्री जोगाराम पटेल)

और कुछ हद तक हमारी न्यायपालिका भी हो सकती है लेकिन हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम सब इस व्यवस्था में सुधार के प्रति समर्पित हों, जल्दी डिस्पोजल हो, सस्ता और सुलभ न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, वास्तविक न्याय मिले, पारदर्शिता से न्याय मिले, इन सबके लिए हम कटिबद्ध हों।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा और उपाय के तौर पर या मेरे सुझाव के तौर पर तो कार्यपालिका को सबसे पहला मेरा सुझाव है और मैं निवेदन भी करूंगा कि कार्यपालिका अपनी तत्परता और ईमानदारी से कार्य करे तो न्यायपालिका को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं होगा। हमारा जो कार्यपालिका का अधिकार है, उसमें न्यायपालिका अतिक्रमण नहीं कर पाएगी।

दूसरा, सरकार के जो अधिकारी हैं, वह पूरी ईमानदारी, लगन और निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भी न्यायपालिका को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहेगी और मुकदमे भी दिनों-दिन कम होते जाएंगे।

विशेष बात मैं कानून मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कल हमारे प्रधान मंत्रीजी ने विशेष शब्दों के साथ कहा है कि कानून बनाते वक्त हमको गम्भीर होने की आवश्यकता है। अगर हम गम्भीर होकर कानून नहीं बनाएंगे तो अनेक कानून बन गये जिन कानूनों की कोई उपयोगिता भी नहीं है। आज हमें नहीं पता कि राजस्थान में कितने कानून हैं जो अनुपयोगी पड़े हैं। ऐसी स्थिति में कानून बनाते वक्त हमको गम्भीर होना पड़ेगा और गम्भीर होकर अगर हम कानून बनाएंगे और कानून का वास्तविक उपयोग होगा तो वह कानून काम आएगा।

आज की तारीख में अनेक ऐसे कानून बने हुए हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है और अनेक ओवर-लेपिंग कानून भी बनते जा रहे हैं और उस आधार पर ही यह स्थिति बनी है इसलिए कानून सशक्त बनें, आवश्यकतानुसार बनें, कम से कम बनें, हम सब कानून बनाते वक्त गम्भीर होकर बनाएं और गम्भीर होकर अगर हम कानून बनाएंगे तो ही अंकुश लगेगा। वर्तमान में दस हजार से अधिक केन्द्रीय कानून हैं। तमिलनाडू में 534 कानून हैं, पश्चिम बंगाल में 357 कानून हैं, हरियाणा में 280 कानून हैं, पंजाब में 236 कानून हैं, यू.पी. में 173 कानून हैं, मध्यप्रदेश में 111 कानून हैं, दिल्ली में 63 हैं और राजस्थान में 285 ऐसे कानून हैं जो कानून उपयोग में ही नहीं आ रहे हैं। कभी हम उन कानूनों को देखते भी नहीं हैं, आज तक हमने काम

(श्री जोगाराम पटेल)

में भी नहीं लिया होगा तो इसलिए हमारा सबका यह कर्तव्य बन जाता है कि हम उन सबके प्रति समर्पित बनें, उनकी जांच करें और जो अनावश्यक कानून हैं उनको समाप्त करें।

(14.29 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

जो जरूरी कानून हैं उनकी पालना करें। हो सकता है कि समय के अनुसार भी कानून में बदलाव भी आ सकता है। मैं जिस फील्ड से आता हूं, मैं आराम से बता सकता हूं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में बना था और उस वक्त उसकी जो आवश्यकता थी, वह आज आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में बना था, उसकी उस वक्त जो आवश्यक्ता थी, वह आज आवश्यक्ता नहीं है। तो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना भी जरूरी है, चाहे वह किसी प्रावधान के सम्बन्ध में हो या और किसी सम्बन्ध में हो।

यहां पर आप सब लोग परिचित होंगे कि 2005 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में धारा 4, 5 और 9 में संशोधन किया गया और संशोधन वाजिब भी था जो यह किया गया था कि बहिन और बेटी को अपने पिता की सम्पत्ति में बराबर-बराबर उत्तराधिकार का अधिकार है।

लेकिन राजस्थान में, यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित, जब इसको लागू किया गया और सैक्शन 41, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सक्सेशन से सम्बन्धित है, उसमें जब यह प्रावधान आया तो सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में पता होगा, अनेक केसेज ऐसे हो गये, जिससे लोग जहां भी जाते हैं, तब ही कहते हैं कि यह भाई-बहन को लड़ाने वाला कानून है। कहीं भी नहीं है। एक मेरी बहन है जो अपने ससुराल रहती है, अपना खुद का उसका परिवार है, उसकी बेटियां, दोहितियां, पोतियां, सब ससुराल रहती हैं, कोई नहीं मांगता है, लेकिन कोई न कोई राजनीतिक आधार पर, कोई और किसी आधार पर, दुश्मनी के आधार पर उससे कोई 40-50 साल बाद में मुकदमा करा रहे हैं कि मेरे पिता की सम्पत्ति में मेरा भी हक है। तो ऐसे कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है कि वह क्या वास्तव में जनता की आवश्यकता के अनुसार है, हमारी जो पुरानी परम्परा है, उनके अनुसार है, हमारे प्रदेश की जो विभिन्न परिस्थितियां है, उनके अनुसार है? तो ऐसे कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

कुछ जो ट्रैफिक से सम्बन्धित नियम हैं, बहुत पुराने हैं, उनको भी चेंज करने की आवश्यकता है। वर्तमान में ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशंस क्या है? एक आदमी 100 एक्सीडेंट कर देता है, एक ड्राइवर अपनी लाइफ के अन्दर 100 आदमियों को मार देता है तो भी उसको कोई सज़ा नहीं होती है, तो ऐसे कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है जो पब्लिक रिलेटेड कानून है, जो रोज काम में आने वाले हैं।

ऐसी स्थिति में जजेज के जो पद खाली हैं, उन पर तुरन्त नियुक्ति की जाए। देश भर में 4 हजार 655 न्यायाधीशों के पद खाली हैं और अधीनस्थ अदालतों में लेवें तो कल ही हमारे मंत्रीजी जाकर आये, 405 पद हमारे विभिन्न न्यायाधीशों के खाली हैं अधीनस्थ अदालतों में भी, तो अगर इनकी नियुक्ति होगी तो न्याय दिलाने में सुविधा होगी। हाई कोर्ट के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी, कल किसी अख़बार ने लिखा है कि न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में बढ़ा दी गयी लेकिन हमने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है। अभी वर्तमान में 40 न्यायाधीशों के पद हैं, इसको बढ़ाकर 50 किया जाना चाहिये। यह मांग लम्बे समय से चल रही है, क्योंकि जो विचाराधीन प्रकरण हैं, उनको देखते हुए यह पद भी बढ़ाने चाहिये और अनावश्यक रूप से हड़ताल नहीं हो, बार अनावश्यक रूप से हड़ताल नहीं करे। इस सम्बन्ध में भी सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जरूरी हो तो अवश्य हड़ताल करें लेकिन अनावश्यक रूप से हड़ताल नहीं करें।

मेरा यह भी निवेदन है कि वर्तमान में इस कानून-व्यवस्था के तहत राजस्थान प्रदेश को एक उदाहरण पेश करना चाहिये। राजस्थान प्रदेश ने पहला उदाहरण पेश किया था पिछले सत्र में जब उन्होंने पहली बार हिन्दुस्तान में पुलिस एक्ट बनाया था। कहीं पर भी नहीं बना था, लेकिन राजस्थान प्रदेश की विधान सभा ने सबसे पहले पुलिस एक्ट पारित किया था। ऐसे अनेक मौके आये। दूसरा उदाहरण पेश किया था पिछली बार हमने जब कालेजियम खतम कर जो न्यायिक नियुक्ति आयोग का पारित किया था, वह भी हमने उदाहरण पेश किया था। ऐसे और भी उदाहरण पेश होने चाहिये। सन् 1995 में गौ-वध हत्या पर जो कानून बनाया, वह शायद हमने सबसे पहले कानून बनाया था। ऐसे कानूनों की आवश्यकता, राजस्थान विधान सभा इसकी साक्षी रही है, ऐसे कानून तुरन्त पारित हों। रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, प्रकरणों को निपटाने के लिये सरकार तत्परता बरते।

(श्री जोगाराम पटेल)

अन्त में, मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर है और न्यायिक राजधानी में वर्तमान में झालामड़ बाइपास के पास हाई कोर्ट की जो एक बिल्डिंग बन रही है, उत्तर भारत में, मैं तो भारत में कह सकता हूं, ऐसी बिल्डिंग शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। पत्थर की बनने वाली यह बिल्डिंग, जो ऊंचाई में, आकार में और गोलाई में, ऐसी कोई भी है जो आप डोम देख रहे हैं, इससे भी कई गुना बड़ा, ऐसी बिल्डिंग शीघ्र ही पूरी होने वाली है, ऐसी बिल्डिंग शायद भारत में किसी भी विधान सभा की नहीं होगी। पार्लियामेंट की भी मैं नाप से तो नहीं बता सकता, लेकिन किसी हाई कोर्ट की नहीं होगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी नहीं होगी। डोम की ऊंचाई भी करीब 40 मीटर के आस-पास है और उसका जो व्यास है करीब 150 फीट के आस-पास है और इतना बड़ा डोम, इतने कोर्ट रूम्स, इतने बड़े-बड़े रूम्स, अलग अलग गेट, सात गेट अलग-अलग, पक्षकारों के, जजेज के, सुरक्षा, अलग पांच किलोमीटर दूरी से भी वह डोम दिख जाता है। चाहे हवाई जहाज लैंड कर रहा है या टेक-आफ कर रहा है, आप आराम से वह सब देख सकते हैं। इतनी आलीशान बिल्डिंग बन रही है, जिसके लिये मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, उन्होंने पिछले कार्यकाल के दौरान उसका कार्य प्रारम्भ करवाया था। उसमें बहुत बड़ी राशि भी स्वीकृत की थी और अब धीरे-धीरे करीब साल भर के अन्दर-अन्दर वह जाकर भवन तैयार होने वाला है। इस भवन में भूकम्प से भी कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी व्यवस्था ऐसी की गयी है। कोर्ट रूम और जजेज के चैम्बर और इसका डोम, इसका मैप अगर सब देखेंगे तो एक हमारी स्थानीय आर्किटेक्ट ने उसका मैप अप्रूव्ड किया था, जिसको कमेटी ने अप्रूव्ड किया था। हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की कमेटी उसको बराबर मानिटरिंग कर रही है। क्वालिटी, क्वांटिटी, सब तरह से एक आलीशान बिल्डिंग बन रही है, जिसके लिये मैं पुनः माननीय मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि कृपया थोड़ी तत्परता दिखाकर उसको जल्दी पूरा कराएं। अगर बजट की आवश्यकता हो तो और सैंक्शन कराएं। अगर वह बिल्डिंग बन जाएगी तो ऐतिहासिक बिल्डिंग होगी। हमारे सबके गर्व करने योग्य होगी कि न्यायिक राजधानी में हाई कोर्ट की एक आलीशान बिल्डिंग बनी है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे कानून मंत्रीजी तत्परता तो पूरी दिखा रहे हैं, लेकिन एक और तत्परता दिखाने की

(श्री जोगाराम पटेल)

आवश्यकता है। एक तो अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय में 40 से बढ़ाकर 50 पदों की स्वीकृति और जो पैंडिंग केसेज है उनका समय पर डिस्पोजल हो। जैसा अभी मैंने बताया कि 65 हजार करोड़ के रेड लाइट के जो केसेज हाई कोर्ट में या विभिन्न अदालतों में पैंडिंग हैं, उनका निस्तारण हो कार्यपालिका अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करे। इन शब्दों के साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने जो जनमत जानने का अपना प्रस्ताव दिया है, उसे मैं वापस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल। कानून मंत्री महोदय, आप डोम के बारे में जरूर जवाब देना because that dome is really a very stringent. It should be deemed because dome and dumed, there are two very different contradictory words.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डूम करने से केस रजिस्टर हो जाएगा।

श्री सभापति: नहीं, कंट्राडिक्ट्री है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, डूम कह दिया न, तो फिर वह केस रजिस्टर हो जाता। एट्रोसिटीज एक्ट में चले जाओगे आप सीधे।

श्री सभापति: It should be 'dome'.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं समझता हूं किसको कह रहे हैं। पर यहां तो प्रीविलेज्ड है, आसन कुछ भी कह सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने एक बार उनका नाम पुकार लिया है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 विचारार्थ लिया है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सामान्य प्रवृत्ति का विधेयक है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपेक्षा की 2014 के संशोधनों के बाद कुछ न्यायालयों के नाम परिवर्तन किये जाने चाहिए और हाई कोर्ट के आग्रह के बाद न्यायालय के नाम परिवर्तन के लिये सरकार यह विधेयक लेकर आई है। 12.8.1992 और 19.1.1994 से पहले मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं मुंसिफ न्यायालय कहलाते थे, 1992 के संशोधन के बाद

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सिविल न्यायाधीश (क), (ख) और न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) के नाम हो गये। जब आज हम इस सदन में इस विधेयक को पारित कर देंगे तो 2015 के संशोधन के बाद सिविल न्यायाधीश एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नाम हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, अगर केवल हम इस विधेयक के संशोधनों तक चर्चा करेंगे तो यह इतने महत्व की चर्चा नहीं होगी, केवल नाम का परिवर्तन है। लेकिन अब आज जब हम हाई कोर्ट के आग्रह पर न्यायालय के नाम परिवर्तन का संशोधन विधेयक लेकर आये, उस पर चर्चा कर रहे हैं तो फिर हमें न्यायिक व्यवस्था के व्यापक संदर्भों में जाना पड़ेगा। मैंने आज दो समाचार पढ़े हैं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्रीजी ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कान्फ्रेन्स में राजस्थान में खाली पड़े न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों पर चिन्ता व्यक्त की।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आज एक लेख पढ़ा है राजस्थान के पूर्व न्यायाधिपति शिव कुमारजी शर्मा का। आज जब हम न्यायालय से सम्बन्धित विधेयक पास कर रहे हैं और इस पर चर्चा न करें, मैं समझता हूं बेइमानी होगी। न्यायालय नाम परिवर्तन का आग्रह करे, यह सदन विधेयक पारित करे, सरकार विधेयक लेकर आ जाए, समझ में आता है, लेकिन न्यायालय क्या कर रहा है इस पर कभी चिन्तन न हो और इस पर चिन्तन करने का कोई साहस न करे। कल हमारे माननीय मंत्रीजी ने राजस्थान में हाई कोर्ट जजों के खाली पदों की चर्चा की। अगर हम खाली पदों की चर्चा करेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, 107 जिला न्यायाधीशों के पद राजस्थान में रिक्त हैं। वरिष्ठ सिविल जज 79 और सिविल जज 126, राजस्थान में उच्च न्यायालय के निचले स्तर के न्यायालयों में आज भी 312 पद रिक्त हैं।

केवल 312 पद रिक्त नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका में हस्तक्षेप बढ़ गया और इसके लिए जिम्मेदार कार्यपालिका है। मैं इस पर बहुत गहरे अर्थों में जाना नहीं चाहता, कौन जिम्मेदार है लेकिन मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कामों पर टिप्पणी करते समय अगर न्यायपालिका यह चिन्तन करे कि सस्ता और सुलभ न्याय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस राजस्थान के आम आदमी को देने की जो जिम्मेदारी संविधान की आत्मा और भावना के अनुसार उनके पास है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि न्यायपालिका से हमको प्रोटक्शन मिलता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अगर कहीं आदमी को न्याय और इंसाफ नहीं मिला तो एक दरवाजा सुरक्षित है जहां जाकर न्याय मिले लेकिन आज उस दरवाजे की क्या स्थिति है? राजस्थान उच्च न्यायालय में 2 लाख 28 हजार 887 मुक़दमे कई सालों से पैंडिंग चल रहे हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में 14 लाख 54 हजार 566 मुक़दमे पैंडिंग हैं और विशिष्ट न्यायालयों में भी इनकी संख्या लगभग लाख के बराबर है।

जो न्यायपालिका दम्भ भरती है कि हम कार्यपालिका को सुधारेंगे, अगर जयपुर का नगर निगम सफाई नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी और अगर कोई अमानीशाह नाला अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा है, सरकार और प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकारों पर एनक्रोचमेंट की जो प्रवृत्ति न्यायपालिका की बन गयी है, अख़बार की सुर्खियों में आने का, उसका मूल उद्देश्य जो आम आदमी न्यायालय की चौखट पर न्याय और इंसाफ पाने की भावना से जाता है वो सालों तक न्याय का इन्तजार करता रहता है। आज एक समाचार और पढ़ा कि 40 साल बाद अदालत की चौखट के बाहर परिवार के लोगों ने, वाद दायर करने वाले न दादा बचे न पिता बचे और भाइयों ने मिलकर अदालत की चौखट के बाहर फैसला किया। अगर यह ही हमारी न्याय व्यवस्था का चेहरा बना रहेगा तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे व्यवस्थापिका की उदासीनता से किसी को प्रताड़ना मिले चाहे न्यायपालिका की उदासीनता से किसी को प्रताड़ना मिले, व्यवस्थापिका के नाते उसकी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व से हम भाग नहीं सकते और इस उत्तरदायित्व को भारत के प्रधानमंत्री जी ने समझा।

आज शिव कुमारजी, पूर्व न्यायाधीश ने अख़बार में छापा है कि कल तक जिस न्यायपालिका को ईमानदारी और आदर्श के रूप में देखा जाता था आज उस न्यायपालिका में भी कैंसर की तरह भ्रष्टाचार लाइलाज बीमारी बन गया है। एक पूर्व न्यायाधीश यह स्वीकार करे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह लाइलाज बीमारी बन गया है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यह एक गम्भीर चुनौती है। उन्होंने कहा है कि अगर न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने एक हलफनामा दिया है कि देश के दस से ज्यादा चीफ जस्टिस, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, व्यक्तिगत हलफनामा देकर लगाया है, क्यों नहीं कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही की जाती? क्यों नहीं देश के सामने उस सच्चाई को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बैंच आगे बढ़ती? लेकिन जहां न्यायपालिका के मुखौटे को ढंकने का प्रयास किया जाता है वहां न्यायिक व्यवस्था में बैठे लोग उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करते लेकिन जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के चेहरे को बिगाड़ना हो और अख़बार की सुर्खियों में उस बात को लाना हो तो निश्चित रूप से मैंने यह भी पिछले राज में देखा है कि हमने लोकतंत्र की व्यवस्था में इस लचर और कमजोर, राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी है, इससे लचर-कमजोर सरकार नहीं देखी, यह बात सच है कि वो सरकार लचर और कमजोर हो सकती है लेकिन न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए अधिकारी को सार्वजनिक रूप से इस डायस पर बैठकर व्यवस्थापिका के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। मैं आज अगर इस सदन में कहूं कि न्यायपालिका का इतना अतिचार, इतना अतिक्रमण, कोई आदमी एक शब्द भी न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल पाए और अख़बार में भी अगर न्यायपालिका के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल जाए तो एक नोटिस सर्व करके कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के द्वारा उसको डायस के सामने खड़ा रखकर, चाहे कितना इज्जतदार और कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको जलील किया जाए, इस स्तर पर न्यायपालिका आ जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य खड़े होकर कहने लगे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हैं, लगता है उनको अदालत में नहीं जाना, अब मुदकमों की पैरवी नहीं करनी उनको, शायद एम.एल.ए. बनकर ही अब यहीं लगातार आना है। यह हकीकत है, माननीय सभापति महोदय, आप इस सदन के लिट्रेट सदस्य हैं, आपके जैसा अनुभव हमारे जैसे सदस्यों का नहीं है लेकिन अगर आर्टिकल 212 का हमको संरक्षण प्राप्त नहीं हो तो इस सदन में न लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, न मैं, न सुमेरपुर से आने वाले कोई माननीय सदस्य इस सदन में न्यायपालिका के खिलाफ या उस व्यवस्था पर टिप्पणी करने का साहस नहीं कर सकते, उनको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भी न्यायालय में घसीट कर यहां पर बोलने की सज़ा तय कर दें अगर संविधान का आर्टिकल 212 हमको संरक्षण नहीं देता हो तो।

हमें संविधान के आर्टिकल 212 का संरक्षण होने के बाद भी हमने 2003 से 2008 में एक न्यायिक विधेयक पर चर्चा के दौरान चर्चा की, हाई कोर्ट ने 12 एम.एल.एज. को नोटिस सर्व कर दिया कि लेजिस्लेटर को न्यायपालिका के बारे में विधान सभा में चर्चा करने का अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जो लेजिस्लेटर जो कानून बनाता है उस कानून की परिभाषा करना, उस कानून की पालना कराना हाई कोर्ट का काम है, लेजिस्लेटर क्या करता है, इस पर टिप्पणी करना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस सदन के अन्दर लेजिस्लेटर क्या कर रहा है, लेजिस्लेटर ने, सदन ने जो विधेयक पारित कर दिया उसकी समीक्षा करना और उसकी पालना कराना यह माननीय न्यायालय का काम हो सकता है लेकिन माननीय न्यायालय इससे आगे बढ़ गया।

आज हालत यह हो गयी कि आम आदमी न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पनप रहा है। मैं आज कहना तो नहीं चाहता, जिसका कोई आधार नहीं है, माननीय सभापति महोदय, इस तरीके के भी, बैंच को अपने हिसाब से मैनेज करना और कई सारी टिप्पणी जो कह रहे थे, मुझे याद है कोटा का एक प्रकरण जिसमें एक इमानुअल स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप लगा और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसके मालिक को अभियुक्त बना दिया। उस अभियुक्त के वकील को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने, जिसका नाम भी मैं कोट कर सकता हूं, वकील को बुलाया और कहा आपको कल राजस्थान की हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लिकेशन लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना और अगर खारिज हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आ जाना। उस वकील ने नैक्स्ट डे राजस्थान हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगायी और बिना सुने कह दिया, हमने आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और जब उस एप्लीकेशन को लेकर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गया और उस हियरिंग पर आयी तो सामने वो ही जज बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, हाई कोर्ट में लेकर आ जाना है और एंटीसिपेटरी बेल ग्राण्ट कर दी। माननीय सभापति महोदय, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है जो मेरी जानकारी में है। अगर न्यायिक व्यवस्था में इस प्रकार की परम्पराएं कायम हो गयीं, अगर न्यायिक व्यवस्था में इस प्रकार का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्तर स्थापित हो गया तो मैं आपसे कह रहा हूं जो सामर्थ्य है, जो मैनेज करना जानता है, जिसके पास अपनी क्षमता है, लाइजन है, न्याय केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित बच जाएगा। जिस व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस सरकार की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस विषय में गम्भीर हैं और उन्होंने न्याय प्रशासन पर गम्भीरता व्यक्त करते हुए लोगों को सुलभ न्याय, सस्ता न्याय मिले, त्वरित गति से न्याय मिले, इसी बजट में घोषणा की है पैरा नम्बर 201 में। चैक अनादरण के मामले में जयपुर में 6, जोधपुर में 5, उदयपुर-कोटा में तीन-तीन, अजमेर-अलवर में दो-दो, बीकानेर, पाली, चित्तौड़गढ़, ब्यावर में एक-एक न्यायालय की स्थापना होगी, विशिष्ट न्यायालय की पचपदरा जिला बाड़मेर, दूनी जिला टोंक, आमेर जिला जयपुर, कोटकासिम जिला अलवर में एक-एक नवीन न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले जाएंगे। महिला उत्पीड़न जैसे गम्भीर अपराधों पर नियंत्रण हो और अपराध करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही हो, सज़ा हो, उनको सबक मिले और इस पर अंकुश लगे इसके लिए भी जयपुर और कोटा में एक नवीन न्यायालय की स्थापना की इस बजट में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

मुख्य मंत्रीजी की इन घोषणाओं के बाद हम क्या यह अपेक्षा कर सकते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट, नाम बदल दीजिए, विधेयक लेकर आइये, राजस्थान हाई कोर्ट हम से केवल नाम बदलने की अपेक्षा करे। क्या यह सदन राजस्थान के हाई कोर्ट से यह अपेक्षा नहीं करता कि लोगों को त्वरित गति से न्याय मिलना चाहिए, त्वरित गति से इंसाफ मिलना चाहिए, पैंडिंग मुकदमों का निस्तारण होना चाहिए? आज हाई कोर्ट, न्यायिक प्रशासन इस हद तक चला गया, उनकी तनख्वाह और वेतन क्या होगा, यह भी आज हाई कोर्ट तय करने लग गयी।

खुद तय कर रहे हैं कानून। आज हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। आखिर हमको कहीं न कहीं इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा और विधि में इसका उपचार ढूंढने का कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस सदन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद उसका कोई कानूनी समाधान और कानूनी रूप से वह चर्चा एप्लाई हो जाये, उसकी पालना हो जाये। यह कहीं किसी किताब के पन्ने में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डायस पर बैठकर किसी मुक़दमे को सुनते समय राजस्थान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी कर दी तो मेंडेटरी, अनिवार्य रूप से वह कानून का सायटेशन बन जाएगी, हिस्सा बन जाएगी अगर फैसले में किसी ऐसी बड़ी बात को उद्दत कर दिया तो।

यह जो परम्पराएं बन गयीं, क्या यह सदन चर्चा करके अपेक्षा करे, उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है कि वह एप्लाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट का जज डायस पर बैठकर फैसले में कोई टिप्पणी उद्दत कर दे तो सैकड़ों सालों तक, पचासों सालों तक, जब तक वाइस-वरसा कोई दूसरी टिप्पणी उससे सर्वोच्च, उच्च न्यायालय की नहीं आ जाती, तब तक वह उस उच्च न्यायालय के परिक्षेत्र के तमाम न्यायालयों में एक रूलिंग बनकर काम करती है। उस आधार पर फैसले होते हैं।

हाई कोर्ट के एक जज का जुबानी आदेश या लिखित में हस्ताक्षर किया हुआ आदेश कानून बन जायेगा इस राजस्थान की समूची न्यायिक व्यवस्था के लिए और यह सदन जो कानून बनाता है और किसी व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है, चिंता करता है, तो वह कोई जरूरी रूप से कहीं लागू हो जाये, इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखती।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए इस सारी व्यवस्था पर आप देखते हैं कि हाई कोर्ट जजेज के अपाइंटमेंट होते हैं, 90 परसेंट हाई कोर्ट जजेज के रिश्तेदार होते हैं। मुंसिफ कोर्ट की जो भर्ती होती है वह हाई कोर्ट किस विधिक प्रक्रिया से करती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे आज भी याद है, अगर आप 2003-04 की भर्तियों को उठाकर देखेंगे तो 85 परसेंट मुंसिफ कोर्ट की परीक्षा में हाई कोर्ट जजेज और जुडिशियल स्टाफ से जुड़े हुए अधिकारियों के बच्चों का चयन हुआ है। क्या इनमें कोई विशेषज्ञता है? या फिर यह कहा जा सकता है कि अभी माननीय न्यांगली साहब कह रहे थे कि आरपीएससी में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, क्या इस प्रकार की नियुक्ति के बाद, इस प्रकार के परिणामों के बाद इस सदन में यह नहीं कहा जा सकता कि आखिर किस तरीके से इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, क्या हमें इस पर संशय पैदा नहीं होता? क्या न्यायिक अधिकारियों के बच्चों के अलावा ला ग्रेजुएट विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रतिभा और क्षमता नहीं है? यह तमाम बिन्दु हैं जो विचारणीय हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्रीजी ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। देश के 50 प्रतिशत राज्य जब उसको पारित करेंगे तो वह कानून

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बनेगा। उस क्रम में राजस्थान ने सबसे पहले रिकार्ड बनाया कि उस न्यायिक नियुक्ति आयोग को इस सदन में पारित कराया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे जितना मेरी जानकारी में है, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य राजस्थान हाई कोर्ट में जाते हैं, वह ज्यादा जानते होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के बाद, पार्लियामेंट में पास होने के बाद, तमाम पदोन्नतियां और नियुक्तियां आज की तारीख तक कालेजियम सिस्टम से हो रही हैं। भारत की पार्लियामेंट द्वारा बनाये गये कानून का अभी भी सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। वह एप्लाई नहीं होने लगा है। आज की तारीख में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एप्लाई नहीं हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो माननीय लूणी से आने वाले सदस्य मुझे करेक्ट कर दें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी पैंडिंग ही है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सुप्रीम कोर्ट आज भी कालेजियम सिस्टम से नियुक्तियां कर रहा है, पदोन्नतियां कर रहा है। सारा काम कालेजियम सिस्टम से कर रहा है। यह जो सुप्रीमेसी की भावना न्यायपालिका में कायम हो गयी है। हम न्यायपालिका की सुप्रीमेसी की भावना पर टिप्पणी नहीं करते लेकिन सुप्रीमेसी की भावना पैदा करके कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर लांछन लगायें, उनको लांछित करें, उंगलियां उठायें और अपने भीतर के सच को उजागर नहीं होनें दें। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के हलफनामे पर कोई फैसला करती? जिन्होंने कहा है कि देश के 10 सीजेआई भ्रष्ट हैं। मैं हलफनामा दे रहा हूं, सबूतों के साथ। क्यों नहीं भ्रष्टाचार जो कैंसर जैसा न्यायपालिका में फैल गया है उस पर आत्म चिंतन करते?

माननीय सभापति महोदय, आज भी पैंडिंग मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का बयान आया है कि 5 साल से ज्यादा कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। 40-40 साल हो गये, 40 साल बाद थक, हारकर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे न्यायपालिका के दरवाजे पर न्याय की उम्मीद नहीं बची है और न्यायालय के दरवाजे के बाहर व्यक्ति फैसला करे, इससे बड़ा चिंताजनक सवाल इस समूची न्याय व्यवस्था के लिए कुछ हो नहीं सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर सरकार विचार करे, सदन विचार करे। हम न्यायपालिका के आग्रह पर जैसा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वह चाहती है वैसा विधेयक पेश करते हैं। विधेयक पारित भी होगा। पेश भी हो गया। लेकिन यह सदन जैसी अपेक्षा करता है, न्यायपालिका वैसा आचरण करे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोक सभा और विधान सभा की सुप्रीमेसी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से बड़ी है। यह सदन सुप्रीम है। इस सदन के द्वारा बनाये हुए, पार्लियामेंट के द्वारा बनाये हुए कानून की समीक्षा और पालना करने का दायित्व मात्र सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस सदन के द्वारा बनाये हुए कानून की समीक्षा और पालना हाई कोर्ट के पास है। इस सदन को डिक्टेट करना, पार्लियामेंट और असेम्बली को गाइड करना या डिक्टेट करना यह प्रिविलेज, संविधान का कोई सा भी अनुच्छेद किसी सुप्रीम से सुप्रीम न्यायालय को नहीं देता।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह संदेश सदन के माध्यम से न्याय व्यवस्था तक जाना चाहिए कि जो न्याय की राह में आंखे डबडबाये इस राजस्थान के लाखों लोग पचासों सालों से बैठे हुए हैं, त्वरित गति से राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जो और न्यायालय खोले हैं, और खुल जायेंगे, लेकिन न्याय की तीव्रता अगर नहीं बन पायेगी, इनका सोच नहीं बन पायेगा तो मैं समझता हूं कि न्याय नहीं हो पायेगा। इस विषय में भी निश्चित रूप से मंत्री जी जब जवाब दें तो बात करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं, यह सच है, आप भी जानते हैं, अगर आर्टिकल 212 का हमको प्रोटेक्शन नहीं हो तो हम यह चर्चा भी नहीं कर सकते। आखिर यह सर्वोच्च सदन जो राज्य का है, उसके होने के महत्व को भी हमें समझना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमें इस भावना को सदन के माध्यम से पहुंचाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी से और आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से, जिसको मैं पहली बार एमएलए बनकर आया तब से लगातार कहता हुआ आ रहा हूं, कि कोटा में जब डेमोक्रेसी नहीं आयी थी, जब अंग्रेजों की व्यवस्था थी, ब्रिटिश व्यवस्था थी, राजाओं की व्यवस्था थी, उस समय हाई कोर्ट था। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 67 साल गुजर जाने के बाद उस कोटा को, जहां के अकेले कोटा डिवीजन के 40 प्रतिशत से ज्यादा मुकदमे राजस्थान हाई कोर्ट में हैं, उनकी दूरी, अगर आप मनोहरथाना से जयपुर की दूरी नापेंगे तो 400-500 किलोमीटर पड़ेगी। अगर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कस्बा थाना से नापेंगे, डग, पिड़ावा से नापेंगे, उन्हैल से, गंगधार के आगे से नापेंगे तो 400-500 किलोमीटर पड़ेगी।

वह व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर न्याय मांगने जाये और उसको समय पर न्याय नहीं मिले, उसे लाखों मुकदमों की वेटिंग में शामिल होना पड़े, शुमार होना पड़े, यह वेटिंग लिस्ट घटे। न्याय त्वरित गति से मिले और निश्चित दायरे में कम समय में मिले। इसके लिए कोटा में हाई कोर्ट की बैंच निश्चित रूप से खोली जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सदन में सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगित कार्यसूची के गैर सरकारी विषयों का नियतन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको विनम्र शब्दों में प्रक्रिया के नियम 58 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा की कार्य सूची 1 तारीख की और 6 तारीख की हैं, दोनों कार्य सूचियां मेरे पास हैं, 1 तारीख की जो कार्य सूची थी, उस दिन दुर्भाग्यवश विपक्षी दल ने जो हंगामा किया, उसके कारण से सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित हो गयी। आज तक के लिए जब स्थगित हुई तो आज की जो कार्य सूची है, उसमें वह सारे के सारे कार्य हैं, शोकाभिव्यक्ति भी है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दोनों हैं। इसी प्रकार माननीय युनुस खान द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो राजस्थान बस टर्मिनल विधेयक है, वह भी है। इसके अलावा भी सारे काम हैं, वह इसमें हैं। लेकिन केवल 2 विधेयक जो प्राइवेट मैम्बर्स के रूप में मुझे प्रस्तुत करने थे, घनश्याम तिवाड़ी को, एक आर्थिक न्याय और सामाजिक समरसता विधेयक, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, बनिये, सिन्धी और बचे हुए मुसलमानों के आरक्षण की बात थी वह और दूसरा 5 परसेंट आरक्षण का बिल जिसमें गुर्जर, गाड़िया लुहार, रैबारी और देवासी हैं, उन दोनों विधेयकों को छोड़कर बाकी सारी कार्य सूची इसमें आ गयी है। इसलिए वह 2 विधेयक इसमें नहीं हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन हैं कि उन 2 विधेयकों का क्या होगा, उसके बारे में भी एक निर्णय है। मुझे इसमें यह कहना है कि वह 2 विधेयक मैंने यहां प्राइवेट मैम्बर्स के रूप में पेश किये थे। उन विधेयकों को इस सचिवालय में आने के बाद यहां से ला डिपार्टमेंट को भेजा गया। ला डिपार्टमेंट ने उनको वेट किया और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय में भेजा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने उसको स्वीकृत करके डीओपी में भेजा। डीओपी से स्वीकृत होकर वह वापिस आ गये। वापिस आकर वह सारे के सारे छप गये। वह सारे के सारे वितरित हो गये। उसके बाद में और सारा काम आ जाना और केवल वह 2 बिल नहीं आना, यह उचित नहीं है।

इससे समाचार पत्रों में बात छपी थी कि कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके इन दोनों बिलों को रुकवा दिया तो आज ये बिल जो नहीं आए हैं, इससे स्पष्ट नजर आएगा जनता में कि इससे इनको भेदभाव करके, षड्यंत्र करके रुकवाया गया। और आसन तो, माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सबके लिए समान है, किसी जाति और वर्ग का हो, सदन सबके लिए समान है। इसलिए मैं आपसे आग्रह, निवेदन करना चाहूंगा और इसके लिए मैं दो रूलिंग भी आपको देना चाहूंगा।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, एक रूलिंग अपने राजस्थान विधान सभा की है, जिसमें कहा है कि कोई भी अशासकीय कार्य जो गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए नियत दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस वर्ग कार्य के लिए नियत अग्रिम दिन के लिए रख दिया जाएगा। यानि अपने यहां क्या है, हमने पहले शुक्रवार को रखा था, ओलावृष्टि पर चर्चा के कारण शुक्रवार को हम बाद में ले आए, उसके बाद में सदन स्थगित हो गया तो एक तारीख के सारे कार्य आज छह तारीख को आ गए तो वे बिल क्यों नहीं आए? एक तो एक सौ सात नम्बर पर जो है उसमें एक व्यवस्था है।

दूसरी व्यवस्था, माननीय सभापति महोदय, दी हुई है कि सदन में किसी भी बहस पर समय का नियतन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अथवा स्वयं सदन द्वारा किया जा सकता है। अगर कार्य सलाहकार समिति ने इन दोनों को नहीं लिया तो मैं यहां यह प्रस्ताव कर सकता हूं कि सदन इस पर हां, ना करे और उन दोनों बिलों को प्रस्तुत किया जाए, नहीं किया जाए,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसकी मुझे अनुमति दी जाए। अगर इन दोनों-तीनों कामों में से एक भी काम नहीं हुआ, माननीय सभापति महोदय, तो मैसेज यह जाएगा कि हम कुछ लोग इन जातियों के खिलाफ षड्‌यंत्र करके उन पर आघात कर रहे हैं और यह मैसेज जाना सदन द्वारा यह उचित बात नहीं है इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे उन विधेयकों को सिर्फ पुर:स्थापित ही तो करना है, चर्चा बाद में होगी, बाकी पुर:स्थापित हो रहे थे, वह भी पुर:स्थापित हो जाएंगे। इसलिए संक्षेप में मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप विनम्रतापूर्वक विचार करें, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम में, नियम 24 से लेकर 27 तक इस बात का प्रावधान किया गया है कि गैर सरकारी विधेयक को किस प्रकार लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपका खुद का अनुभव होगा कि प्राइवेट मैम्बर डे एक निश्चित किया जाता है कार्य सलाहकार समिति द्वारा और एक बहुत लम्बे अर्से के पश्चात् कार्य सलाहकार समिति ने इस निजी विधेयक को, प्राइवेट मैम्बर डे को तय किया लेकिन उस दिन सदन में जिस प्रकार की अव्यवस्था थी और उसके बाद यह प्रसंग आया भी, माननीय सभापति महोदय, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब कभी भी पुन: प्राइवेट मैम्बर्स डे होगा, उस वक्त उस पर विचार किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर न तो किसी षड्‌यंत्र की बात है और न ही किसी की बात है। जिस बिल को इस राजस्थान विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी की सदारत में 2008 में सर्व सम्मति से पास किया गया था, जिसको नाइन्थ शिड्‌यूल में डालने के लिए इस सदन ने सर्वसम्मत संकल्प लिया था इसलिए उस बिल के आधार पर, माननीय सभापति महोदय, आप तो खुद जानते हैं कि यह सारा मामला आज उच्च न्यायालय के अन्दर है, इसी 23 तारीख को उच्च न्यायालय के अन्दर, हिन्दुस्तान के अटार्नी जनरल आकर इस बिल पर, इस विषय पर बहस करने वाले हैं। यह सबजुडिस भी है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बात को यहीं छोड़ा जाए, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि कोई भी विषय सबजुडिस हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी किसी को स्ट्रकडाउन भी कर दें, उसके बाद में भी पार्लियामेंट में पास करके उस कानून को बदल देते हैं। इसलिए इसमें सबजुडिस इसमें लागू नहीं है, पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि यह व्यवस्था कर दें कि जिस दिन प्राइवेट मैम्बर्स डे आएगा, उस दिन इन बिलों को लिया जाएगा। यह व्यवस्था कर दें। आप इसको यह कहकर नहीं टाल सकते। यह मुझे भी पता है कि मैंने ही विधि मंत्री के नाते यह बिल पेश किया था। मुझे पता है कि हमने यह बिल पेश किया और मैंने बिल पेश ही इसीलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति के हिसाब से यह बिल है और इस बिल से बहुत से लोगों को लाभ होना है। इसलिए इसमें पार्टी की नीति का सवाल है, चुनाव घोषणा पत्र में कहा है और बाकी सब बिलों को ले रहे हैं तो इनको पुर:स्थापित करने में आपको क्या दिक्कत थी? पास थोड़े करवा रहे थे कि जो आपका सारा कानून कायदा इसी पर लागू होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, शायद यह पहला उदाहरण होगा जो माननीय सदस्य सरकार में विधि मंत्री के रूप में जिस बिल का पारण करवाएं, वही गैर सरकारी रूप में इसको लेकर आएं और यह सरकारी बिल जो पारण हुआ। माननीय सभापति महोदय, यह बिल आज भी एग्जिस्टेंस में है, इसके कुछ क्लाजेज के बारे में आज राजस्थान उच्च न्यायालय में, पहले सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से रैफर होकर राजस्थान उच्च न्यायालय में आया और इस सरकार की खुद की नीति है, उसके अनुसार जिस सरकार ने इस बिल को पारित किया वह सरकार पुन: सत्तारूढ़ है इसलिए इसमें विवाद की बात ही नहीं कि आरक्षण के बिल पर जो हमने पारित किया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 14 परसेंट दिया गया था उसके अन्दर सरकार में कोई विमत नहीं है। पर सवाल यह है कि जो व्यवस्था माननीय आसन ने दे दी उस व्यवस्था से आगे जाकर हम किस तरह से इसको पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें? यह तो आसन पर निर्भर करता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्राइवेट मैम्बर बिल बीएसी की रिकमण्डेशन के बाद सदन में आता है। बीएसी ही उस दिन को निर्धारित करती है । जिस दिन यह निर्धारित था, उस दिन सदन को अपरिहार्य कारणों से एडजोर्न करना पड़ा। अब अगर इसमें कहीं भी कोई बिल का औचित्य तो तब होगा जब आप इस बिल को रिइण्ट्रोड्यूस करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के सम्मुख राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1950 प्रस्तुत किया गया। आप द्वारा मुझे चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सिविल (संशोधन) अध्यादेश, 1950 और उसमें संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस संशोधन बिल को लेकर आज संविधान लागू होने से पूर्व जो अध्यादेश अध्यादेश ही रह गए, क्या उस निर्णय के लिए सरकार बाध्य है? है नहीं तो अध्यादेश, 1950 का बिल सरकार को लाना चाहिए। इसका विधि विभाग से अध्ययन करवाकर विचार किया जाए और विधेयक पर विचार कर नया बिल लाया जाए जो 1950 से अध्यादेश के रूप में चल रहा है, उसको विधेयक के रूप में सरकार गम्भीरता से विचार करे। माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, निश्चित ही यह विषय हमारे सदन की बैठक यानी विधायिका यानी संसद के सम्मुख पूर्व में उठता रहा है। मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सदन के समक्ष प्रतिबद्ध न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता एवं राजस्थान विधिक सेवा के ऊपर संक्षेप में विचार रखना चाहूंगा।

प्रतिबद्ध न्यायपालिका संविधान का एक मखौल हो गया। इस शब्दावली को समझने के लिए अधिक वक्त नहीं लगेगा जब राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों द्वारा सलाहकार समिति जैसे उच्च पदों पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को विराजमान कर पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे आयोगों में नियुक्ति का विशेषाधिकार किसी विशेष घटना की

(श्री मनोज कुमार)

जांच हेतु कोई कमीशन गठित करने से लेकर सम्बन्धित सरकार का कृत्य तब चिन्तन का विषय हो जाता है जबकि सेवानिवृत्ति पश्चात् सरकार के लिए किए गए किसी काम की एवज में अगर यह नियुक्ति की जाती है तो यह चिन्ता का बड़ा गम्भीर विषय है, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की शुरूआत श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में शुरू हुई एवं निरन्तर किसी न किसी रूप में यह सामने आती रही है। जो कि भारतीय संविधान की आत्मा निष्पक्ष न्यायपालिका के सिद्धान्त से मेल नहीं खाती। मैं इस सम्बन्ध में इतिहास की ओर जाते हुए सदन का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1973 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस दिन सेवानिवृत्ति लेने वाले मुख्य न्यायाधीश के द्वारा परम्परानुसार अपना उत्तराधिकारी चुनने की न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अवहेलना करते हुए कनिष्ठ जज श्री अजीतनाथ रे को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुरस्कृत किया गया, परिणामस्वरूप प्रतिबद्ध न्यायपालिका का जन्म हुआ। इसकी पराकाष्ठा हमें तब देखने को मिली जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री जगमोहन सिन्हा ने राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के प्रकरण में श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया किन्तु उक्त निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत संवैधानिक आंतरिक आपातकाल लगाते हुए नागरिकों के मूल अधिकार को भी समाप्त करने का काम इस न्यायपालिका ने अपने प्रतिबद्ध न्यायपालिका के तहत करने का काम किया है। उस समय स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा बहस पर अपनी मोहर लगाते हुए यह निर्णय दिया गया कि आपातकाल में नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये सब कुछ प्रतिबद्ध न्यायपालिका के उदाहरण हैं। आशा है सरकार इसको रोकने में कारगर होगी एवं भविष्य में निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा सरकार करने का प्रयास करे, इसी में न्यायिक सक्रियता है।

माननीय सभापति महोदय, सदन का ध्यान पिछले कुछ वर्षों से वर्तमान में बढ़ रही न्यायिक सक्रियता की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसके कारण हमारे संविधान की मूल भावना का शक्ति विभाजन, अवरोध व संतुलन का सिद्धान्त गड़बड़ा रहा है। अनेक बार यह देखने में आया है कि न्यायपालिका

(श्री मनोज कुमार)

आमजन से जुड़ी समस्याओं का स्वत: प्रसंज्ञान लेकर सरकार को नोटिस जारी करती है एवं जनहित याचिकाओं के नाम से पूर्णत: प्रशासनिक कार्यों में दखल करती है। संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत यह कार्यपालिका को देखना है कि वह कैसे विधायिका द्वारा पारित कानून के तहत जनता को लाभ दे तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसे सुदृढ़ बनी रहेगी। अनेक बार स्वत: प्रसंज्ञान और पीआईएल के जरिये न्यायालयों द्वारा ऐसे आदेश पारित कर दिये गये जिन्हें कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी क्रियान्विति करना बड़ा मुश्किल काम हो गया, अत्यधिक कठिन काम हो गया।

सभापति महोदय, मेरी गुजारिश है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सरकार के तीनों अंग अपनी-अपनी मर्यादा में रहकर करें जिससे इस भारत की पूरी संवैधानिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ राजस्थान विधिक सेवा और इसी में एक न्याय और विधि दोनों अलग-अलग हैं। आपकी सहमति से मैं आज राजस्थान विधि सेवा के सम्बन्ध में सक्षिप्त कहना चाहूंगा। राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अधीन मुख्यत: दो विभाग हैं, एक है न्याय, द्वितीय है विधि। यह देखा गया है कि पिछले वर्षों में इस राजस्थान विधिक सेवा के सम्बन्ध में न्यायपालिका पर खर्च किया जा रहा है, विधि सेवा के सम्बन्ध में आज तक जो अपेक्षाएं थीं वे पूरी नहीं हो पाईं। विधि सेवा के अधिकारी जिनके अस्तित्व से हमारे राज्य का समस्त प्रशासनिक तंत्र चलता है, आईएएस हों चाहे आरएएस, ए सी कमरों में बैठकर बगैर तनाव कार्य करते हैं। उन्हें कोर्ट द्वारा जारी अवमानना कार्यवाही, उनके नोटिसों के जवाब का भय नहीं रहता क्योंकि वे जानते हैं कि आवश्यकता होने पर विधि सेवा का उपलब्ध अधिकारी दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन राजस्थान विधि सेवा के गठन से पूर्व विधि सेवा को सौंपा गया कार्य राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाता था। वर्ष 1981 में विधि सेवा के गठन के पश्चात् राजस्थान न्यायिक अधिकारियों के स्थान पर विधि सेवा के अधिकारियों को कार्यभार सम्भलाया गया। राजस्थान विधि सेवा के नियमों में यह प्रावधान है कि यदि एएलआर व उससे ऊपर के पदों पर राजस्थान विधि सेवा के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जा सकते हैं। आज स्थिति

(श्री मनोज कुमार)

यह है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों की उपलब्धता होने के बावजूद भी संयुक्त विधि परामर्शी के पदों पर राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं जिनके वेतनमान अत्यधिक हैं, का अनावश्यक भार सरकार वहन कर रही है। यहां यह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि राजस्थान न्यायिक सेवा द्वारा विधि विभाग में वही कार्य किये जा रहे हैं जो विधि सेवा के अधिकारी करते हैं। शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के बाद न्यायिक सेवा के अधिकारियों का वेतन राज्य की अन्य समस्त सेवाओं के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उनके मुकाबले उनका वेतनमान बहुत भारी बढ़ा हुआ है। वरिष्ठ लिपिक के बराबर विधिक सेवा के अधिकारियों को वेतन मिल रहा है। ध्यान दिलाना चाहूंगा कि न्यायिक सेवा एवं विधिक सेवा दोनों के लिए योग्यता एलएलबी उत्तीर्ण है, किन्तु कुछ किस्मत, कुछ मेहनत या कहें कि कुछ तकदीर दगा दे गई, अधिकारी विधि सेवा में रहकर सौतेले व्यवहार का उदाहरण बन गये हैं जबकि न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान में शेट्टी कमीशन के जरिये अत्यधिक वृद्धि हो गई।

सभापति महोदय, इस सेवा के लिए भी शेट्टी कमीशन की तर्ज पर एक आयोग का गठन करने की घोषणा हो। सेवा के अधिकारियों को जयपुर शहर में पूरब से पश्चिम, उत्तर-दक्षिण लगभग 30 से 35 किलोमीटर सरकार को बचाने के लिए स्वयं के वाहन से आना-जाना पड़ता है। इनको किसी भी प्रकार का वाहन भत्ता, वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता, इनको पुस्तकालय व्यवस्था नहीं है और इनके पास किसी प्रकार की मोबाइल व इंटरनेट की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसलिए इन विधिक अधिकारियों को न्यायिक अधिकारियों को जितनी व्यवस्था है उस तरीके की इनकी व्यवस्था की जाय।

सभापति महोदय, राजस्थान विधिक सेवा के अधिकांश स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त होने की जानकारी प्राप्त है। जानकारी के अनुसार कनिष्ठ विधि अधिकारी के वरिष्ठतम पद, वरिष्ठ संयुक्त विधि अधिकारी के उच्चतम पद 607 हैं जिनमें से वर्तमान में मात्र 275 पदों पर ही सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं। कुल 332 पदों की पदोन्नति समय पर न मिलने से भर्ती परिणाम विलम्ब से रोकने के कारण 2015-16 में कुल 31 अधिकारी सेवानिवृत्त होने की सूचना है। कई अधिकारियों ने 20-21 वर्ष पहले प्रमोशन पाया था, लेकिन आज

(श्री मनोज कुमार)

दिन तक 2012 के बाद से कोई पदोन्नति नहीं हुई। पांच वर्ष एक पद पर कार्य करने की अनिवार्यता का नियम है जिसके कारण रिक्त पद होते हुए भी पदोन्नति नहीं हो पाई जबकि अनेक सेवाओं में नियम सम्बन्धी इस बाधा को पूर्व में समाप्त किया जा चुका है इसलिए इस सेवा में भी इस बाधा को समाप्त किया जाय।

सभापति महोदय, इस सदन में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधि सेवा जो 75 से 80 प्रतिशत सरकारी मुकदमों की मानिटरिंग करती है, इस सेवा की तरफ वक्त रहते ध्यान देने की जरूरत है। सरकार इसकी घोषणा करे और इनको न्यायिक अधिकारियों की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध हों।

सभापति महोदय, शेट्टी कमीशन 11.11.99 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत सरकार को स्वयं सुझाव देकर खुद के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के आयोग का गठन करके अपनी मनमर्जी से अपने वेतन को बढ़ाने का काम किया गया। उसको भारतीय पार्लियामेंट और विधान सभाओं ने सहमति दी और वह लागू हो गया है। अपनी मर्जी से तनख्वाह बढ़ाने की इन पर रोक लगायी जाय। इनको अपने निर्णय स्वयं पर लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का काम किया जाय।

सभापति महोदय, मुकदमों की जितनी भरमार है, राजस्थान में जितने मुकदमों का अम्बार है, अभी गुंजल साहब बता रहे थे उसी हिसाब से 2,28,287 हाई कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में 14,54,566, विशिष्ट न्यायालय में 87 हजार मुकदमे विचाराधीन हैं। सरकार इनके प्रति बड़ी गम्भीरता से विचार करे। गरीब, असहाय, पीड़ित लोगों को न्याय समय पर मिले। इस बात पर विचार करने के लिए जितना अम्बार मुकदमों का लगा हुआ है, तुरन्त प्रभाव से इनका निस्तारण किया जाय। गरीब लोगों को न्याय मिल सके, इसका समाधान सरकार जल्द से जल्द करने का प्रयास करे।

रिक्त पदों की अगर बात करें तो वह भी पहले आ चुकी है। जिला न्यायाधीश कैडर के 107 पद खाली हैं, वरिष्ठ सिविल जज कैडर के 79 और सिविल जज कैडर के 126 पद खाली हैं। सरकार इनको जल्दी से जल्दी भरकर आम जनता को राहत प्रदान करने का काम करे।

सभापति महोदय, फास्ट ट्रैक कोर्ट को 31 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया गया। फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा 32.5 लाख मुकदमों का निस्तारण किया गया था। इसलिए माननीय विधि

(श्री मनोज कुमार)

मंत्री महोदय को इस बात के लिए विशेष कहना चाहूंगा कि आज आपकी सरकार यहां भी है और केन्द्र में भी है, आप फास्ट ट्रैक अदालत को जल्दी से जल्दी शुरू कराकर राजस्थान की जनता पर बढ़े हुए मुकदमों का अम्बार है उसको कम करने का प्रयास करें जिससे फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हो जाय और राजस्थान के गरीब, असहाय, पीड़ित, गरीब लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाय।

ग्राम न्यायालय, एक्ट 2008 में बना, 7.01.2009 को यह एक्ट लागू हुआ। बड़ी विडम्बना है कि आज तक राजस्थान में मात्र 45 ग्राम न्यायालय संचालित हैं जबकि प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर जहां सिविल न्यायालय चल रहे हैं वहां ग्राम न्यायालय होने चाहिए थे। लेकिन सरकार को कानून बनाने से नहीं, कानून की पालना कैसे की जा सकती है इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर ग्राम न्यायालय का 2008 में एक्ट बन गया और आज 45 न्यायालय संचालित हैं तो सरकार की घोर लापरवाही है जिसमें दो साल या दो साल से कम की सज़ा के मुकदमों का तुरन्त निस्तारण होता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि ग्राम न्यायालय का जो एक्ट बनाया है उस एक्ट की पालना में प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर ग्राम न्यायालय सुचारू रूप से शुरू करें जिससे गरीबों के छोटे-छोटे मुकदमों को न्याय मिल सके और उनका निस्तारण हो सके।

लोक अदालत के माध्यम से जरूर कुछ लोगों को राहत मिली है। लेकिन इसके लिए भी कहना चाहता हूं कि लोक अदालत स्थायी रूप से प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर लगे और महीने में दो बार जरूर कैम्प हों जिससे लोगों में राजीनामे की भावना से, लोक अदालत की भावना से उनके मुकदमों का निस्तारण हो सके।

सभापति महोदय, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, बार-बार चर्चा चल रही है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्याय देने का काम उन पूंजीपति लोगों को करता है जो लाखों की फीस अधिवक्ताओं को दे सकते हैं, 5 लाख से नीचे प्रति पेशी की सुप्रीम कोर्ट में फीस नहीं है। गरीब आदमी वहां न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। इसके लिए भी सरकार को गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि गरीब, असहाय, पीड़ित लोग जो वहां न्याय प्राप्त करना चाहते हैं उनको वहां

(श्री मनोज कुमार)

अधिवक्ता की उपलब्धता सरकार कराए ताकि अपने अधिकारों की लड़ाई वह उस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम कर सकें।

भ्रष्टाचार को देखने की चर्चा चल रही है। अदालत जो फैसले भ्रष्टाचार के बारे में कर रही है और हम भी चिंतित हैं कि भ्रष्टाचार की बहुत गम्भीर स्थिति है। लेकिन मैं एक अधिवक्ता होने के नाते बताना चाहूंगा कि जिस न्यायाधीश की टेबल पर जहां जज विराजमान रहता है, उसके साइड में बैठने वाला उसका रीडर, उसका चपरासी, उसका बाबू सुबह से लेकर शाम तक अधिवक्ताओं से पैसे लेने का काम करता है। उसके फिक्स हैं 50 रुपये, 100 रुपये। यदि जमानत हो गई किसी की तो 100 रुपये फिक्स हैं, अगर किसी की जमानत के बाद तहरीर जारी करनी है तो उसके 50 रुपये फिक्स हैं जो उनको देने पड़ेंगे। यह अदालतों में चल रहा है जो हर दिन हो रहा है। अगर सरकार इसके प्रति चिंतित है और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करना चाहते हैं तो सरकार को कहना चाहता हूं कि अदालत में अपने ए.सी.बी. के अधिकारियों को खड़ा कर देना और आप इस पर जांच करा लेना कि यह हालत है या नहीं न्यायालयों की। वकील की फीस हो चाहे नहीं हो लेकिन चपरासी, बाबू और रीडर के पैसे क्लाइंट के पास होने जरूरी हैं जो वकील के माध्यम से वो लोग लेते हैं इसलिए इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। जो न्यायपालिका न्याय करती है उसी न्यायपालिका में अगर सुबह से शाम तक भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर कहां आप भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है और इस पर सरकार विचार करे।

एक गम्भीर बात आर्म्स एक्ट में संशोधन की करना चाहूंगा इसके माध्यम से और इस पर विधि मंत्री महोदय को गम्भीरता से विचार कर, सदन को केन्द्र सरकार को लिखने की जरूरत है। आर्म्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि हथियार, व्यक्ति की जान लेने के अलावा दूसरा उसका कोई काम नहीं है पर उसके बाद मात्र ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट उसकी ट्रायल है, दो साल की सज़ा का प्रावधान है और कोर्ट में पेश होते ही उसको अदालत से जमानत मिलती है। एक एन.डी.पी.एस. एक्ट, जिसमें दो नुकसान हो सकते हैं, एक तो सरकार का राजस्व कम हो सकता है कि अगर पोस्त का अवैध कारोबार होता है और दूसरा अगर पोस्त का सेवन करने वाला व्यक्ति अगर उसका लगातार सेवन करता है तो 50 साल तक सेवन करे तो भी नहीं मरेगा लेकिन इस

(श्री मनोज कुमार)

आर्म्स एक्ट में, हथियार व्यक्ति को मारने के अलावा दूसरे किसी काम का नहीं और जो मात्र पांच मिनट में व्यक्ति को मारता है पर एन.डी.पी.एस. एक्ट में सज़ा का प्रावधान दस साल का और जुर्माना एक लाख रुपया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्म्स एक्ट में भी संशोधन करके इसी तरीके से सज़ा का प्रावधान किया जाए। आज राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में जिस तरीके से आज अवैध हथियार से क्रिमिनल लोग जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, लोगों से लूट करते हैं तो वो उस हथियार के बेस पर करते हैं। इसलिए सभापति महोदय, यह एक गम्भीर विषय है और आज जब कानून के विषय पर चर्चा चल रही है तो कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन किया जाए और जिनके पास अवैध हथियार मिल जाएं उन लोगों को कम से कम दस साल की सज़ा और एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाए और एन.डी.पी.एस. एक्ट में जिस तरीके से जमानत का प्रावधान है उसी तरीके से जमानत का प्रावधान न हो, इस पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आज जो सुबह चर्चा चली, उसके लिए भी कहना चाहता हूं कि सदन में सरकार जवाब जिस तरीके से देती है वो जवाब अशोभनीय है। आर.पी.एस.सी. में भ्रष्टाचार की चर्चा चल रही थी उस समय माननीय गृह मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि हम संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान से बाहर जाकर हम काम नहीं कर सकते। मैं माननीय विधि मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी हमारे पास है, आपकी सरकार यहां भी है और केन्द्र में भी है, तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने सर्वोच्च न्यायालय से शक्ति छीनने का काम किया है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने का काम किया है उसी तरीके से इस आर.पी.एस.सी. में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने और इस पर लगाम लगाने के लिए संविधान की जो बाधा हमारे बीच में आ रही है उसमें हमें संशोधन कर इस संविधान की बाधा को दूर करके जो आर.पी.एस.सी. में गोरखधंधा चल रहा है, आर.पी.एस.सी. में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में अयोग्य लोग आ रहे हैं, जो योग्य लोग हैं वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के पद आपके आर.पी.एस.सी. के माध्यम से भरे जा रहे हैं इसलिए इसमें संशोधन किया जाए। संशोधन करके इस आर.पी.एस.सी. पर नियंत्रण किया जाए जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे और योग्य लोग, सुयोग्य लोग और गरीब, असहाय लोग अपनी मेहनत की बदौलत कहीं न कहीं अपना

(श्री मनोज कुमार)

पद प्राप्त करने की लालसा जो रखते हैं वो प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपका मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापतिजी, हमारे संविधान में और विश्व के अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों के संविधान में शक्ति संतुलन का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से भारत में भी स्पष्ट तौर पर तो नहीं, अमरीकन रूप में तो नहीं, लेकिन फिर भी पर्याप्त अवसर दिए गए हैं कि तीनों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में संतुलन बना रहे। लेकिन पिछले 20-30 वर्षों में भारत में जो प्रवृति चली है उसमें ऐसा लगता है कि न्यायालय न्याय में विलम्ब और न्याय पर बदनामी पर चिह्न लगने जैसी चीजों की चिंता कम करता है और कार्यपालिका की कमियां ज्यादा ढूंढता है। आम बात है कि अगले महीने मेरा केस इसलिए लगेगा कि अमुक आदमी की बैंच होगी। न्यायाधीश की स्थिति ऐसी है, नियुक्तियां ऐसे रूप में हो रही हैं कि पहले पकड़े भी गये हैं। न्यायपालिका को व्यक्ति श्रद्धापूर्वक देखता है। संविधान में भी ऐसी आशा की गई है लेकिन धीरे-धीरे करके जो न्यायपालिका पर छींटे उछलने लगे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है जिसको ठीक किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से व्यवस्थापिका से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकांश हमारे कानून ब्रिटिश रूल के हैं, विदेशी धरती पर बने हुए कानून हमारे पर थोपे गये हैं और उनके दुष्परिणाम भी हम देखते रहते हैं। इसके अलावा जो अम्बार लगे हैं उसमें कहीं न कहीं इस बात के भी हैं कि जो आउटडेटेड कानून हो गये उनको हम नष्ट भी नहीं करते। कुछ न्यायपालिका ने अपना एकाधिकार मानकर भी व्यवहार किये हैं जैसे न्यायाधीश की नियुक्ति वाले मामले में मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक पत्र जो विदेश में रहते हुए एक न्यायाधीश ने लिखा, जो संविधान का अधिकार था कार्यपालिका को उस पर विचार करने का, उस पर टिप्पणी कर दी कि ऐसा किया तो मैं वापस लेता हूं, मतलब न्यायपालिका अपने अधिकार के लिए ऐसे प्रैशर में चली जाए और उसके कारण से प्रधान मंत्री ने दम दिखाकर नियुक्ति आयोग का गठन किया

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में यह बहुत रीजनेबल चीज थी और आवश्यकता भी थी। कल फिर हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने दोहराया और यही कहा, आलोचना नहीं की, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका अपना आंतरिक मूल्यांकन करे। मैं धन्यवाद दूंगा न्यायाधीश को भी जिन्होंने भी यह कहा कि हम इसकी सीमा पांच साल करेंगे। चालीस-चालीस साल तक, तीसरी पीढ़ी, पोता भी मुकदमे लड़ता रहता है। इस प्रकार की स्थिति में यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी।

मैं कुछ बातें व्यावहारिक रूप में कहूंगा कि हमारे विदेशी कानून आये, मैं लैण्ड एक्ट की बात करूंगा। आज भी पड़ौसी यह जानता है कि इस खेत की सींव किसने तोड़ी लेकिन कोर्ट और वकील भी खेत को नहीं देखते और न्यायाधीश भी नहीं देखता फिर मुकदमे चलते रहते हैं। वह गांव का आदमी जानता है, पड़ौस का आदमी जानता है कि सींव किसने फोड़ी है, किसने अतिक्रमण किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विधि मंत्रीजी यहीं बैठे हैं, मैं यह नहीं कहता कि पंच निर्णय जो गांवों में था और यह आशा भी करते थे कि पांच आदमी ठीक ही निर्णय करेंगे पर अब तो लायर कैसा है, न्यायाधीश कैसा है इस आधार पर निर्णय होते हैं। इस कारण से पंच निर्णय जो आदिकालीन व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की जाए जिनके कारण से जल्दी न्याय मिले और गांव के गरीब आदमी को न्याय मिले। गांव का गरीब आदमी कभी भी बाहर जाकर न्याय प्राप्त नहीं कर पाता है। लाखों केसेज हैं और उन लाखों केसेज की स्थिति क्या है कि स्टे लगता है, ऊपर स्टे की अपील होती है, फिर रेवेन्यू बोर्ड तक जाता है, फिर उच्च न्यायालय में वापस आता है। केवल किसानों के गांव के जो केसेज हैं उनके बारे में न्यायालय की क्या स्थिति है कि एस.डी.एम., एस.डी.ओ., उसी आदमी के पास दो पद हैं, एस.डी.ओ. भी है और एस.डी.एम. भी है। आजादी के 67 साल बाद भी गांव का किसान इसी स्थिति में पिटता रहेगा तो क्या आप ए.सी.एम. का पद नहीं कर सकते? 300 तहसीलें हैं तो 300 ए.सी.एम. नहीं हो सकते? रोज हमारे यहां पद बढ़ते हैं, न्यायाधीशों के बढ़ते हैं, और भी बढ़ते हैं, डाक्टर्स के बढ़ते हैं तो क्या न्यायालयों के नहीं बढ़ सकते, ए.सी.एम. को नहीं दे सकते। एस.डी.ओ. की ताकत भी कम होगी क्योंकि वो दोनों प्रकार से वो लूट मचाता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कि हर स्थान पर सारे के सारे जो राजस्व न्यायालय के मुकदमे हैं वो ए.सी.एम. कोर्ट को दिए जाएं और एस.डी.एम. कोर्ट को उससे मुक्त किया जाए और वह कार्यालय एस.डी.ओ. ही रहे।

इसी प्रकार से जो फास्ट ट्रैक न्यायालय थे उनको खतम करने का क्या कारण था जबकि उसके कारण 30-35 लाख मुकदमे उसमें निस्तारित हुए। कोई व्यवधान आ सकता है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में फास्ट ट्रैक दोबारा लागू किये जाएं जिससे मुकदमों का निस्तारण हो सके। न्यायाधीशों की तो यह स्थिति हो गई कि जहां से आप आते हैं उस शाहपुरा के न्यायालय की बात बताता हूं कि बहस होने के बाद 23 बार फैसला नहीं दिया और उसके बाद वह घर चला गया, उसको हटाया वह मैं अच्छा मानता हूं लेकिन इस प्रकार की मनमानी स्थिति थी कि एक बार एक वकील पेशी ले लेता और दूसरी बार दूसरा वकील पेशी ले लेता है। आखिर नियम बनने नहीं चाहिए क्या? निश्चित तौर पर नियम बनने चाहिए। इस कारण से मुकदमों में कमी करने के लिए भी मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। हालांकि कई बार ऐसा लगता है, इतिहास बन जाता है। आपातकाल के दौरान जब मैं प्राध्यापक था, अख़बार में बड़े अक्षरों में छपा। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के बारे में बहस चल रही थी। नियंडे भारत सरकार के वकील थे। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आपातकाल में जीने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि हां, जीने का अधिकार भी नहीं है। अगर ऐसा न्यायालय कहे, न्यायालय में ही यह कहा जाये और उसी प्रकार से निर्णय आ जाये। व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है तो किसके लिए यह संविधान है? आदमी के लिए है या देश की धरती के लिए है या देश में रहने वाले जन के लिए न्यायालय है? तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं।

इसी प्रकार से पोलिटिकल आंदोलन होते हैं। उसमें लाखों केसेज बनते हैं। कोई भी सरकार हो, उनको वापस लेना चाहिये गुण-दोष के आधार पर। अगर सार्वजनिक प्रोपर्टी का नुकसान किया गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो बात अलग है वरना स्वतः ही तीन-चार महीने में मूल्यांकन होकर उनको नौकरी पर वापस लिया जाये। पोलिटिकल आदमी क्या आंदोलन नहीं करेंगे, अगर सरकार के किसी निर्णय से सहमत नहीं है या जनता सहमत नहीं है तो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वह आंदोलन करेगी तो ऐसे आंदोलनों के केसेज को वापस करने के कारण से काफी रिलीफ मिल सकती है।

इसी प्रकार से मानीटरिंग भी नहीं होती है। इस सदन में 2011 में कानून पास हुआ रास्तों के बारे में। किसान की बड़ी दिक्कत थी। इस सदन में पास किया कि किसान डीएलसी रेट का दोगुना देकर रास्ता ले सकता है, शार्टकट रास्ता ले सकता है। अगर मूल्यांकन तीन साल में नहीं हुआ, कितने केसेज में निर्णय हुआ? मुकदमे दर्ज हुए हैं लेकिन कितने केसेज में फैसला हुआ, कौन करेगा? उसमें तो केवल रिकार्ड देखना है और ज्यादा से ज्यादा साइट देखनी है उस न्यायाधीश को। उसके बाद भी मुकदमे चलते रहते हैं। किसान को तीन-तीन, चार-चार साल भी रास्ता नहीं मिला। कानून बनाने से क्या फायदा हुआ?

इसी प्रकार से ईवनिंग न्यायालय की बात चलती रहती है। मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से कहूंगा कि ईवनिंग न्यायालय निश्चित तौर पर राजस्थान में चालू करें। कई चीजों में हम अग्रता लेते हैं। पहला काम राजस्थान में जैसे नियुक्ति आयोग में सबसे पहले हमने ही पारित किया है विधान सभा के रूप में। ऐसे ही ईवनिंग न्यायालय हैं, उनका गठन करें और कम से कम ऐसे स्थानों पर तो कर ही सकते हैं, जो केन्द्र हैं।

इसी प्रकार से विधि मंत्रीजी से आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा। किस आधार पर स्थान तय होते हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय है। प्रागपुरा थाना, उसके सारे मुकदमे कोटपूतली में हैं जहां उसकी सीमा ही नहीं लगती। केवल प्रागपुरा थाने का मुंसिफ कोर्ट अलग बैठता है। उसको उस सीमा में नहीं लाया जा सकता। कई वर्षों से चल रहा है। रिपोर्ट जाती है, आती है। जो अधिकार क्षेत्र, कार्यक्षेत्र है, उस सीमा में अगर न्यायालय नहीं है तो उस न्यायालय को वहां लाना चाहिये। वहां पर रहना चाहिये। जनता की आज कस्बों में, बड़े शहरों में भीड़ बढ़ रही है, उसका एक कारण भी ऐसा निर्णय है। हम बात करते हैं डी-सेन्ट्रलाइजेशन की, विकेन्द्रीकरण की। लेकिन केवल विकेन्द्रीकरण पावर देने से नहीं होता है। व्यवस्थाओं को जगह-जगह बांटने से भी उसका महत्व है।

इसी प्रकार से राजस्थान बिखरा हुआ क्षेत्र है। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें हाई कोर्टस की एक से अधिक बैंचें हैं। राजस्थान में और ज्यादा आवश्यक है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उदयपुर में कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है, कोटा में आंदोलन चलता रहता है, बीकानेर में है। कम से कम ये तीन क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां हाई कोर्ट की बैंच खुलनी चाहिये। 400-400 किलोमीटर तक की अगर दूरी है तो हम क्यों जोधपुर की भीड़ बढ़ायें, क्यों जयपुर की भीड़ बढ़ायें? रोज तारीखें बदलती हैं। न्यायाधीशों के पद भरे नहीं जाते। हाई कोर्ट में 40 में से आज की तारीख में 20 पद खाली हैं। हाई कोर्ट समय पर न्याय कैसे देगा?

मैं आपके माध्यम से लोक अदालत के बारे में कहना चाहूंगा। इसी सदन के सदस्य थे गुमानमलजी लोढ़ा। लोक अदालत के बारे में उन्होंने वर्जन दिया। उस समय उसके परिणाम भी आये लेकिन लोक अदालत भी कभी-कभी शौक के रूप में आती हैं। नियमित व्यवस्था उसकी क्यों नहीं होती?

इसी प्रकार से आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ ऐसे प्रावधान हैं। अमुक धारा में अगर केस हो गया और किसी कारण से पारिवारिक झगड़ा है, बड़ा झगड़ा भी हो गया। कोई भी धारा लग गई। राजीनामा करेगा तो कोर्ट ही करेगा। जब दोनों पार्टियां आ गईं, वकील को लेकर आ गईं, यह तो कोर्ट का विषय हो गया। क्या सीआरपीसी, आईपीसी में चेंज नहीं कर सकते कि राजीनामा करने वाला आधी रात को राजीनामा करे तो तुरन्त कोर्ट में अगले दिन पेश हो जाये और मुकदमा समाप्त। इसमें कहां दुविधा है जब दोनों पार्टियां राजी हैं। तीसरी पार्टी तो कोई होती नहीं। तीसरी पार्टी तो वकील और न्यायाधीश होते हैं। जब दोनों पार्टी, पक्ष और विपक्ष दोनों एक होकर राजीनामा करते हैं, उसमें 100 रुपये का स्टाम्प कर दीजिये। स्टाम्प पर लिखकर देंगे, दोनों उपस्थित होंगे तो उसी दिन मामला खतम। लेकिन बयान गुजरेंगे, बयान पलटे जायेंगे, उसके बाद होगा। यह कब तक ऐसी प्रक्रिया चलेगी? आज ला आफ टोर्ट्स में क्या पढ़ाते हैं? सारी नजीरें इंग्लैण्ड की हैं। क्या हमारे प्रकार की नहीं है? हमारे राजाओं की न्याय व्यवस्था थी, उसमें बहुत रिमार्केबल उदाहरण थे, उनको नजीर के रूप में रखा जाता। रखा जाता है ला आफ टार्ट का।

तांगे से जा रही थी ब्रिटिश महिला, तांगा चमक गया और तांगे के आधार पर उसके एबोर्शन हो गया, वह न्यायालय में केस चला गया, यही हम पढ़ाते रहेंगे? यह इस देश में जो पंच निर्णय होते थे, उसमें कई नजीरें गांवों में आपको मिल जायेंगी कि किस प्रकार से न्याय हुआ। क्या उनको शामिल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

नहीं कर सकते हम आईपीसी और सीआरपीसी के अन्तर्गत कोई भी प्रावधान करके? न्याय से विश्वास उठ रहा है। पारदर्शिता भी, ईमानदारी भी और न्याय मिलता हुआ दिखे। वास्तव में, हकीकत में गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। मिलने की गुंजाइश भी नहीं होती। सिस्टम ही ऐसा बन गया।

मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से कार्यपालिका से निवेदन करना चाहूंगा कि कितने सर्विस के केसेज हैं आज की तारीख में? सी.एल. ग्रांट नहीं होती, उसके केस भी मुकदमों में है। ट्रांसफर हो गया तो भी मुकदमे में है। (व्यवधान) कोई बात नहीं, जीत गया तो कोई बात नहीं। कंटैम्प्ट लगने दो। उस ब्यूरोक्रेट से पूछा जाये, उस नौकरशाह से पूछा जाये कि तू तय करेगा क्या यह बात कि कंटैम्प्ट आ गया तब उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे? और जब कंटैम्प्ट लगता है तो रात भर में ही हो जाते हैं।

मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, कालेज का नाम तो नहीं बताऊंगा, एक प्राध्यापक का ट्रांसफर हुआ। तीन महीने तक उसको पोस्टकार्ड डालता रहा। कालेज में आया और कालेज के डिब्बे में पोस्टकार्ड डाल दिया। जब तीन महीने बाद कंटैम्प्ट लगा तो तत्कालीन डाइरेक्टर ने मुझे बुलाया कि आप सीनियर आदमी हो उस कालेज के, आप आइये। मैंने सोचा कि क्या मालूम किस काम से बुलाया है। उस समय एडमिशन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कंटैम्प्ट लग गया। भिंडा, आज की तारीख में इसको करवा। उन्होंने कहा कि उसके तीन महीने हो गये। वह बेचारा रोज कालेज आता है, दस्तखत नहीं। तो मेरे सामने ही टेलीफोन किया प्रिंसिपल को, तीन महीने के दस्तखत कहां हैं? आज बिल पास कराकर, जब भिंडा वापस पहुंचे, तब तक उसको पेमेंट कर दो, ताकि मैं कंटैम्प्ट से बच जाऊं। यह काम पहले नहीं हो सकता था क्या? तीन महीने का जब पहले स्टे उसको मिला था। इस बात के लिए इन अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और ये नियम कौन बनाता है? अधिकारी लोग नियम बनाते हैं। नियमों के कारण से अगर कोई केस जाता है, जैसे कोई प्रमोशन के केस हैं, अनभिज्ञ है, वह कोर्ट में जायेगा, तभी उसको प्रमोशन मिलेगा क्योंकि गलती हो गई। गलती किसकी हुई?

अभी पिछले दिनों मैं कह रहा था, सात साल तक की एसीआर नहीं आई। ब्लाक सीएमएचओ और सीएमएचओ बैठे हैं पूरे जिले में। सात साल की एसीआर नहीं आई। उसकी क्या स्थिति है? कोई कोर्ट में गये हैं। वास्तव में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उस विषय को लेकर भी कोर्ट में गये हैं। यह कोर्ट इसलिए हुआ कि सात साल तक वह ब्लाक सीएमएचओ और सीएमएचओ ने अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया इसलिए लोग कोर्ट में गये। तो कोर्ट में जाने का क्या कारण है?

इसी प्रकार से आपके माध्यम से बताना चाहूंगा रिटायर लोगों का। एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। पहले हाई कोर्ट में सिंगल बैंच में जीते, फिर सरकार अपनी थी, वहां जीत गये। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट ले गई, वहां भी हार गई। अभी भी नहीं दे रही और प्ली क्या दी। कितना बड़ा झूठ बोला गया डिपार्टमेंट की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। तीन लाख कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। वह केवल 96 लोग हैं, यूजीसी के लोग हैं, 13 मर चुके, केवल 83 लोगों का मामला है और तीन लाख लिखकर सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा लगा दी, एलपी दोबारा लगा दी। यह तमाशा है क्या? इस प्रकार से कार्यपालिका काम करेगी। हम कोर्टस को भुगतते रहेंगे। कोर्ट में एपीपी और पीपी जो भी बनाते हैं, उनके पद खाली पड़े रहते हैं। इस कारण से वह होती रहती है। क्या उसके कारण से टोटल मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि एक न्यायाधीश पर कितना खर्चा होता है और एक केस पर कितना खर्चा आता है? कास्ट आफ बेनिफिट वहां नहीं निकाला जा सकता। निकालना चाहिये और मैं तो कहता हूं कि कार्यपालिका के बारे में यह सदन विचार करके अगले सदन में जब भी आये, कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी तय करे, प्रत्येक पद की अकाउंटेबिलिटी तय करे। उसके बाद में यहां मुकदमे कम होते हैं कि नहीं। मैं आपके माध्यम से जो मैंने प्रस्ताव किया था जनमत जानने वाला, उसको वापस लेने की अनुमति दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी (अनुपस्थित)। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सिविल कोर्टस अमेंडमेंट बिल, 2015 ये जब हाथ में आया तो मुझे याद आ रहा है कि मानसून सत्र में पिछली बार अपन ने, राजस्थान विधान सभा ने यह पारित किया था राजस्थान सिविल कोटर्स अमेंडमेंट बिल, 2014 । तो उसमें जैसे 50,000 तक का सुनने का प्रावधान था, उसको उन्होंने पांच लाख और जो 25,000 था, उसको दो लाख तक का यह सुनने का अधिकार दिया था। तो मैं सोचता हूं कि यह उसी समय कर देते तो राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा पैसा बच जाता। सभापति महोदय, यह अब लाये हैं, यह समझ में

(श्री मदन राठौड़)

नहीं आया कि अब केवल नाम परिवर्तन का लाये हैं और नाम परिवर्तन भी क्या? कोर्ट आफ सब-आर्डिनेट जज एण्ड सब-आर्डिनेट जज और इसकी जगह कोर्ट आफ सीनियर सिविल जज और कोर्ट आफ एडिशनल सीनियर सिविल जज यह लाये हैं। सिविल जज और एडिशनल सीनियर सिविल जज, सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आया कि ये ईगोइस्टिक क्यों हो रहे हैं? थोड़ा-सा विचार करना पड़ेगा, यह क्यों है? सब-आर्डिनेट शब्द बर्दाश्त नहीं है, अधीनस्थ शब्द ये सुनना नहीं चाहते हैं। अपने आपको सुपीरियर, यानी यह काम्प्लैक्स है, मैं सोचता हूं कि सुपीरियरिटी-इन्फीरियरिटी काम्प्लैक्स है कि यह नाम में अपने आपको, जैसे पहले होता था। सभापति महोदय, आपने भी ऐसा सुना होगा कि योअर आनर कहो, मी लार्ड कहो, यह अच्छा लगता है। अब मी लार्ड, योअर आनर यह कहेंगे तब तो लगेगा कि हां यह बिलकुल ठीक है, वकील अच्छी बहस कर रहा है।

श्री सभापति: मी लार्ड की क्या परिभाषा है? सम्माननीय सदस्य, लार्ड किसको कहते हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह लार्ड तो मैं सोचता हूं कि यह सही होगा।

श्री सभापति: तो फिर काम्प्लैक्स होना तो स्वाभाविक है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तो, सभापति महोदय, अब आप कल्पना करें कि जब यह अमैण्डमेंट आया तो कहीं स्टेशनरी भी छपी होंगी और नाम भी लिखे गए होंगे। बुक्स भी छपी होंगी, उसमें यह अमैण्डमेंट छपा होगा, कितना खर्चा हुआ होगा? और अब फिर से नाम परिवर्तन करके कितना बड़ा खर्चा यह कर लेंगे? यह सारा जनता पर ही बोझ पड़ रहा है। सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि उसी समय ले आते, तब कोई चिंता की बात नहीं थी और अब ये लेकर आये हैं तो थोड़ी चिंता तो होती है। सभापति महोदय, जैसे अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि केसेज पैंडेंसी बहुत बढ़ रही है। यह बात बिलकुल सही है कि समाचार पत्र में आया और कई माननीय सदस्यों ने भी यह महसूस किया, हम भी जानते हैं कि रेट आफ डिस्पोजल बहुत कम है। हमारे यहां पर मुक़दमों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता। कल ही सीजेआई को कहना पड़ा कि हम पांच साल में मुक़दमे का निस्तारण कर देंगे, यानी हर हालत में कर देंगे, ऐसा विश्वास प्रधान मंत्रीजी की उस सभा में भी

(श्री मदन राठौड़)

उन्होंने दिया। सभापति महोदय, यह स्थिति है मतलब चालीस-चालीस साल हो जाएं, पचास-पचास साल हो जाएं यानी पड़पोता उसका फैसला करे और वह भी कोर्ट के बाहर यानी उसको मालूम भी नहीं है केस क्या है, मुक़दमे में कौन गवाह थे, मामला क्या था उसको कुछ भी पता नहीं। अब वह क्या तो केस लड़ेगा और क्या फैसला होगा?

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि यदि समय पर सज़ा सुनाई जाए या समय पर न्याय मिल जाए तो वह तो हुआ न्याय और यदि न्याय में विलम्ब हो जाए, कई बार हम देखते हैं, फ़ैसले आते हैं अख़बार में हमको पढ़ने को मिलते हैं, तो पुनः याद करना पड़ता है कि यह मामला कौनसा था, किस मामले में इसको यह सज़ा हुई है तो, फिर कइयों से पूछना पड़ता है यह कौनसा मामला था। यानी सब भूल जाते हैं। तो यह व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कई वर्ष बीत जाएं तो जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ, वह भी भूल जाता है और जिसने मुकदमा किया वह भूल जाता है। केवल पेशी पर जाकर के और यह सुनकर के आये, वकील बताये कि कल तुम्हारी यह पेशी है, आओ। तब जाकर के उसको यह पता चलता है। मैं सोचता हूं कि यह ठीक बात नहीं है।

सभापति महोदय, जैसे गुजरात में ईवनिंग कोर्टस उन्होंने चालू किए थे। इससे रेट आफ डिस्पोजल बढ़ा, निस्तारण हुआ। अभी मैंने यह पढ़ा था कि एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज प्रधान मंत्रीजी की उस सभा में नहीं गए और क्यों नहीं गए क्योंकि वह ईसाई थे और उस दिन उनके कोई छुट्टी का दिन था। वो छुट्टी मनाना चाहते थे। अब क्यों छुट्टी मनाना चाहते थे? क्या प्रधान मंत्री या जन प्रतिनिधि चौबीस घंटे का और 365 दिन का सेवक होता है, तो ये अपने आप अपनी जवाबदारी क्यों नहीं महसूस करते? यदि उसमें चले गए होते तो मैं सोचता हूं कि कोई प्राब्लम वाली बात नहीं थी। न तो वे हिन्दू होते हैं, न वो मुसलमान होते हैं, न ईसाई होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, वो भारतीय हैं। यह बात उनको महसूस करनी चाहिए और वह कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग थी और उनको इसमें जाना ही चाहिए था, उसमें कोई सुझाव होते, कोई बात करते तो मैं सोचता हूं कि इसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी।

सभापति महोदय, अपन चाहते हैं कि निर्णय जल्दी मिले, न्याय जल्दी

(श्री मदन राठौड़)

मिले। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? ये न्याय नहीं दे रहे हैं, ये केवल फैसला कर रहे हैं। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, हम चुनाव में जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद में जब वापिस इलाक़े में जाते हैं तो हमको कोई माला पहनाने के लिए आता है तो हमको पता है कि ये शुद्ध अंतःकरण से माला पहना रहा है या ऊपरी मन से पहना रहा है। यह आज हम जीत गए हैं इसलिए माला लेकर के आया है, उसका चेहरा बताता है। सभापति महोदय, हालांकि यह विवेक के आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए अंधा कानून कहा गया है यानी कानून में व्यक्ति क्या बोल रहा है, वकील कैसे बहस कर रहा है, साफ पता है न्यायाधीश को कि यह गलत हो रहा है, लेकिन वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। क्या वो प्रति प्रश्न नहीं कर सकते हैं सभापति महोदय? वो प्रति प्रश्न करके क्या उसको कठघरे में खड़ा नहीं कर सकते या उसको यह साबित नहीं कर सकते कि आप बिलकुल गलत बोल रहे हैं या पक्षद्रोही हो गए हैं। यह बात वो क्यों नहीं करते हैं? लेकिन इसमें करते नहीं हैं। यह सारा सभापति महोदय, कई बार यह भी देखने को मिला कि कोई व्यक्ति जाता है जैसे हमारे पास में आया, हम उसको कह देते हैं कि तुम्हें तो सज़ा होगी, तुम किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। वो बोलता है कि मैं कल जमानत लेकर के आऊंगा और आश्चर्य तो तब होता है जब दूसरे दिन वह जमानत करवाकर के आ जाता है और हमारा चेहरा उस समय देखने लायक होता है कि यह हो क्या गया। कैसे यह सब चलेगा? यह चिंता का विषय है। सभापति महोदय, इसमें थोड़ा-सा उन सबको भी विवेकशील बनने की आवश्यकता है जो आज मी लार्ड बन चुके हैं। जिनसे जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं, जनता उनको बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि ये निश्चित रूप से हमको न्याय देंगे तो उनको न्याय निश्चित रूप से करना चाहिए। केवल निर्णय कर लें, मैं सोचता हूं कि उसमें अन्याय हो जाए तो यह ठीक बात नहीं है। इसके बारे में थोड़ा-सा विचार करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, यह त्वरित न्याय यानी जल्दी न्याय दिलाने के लिए और हिन्दुस्तान सरकार ने 11वें वित्त आयोग में देश में 1734 फास्ट ट्रैक्स कोर्ट खोलने का निर्णय लिया था और उसके लिए इन्होंने राशि भी दी थी 503 करोड़ रुपया लगभग और फास्ट ट्रैक कोर्टस 2005 तक तो चले। उसके बाद में फिर बढ़ाने का ऊपर से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया था, उस पर हमारी केन्द्र सरकार ने भी 2005 में किया था और ये 2010 तक चले।

(श्री मदन राठौड़)

उसके बाद में ये सामान्य कोर्ट में बदल दिए गए। फास्ट ट्रैक में क्या तकलीफ थी, सभापति महोदय? फास्ट ट्रैक में सुनवाई जल्दी होती थी लेकिन सामान्य कोर्ट में ले लिया ताकि वही धीमी गति से यह सब कुछ चलता रहे। मैं सोचता हूं कि यह ठीक बात नहीं है। फास्ट ट्रैक्स कोर्ट निश्चित रूप से देश में फिर से लागू किए जाने चाहिए ताकि जनता को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके।

इसके लिए मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, कई बार मजाक बनती है, जैसे अभी आर.ए.एस. की परीक्षाएं हुईं। उन परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि एक बार वह निरस्त की, फिर दूसरा फैसला आया जिसमें नया फैसला आ गया। तीसरा फैसला और आया जिसमें और नई बात पैदा हो गई और चौथा फैसला आया उसमें और नई बात पैदा हो गई। इस प्रकार से क्या हो रहा है सभापति महोदय? आखिर वो न्यायाधीश हैं, वो जज हैं और जज यदि इस प्रकार से फैसला करें कि एक दूसरा जज उसके फ़ैसले को अपास्त कर देता है। तीसरा जज उसके फ़ैसले को और नकारा मान लेता है तो मैं ऐसा एक निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि किसी भी जज ने जो फैसला दिया है, उसका फैसला एकदम यदि उलटा जाए तो मैं सोचता हूं कि उसकी सर्विस रिकार्ड के अन्दर यह अंकित किया जाना चाहिए कि इस जज ने इस प्रकार से मैलाफाइड या गलत तरीके से या प्रभावित होकर के या नैग्लीजेंसी से या पूरा सही अध्ययन नहीं करके, उसने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं और इस प्रकार का फैसला दे दिया कि उससे जो सुपीरियर जज हैं उसने बिलकुल ही उलटा फैसला दिया। यानी उसको उलट दिया तो जैसे अपने पुलिस का अधिकारी यदि जांच करता है और उसकी जांच को यदि बिलकुल गलत मान लिया जाए तो उसको हम संदेह की नज़रों से देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इनके साथ भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि बिलकुल ही फैसला बदल दिया जाए, आमूल-चूल चैंज हो जाए तो उसके सर्विस रिकार्ड के अन्दर इस प्रकार से अंकित किया जाए ताकि बाद में जाकर के उसकी जो आगे पदोन्नति हो या उसको कोई ऐसी जवाबदारी का नियुक्ति पत्र मिले तो उसमें उस पर पुनर्विचार किया जा सके। इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी आपने देखा होगा कि वकीलों की हड़ताल यहां पर चली और उसमें मूंछ का बाल बना दिया। अब इनको मूंछ का बाल बनाना

(श्री मदन राठौड़)

चाहिए क्या? ये तो मी लार्ड यदि हैं तो फिर मूंछ का बाल बनाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कितने मामले लम्बित चल रहे हैं और कितने लोगों को परेशानी हुई होगी। वकीलों की भी गलती हो सकती है, लेकिन ये तो बड़े हैं इनको तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सभापति महोदय, थोड़ा-सा इस पर एक विचार करें।

मैं सोचता हूं कि कुछ बातें जो आ गई हैं वो बातें मैं वापस दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जैसे एक कानून है धारा 304ए, यह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और तब गाड़ियां तो अंग्रेजों के पास ही थीं। हिन्दुस्तान के लोगों के पास में तेज गति से चलने वाली गाड़ियां नहीं थीं और अंग्रेज लोग गाड़ी चलाते थे। हिन्दुस्तान के नागरिक को ट्रैफिक सैंस नहीं था क्योंकि तेज गति की गाड़ियां भी उनके पास नहीं थीं, तो उनके सामने आकर के टकरा जाते थे और मर जाते थे और उसमें वो धारा 304ए लगा दी, जिसमें गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को थाने में ही जमानत दे दी जाती है। अब आप कल्पना करें कि जो व्यक्ति मर गया उसकी डैड बाडी घर पर बाद में पहुंचेगी, वो मारने वाला व्यक्ति पहले अपनी जमानत करा कर घर पहुंच जाता है। तो मैं सोचता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है। आज भी वही कानून लागू है 304 ए, यह अंग्रेजों के जमाने का कानून है। ऐसे कई कानून हैं। अभी एक आरएए रेवेन्यू अपीलांट अथोरिटी का जो मामला है, कलक्टर का जो फैसला है उसको वो सुनेगा जो आरएएस ही होता है। थोड़ी ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि वहां पर भी कानून का जानकार व्यक्ति यदि बैठे, तब जाकर के वो उसको सुन सकेगा, उसकी विवेचना कर सकेगा। इसके बारे में थोड़ा-सा विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, कई बार यह देखने में आया है कि जो पीठासीन जज बैठा है उसकी सोच कैसी बन गई है वो उसके अनुरूप ही और तर्क चाहता है, उसने पहले मानसिकता बना ली और उसके अनुरूप नहीं है तो वो उसके विरुद्ध ही निर्णय करेगा, यह ठीक बात नहीं है। उनको पहले से ही पूर्वाग्रही नहीं बन जाना चाहिए। ये ठीक बात नहीं है। सभापति महोदय, कई बार हमने यह देखा है, यह महसूस किया है कि ये जजेज हमारी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। विधेयक बनाने का काम विधायिका का है। अब वो इसमें हस्तक्षेप कर लेते हैं यह ठीक बात नहीं है। जब हमने माना है कि तीनों

(श्री मदन राठौड़)

स्तम्भ जो संविधान में व्यवस्था दी है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक दूसरे में हस्तक्षेप कर नहीं रही है, विधायिका का काम विधेयक बनाना है और कार्यपालिका उसका पालन करवाये और दण्डित करने का अधिकार न्यायपालिका का है, लेकिन न्यायपालिका कई बार उसमें हस्तक्षेप कर लेती है, वो इसमें कानून बनाने का काम कर लेती है जो मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसमें भी उन लोगों को विचार करना चाहिए और करने नहीं देना चाहिए। मतलब उसमें संशोधन करने नहीं देना चाहिए जो हमारा अधिकार है वो यहां पर विवेचना होती है केवल अपने मन में जो जंच गई उसके अनुरूप कर दिया यह ठीक बात नहीं है।

तो, सभापति महोदय, ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम सबको और विचार करना चाहिए। भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जा सके, इस पर जरा विचार करना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधि मंत्रीजी को, उन्होंने अभी मैंने अख़बार में पढ़ा था कि कल उन्होंने जो दिल्ली में बताया कि चालीस तो अपर जिला और सैशन न्यायाधीश और 113 सिविल न्यायाधीश के पदों की नियुक्तियां इन्होंने दी हैं और ठीक इसी प्रकार से 12 हजार अधीनस्थ न्यायालयों के पद इन्होंने और सृजित किये हैं, 239 पदों को अपग्रेड किया है और न्यायिक एकेडमी में ही प्रशिक्षण देंगे जो अभी जजेज बनेंगे उनके प्रशिक्षण का काम भी यहीं पर किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था ये कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसमें कई बार यह देखने में आया है कि जजेज आरामतलबी, जैसे मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा आपको। एक बार वो कमेंट्री सुन रहे थे क्रिकेट की, खुले में बैठ करके वो बहस सुन रहे थे, सर्दी का समय था। वो वकील साहब बोल रहे थे, बहस कर रहे थे और इतने में कोई विकेट उड़ गया तो उनके मुंह से निकल गया, उड़ गया। तो एकदम से वकील साहब ने कहा कि क्या हुआ, तो कहा कि नहीं-नहीं, सारी-सारी, आप वापस सुनाओ। यह सत्य बात बता रहा हूं आपको मैं। ये ठीक बात नहीं है। उनको भी गम्भीरता से क्योंकि कोई दो वकील +++ बहस कर रहे हैं, वो बहुत गम्भीरता से चिन्तन-मनन करके और एक्ट्स को लाकर के उनके सामने रख रहे हैं और उनका ध्यान कमेंट्री सुनने में लगा हुआ है। यह ठीक बात नहीं है। यदि कोई

(श्री मदन राठौड़)

मोबाइल बज जाए तब तो उसको खड़ा कर लेते हैं लेकिन खुद का ध्यान कहीं और है यह बात ठीक नहीं है। ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। फिर से मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जो सबओर्डिनेट जज और जो उनके नाम परिवर्तन का लाये हैं ये व्यर्थ खर्चा इस जनता पर डाला है। आज दिन भर से बहस हो रही है, पहले मानसून सत्र में भी इसी प्रकार की बहस हुई थी तो ये फिजूल खर्च बढ़ाया गया है फिर भी अब वो मी लार्ड और उनका ये सुझाव है कि इस प्रकार से नाम परितर्वन किया जाए, तो ये तो होने वाला है इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि जनमत जानने का मैंने जो प्रस्ताव दिया था, मैं उसको वापस लेना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हनुमान बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्री हरिसिंह रावत। (अनुपस्थित) श्री हीरालाल नागर। (अनुपस्थित) श्री संदीप शर्मा। (अनुपस्थित) श्री रमेश। (अनुपस्थित) श्री मानसिंहजी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को संशोधित करते हुए राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 राजस्थान विधान सभा में पेश किया गया चर्चा के लिए। सभापति महोदय, जैसे मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक में सिर्फ नाम परिवर्तन के लिए ये विधेयक लाया गया है और इसका चार लाइनों में केवल इतना-सा है कि अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायाधीश के प्रति निर्देश क्रमशः इस अध्यादेश के अधीन गठित तथा नियुक्त समझे गये वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के प्रति किये गये समझे जाएंगे। सभापति महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी जुडीशियरी में किस प्रकार से हमारी न्यायपालिका के अन्दर कनिष्ठ शब्द को और वरिष्ठ शब्द को लेकर के अपने-आप को किस प्रकार वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कहलाने के प्रति जो एक मनोभाव है, अपने आपको मी लार्ड का, मैं समझता हूं कि उसके साथ-साथ में जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो इसके अनुकूल तनख्वाह की बात की जाएगी क्योंकि वो अपना वेतन स्वयं तय करते हैं कि किस प्रकार से जुडीशियरी में तनख्वाह देने का काम होना चाहिए वो उन्होंने अपने हाथ में ले

(श्री मान सिंह)

रखा है। तो, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज इस सर्वोच्च सदन में जिस प्रकार की चर्चा हो रही है, हमारी न्यायपालिका के प्रति आज माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावना व्यक्त की है, उस भावना का मकसद केवल यही है कि हमारी न्यायपालिका किस दिशा में जा रही है। जिस न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापालिका का जो संतुलन है इस लोकतंत्र के लिए, उस संतुलन से भटक कर केवल अपने छोटे-छोटे उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के विधेयक के माध्यम से इस सदन का समय लेना, इस सदन का इस राजस्थान की जनता का इतना खर्चा करना, मैं समझता हूं कि न्यायपालिका को इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार का सुझाव सरकार को दें। हमेशा इस संतुलन को बनाने के लिए कार्यपालिका यह तय करती है कि संतुलन बना रहे और हमारी न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे, लेकिन जिस प्रकार से न्यायपालिका का आज जो स्तर है, जो सोच है उसमें जो बदलाव आ रहा है उसके प्रति आज इस सदन के माध्यम से हम ये निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि केवल कनिष्ठ को वरिष्ठ और वरिष्ठ को अतिरिक्त वरिष्ठ कहलाने से अगर उनकी संतुष्टि होती है और उसके माध्यम से अपने वेतन भत्ते बढ़ाने से इस राजस्थान की जनता को अगर वो अच्छा न्याय देने की सोचते हैं तो हम निश्चित रूप से उनसे आशा करते हैं कि वो अच्छा न्याय देने का काम करेंगे।

(16.00 बजे)

माननीय सभापतिजी, आज इस विधेयक के माध्यम से जिस प्रकार से चर्चा चली, उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि होना यह चाहिए था कि जिस प्रकार से हमारी ग्रामीण अवधारणा को जो मेरे से पूर्व सदस्यों ने चर्चा की, हमारे भिण्डा साहब ने जिस प्रकार से कहा कि हमारी गांव की जो पंचायत थी उस पंच शब्द पर ही न्यायालय ने पाबंदी लगा दी। अगर गलती से किसी गांव में किसी मैटर पर पंचायत हो जाये तो वह कानूनन अपराध है। जो हमारी व्यवस्था में, गांव में पंच पटेल जब चर्चा करते थे और किसी नतीजे पर पहुंचते थे तो उस व्यवस्था पर ही पाबंदी लगा दी गई है कि अगर आपने किसी प्रकार का कोई निर्णय दे दिया तो कानूनी अपराध है और उन पंचों को जेल भेज दिया जाता है, उनकी जमानत नहीं होती है कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया।

(श्री मान सिंह)

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर 302 का मुलजिम कानून की आंख में मिर्ची झोंक कर अगर बच जाता है तो वह बाहर रह सकता है लेकिन आज भी गांव की व्यवस्था में अगर कोई 302 का मुलजिम है वह गांव में नहीं रह सकता, गांव के लोग आज भी उसे देश निकाला देते हैं। यह इस देश की परम्परा है। जहां विक्रमादित्य जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने न्याय और न्याय व्यवस्था को अंजाम देने का काम किया, इस देश दुनिया को दर्शन देने का काम किया है। आज भी गांव में बैठा आदमी उस न्याय को लेकर बैठा रहता है।

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से न्यायालयों में ठेठ गांव का आदमी भी यह तय करता है कि मेरे को फलां जज के चैम्बर में या फलां जज की बैंच में मेरा केस लगाना है या नहीं लगाना, उसको पता होता है कि यह फलां वकील की सैटिंग का जज है, यह फलां वकील के माध्यम से होगा और वह गरीब लुटने का काम करता है। जितनी फीस मांगता है, अगर वह पांच लाख मांगता है, 10 लाख मांगता है तो वह इसलिए देता है कि उसके पक्ष में फैसला होता है। सभापति महोदय, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि ऐसे फैसले होते हैं, गरीब देखता रह जाता है और वह सैटिंग वाले लोग माननीय हाई कोर्ट से अपनी जमानत ले कर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर जाते हैं जब न्याय का सही चेहरा सामने आता है।

सभापति महोदय, इसलिए इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज जिस कानून पर हम चर्चा कर रहे हैं, केवल उसके नाम परिवर्तन का मामला नहीं है। इस न्याय व्यवस्था से जुडे हुए लोगों की जो भावना है, जिस न्याय का संतुलन इस लोकतंत्र के लिये आवश्यक है, आज छोटे से छोटे पैरोकार में आपको अगर तारीख बदलवानी है तो पैसा देना पड़ता है, अगर आपको किसी पत्रावली को वकील के माध्यम से देखना है तो पैसा देना पड़ता है। अगर आपको उसकी पहले फोटो कापी चाहिये तो पैसा देना पड़ता है और वह सारा का सारा सुविधा शुल्क है। जिस प्रकार से खुला खेल होता है कुर्सी पर बैठे जज के सामने, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जुडीशियरी को इस बारे में मंथन करना चाहिये कि आखिर इस देश में यह कब तक चलेगा, कब तक गरीब लुटता रहेगा और उसको केवल इसलिए बोलने

(श्री मान सिंह)

का अधिकार नहीं है कि जुडीशियरी के सामने वह नहीं बोल सकता। यह सच है कि आज हम भी अगर यहां बोल रहे हैं तो यह प्रिविलेज है इस हाउस का, उसके कारण हम बोलने के लिये स्वतंत्र हैं।

निश्चित रूप से न्यायपालिका में जिस प्रकार की आज भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चरम पर है और कई मायनों में जो देखने को मिलता है उस संतुलन को बनाने की आवश्यकता है, उस न्याय की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता हैं। यह सदन अपेक्षा करता है न्यायपालिका से कि आज इस न्यायपालिका की गरिमा जिस तरह की होनी चाहिये वह नहीं है।

मुझे एग्जेक्ट तारीख मालूम नहीं है दिसम्बर, 2013 में एक विदेशी अख़बार में एक खबर छपी कि हिन्दुस्तान की न्यायपालिका के जिस प्रकार की सक्रियता दिखाने का वर्णन है, दुनिया के अखबारों में अगर कोई न्यायपालिका छपती है तो वह हिन्दुस्तान की छपती है और किसी न्याय पालिका का इतना विवरण अख़बार में नहीं छपता, जितनी हिन्दुस्तान की तल्ख टिप्पणियां छपती हैं, जब विदेशी अख़बार इस प्रकार की तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं कि केवल सक्रिय दिखने के लिये, सक्रिय है नहीं, केवल सक्रिय दिखने के लिये कार्यपालिका की व्यवस्थाओं में छोटे-छोटे मामलों में जब न्यायपालिका प्रसंज्ञान लेती है तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की व्यवस्था से कोई सुधार होने वाला है।

ऐसे मौके भी आये हैं जब न्यायपालिका ने अपने कदम वापस लिये हैं, फिर सरकार पर छोड़ा है। आखिर सरकार का काम सरकार करे, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करें। जहां प्रसंज्ञान लेने की आवश्यकता हो, प्रसंज्ञान ले सकते हो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन केवल इसलिए कि एक कलक्टर को, एक बड़े अधिकारी को, एक पुलिस के बड़े अधिकारी को डांट डपट कर उसको खड़ा रखने से अगर न्यायपालिका को इससे संतुष्टि मिलती है मैं नहीं समझता इससे किसी प्रकार से गांव के आदमी को, आम आदमी को इस बात का लाभ होता हो। आम आदमी को लाभ जब होता जब वह 40 साल केस लड़ने के बाद में न्यायालय के दरवाजे के बाहर जाकर जब राजीनामा करते हैं तो न्यायपालिका को इस बात पर सोचना चाहिये कि आखिर हमारी जिस प्रकार की लोक अदालतों की व्यवस्था,

(श्री मान सिंह)

उसको जिस प्रकार से पुख्ता करना चाहिये था, उसमें काम करना चाहिये था वह काम नहीं हुआ, इस बात को न्यायपालिका को समझना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आज आई टी का युग है और इस आई टी के युग में हमारे छोटे न्यायालय से लेकर बड़े न्यायालय तक जो आये दिन के फैसले होते हैं, रोज के निर्णय होते हैं अगर वह आनलाइन हो जाये और कहां किस जज ने, कहां किस न्यायालय ने, कहां किस मुंसिफ ने किस प्रकार का फैसला किया और उन पर हाथों हाथ इस प्रकार की मोनीटरिंग होने का काम हो तो मैं समझता हूं कि बहुत चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन अभी तक न्यायपालिका ने इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया और न्यायपालिका यही अपेक्षा करती है कि मेरे यहां जब कोर्ट फीस के साथ कोई चीज आयेगी तभी मैं उस पर विचार करूंगा उसके पहले विचार नहीं हो सकता चाहे वह सही हुआ है, गलत हुआ है, उसकी समीक्षा कब होगी। ऐसी समीक्षा होनी चाहिये, आई टी का युग है। अगर किसी सब न्यायालय ने, एडिशनल न्यायालय ने कोई फैसला दिया है और वह फैसला संविधान के विपरीत है उनकी समीक्षा होने का साथ-साथ काम हो, उनको दिशा-निर्देश देने का काम हो तो गलती से बचा जा सकता है। लेकिन अभी तक इस दिशा में माननीय न्यायालय ने काम नहीं किया है। मैं समझता हूं कि न्यायालय को इस प्रकार का काम करना चाहिये। उससे अगर कहीं भी संविधान के विपरीत, कोई कानून के विपरीत जाकर किसी को लाभ पहुंचाने का अगर कोई फैसला होगा तो उसकी समीक्षा होगी, उसका एक भय बनेगा, उसका एक तरीका बनेगा, उससे आम आदमी को न्याय मिल सकेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से न्यायपालिका से यह अपेक्षा है कि इस प्रकार की व्यवस्था में वह सोचने का काम करेगी।

इसी प्रकार से जनहित याचिकाओं के नाम पर आये दिन का जो हस्तक्षेप है उससे भी बचना चाहिये।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी जुडीशियरी में जिस प्रकार से छोटे-छोटे मुकदमे होते हैं, जो छोटे-छोटे काम होते हैं, जिस प्रकार से पुलिस का जहां उपयोग होता है, अभी हमारे सुमेरपुर के सदस्य कह रहे थे उस धारा के लिये, उसी प्रकार से हमारे आर्म्स एक्ट वाला मामला है, उस आर्म्स एक्ट में भी निश्चित रूप से

(श्री मान सिंह)

बदलाव होना चाहिये। उस आर्म्स एक्ट का जिस प्रकार से आज उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से किन लोगों को उसकी आवश्यकता है, उनको नहीं मिलता है और जो बिना उसके घूमते हैं उनको मिल जाता है। निश्चित रूप से उसमें बदलाव होना चाहिये, उसमें सख्ती होनी चाहिये जिससे इस पर एक पाबंदी लग सके। अपराधी लोगों को गैर कानून तरीके से हथियार रखने पर सख्ती हो, इसके लिये इसमें सख्ती का काननू होना चाहिये और जिनको आत्म रक्षा के लिये, जो किसान जंगल में रहता है वह जब हथियार मांगता है, अपनी रक्षा के लिये खेत का हथियार मांगता है तो वह नहीं मिलता है, उन पर पाबंदी होती है। इसमें बदलाव होना चाहिये, इस प्रक्रिया में सरलीकरण होना चाहिये और जहां सख्ती की आवश्यकता है वहां सख्ती होनी चाहिये। इसका भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा।

आपके माध्यम से यही कहते हुए कि हमारी जुडीशियरी में पारदर्शिता हो। आज जुडीशियरी इस बात को समझने का काम करे कि आज न्यायपालिका के प्रति जनता में जो भावना है वह ठीक नहीं है, वह अच्छी बने। जुडीशियरी अपने आपको पारदर्शी बनाकर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बनाये रखे। कार्यपालिका अपने आप अपने हिसाब से संतुलन बनाये।

इसी अपेक्षा के साथ, सभापति महोदय, मेरे द्वारा इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव था, उसको आपके माध्यम से वापस लेने की आज्ञा चाहूंगा और यह कहूंगा कि हम इस सदन के माध्यम से न्यायपालिका को सहयोग देंगे और इसको पास भी करेंगे लेकिन अपेक्षा फिर करेंगे कि हमारी न्यायपालिका में सुधार हो और न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे, यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम सं. 17)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6 अप्रैल,

(श्री कालू लाल गुर्जर)

2015 को मध्यान्ह पश्चात 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए।

गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2015

1. राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015
2. आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय बीकानेर विधेयक, 2015
3. राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015
4. राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 एवं
5. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

- पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। श्री बंशीधर।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 2015 के संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज

(श्री बंशीधर)

राजस्थान के अन्दर, अपितु पूरे देश के अन्दर मुकदमों की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है जिसके कारण जिनको न्याय मिलना चाहिए, उनको समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिलने के कारण कई मुकदमे 20-20, 30-30 साल तक चलते हैं। इससे अपराध ज्यादा बढ़ता है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि न्यायालयों की संख्या बढ़ा दी जाए तो मुकदमों का निस्तारण जल्दी होगा। मुकदमों का निस्तारण जल्दी होगा तो क्राइम की संख्या बहुत कम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, नये न्यायालय की स्थापना के लिए, प्रतिदिन के द्वारा प्रेरित की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य में विभिन्न स्थानों पर न्यायपालिका द्वारा, संगठनों द्वारा और अभिभाषकों द्वारा कई प्रस्ताव आए हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के विचारार्थ प्रेरित किए गए हैं। न्यायपालिका द्वारा उक्त अनुशंसा किए जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहता है। ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रारम्भ होने के बाद सरकार नये न्यायालय खोलती है। माननीय सभापति महोदय, अलग-अलग सम्बन्ध में निस्तारण की मांग उठती है कि इस पर विचार के लिए उच्च न्यायालय सक्षम है। अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 237 तक माननीय उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि उन प्रावधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही उस सम्बन्ध में कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि ज्यादा न्यायालय खोले जाएं जिससे केसों का निस्तारण हो सके।

अध्यादेश व एक्ट के निरसन रिपील के लिए किए गए प्रयासों में आज की स्थिति यह है, मैं समझता हूं कि आज देश में, राज्यों में कानून का जो मकड़जाल बना हुआ है वह मकड़जाल इस तरह का है कि ऐसे कानून हैं, उन कानूनों को कई वर्षों तक क्या, कई दशकों तक काम में नहीं लेकर आ रहे हैं। वह उस टाइम में बने थे जिस टाइम उनकी जरूरत थी। आज समय आ गया है कि इन कानूनों को बदला जाए या इनको यहां से हटाया जाए। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने यह काम चालू किया है सेंटर से। हम यह सोचते हैं कि जो कानून यहां काम आने वाले नहीं हैं उनको यहां से हटाया जाए, जिससे कानून के मकड़जाल को आदमी समझ सके। जो उपयोगी कानून है वही रखा जाए।

(श्री बंशीधर)

मैं यह कहना चाहूंगा राज्य विधायक आयोग की रिपोर्ट के क्रम राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम 1997 की उप धारा 7 बनाया गया, जिसके द्वारा 203 में संशोधित एक्ट रिपील किए गए थे। वर्ष 2007 में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के अन्दर, जिसका कार्य प्रचलन कानून की समीक्षा करनी थी,पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मंत्रिमण्डल संख्या 190/2008 दिनांक 19.12.2008 में आगामी पांच वर्ष की कार्य योजना के लिए संकल्प निर्धारित किए गए। विधि विभाग के सम्बन्धित संकल्प में 2.01 में यह था कि वर्तमान में प्रचलित कानून की समीक्षा व सरलीकरण हेतु तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की जानी थी। इस क्रम में विधि विभाग के आदेश दिनांक 14.12.2009 द्वारा कानून की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के अन्दर 22.12.2011 में दस विधियों के सम्बन्ध में सुझाव मात्र दिए किन्तु किसी अधिनियम विशेष के निरसन के लिए अधिनियम के सुझाव नहीं दिए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, केस के बहुत ज्यादा भण्डार भरे हुए हैं। ग्राम न्यायालय खोलने की बात आई थी, यदि आज हमारे हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम न्यायालय खोला जाता तो आज यह केस बहुत ही कम हो सकते थे। ग्राम न्यायालयों के लिए, ग्राम स्तर पर एक ग्राम न्यायालय खोले यह व्यवस्था दिनांक 7.1.2009 में लागू की गई थी, राजस्थान में आज तक 45 ग्राम न्यायालय खोले गए हैं, यह 45 ग्राम न्यायालय भी चल न्यायालय के रूप में कार्यरत हैं। उसके अन्दर ऐसे केस आ सकते थे जिसमें न्यायालय में दो वर्ष से कम अवधि का कारावास हो, या बीस हजार से कम दंडित किया गया हो। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि ग्राम न्यायालय हर ग्राम पंचायत स्तर पर या कुछ ग्राम पंचायतों के समूह के स्तर पर खोले जाएं जिससे ग्राम में छोटे-मोटे केस हैं उनका वहीं निस्तारण हो जाए, जिससे समय और धन के दुरुपयोग से बचा जा सके।

राजस्थान विधि सेवा के रिक्त पदों की सूची के सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहूंगा जितने ज्यादा रिक्त पद हैं उतने न्यायालयों के अन्दर केस बढ़ते जाएंगे। अधिकारियों की नियुक्ति की स्थिति भी दयनीय है। कुल 580 स्वीकृत पद हैं उसमें से 323 पद आज रिक्त हैं। इसके कारण आज यह स्थिति बनी है। कुछ दिनों बाद 16 वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो

(श्री बंशीधर)

स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। उनकी समीक्षा के लिए विरुद्ध अपील किया जाना तथा विभिन्न विभागों को दिन-प्रतिदिन के कार्यों में विधिक राय दिया जाना प्रभावित हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायालयों के अन्दर अधिकारी कम हो रहे हैं या न्यायालय कम हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा न्यायालय खोलने चाहिए जिससे मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो सके।

विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों का सम्बन्ध है। माननीय सभापति महोदय, विधायिका का कार्य है विधान बनाना या पुराने विधान में संशोधन करना और उसको लागू करना। अनुच्छेद 52 में 123 एवं क्रमशः 153 से 213 में वर्णित है। विधायिका का प्रमुख कार्य राज्य एवं समवर्ती सूची में वर्णित विषयों में विभिन्न विधि निर्मित करना और संशोधन करना है, यह विधायिका का कार्य है। सभापति महोदय, जो विधायिका विधान बनाती है, प्रशासनिक अधिकारी उसको लागू करते हैं और प्रशासन के द्वारा जो त्रुटि होती है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका का कार्य रहता है। न्यायपालिका के संविधान के चैप्टर 5 के अनुच्छेद 214 से 237 में माननीय उच्च न्यायालय के गठन व कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार चैप्टर 6 में अनुच्छेद 233 से 237 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली व गठन का वर्णन देखने को मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों का सम्बन्ध चलता रहे। मुकदमों की संख्या कम करने के लिए न्यायालय खोलने चाहिए। भारतीय संविधान के तीनों अंगों के सैकिण्ड बैलेंस की लिस्ट बनी हुई है। सैकिण्ड बैलेंस के हिसाब से, सरकार के यह तीनों ही अंग अलग-अलग संविधान के दायरे में रहकर निर्भीकता से कार्य करने को स्वतंत्र हैं। संविधान द्वारा तीनों अंगों को परस्पर एकरूप से सम्बद्ध किया जाए, यही अवरोध व संतुलन के सिद्धान्त के रूप में अपनाया गया है। इससे तीनों अंगों में निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न न हो।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा जैसा कि आप भली भांति जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लिखित संविधान का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। हमारे संविधान में निर्माता द्वारा अनेक बातें इंग्लैण्ड के संविधान से भी आवश्यकतानुसार संशोधन कर सम्मिलित की हुई हैं।

सभापति महोदय, शक्ति का पृथक्करण, अर्थात सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, का मूल भाव है अवरोध और

(श्री बंशीधर)

संतुलन, अर्थात तीनों अंगों द्वारा परस्पर सम्बद्धता ऐसे ही सिद्धान्त हैं जो कि ब्रिटिश सरकार के लिये किये गये सिद्धान्तों के प्रारूप के नाते महान विचारक है, महान विचारक माण्टेस्क्यू था, जिसके विचार थे कि समस्त शक्तियों के केन्द्रीकरण से तानाशाही प्रवृत्ति जन्म लेती है। इसके लिये शक्तियों का विकेन्द्रीकरण अथवा विभाजन करना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व व कार्यपालिका के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को लागू करती है। इस प्रकार विधायिका की सहमति से कार्यपालिका अधीनस्थ न्यायालय में जजेज की नियुक्ति करती है और इन न्यायालयों द्वारा सरकार के आदेशों व निर्देशों का न्यायपालिका पुनरवलोकन के लिये महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट उदाहरण है।

समय-समय पर क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होता रहता है एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अन्दर पारस्परिक टकराव की स्थिति होती है। एक ताजा उदाहरण अभी आप सबको मालूम है, सभापति महोदय, विधान सभा में केशवसिंह के मामले में वर्ष 2000, उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण बता रहा हूं आपको 1964 में यह सामने आया कि विधायिका व उच्च न्यायालय में वर्चस्वता के कारण विघ्न हुआ, इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदन में एक पत्रकार द्वारा कांट-छांट करके कागज विधान सभा में बांटे गये। उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष महोदय द्वारा उस पत्रकार को सात दिन की सज़ा का प्रावधान रखा गया और न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया गया। उस हस्तक्षेप का नतीजा यह हुआ कि विधान सभा ने कड़ा रुख अपनाते हुए जज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लिया कि वह जज विधायिका के कार्य के अन्दर बाधा पैदा कर रहे थे। इससे विधायिका व उच्च न्यायालय के बीच वर्चस्व को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई तथा तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को किये गये रैफरेंस के बाद इसका अंत हो सका।

इस तरह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो टकराव होता है, वह अपने-अपने क्षेत्र में रहते हैं, वही इसको अलग-अलग करने के लिये जरूरी है।

श्री सभापति: आपके इस सदन ने भी कुछ कठोर निर्णय लिये थे, लिये हैं पहले।

श्री बंशीधर (खण्डेला): वह भी बता रहा हूं मैं।

श्री सभापति: वह उदाहरण बताइये ना आप।

श्री बंशीधर (खण्डेला): वह भी बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आ रहा हूं आगे। सभापति महोदय, ...(व्यवधान) वह मैं बताऊंगा।

सभापति महोदय, 1975 के अन्दर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में उप चुनाव में अपास्त किया गया, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्दर आपातकाल का निर्णय लिया गया और लागू किया गया। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के संविधान के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों का न्यायालय के पुनरवलोकन के बाहर कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायपालिका के संरक्षण में जाने से वंचित हो गये। इससे निरंकुश तानाशाही का अंधा युग शुरू हो गया।

परिणामस्वरूप जनता आंदोलित हुई और उसके बाद में चुनाव हुआ और चुनाव के अन्दर जनता पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार बनने के बाद में जनता पार्टी ने 44वां संविधान संशोधन करते हुए आपातकाल के दौरान अनेक जनविरोधी कानून, जो संविधान संशोधन हुए, उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखने की कोशिश की गई जिसमें अनुच्छेद 352 के अन्दर, महत्वपूर्ण, आंतरिक अशान्ति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया।

महोदय, संविधान लागू होने के बाद सिर्फ एक या दो घटनाओं को छोड़कर भारतीय संविधान कसौटी पर खरा उतरा है। केवल 1975 एक उदाहरण के रूप में है, जिसमें आपातकाल लगाया गया। सभापति महोदय, तीनों अंगों की मर्यादा है कि अपना कार्य सुचारु रूप से करें, ऐसा ही सामने आया हुआ है।

सभापति महोदय, अनुच्छेद 211 व 212 में प्रावधान है। आर्टिकल 212 में विधान मण्डल में चर्चा पर निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आचरण के विषय में राज्य के विधान मण्डल में कोई चर्चा नहीं हो सकती। आर्टिकल 212 में न्यायालयों द्वारा विधान मण्डल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जाये। राज्य के विधान मण्डल में किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। राज्य के

(श्री बंशीधर)

विधान मण्डल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसे इस संविधान द्वारा विधान मण्डल प्रक्रिया या कार्य संचालन का नियमन करने के लिये अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, इन शक्तियों के द्वारा प्रयोग में लिये गये, किसी भी न्यायालय के अधिकार में नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री सभापतिः अभी तो आप 1977 तक ही पहुंचे हो, अभी तो टाइम बहुत है।

श्री बंशीधर (खण्डेला): पूरा कर दूंगा। आप बोलो नहीं तो मैं पूरा पढ़ दूंगा, पूरा सामान है मेरे पास। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे यहां सदन की बात बताना चाहूंगा, समाप्त कर रहा हूं। न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति आई थी। अर्चना गुप्ता के मामले में हमारे सदन में बात आई थी, जो कमेटी के अन्दर, वहां न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव हुआ था।

एक माननीय सदस्यः रत्ना गुप्ता।

श्री बंशीधर (खण्डेला): रत्ना गुप्ता के लिये मैं ही बोल रहा हूं। रत्ना गुप्ता, सारी।

मैं यह राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापतिः सुश्री कीर्ति कुमारी। श्रीमती अलका सिंह। प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 विचारार्थ लिया गया है। मूल रूप से, सभापति महोदय, इस संशोधन के माध्यम से सैक्शन 5 की उपधारा 2 के अन्दर एक नाम को इन्सर्ट करना था। परन्तु आज माननीय सदस्यों ने इस छोटे से संशोधन के माध्यम से प्रदेश और देश की न्याय प्रणाली के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में अपने-अपने विचार यहां व्यक्त किये। कई माननीय सदस्यों ने हमारी न्याय व्यवस्था पर, उसके दुरुस्तीकरण के लिये कई सुझाव दिये। कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि आज लोकतंत्र का यह तीसरा स्तम्भ, जिस पर आम व्यक्ति का विश्वास टिका है, उसका विश्वास

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डगमगा रहा है। अलग-अलग प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने यहां बात कही।

सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात के साक्षी रहे हैं। इस सदन में बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब न्यायपालिका पर और न्याय प्रशासन पर चर्चा होती है। शायद आपको स्मरण होगा वह समय जब तेरहवीं विधान सभा के अन्दर एक बार चर्चा चली, कई माननीय सदस्यों ने न्यायपालिका के बारे में अपनी सटीक टिप्पणियां कीं और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कई माननीय सदस्यों के विरुद्ध कई सम्मन भी जारी किये।

श्री सभापति: बारहवीं विधान सभा में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बारहवीं विधान सभा का अवसर। अभी मुझसे पहले, सभापति महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य संविधान में आर्टिकल 211 और 212 के बारे में चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर हमारे संविधान के अन्दर इस बात के प्रावधान हैं, आर्टिकल 211 में कि न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन करने में, उनके किसी प्रकार के कार्य और आचरण के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा हम नहीं कर सकते, प्रतिबन्धित हैं। पर इसके साथ आर्टिकल 212 हमें इस बात का संरक्षण देता है कि विधान सभा के कोई भी माननीय सदस्य, लोक सभा के कोई भी माननीय सदस्य विधान सभाओं और लोक सभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम के तहत अपनी बात जो कहते हैं उस बात पर न्यायिक परिवीक्षा नहीं हो सकती, जुडीशियल रिव्यू नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बारे में यहां सदन में अपनी बात कही।

माननीय सभापति महोदय, हमारा संविधान जब बन रहा था तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, हमारे संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार किये थे कि हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जिसे लोकतंत्र के तीन स्तम्भ कहा गया, यह तीनों स्तम्भ अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर स्वतंत्र और निर्भीक रूप से काम करें। कोई अंग उस लक्ष्मण-रेखा को पार नहीं करे जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार खींची गयी है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात भी सही है कि विस्तृत प्रावधान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किये गये हैं हमारे संविधान के अन्दर। विधायिका का प्रमुख कार्य, विशेष तौर पर राजस्थान, मैं राजस्थान विधान सभा की बात करूं तो हमारी राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय हमें दिये गये हैं उन पर कानून बनाना है। वह सभा है हम, जो विधान बनाती है और संविधान के आर्टिकल 52 से 123 और 153 से 213 के अन्दर इसका विस्तृत प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाए, जो नीतियां बनाए, उनकी प्रतिपालना करती है। यह वह अंग है जो अंग सरकार की नीतियों को अमली-जामा पहनाने का काम वस्तुतः करता है। आर्टिकल 308 से 323 तक, उनके कर्तव्यों और उनके प्रमुख कार्यों का विवरण किया गया है संविधान के अन्दर।

माननीय सभापति महोदय, न्यायपालिका जो हमारे कानून का विश्लेषण करती है, बने हुए कानून की अगर उसमें कमी-खामी है उसको जांचती है, परखती है, जुडीशियल रिव्यू कर सकती है, उसके भी आर्टिकल 214 से 237 तक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के गठन और कार्य-प्रणाली और 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का, कार्य-प्रणाली का जिक्र किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि आज हमें इस बात का गर्व है कि हम जहां विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वही सबसे विस्तृत संविधान अगर किसी देश के पास है तो हमारे इस देश के पास है और हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, निर्मात्री समिति बनी हुई थी, उन्होंने इंग्लैंड, अमरीका और आयरलैंड, कई जगह के संविधानों में जो विशेषताएं थीं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रावधान थे, उनमें से लिये गये और इसीलिए Doctrine of separation of power, अभी जिसका जिक्र माननीय सदस्य भी कर रहे थे, फ्रांसीसी विचारक मांटेस्क्यू, उन्होंने इस अवधारणा को पहले अवधारित किया था कि जब तक तीनों शक्तियां, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यह परस्पर स्वतंत्र रूप से भी काम करें, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी भी हो, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गये कानून की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हो। इस प्रकार अगर देखा जाए तो चैक और बैलेंस का जो काम हमारे संविधान के अन्दर, हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, वह अद्वितीय है।

यहां अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे रत्ना गुप्ता के मामले में।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने उत्तर प्रदेश के केशव सिंह के उस प्रकरण का जिक्र भी किया जो जिक्र आज एक तरह से इतिहास में समाया हुआ है। यदा-कदा ही ऐसे अवसर आए हैं माननीय सभापति महोदय, जब हमारे संविधान के इन तीनों अंगों में असंतुलन हुआ है। केशव सिंह का जो प्रकरण है वह 1964 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हुआ। विधान सभा में एक व्यक्ति ने कई माननीय सदस्यों का नाम लेकर पर्चे उछाले। मामला अध्यक्ष महोदय के सामने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के रूप में आया। अध्यक्ष महोदय ने, उस व्यक्ति ने जिसने पर्चे उछाले, उसको गिरफ्तार करवाकर सात दिन की सज़ा सुनाई। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चला गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हेबियस कार्पस लगाई, किसी उनके परिवारजन ने और कहा कि इनको अवैध रूप से डिटैन कर रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और उसको स्थगित कर दिया, विधान सभा अध्यक्ष के निर्णय को।

विधान सभा अध्यक्ष ने उसको और गम्भीरता से लिया और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जो आदेश जारी किया, उसको विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव आया और उस पर उन्होंने काग्निजेंस लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लार्जर बैंच बैठी। मामला टकराहट का आगे बढ़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने उसको रेफरेंस किया उच्चतम न्यायालय में और उनकी दखलंदाजी के बाद यह मामला शांत हुआ। परन्तु इसके साथ ही कई तरह की व्याख्या इस न्यायालय से निकलकर आई, उस निर्णय से निकलकर आई।

इसी प्रकार का एक मामला हमारे खुद के सामने, जिसके साक्षी आप स्वयं रह चुके हैं, हमारे इसी राजस्थान विधान सभा की महिला कल्याण समिति निरीक्षण करने जाती है एक पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टेशन की भार-साधक अधिकारी रत्ना गुप्ता अभद्रता से पेश आती है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है। विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर सम्मन जारी होते हैं और यह सारा मामला भी हमारे सामने है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं इन यदा-कदा के प्रकरण को छोड़ें तो सामान्यतः इस हिन्दुस्तान के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तीनों अंग अपने-अपने स्वतंत्रतापूर्वक कार्यवाही करते हैं।

अभी यहां पर आपात-काल का जिक्र आया। निश्चित तौर पर, माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, वह समय था जब हमारे इस संविधान की मूल आत्मा पर चोट हुई थी। मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधान मंत्री के चुनाव को अपास्त किया। उन्होंने आर्टिकल-352 के माध्यम से, उस आर्टिकल में 'आंतरिक अशांति' के नाम पर आपात-काल लगाने का पहले उसके अन्दर प्रावधान किया था। पूरे देश के अन्दर आपात-काल लग गया और उस आपात-काल के समय में जहां मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ, वही सभी आदेश, जो भी आदेश निकले, जो भी अध्यादेश निकले, जुडीशियरी से उनको बाहर कर दिया और पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ। जनता पार्टी का जन्म हुआ और एक 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन के माध्यम से पहली बार आर्टिकल-352 के अन्दर जो 'आंतरिक अशांति' की बात थी उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' प्रतिस्थापित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर सबसे बड़ी चिंता लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, कोटा दक्षिण, विराटनगर और खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने की ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कोटा उत्तर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, कोटा उत्तर। समान रूप से एक बात की यहां पर चिंता की कि हमारे न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, कल ही देश के प्रधान मंत्रीजी की सदारत में हमारे देश के मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति काटजू और पूरे देश के सभी न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों की एक बैठक थी। उस बैठक में भी यह बात उठी। सब लोगों ने चिंता जाहिर की और अभी कई माननीय सदस्यों ने जिक्र भी किया कि हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में इस वक्त 2 लाख 88 हजार 887 मुकदमे लम्बित हैं। अधीनस्थ न्यायालय में 14 लाख 54 हजार 566 और हमारे जो विशिष्ट न्यायालय हैं, स्पेशल कोर्ट हैं, इनमें भी 87 हजार मुकदमे लम्बित हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर इस बात का भी जिक्र आया कि माननीय उच्च न्यायालय के अन्दर हमारे न्यायाधीशों के पदों में रिक्तता है। माननीय सभापति महोदय, 2013 के अन्दर, जिस प्रकार की बैठक कल हुई, उसी प्रकार की 7 अप्रैल, 2013 को बैठक हुई थी। उस समय इस बात की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिंता व्यक्त की गयी थी कि पूरे देश के अन्दर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमों का अम्बार बढ़ता जा रहा है। उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्दर पदों की संख्या जो पहले 30 थी, उसको बढ़ाकर 50 किया गया और इसके आदेश भी 14 अक्टूबर, 2014 को जारी हो गये और यह बात सही है कि आज भी राजस्थान उच्च न्यायालय में 20 न्यायाधिपतियों के पद रिक्त हैं और यह बात भी सही है कि हमारे जिला न्यायाधीशों के 107 पद, वरिष्ठ सिविल जज के 79 पद, सिविल जज के 126 पद यानी 312 पद रिक्त हैं।

सभापति महोदय, मैंने इसी 24 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा और यह आग्रह किया कि इन पदों को भरा जाए और कल भी जब मुझे बोलने का मौका मिला, तब भी मैंने यह बात उठाई थी।

सभापति महोदय, यहां इस बात का भी जिक्र किया गया कि न्यायालयों की संख्या भी कम है। निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार को जन-प्रतिनिधियों से 19 न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव मिले, विभिन्न श्रेणी के, अभिभाषक संघ और सामाजिक संघ और सामाजिक संगठनों के माध्यम से 27 प्रस्ताव मिले। माननीय उच्च न्यायालय के साथ उनकी अभिशंसा के आधार पर यह न्यायालय खुल पाते हैं। हमने उच्च न्यायालय में इस बात को अभिशंसित करके भेजा है।

यहां कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि उच्च न्यायालय की पीठ बननी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। सभापति महोदय, 31.1.1977 के बाद राजस्थान के अन्दर उच्च न्यायालय की कोई नई पीठ नहीं बनी है। स्टेट री-आर्गनाइजेशन एक्ट 1956 का बना है, उसके अन्दर धारा 51(2) के अन्दर यह प्रावधान किया गया कि हमारी किसी भी उच्च न्यायालय की अलग से पीठ कैसे बनेगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 51(2) में लिखा है "The President may, after consultation with the Governor of the State and the Chief Justice of the High Court for the State, by notification/order, provide for the establishment of a permanent bench or benches of the High Court at one or more place within the State other than the principal seat of the High Court and for any matter connected therewith." यानी इस पूरे मामले के अन्दर उदयपुर से कई बार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यहां मांग उठी। अब जब तक उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त नहीं हो सकता, कानून की परिधि में हम इसको खोल नहीं सकते।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या के अन्दर जो वाद लम्बित हैं, उनमें 80 फीसदी मामलों के अन्दर इसमें पक्षकार कोई भी सरकार है, राजस्थान में तो राजस्थान की सरकार है।

सभापति महोदय, होता क्या है कि जब भी कोई वाद प्रस्तुत होता है जिसमें सरकार पक्षकार हो, तो सी.पी.सी. की धारा 80 के तहत नोटिस जारी करना पड़ता है उस पक्षकार को या डिमांड आफ जस्टिस के लिये भी नोटिस जारी वह करता है। होता यह आया है कि इन पर कभी कोई इस स्टेज पर फैसला नहीं होता। अगर इसी स्टेज पर वह क्या, किस प्रकार का वह लाभ चाहता है, किस प्रकार का अनुतोष चाहता है, उसका परीक्षण हो जाए तो शायद इन वादों में कोई कमी आ जाए। इसलिये, सभापति महोदय, हम यह निर्णय ले रहे हैं कि राजकीय वादकरण नीति प्रकोष्ठ, इसका गठन तो पहले हो चुका है, अब इसमें एक संयुक्त विधि परामर्शी स्तर के अधिकारी को हम लगाएंगे। हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे ताकि इस प्रकार के मामले, जो कोर्ट के अन्दर जाने से पहले सी.पी.सी. की धारा 80 के नोटिस के आधार पर या डिमांड आफ जस्टिस के नोटिस के आधार पर, जिनको वहीं निपटाया जा सकता है, वहां निपटाया जाए। प्री-लिटिगेशन कमेटी, इसकी बैठक भी लगातार करके इन वादों को कम करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, यहां नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट कमीशन की बात हुई। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा। निश्चित तौर पर, सभापति महोदय, इस बिल के बाद हिन्दुस्तान की न्याय-व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आने की सम्भावनाएं बनी हैं। अब चूंकि इस बिल पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो चुके हैं, यह नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट कमीशन बिल, 2014, यह बिल तो बन गया। सभापति महोदय, राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला स्टेट था, जिसने 17.9.2014 को राजस्थान की विधान सभा ने इसका अनु-समर्थन किया वरना होता यह आया है, 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशनल बैंच ने एक फैसला कर लिया कि हम कालेजियम बनाएंगे और कालेजियम के माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सलेक्शन और उनकी नियुक्ति की बात करेंगे। चला आ रहा है, देने वाले भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

श्रीनाथजी और लेने वाले भी श्रीनाथजी। मैं समझता हूं कि यह जो नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट कमीशन बिल आया है, इसके माध्यम से जिस प्रकार का छह सदस्यीय आयोग बनाने का फैसला हुआ है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश, जिसके सदस्य होंगे उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, जिसके सदस्य होंगे भारत सरकार के विधि मंत्री और दो प्रख्यात विधिवेत्ता। अब यह दो प्रख्यात विधिवेता हैं, इन दोनों का चयन भी, सभापति महोदय, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान मंत्रीजी और लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता मिलकर करेंगे। हालांकि आज की तारीख में यह पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर विचाराधीन है, पर मुझे प्रसन्नता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर जब देश के अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने एक बात बड़ी मजबूती से कही कि कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संविधान ने लोक सभा और विधान सभा को दिया है। आपका काम कानून की समीक्षा करना है और मैं समझता हूं कि वह समय भी आएगा, जब यह लागू होगा।

सभापति महोदय, यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गयी। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसके लिये कहा। निश्चित तौर पर ग्यारहवें वित्त आयोग ने त्वरित न्याय की अवधारणा को पूरा करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की थी। पूरे देश के अन्दर 1734 उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट खुले थे। राजस्थान में भी 80 फास्ट ट्रेक कोर्ट खुले थे। फिर 31 मार्च, 2005 को भारत सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया। फास्ट ट्रैक बंद होने लगे। उस समय, सभापति महोदय, एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया बृजमोहन लाल बनाम भारत सरकार, उसके आदेश पर यह 2011-12 तक चले।

सभापति महोदय, यह बात कल भी आई थी। अभी चौदहवें फाइनेंस कमीशन ने इन्हें वापस चालू करने के लिये वित्तीय प्रावधान किया है। राजस्थान को भी 214 करोड़ देने की बात हुई है। मैं समझता हूं कि एक महती आवश्यकता है। इस चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हम राजस्थान के अन्दर फास्ट ट्रैक कोर्ट को दोबारा पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। पहले भी, सभापति महोदय, 43 फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे थे जिन पर मुकदमों का भार देखते हुए उनको समाप्त नहीं किया गया। उनको अपर जिला सैशन न्यायाधीश के रूप में नियमित कर खोला गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यहां, सभापति महोदय, विराटनगर, सादुलपुर और खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्यों ने ग्राम न्यायालय की बात की। निश्चित तौर पर 2008 के अन्दर ग्राम पंचायत न्यायालय का एक्ट आया। सैक्शन-3 में इस प्रकार के प्रावधान किये गये कि ग्राम न्यायालय का सृजन किया जाए। राजस्थान के अन्दर इस वक्त 45 ग्राम न्यायालय हैं। कल भी इस बात की चर्चा हुई थी कि ग्राम न्यायालय को और अधिक हम कैसे खोलें, कैसे लोगों को सुलभ और उसी स्थान पर न्याय मिले। सभापति महोदय, इस ग्राम न्यायालय के माध्यम से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर पीठासीन न्यायिक अधिकारी इस बात का फैसला करता है कि जो दो वर्ष से कम अवधि के कारावास के मामले हों, और उसके साथ 20 हजार से कम की चोरी के मामले हों, इस प्रकार के पेटी ओफैंसेंज, उनका निस्तारण वही होता है और अब हम कोशिश करेंगे कि जिन एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर किसी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था नहीं है, राजस्थान की सरकार इस चीज की अभिशंसा करेगी कि जहां एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर किसी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था नहीं है, उनमें जिन ग्राम पंचायतों की बड़ी ग्राम पंचायतें होंगी, उनमें यह ग्राम न्यायालय खोले जाने की हम अभिशंसा करके उच्च न्यायालय को भेजेंगे।

सभापति महोदय, देश के अन्दर कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां ईवनिंग कोर्ट की बात है। लगातार मुकदमों का अम्बार बढ़ता जा रहा है और इन मुकदमों के अम्बार को कम करने के लिये कई राज्यों ने ईवनिंग कोर्ट खोल रखे हैं। इसमें बार का विरोध रहता है। हालांकि नेशनल कोर्ट मेनेजमेंट सिस्टम की रिकमण्डेशंस हैं कि ईवनिंग कोर्ट खोले जाने चाहिये। इस बार यहां भी राजस्थान की बार-कौंसिल से बात करके इसके लिये निश्चित तौर पर कोशिश की जाएगी।

सभापति महोदय, न्यायिक सक्रियता की बात गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। निश्चित तौर पर न्यायिक सक्रियता कहूं या पब्लिक लिटिगेशन के मामले कहें, कई बार पीठासीन अधिकारी यह सोच लेता है कि सारे अधिकार आकर उन्हीं में निहित हो गये। अपने आपको नीति निर्माता जब समझने लग जाते हैं तो वो कानून की व्याख्या करने के अलावा कई प्रकार के आदेश जारी करने लग जाते हैं। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा जयपुर के अन्दर रामनिवास बाग़...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा था कि जिसका जिस जगह पर वश चलता है वो वैसे अपने आपको मानने लग जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह किसके लिए कहा आपने?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब आप करो अंदाज कि जिसका जिस जगह वश चलता है कि मैं यहां सर्वेसर्वा हूं, वो वैसा ही करने लग जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इसको मैं आरोप मानूं या आशीर्वाद मानूं ब्राह्मण देवता का ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रशंसा, प्रशंसा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ब्राह्मणों का आशीर्वाद मान लो आप तो।

श्री सभापति: ऐसे मिलिट्री के अन्दर एक मोर्स कोड हुआ करता था, वो आपके कोड आप ही जानें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह तो आसन का अन्याय है, सभापति महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही आज के बिल पास होकर, आज की कार्यसूची, पूरा कार्य हो जाए, तब तक के लिए बढ़ायी जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची के सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया। मंत्री महोदय।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह जो पी.आई.एल. है, अब समय आ गया कि इसका भी कोडिफिकेशन होना चाहिए कहीं न कहीं। आज रामनिवास बाग़ के अन्दर इसी राजस्थान उच्च न्यायालय ने तीन अलग-अलग आदेश दे दिये। एक ने कहा कि यहां वाहन नहीं जाएंगे, दूसरे ने एक निश्चित समय दे दिया इस समय पूरा आवागमन बंद रहेगा, एक आदेश आ गया कि इसमें जितनी सड़कें बनी हैं उन पर मिट्टी डालकर इसमें दूब लगा दो और फिर आदेश आ गया कि इसको सामान्य तौर पर जैसा रहता है वैसे ही चलाओ। आदेश दे दिया कि रिहायशी क्षेत्र के अन्दर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी, इनको इस तारीख तक बंद कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इंटरिम आर्डर और पी.आई.एल., इंटरिम आर्डर कहीं अपीलेबल नहीं है, इस इंटरिम आर्डर से निकलकर आते हैं अलग-अलग कमीशंस। जुडीशियल कमीशन कहूं या जुडीशियल ट्रिब्युनल्स कहूं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की, उसके बारे में सावचेत ही कह सकते हैं या उनकी चिंता में सम्मिलित हो सकते हैं पर इसके बारे में अभी इस स्तर पर कोई बात कही जा सकती है, यह सम्भव नहीं।

यहां लूणी से आने वाले माननीय सदस्य और विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि राज्य में ऐसे बहुत से कानून हैं जो अपना महत्व खो चुके हैं, कई कानून ऐसे हैं जिन पर ओवरनाइट दूसरे कानून आ गये। सभापति महोदय, 1997 में राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 1997 बना था, इस अधिनियम के तहत अब तक 303 संशोधित एक्ट रिपील किये जा चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये हैं और वर्तमान में 188 ऐसे कानून हैं जिनकी समीक्षा सरकार कर रही है और एक निश्चित समयावधि के अन्दर जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं या जिनका आज कोई असर नहीं रहा उन सबको, उनका पूरा कानूनी परीक्षण करके उन कानूनों को समाप्त करने की बात की जाएगी।

सभापति महोदय, आज राजस्थान सिविल कोर्ट (संशोधन) विधेयक, 2015 पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। इसके उद्देश्य और कारणों में, जो इसके साथ लिखे हैं उनको देखें तो, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान राज्य सरकार को राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 5 उप-धारा (2) को सब्स्टिट्यूट करने की प्रार्थना की गयी थी। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा सुझाये गये संशोधन को सम्मिलित करने के लिए यह सारा विधेयक यहां लाया गया है। यह सही है कि 08.08.2014 को इसी विधेयक में एक संशोधन किया गया था, वो एक्ट संख्या है 15/2014, उसके अन्दर पैरा नम्बर 2 में धारा 5 (2) में निम्न प्रकार का संशोधन किया गया था:- 'तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या दस्तावेज में 'अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय' तथा 'अधीनस्थ न्यायाधीश' के प्रति निर्देश क्रमश: इस अध्यादेश के अधीन गठित तथा नियुक्त या गठित तथा नियुक्त समझे गये 'वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय' और 'वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश' के प्रति किये गये समझे जाएंगे।' मतलब अब इसमें बाकी सब तो हो गया पर न्यायालयों के नाम से पहले और न्यायाधीश के नाम के आगे यह 'वरिष्ठ' शब्द अंकित होने से रह गया था। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से सिविल न्यायाधीश से पूर्व 'वरिष्ठ' शब्द, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के मध्य 'वरिष्ठ' शब्द जोड़े जाने का यह प्रस्ताव है और इसको 08.08.2014 से ही लागू करने का है।

सभापति महोदय, शेट्टी कमीशन बना था, जिस शेट्टी कमीशन का जिक्र कई माननीय सदस्यों ने कहा, इस शेट्टी कमीशन के माध्यम से, जो सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया, इसने न्यायिक अधिकारियों की वेतन परिलब्धियों और सुविधाओं की बात तो लम्बी-चौड़ी की पर इसके अलावा इसने कई दूसरी रिकमंडेशंस भी की थीं। शेट्टी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट 11.11.1999 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दी गयी, उसके अनुच्छेद 5, 8, 9 के अन्दर यह कहा गया कि सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) को सिविल न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संबोधित करने की अनुशंसा की थी, उसी के अनुरूप यह संशोधन लाया गया है।

जिस संशोधन का जिक्र सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, जो वर्षा कालीन सत्र में लाया गया था, निश्चित तौर पर राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 5, 6, 7, 11, 12, 12ए, 13, 14, 19, 21, 22, 23 और 24 में संशोधन किया गया था जो 30.07.2014 को सदन में आया और 01.08.2014 को पारित हुआ और 08.08.2014 को महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ यह कानून का रूप ले चुका है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे सिविल न्यायालय हैं उनमें धन सम्बन्धी अधिकारिक क्षेत्र को बढ़ाने की बात थी क्योंकि कई दशकों से धन सम्बन्धी अधिकारिक क्षेत्र बढ़े नहीं थे और इनमें अगर देखा जाए तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जो आज पांच लाख तक के मामले सुन सकता है, पूर्व में सिर्फ 50 हजार तक के सुन सकता था, यह संशोधन हम उस वक्त लेकर आये थे, सिविल न्यायाधीश जो अब दो लाख रुपये तक के प्रकरण सुन सकता है, पूर्व में 25 हजार तक के ही सुन सकता था। मैं समझता हूं क्षेत्राधिकार बढ़ने से आम व्यक्ति को लाभ मिला।

यहां सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो 1950 का आर्डिनेंस है यह आर्डिनेंस आज भी क्यों चालू हो रहा है? रिप्लेसिंग बिल आ गये, इस 1950 के अध्यादेश पर ही संशोधन क्यों लेकर आये हो? सभापति महोदय, आज राजस्थान में राज प्रमुख के द्वारा जारी किये गये 9 अध्यादेश अब भी प्रचलन में हैं और हमारे संविधान के आर्टिकल 372 में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने से पूर्व भारत में जो भी कानून प्रभावी हों, यह तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें निरसन करने का संशोधन नहीं कर दिया गया हो और इसलिए, सभापति महोदय, आज भी यह कानून लागू है।

सभापति महोदय, मैं तो निवेदन यही करूंगा कि निश्चित तौर पर आज कई माननीय सदस्यों ने पूरे प्रदेश और देश की न्याय व्यवस्था के बारे में कई सुझाव दिये हैं और त्वरित न्याय मिले ...

(16.58 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

अब, सभापति महोदय, त्वरित और सुलभ न्याय मिले और न्यायालयों में मुदकमों का अम्बार कम हो, पारदर्शी तरीके से लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर काम करें, फिर कोई केशव सिंह के जैसा प्रकरण यहां नहीं आ जाए, रत्ना गुप्ता जैसा प्रकरण नहीं आ जाए। हमारे संविधान ने जो लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं उन लक्ष्मण रेखाओं के अन्दर लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी विधायिका जहां सशक्त रूप से कानून बनाने का काम करे, वहीं हमारी न्यायपालिका बने हुए कानून की व्याख्या करने का काम करे और इसके साथ-साथ हमारी कार्यपालिका सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह जो संशोधन लाया गया, संशोधन के अन्दर सिर्फ एक सैक्शन के अन्दर, 5 (2) के अन्दर ही सब्स्टिट्यूट करने का संशोधन है परन्तु इसके माध्यम से जिन माननीय सदस्यों ने पूरी न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणियां कीं उनको मैं धन्यवाद देता हुआ आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाए।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री मदन राठौड़, श्री मानसिंह, श्री बंशीधर सदस्यगण ने राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति दी जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, वैसे तो यह सामान्य संशोधन था। लेकिन आज की चर्चा और माननीय मंत्रीजी के जवाब के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। कई चर्चाएं सदन में की गईं। केवल यह बिल नाम परिवर्तन का था और हमने जो संसोधन किया था, उसी के कारण से था, लेकिन मंत्रीजी का जवाब और चर्चाएं इस बात पर हमको आकर्षित करती हैं कि जब यह कहा गया कि संविधान के अनुसार हम सब अपनी सीमा में रहें।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देकर याद दिलाना चाहूंगा कि जब-जब जिसने संविधान की सीमाएं तोड़ने की कोशिश की है, उस समय भारत की न्यायपालिका ने भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब पीएसी की मीटिंग के बाद में कोयला स्कैम के बारे में सीएजी की रिपोर्ट आ गई भारत की संसद में और संसद की लोक लेखा समिति ने जांच की और लोक लेखा समिति की जांच पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिये गये, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अगर कोल स्कैम की जांच नहीं कराते तो कोयले का कांड दबा का दबा रहता और भारत की आज जो संपदा में 2 लाख करोड़ रुपये आये हैं, वह 2 लाख करोड़ रुपये नहीं आते। इसके लिए भारत की न्यायपालिका को हमको धन्यवाद देना पड़ेगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सभापति महोदय, सीमा थी संसद की, लेकिन जब हम राजनीतिक दबाव में आकर के इस प्रकार के निर्णय करते हैं और हमारी सार्वजनिक मर्यादाओं को भूल जाते हैं, उस समय न्यायपालिका को बीच में आना पड़ता है। 2 जी स्पैक्ट्रम का मामला है, 2 जी स्पैक्ट्रम में भी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आ गई, सदन पटल पर रख दी गई। श्रीमान मुरली मनोहर जी जोशी उसके चेयरमैन थे। आज तक भारत की संसद में कभी भी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श में राजनीति नहीं चली। राजनीति चली तो उसका बहिष्कार किया गया और उसको रोका गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद में सारे स्पैक्ट्रम की नीलामी हुई। अब 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा भारत की संसद में आया।

यह अधिकार तो संसद का था। यह अधिकार विधान सभाओं का भी है। जब विधान सभाएं और लोक सभा राजनीतिक कारणों से आवाज को दबाने की कोशिश करती हैं तो उस समय आदमी को अंतिम सहारा कहां मिलता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, यह केशवानंद भारती का केस नहीं होता मूलभूत अधिकारों का तो आज हम यहां बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते। संविधान का फैसला करने वाले लोगों ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। वर्ना तो यहां बैठकर अगर हम टू थर्ड मैजोरिटी से यह प्रस्ताव पास कर लें कि मैं जीऊंगा जब तक तो मैं एमएलए रहूंगा और मैं मर जाऊंगा तो मेरी जगह मेरा बेटा आयेगा क्योंकि हमने प्रक्रिया तो पूरी कर ली। टू थर्ड मैजोरिटी आ जायेगी, 22 विधान सभाएं भी कह देंगी। लेकिन केशवानंद भारती का केस आया सर्वोच्च न्यायालय में और उसने निर्णय किया कि संविधान के मूलभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए संविधान का मूलभूत ढांचा आज यहां पर बचा हुआ है।

केवल एक बात कहने से कि न्यायिक सक्रियता बढ़ गयी है। न्यायिक सक्रियता कब बढ़ती है, जब प्रशासन फेल होता है और जब राजनीतिक नेता फेल होते हैं तब न्यायिक सक्रियता बढ़ती है। अधिकांश पीआईएल आज अगर निर्णय करें, हम कई बार चर्चा करते हैं, न्यायालयों में मुकदमों के अम्बार लगे हुए हैं, लगे हैं, लेकिन आधी पार्टी कौन है उसमें? सारे देश भर की विधान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभाएं हैं, आधी पार्टी सरकारें हैं। ज्यादा रिट किसकी हैं? सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटें हैं। जिनका फैसला सरकारी स्तर पर नहीं हो पाता है। रिजर्वेशन की रिटें हैं। प्रमोशन की रिटें हैं। इसलिए हमको न्याय पालिका के साथ-साथ खुद के अन्दर भी देखना पड़ेगा। जब तक हम हमारा सही नहीं करते तब तक नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज तक कभी भी विधान सभाओं की प्रक्रियाओं में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं था। झारखंड विधान सभा में इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत हुआ कि वहां के कोर्ट ने अपने पर्यवेक्षक भेजे और उसके बाद विधान सभा के अन्दर मतदान का रिजल्ट घोषित किया गया। यह हमने ही तो क्रिएट किया। हमारा ही अधिकार था कि विधान सभा में विधायक को अयोग्य होने पर, उसकी अयोग्यता घोषित करते थे।

हरियाणा विधान सभा में पिछली सरकार, हुडा साहब की, 4 माननीय विधायकों की मैम्बरशिप खतम होनी थी। विधान सभा अध्यक्ष ने लटकाये रखा, फैसला ही नहीं किया। अंत में हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट को फैसला करके निर्देश देना पड़ा कि 6 महीने में आप फैसला करो। फिर भी निर्णय नहीं माना गया तो फिर कोर्ट को यह फैसला करना पड़ा कि उनको वोट का अधिकार नहीं होगा, उनको गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर वह अध्यक्ष यह फैसला उसी समय कर देते निर्धारित अवधि में तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिलता। कई बार हम अनावश्यक रूप से न्यायपालिका को बुलाते हैं। जब बुलाते हैं तो फिर 'मोठां के साथ घुण भी पिस जाये'। फिर कई बार 50 काम होते-होते एक काम बढ़िया भी हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए आज चिंतन केवल न्यायाधीशों को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि कल की जो मीटिंग हुई है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, वह न्यायपालिका के सुधार में एक बहुत बड़ा कदम होगा, उससे सारे राष्ट्र और राज्यों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज भी हम देखें तो लोगों का 2 चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास है। एक विश्वास तो यह है कि अख़बार में खबर छपा दो। आज आदमी यह विश्वास करता है कि अख़बार में खबर छपा दो और एक आदमी कहता है कि मैं कोर्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? उसके मन में यह विश्वास है कि अख़बार में खबर छपी तो कहीं न कहीं काग्नीजेंस लेगा कोई न कोई आदमी। उसके मन में यह विश्वास है कि सब लोग अन्याय करेंगे तो मैं एक जगह जाकर न्याय प्राप्त करुंगा। इसलिए जिस प्रकार का विश्वास आज न्याय पालिका में और प्रेस में है, उसी प्रकार का विश्वास हमको कार्यपालिका में और विधायिका में पैदा करना पड़ेगा। हम स्वयं इसको पैदा करेंगे तो सब अपनी मान-मर्यादाओं में रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसीलिए बोला कि सारा जो प्रकरण है यह हमको समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, कालेजियम को बदलकर आयोग बनाने का। यह अधिकार तो किसी को कोई नहीं दे सकता है कि खुद की नियुक्ति खुद कर लो। यह बात गलत है। इसलिए यह जो कालेजियम सिस्टम बदला, वह बदलना चाहिए था। यह सबसे पहला काम किया और हमने इसका समर्थन किया।

अब इसलिए न्यायपालिका में भी सुधार हो रहा है लेकिन अब इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। न्याय में विलम्ब बहुत हो रहा है। न्याय निलम्बित, न्याय निलम्बित, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया, ललित नारायण मिश्रा की हत्या के इतने वर्ष, 40 वर्ष बाद में उनका फैसला आया, लेकिन माननीय सभापति महोदय, यह फैसले आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम प्रक्रियाओं में परिवर्तन नहीं करते। यहां पर एक अधिकारी के खिलाफ राजस्थान में चालान पेश किया गया है, 2000 पेज का, अब 2000 पेज में आप चालान करो और 462 आप उनकी लिस्ट दो गवाहों की तो वह मुकदमा तो लम्बा चलेगा ही। इसलिए हमने आज तक न तो एविडेंस एक्ट में कोई संशोधन किया है। आज इतना सारा मामला इसका हो गया है, सारा सिस्टम सूचना तकनीक का बदल गया है, उसके आधार पर मान्यता ही नहीं है, तो हमने न तो अभी एविडेंस का सिस्टम बदला, हमने वही अंग्रेजों की आईपीसी, सीआरपीसी का कानून, वही एविडेंस एक्ट, सारा का सारा वही कर रखा है। वह जिम्मेदारी तो न्यायपालिका की नहीं है, वह तो कार्यपालिका की है, विधायिका की है, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए संसदीय परम्पराएं जहां-जहां टूट रही हैं, हम संसदीय परम्पराओं को तोड़ रहे हैं। यह विधायिका है आज यहां बड़े अच्छे ढंग से बहस हो रही है, पहले हम यहां देखते थे, आज भी थे माननीय सभापति महोदय, दस-दस, बीस-बीस कानून

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमने हां, ना, करके पारित कर दिए। कानून बनाते हैं, कानून पारित करते हैं उस समय हमको पक्ष विपक्ष का ध्यान छोड़कर उस कानून की बारीकियों में जाना चाहिए। अब कई कानूनों के बारे में अपन यहां बात उठाते हैं, उन कानूनों को जिद करके ले आते हैं, तो प्रजातंत्र में जिद भी जरूरी नहीं है और प्रजातंत्र में माननीय सभापति महोदय, 'मैं' बहुत गलत है। 'मैं' नहीं होना चाहिए इसमें। प्रजातंत्र में 'हम' है, देवताओं की पूजा में भी 'हम' हैं, 'वयं नमामि' है, 'श्रीकृष्णम् वयं नमामि', दुर्गा को भी 'वयं नमामि' है, 'मैं' प्रणाम करता हूं, यह नहीं है, तो सदन में भी जब सरकार बोलती है तो 'मैं' नहीं बोलता हूं 'हम' बोलते हैं, सरकार बोलती है। जिस समय प्रजातंत्र में 'मैं' आ जाता है, उस समय प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि 'मैं-मैं-मैं' तो बलि का बकरा, बकरी का बच्चा करता है, 'मैं'-मैं-मैं', इसलिए प्रजातंत्र में 'मैं' नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र में 'हम' होना चाहिए। प्रजातंत्र में जिस दिन 'हम' होगा उस दिन विधायिका सुधरेगी, उस दिन कार्यपालिका सुधरेगी। कार्यपालिका और विधायिका जिस दिन सुधरेगी, उस समय न्यायपालिका के लिए आएगा, 'न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम् न धीरा' न्याय के पथ से लक्ष्मी आ जाए या चली जाए, मृत्यु अभी आए या एक युग के बाद आए लेकिन न्याय के पथ से धीर-वीर आदमी अलग नहीं होता। यह तब आएगी, इसलिए इस विधेयक के माध्यम से मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' नहीं बनें। हमने बहुत उपदेश न्यायपालिका को दे दिए, थोड़ा-थोड़ा झांककर अपने अन्दर भी देखें और जो व्यक्ति अपने अन्दर झांक कर देखेगा तभी काम ठीक होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। वैसे इस पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है लेकिन दो चीज स्पष्ट रूप से मैं सदन को और निवेदन करना चाहता हूं।

"Justice delayed is also like justice denied" मैं सबसे पहले तो माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने मूल इस पूरे के पूरे बिल में सिर्फ पदनाम को चैंज किया है। जब आपने अक्षरश: उसका अनुवाद हिन्दी में कर दिया तो 'सिविल' को 'सिविल' ही क्यों रखा? 'सिविल' का मतलब 'सिविलाइजेशन' से है, 'सिविल'

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

का मतलब 'सिविक सैंस' से है? यह सदन इस बात पर कई बार चर्चा कर चुका है कि हम राष्ट्र भाषा को ही सर्वसम्मति से मान्यता देते हैं। हम यहां अंग्रेजी के भाषण तक को सुनने को तैयार नहीं हैं, चाहे वह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण ही क्यों न हो। जब आप...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो लोग सिविलाइज्ड हैं वे 'सिविल' बोलते हैं और जो 'दीवाणी' मामले हैं, जो आम आदमी हैं हमारे जैसे, वे 'दीवाणी' बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 'दीवाणी' शब्द का उर्दू से सम्बन्ध है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उर्दू और हिन्दी तो दोनों बहनें हैं, बुर्का पहना दो तो उर्दू हो जाती है और साड़ी पहना दो हिन्दी हो जाती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या? क्या? क्या? क्या व्याख्या की है? (व्यवधान)

श्री सभापति: काफी विद्वान हैं वो, जो व्याख्या कर रहे हैं वह सही कर रहे होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या जोरदार तर्क दिया है इन्होंने?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं माननीय सभापति महोदय, इस बात की इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हमने बहुत से अनुवाद किए, 'मुन्सिफ कोर्ट' का भी किया, जिस वक्त 'मुन्सिफ कोर्ट' चला करते थे, उस वक्त उनका पदनाम 'नाजिम' था, हमने अनुवाद कर दिया। लेकिन यह बात मैं फिर, माननीय सभापति महोदय, आपको याद दिलाना चाहता हूं this is a secular country हमने उसके भी नियम बनाए हैं और हमें उसी मर्यादा में रहकर बात करनी पड़ती है। मैं माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान उस बेसिक चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, डाक्ट्रिन आफ बेसिक प्रिंसीपल्स, केशवानन्द भारती का केस नहीं होता तो शायद हमारे मौलिक अधिकार जो हैं और जिस प्रकार से हम शियर मैजोरिटी ग्रुप, ग्रुप मैजोरिटी से कोई चीज अमैंड कर लेते हैं उस पर उन्होंने एक रोक लगाई लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय, सदन से यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या संविधान को संशोधित करने का अधिकार न्यायपालिका को है? अगर संविधान को संशोधित करने का अधिकार है तो सिर्फ संसद को है या विधान सभा को है। 2007 में कोहेले वर्सेज स्टेट आफ कर्नाटक का फैसला आया जिसमें डाक्ट्रिन आफ बेसिक प्रिंसीपल्स के नाम पर यह जजमेंट आ गया कि डाक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसीपल्स सिर्फ प्रिएम्बल तक सीमित नहीं है, उन्होंने एक डिसीजन का ईयर का बैंचमार्क तैयार कर दिया। 1972 के बाद जब यह निर्णय आया तो उन्होंने कह दिया कि कोई भी अमैंडमेंट आएगा तो यह अमैंडमेंट बेसिक प्रिंसीपल्स के नाते प्रिएम्बल के स्पिरिट को भी कंफर्म करेगा। केशवानन्द भारती के बाद में जो निर्णय हुए जिसमें केशवानन्द भारती का भी है जिसमें 1972-73 को उन्होंने ईयर का बैंचमार्क बना दिया। पार्लियामेंट ने यह पास नहीं किया था कि कोई भी अमैंडमेंड इन दोनों परव्यूज में आकर कंफर्म करेगा तो हम उस अमैंडमेंट को एक्सैप्ट करेंगे। पार्लियामेंट को और विधान सभा को इन दोनों पैरामीटर्स के प्रिंसीपल्स को संयुक्त रूप से निर्वाह करना पड़ेगा। मेरा सदन को सिर्फ इतना-सा आग्रह है कि हम निरन्तर अपनी प्रक्रिया को नजरअन्दाज करते जा रहे हैं जिससे दूसरी इकाइयां आपके अधिकार पर अतिक्रमण करती जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग यहां हुई, नेशनल हाई-वे अथोरिटी आफ इण्डिया की मीटिंग हुई, उसमें नेशनल हाई-वे नम्बर आठ के बारे में जब जिक्र चालू हुआ तो नेशनल हाई-वे अथोरिटी आफ इण्डिया के जो अधिकारी आए थे उन्होंने यह कहा कि अब इसमें उच्चतम न्यायालय ही इसकी मानिटरिंग करेगा। आदरणीय, एनएच 8 में कहां डाइवर्जन रहेंगे, कहां पुलिया बनेगी, कहां बाइपासेज बनेंगे, वह कार्यपालिका के परव्यू क्षेत्र से भी बाहर निकल गया। यह चार दिन पहले मीटिंग के मिनिट्स के अंग हैं। मुझे बताइए कि यह सारा कार्य न्यायपालिका के गलियारों से होने लगेगा तो निर्वाचित कार्यपालिका क्या कार्य करेगी, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मर्यादित आचरण और वैधानिक चरित्र को अगर हमने नजरअन्दाज किया और सदन ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा और सिर्फ औपचारिकता पूरी करने तक का दायित्व निभाया तो एक न एक दिन प्रजातंत्र की उस प्रमुख व्यवस्था जिसका नाम और उच्चतम शिखर जिसका नाम विधायिका है, उस पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अतिक्रमण होकर हम किसी और व्यवस्था को जन्म दे देंगे इसलिए आग्रहपूर्वक मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं, विधायिका का कार्य मर्यादित आचरण के साथ-साथ संविधान की मर्यादा को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए और इस प्रकार के कृत्य किसी भी इकाई के द्वारा क्यों न हों, हमें इस सदन में आकर उस पर चर्चा करके विवेकपूर्ण टिप्पणी करनी चाहिए।

मुझे आप यह बताइये, 200 विवेक, विवेक मस्तिष्क कोई निर्णय लेते हैं, 200 व्यक्तियों के विवेक को एक व्यक्ति या 5 व्यक्ति अपने विवेक से प्रश्न-चिन्ह लगा देते हैं। 527 विवेकशील लोगबाग पार्लियामेंट में बैठकर, किसी एक न्यायाधीश का एक मस्तिष्क उनके विवेक पर प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं। आखिर मारल प्रिंसिपल्स भी हैं या नहीं हैं? या हमने वहां भी मानव जीव को न बिठाकर, ये अभी नाम ले रहे थे लार्ड, वह लार्ड आकार का है, हम लार्ड उस निर्विकार को कहते हैं जो अपने आपमें निर्विकार है। हम उस लार्ड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जहां से यह नाम आया है वहां तो हाउस आफ लार्डस भी है। किसी भी इकाई को इस प्रकार निर्णय लेने से पहले यह बात सोचनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में सर्वसम्मति से अगर कोई चीज वहां से लागू होती है या वहां से उसको सहमति मिलती है तो उनके विवेक पर प्रश्नचिह्न लगाने से पहले अपनी मानसिकता को जरूर टटोल लें कि कहीं वह स्वार्थ से वशीभूत होकर, अहंकार से वशीभूत होकर तो प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा, वर्ना सदन में कार्यपालिका को और विधायिका दोनों को एकरूप होकर इस संविधान की मर्यादा का संरक्षण करना चाहिए, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, कल जब पूरे देश के सभी न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश और राज्य के मुख्य मंत्री व विधि मंत्री जिस बैठक में उपस्थित थे, वहां देश के प्रधानमंत्रीजी ने दो बातें मोटे तौर पर कहीं। उन्होंने एक बात कही कि पावरफुल जुडीशियरी या परफैक्ट जुडीशियरी, क्या चाहते हैं हम, इस पर विवेचना निश्चित तौर पर होनी चाहिए।

सभापति महोदय, उन्होंने दूसरी बात यह भी कही कि हम अलग-अलग बिरादरियों से हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जिस बिरादरी से आया हूं उस बिरादरी की परीक्षा हर 5 साल में करोड़ों लोग लेते हैं और प्रति दिन लेते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। आप जिनको डीवाइन, एक तरह से लार्डशिप कहते हैं, जिनके आगे कोई दूसरा दरवाजा नहीं, आपके द्वारा लिखी गयी एक बात, उस बात का परिणाम दूर तक चला जाता है। निश्चित तौर पर आपने जो बात कही वह समसामयिक है। हमारे संविधान के अन्दर केशवानन्द भारती के केस के पश्चात् हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान और हमारे संविधान की मूल आत्मा तो हमारे फण्डामेंटल राइट हैं। इन फण्डामेंटल राइट पर जब कभी भी किसी वर्ग ने चोट करने की कोशिश की है, मैंने आपातकाल की बात इसीलिए कही थी, आपातकाल में वह समय था जब लोकशाही पर तानाशाही हावी हुई थी। यहां माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सैपरेशन आफ पावर, डाक्ट्रिन आफ सैपरेशन आफ पावर्स तो हमारे इस संविधान की मूल आत्मा है।

आपने यह कहा कि आपने यहां सिविल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? कल मुझे तो खुद को पहली बार मालूम पडा, मैं ला का विद्यार्थी जरूर रहा हूं, कुछ हालात ने मुझे कानून पढ़ने के लिए मजबूर जरूर कर दिया था, पर मैंने कभी जाकर कोर्टों में प्रैक्टिस नहीं की। यह दूसरी बात है कि कई बार आदमी चलता-चलता ऐसे घेरे में आ जाता है कि उसे अपनी पुरानी चीज को याद करना पड़ता है। मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि लीगल डिक्शनरी, शब्दावली जिसको कहते हैं वह अलग से है। कल प्रधानमंत्रीजी से उन्होंने विमोचन कराया था और जहां तक मुझे मालूम है कि यह लीगल शब्दावली है, डिक्शनरी है उसके अन्दर शायद सिविल का ही उल्लेख है, इसलिए सिविल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वर्ना दीवानी शब्द का इस्तेमाल करते तो शायद वह उर्दू शब्द हो जाता।

अभी बात चली, जुडीशियल सक्रियता की। निश्चित तौर पर न्यायपालिका की सक्रियता तभी रहती है जब हम कहीं न कहीं न उनको इस बात के लिए दे देते हैं। आज जब सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कार्य सलाहकार समिति में विराजे थे, वहां बात चली कि राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को जल्दी लेना है। साथ में तर्क यह दिया गया कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है इस प्रकार का। जब इस प्रकार की बातें चलती हैं तो संविधान के तीनों अंगों का संतुलन कहीं छोटा-मोटा गड़बड़ाता है तो एक-दूसरे पर जो नजरें हैं उन नजरों में थोड़ा-बहुत टेढ़ापन आ जाता है, परन्तु हमारे संविधान की मूल आत्मा है कि तीनों स्तम्भ ठीक चलें और निश्चित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तौर पर ठीक तरह से चलने ही चाहिए। इसलिए मैं दोनों विद्वान माननीय सदस्यों की बात का उत्तर तो नहीं दे सकता, परन्तु मेरा निवेदन यही है कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री प्रभूलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, यह हमारे दूसरे विद्वान साथियों का विषय है। इसलिए मैं मेरे द्वारा जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित) डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, पूरा विश्व जानता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। धीरे-धीरे करके कृषि की जो पिछले 67 वर्षों में उपेक्षा हुई उसके कारण से आज राष्ट्रीय आय में भी खेती का योगदान कम हुआ है। लेकिन यह सारा विश्व मान चुका कि सारे विश्व की जो अतिरिक्त जनसंख्या है, जो रोजगार चाहने वाले लोग हैं उन सबको रोजगार देने की

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

क्षमता अगर किसी सेक्टर में है तो वह एग्रीकल्चर सैक्टर है। खेती के अलावा कोई भी क्षेत्र, क्योंकि हमने इंग्लैण्ड का औद्योगिक विकास देख लिया, भारत का राष्ट्रीयकरण का दौर भी हमने देख लिया, लेकिन फिर भी एक चेतावनी के रूप में यह है कि भारत कृषि प्रधान देश है और रहेगा, लेकिन कृषि की जो स्थिति है वह निरन्तर गिरती जा रही है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जापान में 5 परसेंट लोग खेती करते हैं और 84 परसेंट को रोटी देते हैं। हमारे यहां 70 परसेंट लोग हैं फिर भी कई बार संकट आता है और उसका एकमात्र कारण है एग्रीकल्चर की उपेक्षा। बजट का पौने छह परसेंट, छह परसेंट भी पूरा नहीं, पौने छह परसेंट बजट का कृषि पर निर्धारित है। यही कारण है कि लगातार अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वह कम होता जा रहा है। केवल कम नहीं होता, ग्रामीण गरीबी और देश की गरीबी को बढ़ाने में अगर योगदान है तो कृषि की उपेक्षा है। 20 वर्ष तक चार पंचवर्षीय योजनाएं निकल गईं। रिजर्व बैंक ने जब सर्वे कराया तो उसमें एक ऐसी स्थिति आयी कि रिजर्व बैंक तय नहीं कर पाया। 74 की रिपोर्ट 76 में प्रकाशित हुई, उससे पहले रिजर्व बैंक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सका। उसमें भयानक स्थिति यह थी, जिसकी चरण सिंहजी ने एक पुस्तक भी लिखी, ''भारत की भयावह स्थिति'' उस रिपोर्ट के आधार पर। उसमें था लगातार गरीबी बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की गरीबी तेजी से बढ़ी है तथा वह और बढ़ रही है। आज इस बात का सूचक है यह।

एग्रीकल्चर एजुकेशन की हम बात करें राजस्थान जैसे प्रान्त में केवल 1100 सीटें एजुकेशन की हैं। 5 विश्वविद्यालय हैं, एक भी कालेज सरकार का नहीं है। एग्रीकल्चर फैकल्टी हो सकती है कहीं, एक भी कालेज नहीं है, कैसा दृश्य है यह?

46 हजार गांव हैं, किसान डेमोंस्ट्रेशन पर ज्यादा ध्यान देता है। जब यूरिया आया था, यह 1967 के लगभग आया था और जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल में दो साल तक पड़ा रहा और एक भी कट्टा नहीं उठा और अब यूरिया के लिए आज ही विवाद हुआ कि यूरिया हम पूरा नहीं कर पाये। किसान डेमोंस्ट्रेशन पर विश्वास करता है और अगले 20 वर्षों में 46 हजार अगर विद्यार्थी एग्रीकल्चर के निकलते हैं तब कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, तब वो आर्थिक रूप से सक्षम होगी लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें कृषि एवं प्रौद्योगिकी और शब्द है, टेक्नोलाजी शब्द है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कौनसी प्रौद्योगिकी इन पांच विश्वविद्यालयों में पैदा हो रही है या पहले जो चल रहे हैं उनमें हुई क्या कोई? कोई हल में सुधार हुआ क्या, मशीन में सुधार हुआ क्या, बीज डालने में सुधार हुआ क्या उन विश्वविद्यालयों के कारण से? इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर अनुसंधान को फाइनेंस करने वाली एक संस्था बनी हुई है आई.सी.ए.आर., कितना पैसा राजस्थान को मिला? कितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं यहां? अधिकांश जिलों में कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं फिर भी हम शिक्षा प्रत्येक जिले तक नहीं पहुंचा पाए। पहले स्कूलें चलती थीं, सीनियर हायर सैकण्डरी हजारों की संख्या में थीं। आजादी के इतने वर्षों तक हम फैकल्टी चलाते रहे और उसको अब केवल सब्जैक्ट कर दिया गया। मैं यह एग्रीकल्चर की उपेक्षा की बात कर रहा हूं। आवश्यकता ही नहीं है, शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। हम किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं पर कैसे बनेगा जब एग्रीकल्चर शिक्षा है नहीं। मैं तो सदन में पहले भी बोला हूं, राजस्थान में ही नहीं, पूरे देशभर में दो धोती वाला है, जो एक बांधता है और एक ओढ़ लेता है तब तक कृषि करेंगे वर्ना यह कार्पोरेट जगत करेगा और जो किसान जमीन का मालिक है वो मजदूरी ही करेगा क्योंकि और कोई उसके पास चारा ही नहीं है। हम भी थोड़े ही दिन हैं, यह जो 15 रुपये में खरीदकर 2 रुपये में बेचने वाली खाद्य सुरक्षा है न यह दुनिया में पहली बार है कि उत्पादक को तो छोड़ दिया गया और खाने वाले को कहा कि तू खूब खा, हम तुझे फ्री में दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ क्या? किसान की इसमें चिंता ही नहीं की गई। न तो शिक्षा में चिंता की गई और न फाइनेंस में चिंता की गई। पिछले सदन में यह तय हुआ था कि डेढ़ लाख तक किसान को लोन मिलेगा। शायद एक भी किसान नहीं है राजस्थान में जिसके फाइनेंस की व्यवस्था की हो। अगर पहले एक लाख की व्यवस्था थी तो डेढ़ा पैसा तो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ।

आजादी के बाद में जो प्रौद्योगिकी की स्थिति है, मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। लोग सोचते होंगे कि महाभारत के ग्रंथ में युद्ध का विवरण होगा पर कितनी उस समय एग्रीकल्चर की चिंता थी उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। शांतिपर्व के पहले श्लोक में जब नारदजी पाण्डवों के बड़े भाई युधिष्ठिर के राज्य में युद्ध जीतने और राज्याभिषेक के बाद पहली बार जाते हैं तो उसमें

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पहला ही श्लोक है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप उसको पढ़ना, वह इंटरेस्टिंग है। नारदजी तीन बातें पूछते हैं उसमें राजा से। एक, क्या तुम्हारे राज्य में बीज बेचने की मनाही है? अब तो बीज पर हम आश्रित हो गये। ऐसे बीज आ रहे हैं, गाय का भी ऐसा बीज आ गया कि न तो सांड बनता है और न वह बैल बनता है। ऐसे ही बीज का आ गया कि दोबारा बोते हो तो वो होता ही नहीं। इस देश की आत्मनिर्भर कृषि थी कि हांडी में दस साल तक बीज रहता था। अमरीका तो टैस्ट कर रहा है कि यहां के जो बीज थे उनको ले गये और उनको हर साल उगाकर देखते हैं कि यह उगता है या नहीं पर उग रहा है, 25-25 साल तक उग रहा है और हम सारी दुनिया से ले आये यहां मोंटेसेंटो कम्पनियों को लाकर और आच्छादित हो गये कि हम बहुत बढ़िया बीज ले आये। कीमत क्या है उसकी? उसकी कीमत ग्राम में है और लाखों रुपये है। जब बाजरे का संकर बीज आया था तब 7 रुपये में थैली आती थी और बाजरा एक रुपये किलो में बिकता था और अब बाजरा बिकता है 7-8 रुपये में और बाजरे की थैली आती है 330 रुपये में। कितना गुना हो गया? इससे किसान सम्पन्न होगा या डूबेगा, मरेगा? 330 रुपये में थैली है और कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि बीज के मामले में गड़बड़ है और लोग गड़बड़ करते हैं।

फिर दूसरी बात और कहते हैं नारदजी जिसमें बीज के साथ चिंता करते हैं कि क्या किसानों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था कर रखी है? इसके लिए तो मैं वसुंधराजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जीरो ब्याज कर दिया। अटलजी को धन्यवाद दूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको 18 परसेंट से 8 पर लाये थे, फिर 7 किया था, 6 किया था, 5 किया था और जीरो पर ले आये। यह भी नारदजी पूछते हैं। उस समय किसानों की कितनी चिंता थी यह मैं बता रहा हूं। उस वक्त बैंक नहीं थे पर फिर भी चिंता कितनी थी।

तीसरा वाक्य कहते हैं कि क्या आपने अदैव मातृका कृषि की व्यवस्था कर दी, जो देवताओं पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब सिंचाई की व्यवस्था। अभी तो हम सारे देश में 34 परसेंट सिंचाई की व्यवस्था कर पाये हैं और पानी बहकर जा रहा है। मैंने पिछले दिनों बांसवाड़ा का उठाया था कि माही का चार दिन में फ्लो हो जाता है फिर कडाणा में गिरता है और समुद्र में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

चला जाता है तो क्या उसकी प्लानिंग की, कहां प्लानिंग कर रहे हैं। जनजाति विशेष फण्ड और वहां सिंचाई की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। कितनी बढ़िया मिट्टी है और मैं तो कह रहा हूं कि कभी भी यह अनुमान ही नहीं किया जाता कि इनपुट-आउटपुट रेशो क्या है एग्रीकल्चर का, कोस्ट बेनेफिट रेशो क्या है, पिछली बार मैंने एक खेत का बाजरे का हिसाब लगाया था, उसमें दो बार जुताई की, बीज बोया, 320 रुपये का बीज लाया, 200 रुपये बीघा के हिसाब से कराई, फिर गोज की। गोज भी आजकल वो नहीं आती महिलाएं, नरेगा की जो महिलाएं आती हैं उनके कारण से डेढ़ा पैसा हो गया है, 300 रुपये हो गया और वो गोज करने वाली महिलाएं भी साढ़े चार बजे घड़ी देखती हैं। उसके बाद कटाई की बात आई तो उन्होंने छोड़ दिया कि मुझे कड़ब-कड़ब दे जा और बाजरा तू ही ले जा। ऐसे किसान जिंदा रहेगा? कोई इस प्रकार की प्रौद्योगिकी लाये क्या जिससे कटाई में फायदा हो? ऐसे कैसे किसान पनपेगा, कैसे कृषि पनपेगी?

इसी प्रकार से दोबारा मैं आपको बताता हूं कि अथर्ववेद है, यह पाठ्यक्रम में नहीं है। देश के किसी भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में नहीं है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक चैप्टर है जिसमें 64 प्रकार के हलों का विवरण है। मैंने जब पहली बार बांसवाड़ा में पढ़ा तो मुझे लगा कि यह 64 प्रकार के हलों की बात कैसे है। अभी जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट पढ़ाते हैं वो 14 प्रकार के हल पढ़ाते हैं जिसमें एक पंजाब हल के नाम से भी है। उसमें 64 प्रकार के हलों की बात करते हैं। फिर मेरे ध्यान में आया कि इण्डिया में मौसम के हिसाब से 56 भाग ही हैं तो फिर ये 64 की बात कैसे कर रहे हैं। बाद में मैंने सोचा कि हमारे अखण्ड भारत में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी थे तो टेली हो गया कि 64 प्रकार का मौसम, 64 प्रकार की मिट्टी, 64 प्रकार के हल। क्या पढ़ा रहे हैं क्या एग्रीकल्चर में हम, उस एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम क्या है, क्यों मरेगा किसान, वहां जो अथर्ववेद में पहला श्लोक है उसका निवेदन करना चाहता हूं। उसमें एग्रीकल्चर का चैप्टर है जिसमें सबसे पहले ब्रह्माजी कहते हैं इन्द्र से। अब आजकल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई नहीं बनना चाहते, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि ये दूसरी बार बने हैं और कुछ किया भी है। आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया वर्ना कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही नहीं बनना चाहता। लेकिन उसमें ब्रह्माजी ने इन्द्र को कहा, पानी का देवता है न, सिंचाई मंत्री के पास कृषि मंत्रालय नहीं होता।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

क्या कहा उनको? कहा, जाओ, सरस्वती के किनारे जाओ और जौ की खेती करो। ये गेहूं महाराज जब से आये हैं न एक नम्बर पर तब से डायबिटीज होने लगी है वर्ना पहले नहीं होती थी और अब भी जौ खाओ तो नहीं होगी। उसको पवित्र मानते हैं और पूजा में वो ही रखा जाता है, गेहूं नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, उसके आगे क्या कहते हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं कि इण्डिया में कैंसर हो गया। अमरीका में खाद के बैग पर लिखा जाता है कि इसके द्वारा उपजाया गया अन्न खाने योग्य नहीं है, यह चेतावनी है। ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि धीरे-धीरे करके ऐसे विकसित करना कि अमृतमयी हो जाए। इसका मतलब गोबर की खाद, हरी खाद, इसके कारण से गुणवत्ता बढ़े। ऐसा कहा जाता है कि उस समय वो कहते हैं। अब अगर कुछ कहेंगे तो धर्म निरपेक्षता की बात आ जाएगी लेकिन यह हकीकत है। इतना ही नहीं, कितना बारीक ज्ञान है उसमें कि जो बैल के जूड़ा होता था जो उसके सिर पर रखा जाता था उसकी नाप भी दे रखी है। हल पर जो लोहे और लकड़ी की चूल लगती है उसकी भी नाप दी हुई है अथर्ववेद में। उसको पढ़ा रहे हैं क्या हम, नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा रहे हैं, बीज-खाद पढ़ा रहे हैं। कोई अनुसंधान हुआ क्या? कोई दिया क्या? अगर हुआ तो तीस साल की मेहनत से यहां दुर्गापुरा में हुआ। मैट्रो लायेंगे, मैट्रो लायेंगे पर कोई तैयार ही नहीं है और सब कह रहे हैं कि यह तो घाटे का सौदा है। उसमें भी उस जमीन में तीस साल की पसीने की कमाई है उसको खोने के लिए तैयार था पर वो तो पता नहीं कैसे बच गया, अपन न विरोध किया इसलिए बच गया वर्ना वो तो तैयार थे उसको भी देने के लिए। इस कारण से मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मंत्रीजी, पब्लिक सैक्टर में एक महाविद्यालय तो खोल दीजिये जिससे कि आईसीएआर (इण्डियन कौंसिल फोर एग्रीकल्चर रिसर्च) की जो ग्रांट है, अनुसंधान के लिए एक नया पैसा नहीं ला सकते। उसमें तो सिस्टम ऐसा है कि जब कालेज होगा, वह पीजी भी तभी बनेगा। अभी राजस्थान में एक भी पीजी कालेज नहीं है। फिर एग्रीकल्चर का हम कौनसा विकास कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के माध्यम से हम विकसित होना चाहते हैं, प्रांत की बहबूदी बढ़ाना चाहते हैं। पिछले पांच साल के शासन में जब ग्रोथ रेट पांच प्रतिशत को पार की, उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट सात प्रतिशत थी, तब जाकर हुआ था वर्ना प्राप्त कर लो ना, पूरा इतिहास भरा पड़ा है 67 साल का। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जब बढ़ी है, तभी इण्डिया की ग्रोथ

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

रेट पांच प्रतिशत की की है वर्ना कहते हैं कि यह तो हिन्दू ग्रोथ रेट है ढाई और तीन प्रतिशत। इसी रेट से बच्चे पैदा होते हैं और इसी रेट से देश की ग्रोथ होती है। जब-जब भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ी है, तभी पूरे देश भर की ग्रोथ बढ़ी है और उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। कभी हिसाब ही नहीं लगाते, उसके क्या घट रहा है, क्या हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के सरकारी क्षेत्र में तीन कालेज हैं, एक तो उनका खुद का ही है कृषि मंत्रीजी का उनियारा में, पुराना है, एक मेरे क्षेत्र का है और दियाजी यहां बैठी थीं, अब तो चली गई दिखती हैं, एक उनका कालेज है। तीन कालेज हैं, 35 साल से फैकल्टीज हैं, 13 विषय एग्रीकल्चर में होते हैं, आनर्स सब्जैक्ट है और 13 के 13 पद भरे हुए हैं, कुछ नहीं देना है। मैं विधान सभा में पहले भी बोला, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, इन तीनों सरकारी क्षेत्र के कालेजों को आप, डिग्री कालेज अलग से बनाइये। वहां फार्म है, वहां अलग से बिल्डिंग है और उसको करने के बाद पीजी भी हो जायेगी और पीजी होते ही आईसीएआर की जो ग्रांट है, जो किसानों के लिए आती है। अनुसंधान वहां लेबोरेटरी में नहीं होता है, अनुसंधान खेत पर होता है। उस खेत पर अनुसंधान के लिए आईसीएआर की ग्रांट, एक कालेज के 50 किलोमीटर के घेरे में अनुसंधान कर सकते हो, ऐसी स्थिति है।

ऐसे ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल लेवल पर केवल हमने उसको सब्जैक्ट किया है, उसको वापस फैकल्टी करें, संकाय करें वापस। कम करें, मैं नहीं कहता कि सबको एक साथ खोल दो लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 46,000 गांवों में 1,100 पोस्ट हैं, वह भी तीनों कालेजों की चारों साल की है। फोर ईयर कोर्स हैं ये, आनर्स कोर्स है और उनकी टोटल सीटें 1,142 हैं। कितना दुर्भाग्य है एग्रीकल्चर का?

इसी प्रकार के एग्रीकल्चर के जो पद हैं। प्रयोगशाला सहायक है, प्रयोगशाला सेवक है, लेबोरेटरी नहीं है। लेबारेटरी है तो चलती नहीं है, फिर कौन से विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं, केवल परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में भी दादागीरी करते हैं। पिछले शासन के समय में मैं बोला भी था। बीकानेर यूनिवर्सिटी परीक्षा लेती है एग्रीकल्चर की, सबकी और उनियारा गवर्नमेंट कालेज को बच्चे ही नहीं दिये। दो साल से बच्चे दे रहे थे, तीसरे साल नहीं

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

दिये उन्होंने कि आपने समय पर कागज नहीं भेजा। देखिये विश्वविद्यालय का तमाशा। किसके बच्चे थे वह? एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे वंचित रहे, उनियारा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे वंचित रहे, किसकी गलती से? विश्वविद्यालय खोलकर हम क्या कर रहे हैं? विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक लाकर हम क्या कर रहे हैं? इसमें सम्बद्धता और कांस्टीट्यूएंट, ये दो शब्द लेकर हम संशोधन कर रहे हैं। पहले एक्ट बना था, तब क्यों नहीं किया? क्या आप यूनिवर्सिटी को केवल एक कैम्पस रखना चाहते हैं, विस्तार नहीं करना चाहते थे? जिन्होंने भी एक्ट बनाया, उसमें सम्बद्धता और कांस्टीट्यूएंट कालेज अब हम मेंशन कर रहे हैं। वर्षों तक पद खाली पड़े रहते हैं, साइंटिस्टों के पद खाली पड़े रहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कालेज है। पंचायतें बनीं, पहले तो पंचायतें भी नहीं थीं। विश्व में सबसे बड़ा कालेज होगा। उसमें एग्रीकल्चर की फैकल्टी चलती है, सेपरेट है वह। कृषि महाविद्यालय के नाम से 27 हैक्टेयर जमीन पहले से अलाटेड है। कालेज के नाम से यह कालेज है नहीं तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। तीनों हमारी कालेज हैं, सवाई माधोपुर है, एक टोंक जिले में है, एक यह जिला है। इन तीनों को कालेज करें। केवल प्रिंसिपल का पद देना है।

एक एक्सटेंशन विभाग होता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो विस्तार वह जो कालेज का कैम्पस है, उसमें कहीं खींचतान करके चौड़ा करते हैं क्या? एक्सटेंशन का मतलब होता है, आसपास के गांवों में जो एग्रीकल्चर की शिक्षा है, उसको एक्सटेंड करना है। यह हो रहा है क्या? अभी तीन के तो कैम्पस ही नहीं बने। जब एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है?

एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में कहीं ट्रैक्टर है तो ड्राइवर नहीं है, फिर ट्रैक्टर किसलिए है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम रोजगार दे सकते हैं। आवश्यकता भी है।

आज आलू की बात आई थी। बहुत अच्छा विषय था, महत्वपूर्ण विषय था। चाहे वह आलू धौलपुर में ही होता हो। मोदीजी के आने के बाद में अगर कोई लांछन की बात उठाई थी ना मीडिया ने भी। मीडिया वाले मुझे माफ करेंगे, आलू 60 रुपये चला गया। उस 60 रुपये तक जाने वाले को रोकने का

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

क्या प्रयास किया हमने साल भर में, दो साल में, तीन साल में, चार साल में, पांच साल में? क्या गोदामों के लिए एक साल का बजट एग्रीकल्चर के बजट जैसे, हमने 39 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी में दे दिया बजट का, छह प्रतिशत एग्रीकल्चर में दे रहे हैं। आप एक प्रतिशत दे दो ना। केवल गोदाम बनायेंगे। फिर ये तो नहीं आयेगा। पिछली बार एक साल पहले, दो साल पहले, चौमूं के रामलालजी यहीं बैठे हैं। चौमूं की मंडी को टमाटर से भर दिया था सड़क पर डालकर। निकलना मुश्किल हो गया था। यह कितनी बार आयेगा? यह तो आजादी के उस टाइम के बाद की बात है, 67 साल बाद की बात है। एग्रीकल्चर में प्रोड्यूसिंग मार्केट के एक्ट भी आ गये, मंडियां हैं, इनके लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता है। बजट दिया जाना चाहिये और शिक्षा पर ज्यादा दिया जाना चाहिये।

अभी एक प्रयोग अलसी का किया। अलसी निश्चित तौर पर आयुर्वेदिक वस्तु भी है और कामर्शियल वस्तु भी है और मौसम के अनुकूल है। एक बार पहले आंदोलन चला था, जब हमारा पिछला शासन था 2003 से 2008 के बीच में। जयपुर जिले को आंवला जिला बनायेंगे। वास्तव में वह आंवला जिला बन गया, खरीद के नाम पर वहां भी पेड़ काटे जाते रहे। दो रुपये किलो में उठाकर दिल्ली ले जायें। किराया ज्यादा हो जायेगा। वहां दो रुपये किलो मिलते हैं। उन्होंने सबको काट दिया। केवल एग्रो इण्डस्ट्री अगर होती, एग्रो में अगर हम सास बनाने की छोटी-छोटी फैक्ट्रीज लगाते और यह अनुदान की बात है, यह कभी नहीं देखा जाता एग्रो इण्डस्ट्री में 25 लाख रुपये है, वह खादी को सम्भला दिया। एग्रो इण्डस्ट्री लगाओ, 25 लाख रुपये तक तो खादी करेगी। अब खादी क्या करती है, अपन सब जानते हैं।

नाबार्ड बना केवल मात्र एग्रीकल्चर के नाम से और पिछले वर्ष 2011 में उन्होंने कहा कि डेयरी करेंगे, उनको हम सब्सिडी देंगे। एक साल तो दी और उस फंड को उठाकर कहां डाल दिया? जो नये-नये अब उद्योग आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इण्डस्ट्री को हमने खूब पैसा दिया। एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। उससे ज्यादा एक्सपोर्ट तो जो बड़ी इण्डस्ट्री हैं, जिनको करोड़ों-करोड़ रुपयों की सब्सिडी मिल रही है। पांच लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी आज की तारीख में बड़ी इण्डस्ट्री को मिल रही है। उनका सबका एक्सपोर्ट है। वह सिले-सिलाये कपड़े, सोने-चांदी के गहने, इन दोनों से बड़ा उनका एक्सपोर्ट नहीं है। यह सवा लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है लेकिन सारी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मशीनरी मिला दो, उनका सवा लाख करोड़ का एक्सपोर्ट नहीं है। फिर किसलिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। किसान की सब्सिडी को हम नीचे करने में लगे हुए हैं। एक वर्ष में चार बार किसान के खाद के पैसे बढ़ जायें। फिर किसी से हम आशा करते हैं कि खेती हमें रोजगार देगी। रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार तो एग्रीकल्चर ही देगा। जापान का उदाहरण है। इजरायल जाकर आये थे, इजरायल में पानी नहीं था, मिट्टी नहीं थी। सीमेंट की चद्दरें डेढ़ फुट नीचे, छह या आठ इंच नीचे पूरे बालू मिट्टी में नीचे चद्दरें बिछाकर समुद्र के पानी को साफ करके खेती कर रहे हैं। यहां तो केवल बालू मिट्टी तो है और बालू मिट्टी के नीचे भी उपजाऊ जमीन है जहां नमी ज्यादा ठहरती है। यह बाड़मेर का बाजरा मीठा ऐसे ही नहीं होता है। वहां उस बालू मिट्टी के नीचे नमी बसती है। वह नमी और उर्वरा शक्ति से बचती है अकाल के कारण से, उसके कारण से मीठा बाजरा होता है कोई कारण नहीं है उसका। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। इण्डस्ट्री के बराबर सब्सिडी दे रहे हैं। फिर इण्डस्ट्री घोषित क्यों नहीं कर देते एग्रीकल्चर को? एग्रीकल्चर को इण्डस्ट्री घोषित करिये ना, कुछ तो लाभ मिलेगा, इन्श्योरेंस मिल जायेगी। अब आज एक करोड़ का या 100 करोड़ रुपये का कोई प्लांट लगाता है तो उसको 15 लाख सब्सिडी मिलती है और किसान को 200-400 रुपये सब्सिडी मिलती है। उसमें भी 86 प्रतिशत से 60 प्रतिशत लेते हैं और 60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत ले आते हैं। अमाउंट की बात नहीं करते कि टोटल जितने किसान हैं, 18 करोड़ किसान हैं उन 18 करोड़ किसानों को कितनी सब्सिडी दे रहे हो। यह गेहूं 15 रुपये से दो रुपये में बेचने वाली सब्सिडी भी उसमें आ गई, 700 रुपये मात्र एक किसान को सब्सिडी साल भर में मिलती है। उसको भी कम करने में लगे हुए हैं। नो, नो, नो। खाद की सब्सिडी कम करो। बिजली की सब्सिडी कम करो। कर दी ना अभी। हमारी हालत खराब है। हम तीन दिन तक जा ही नहीं पाये। बिजली के जो बिल आये हैं, उस कारण से हम जा नहीं पाये। यह स्वीकार करने में मुझे तो आपत्ति नहीं है। उसका कारण है, 61 लाख करोड़ रुपये का घाटा होने के बाद भी उसकी जांच नहीं हुई और किसान को दोगुना बिल कर दिया। एग्रीकल्चर कैसे विकसित होगी। यह सारे टोटल सिस्टम है, उन सबके लिए किसान की बिजली माफ कर दो। न तो मीटर रीडर होगा, न चैकिंग होगी, न बिल वाला होगा, न जमा करने वाला होगा। सब खतम हो जायेंगे ना। दे ही रहे हो, और चार हजार करोड़ की सब्सिडी दे दो, यह सारा

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सिस्टम ही खतम हो जाएगा। वह गरीब किसान लुटेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे सभी जिला हैडक्वार्टर पर केन्द्र के और राज्य के अनुसंधान केन्द्र हैं, कोई तालमेल नहीं है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के विकसित फार्म नहीं है, फार्म तो होंगे, अलाट तो करा लेते हैं जमीन, विकसित नहीं है तो वो पास वाले से अटैच करके, इस सदन के सदस्य तो नहीं रहे लेकिन संसद के सदस्य रहे हैं। जिन्होंने साठ साल पहले यह कहा कि मैं संसद में नहीं जाऊंगा। नानाजी देशमुख ने एक विश्वविद्यालय खोला चित्रकूट में जिसको कांग्रेस ने बाद में छोड़ दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर स्टडी को छह भागों में बांटा पी.जी. तक। एक वर्ष तो क्लास टीचिंग और देश को पांच भागों में बांटकर के एक-एक वर्ष वहां रहेगा वह लड़का, तब पूरे देश की मिट्टी का, पूरे देश की जलवायु का अध्ययन उसका होगा। हमारे लड़कों को मालूम ही नहीं कि किधर की हवा चल रही है, वह पुरवाई हवा ही नहीं जानता। मेरे पिताजी अब तो नहीं है, एक बार भतीजी की शादी थी, तीन दिन पहले पिताजी बोले कि आज मैं हैण्डपम्प का पानी पीकर आया हूं, पानी बदला हुआ है, बरसात आ सकती है। मैंने कहा बैसाख में कहां से बरसात आएगी? दो दिन बाद बरसात आ गई तो साइंटिस्ट तो मेरे पिताजी हैं या मैं हूं? एम.ए., पी.एच.डी. कर ली, मैं बन सकता हूं क्या साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का ऐसा सिस्टम ही नहीं है। जब होली जलती है तो उसके तिरंगे जिस साइड में जाते हैं कहते हैं इधर कातरा पड़ेगा और अगर धुआं निकलती है सीधी तो कहते हैं मौसम ठीक हो जाएगा, यह कह देता है आम आदमी। वह साइंटिस्ट है या मैं साइंटिस्ट हूं? बीज को उठाकर कह देते हैं इस बीज में से 80 परसेंट उगेगा या 20 परसेंट उगेगा। हम लेबोरेटरी में भेजते हैं उसके बाद मालूम पड़ता है। फिर भी अगर उसने पैसे देकर के सर्टिफाइड बीज करा लिया तो फिर 40 परसेंट उगे तो ठीक है, रोकर रह जाएगा, कहां जाएगा। उपभोक्ता मंच वाले भी नहीं सुनते हैं, बीज वाले तो सबको परचेज करते हैं, मुझे माफ करना। तो इस प्रकार की स्थिति है इसलिए एग्रीकल्चर के इन अनुसंधान केन्द्रों को भी कालेजों और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाए। अतिरिक्त रोजगार के लिए साधन जुटाने चाहिए और एग्रो इण्डस्ट्री को अधिक महत्व दिया जाए। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापिस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की राय तो है, लेकिन मैं दो मिनट में ही अपनी बात को पूरा करुंगा। आज महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर संशोधन जो ला रहे हैं वह श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर उसी के अनुरूप इसमें भी संशोधन करने का मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है, इसलिए यह विधेयक ला रहे हैं। इसमें जो धारा-3 हटा रहे हैं कि ''कोई भी इकाई संबद्ध इकाई के रूप में मान्य नहीं की जाएगी'' यह हटा रहे हैं तो संबद्ध इकाई मान्य करेंगे। मुझे इसमें केवल दो तीन बातें ही निवेदन करनी हैं। एक तो इसमें मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आप 2000 के राजस्थान अधिनियम संख्या-8 की धारा-7 का जो संशोधन कर रहे हैं, उसमें आपने दिया है कि ''विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किए गए महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और ऐसे विशेषाधिकारों में से समस्त या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना'' अब समस्त या किसी यह थोड़ा समझ में नहीं आया है या तो समस्त लेंगे, यदि आप एफिलिएशन देंगे तो पूरा देंगे या उसमें से कुछ पार्ट को देंगे? यह एक थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्योंकि इसमें समस्त या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना, यह इसमें दिया है। मैं सोचता हूं कि जब संबद्धता वापस लेंगे तो पूरी की पूरी लेनी चाहिए या फिर संबद्धता दें तो फिर पूरी की पूरी दी जानी चाहिए। अन्यथा न वह इधर का रहेगा, न उधर का रहेगा, यह स्थिति पैदा होगी जरा, इसको आप उसमें क्लियर करेंगे तो मैं सोचता हूं कि इसको वापस लेना ही ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, एक बात जैसे आज एक प्रश्न आया था आलू वाला। आलू बहुत प्रचुर मात्रा में चार गुना पैदा हो गया और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई किसान भी बरबाद हो रहा है। यह जो एक बात आप समझे कि कोई भी सरकार सफल कब है, जब उसका अनुपात सही हो। आपके पास में कालेज आफ होम साइंस है, डेयरी एण्ड फूड टैक्नोलोजी है, आपके पास में हार्टिकल्चर और फोरेस्टरी है, आपके पास में कालेज आफ फिशरीज है, आपके पास में कालेज आफ एग्रीकल्चर है और डायरेक्ट्रेट आफ रिसर्च है। तो यह जो जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समानुपात में पैदावार भी किसान करे, इसके लिए भी प्रैक्टिकल आपका जो विद्यार्थी करता है, वह किसान के साथ साझा क्यों नहीं करता? आप वहां पर केवल कालेज के अन्दर ही बिठाकर के

(श्री मदन राठौड़)

और वहीं पर प्रैक्टिकल करके और उसको डिग्री देते हैं तो मेरा एक सुझाव है कि यदि आप मान्य करें कि वहां जब आसपास में बहुत किसानों के खेत हैं। आप उस किसान के पास में, जो आपके डाक्टरेट कर रहा है, जो डिग्री प्राप्त कर रहा है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उस किसान के साथ में भेजें। दूसरा, आपके जो अधिकारी हैं ये क्यों नहीं आकलन कर पाते, आपको पता है कि जैसे आज आलू की समस्या आई, कभी प्याज के कारण से सरकारें भी गई हैं। यह सारी स्थितियां हमारे सबके सामने हैं तो मैं सोचता हूं कि ये आपका विभाग, आपके अधिकारी और आपके जो अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारी या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उनका उपयोग इस दिशा में क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा आप विचार करें।

मृदा परीक्षण की बात जैसे अभी कही गई। अभी देश के प्रधान मंत्रीजी ने सूरतगढ़ में आकर यह बात भी रखी तो किसान को प्रशिक्षित करने का काम भी आपके उन विद्यार्थियों का हो सकता है। जो आपके वहां पर अध्ययन कर रहे हैं तो वह मृदा परीक्षण करके कौनसी फसल कहां बोई जानी चाहिए अथवा कब किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि यह कर सकें तो एक तो मेरा यह निवेदन है।

दूसरा, सुमेरपुर में एग्रीकल्चर कालेज है, उसमें विद्यार्थी अध्ययन भी कर रहे हैं। वहां जमीन पर्याप्त है, जमीन इतनी है कि जितनी आपके जोधपुर में नहीं है। वह लूणी से आने वाले माननीय सदस्य या शेरगढ़ वाले बीच में एतराज नहीं करे। मेरी एक राय है क्या आप जोधपुर विश्वविद्यालय को सुमेरपुर स्थानान्तरित कर सकते हैं क्या? जोधपुर से अधिक भूमि सुमेरपुर में है, जरा इसके बारे में भी आप विचार करें और जैसे हमारे वो अंगुली उठा रहे हैं तो मैं यह जनमत जानने का प्रस्ताव लेने के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल (अनुपस्थित)। श्री हरिसिंह रावत (अनुपस्थित)। श्री हीरालाल नागर (अनुपस्थित)। श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)। श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, जैसा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो संशोधन विधेयक हैं। माननीय सुमेरपुर से आने वाले विधायक साहब ने जो बताया कि कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

(श्री मान सिंह)

का जो अधिनियम, 2013 के विद्यमान उपबंधों के अनुरूप यह संशोधन है। मैं सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जिस प्रकार की हमारी इन विश्वविद्यालयों की आटोनोमस बाडी है, उस आटोनोमस बाडी के लिए इस प्रकार के छोटे-छोटे विधेयक लाकर के आप कौनसा किसान का और इस प्रदेश का भला करना चाह रहे हैं? न इस उपबंध से कोई भला होने जा रहा है, ना हमारी इस प्रक्रिया से कोई भला होने जा रहा है। मैं कृषि मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारे भरतपुर जिले का कुम्हेर का हुकुमसिंह लोधा सरसों की ऐसी किस्म तैयार करता है जो 90 से 100 मन तक और 36 से 40 क्विंटल उत्पादन होता है और उन्होंने यह भी अब लक्ष्य रखा है कि जो सरसों की हाइएस्ट 42 प्रतिशत जो किस्म है उसको 50 प्रतिशत तक करेंगे। तो वह किसान हुकुमसिंह लोधा बढ़िया है या हमारे ये पांच विश्वविद्यालय, जो पांचों विश्वविद्यालय आज तक इस प्रकार की किस्म पैदा नहीं कर सके। मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको मानद उपाधि अगर डाक्टरेट की देनी है तो उस हुकुमसिंह लोधा को देनी है और मैं तो कहूंगा कि आप भी कृषि के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उन विश्वविद्यालयों को कम से कम सबसे पहले आपको तो डाक्टरेट की मानद उपाधि देनी चाहिए। यह कम से कम मैसेज जो जाए कि कौन कृषि का ज्ञाता है। इसलिए मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे किसान को जो हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर जोधपुर का विद्यार्थी भरतपुर आएगा

(18.00 बजे)

तो उसके समझ में ही नहीं आएगा कि यहां की कौनसी किस्म है और यहां किस प्रकार की फसल और वातावरण है, जब तक जोधपुर का विद्यार्थी भरतपुर में प्रैक्टिकल नहीं करेगा, जब तक जोबनेर का विद्यार्थी कोटा में प्रशिक्षण नहीं लेगा, उस किसान के साथ में काम नहीं करेगा, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस विश्वविद्यालय का जो फार्म है वो एक तरीके से कृत्रिम फार्म बन जाता है, उस फार्म के अन्दर पूरी की पूरी चीज उसको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बता देते हैं और जो उसको प्रैक्टिकल करना होता है उसको करके अपने प्रैक्टिकल को पूरा कर देता है और उस प्रैक्टिकल के आधार पर अपनी डाक्टरेट को कर लेता है पूरा। सही मायने में किसान के लिए अगर उसको प्रैक्टिकल करना है तो जैसा सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि उस विद्यार्थी

(श्री मान सिंह)

को किसान के खेत से जोड़ना चाहिए। किसान के साथ में जाकर के जब वो विद्यार्थी काम करेगा तो उस पूरे एरिया में दो विद्यार्थी ऐसा वातावरण पैदा करेंगे, किसान का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, वहां इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे और उनके मन में यह बात होगी कि हमको कौनसी किस प्रकार की किस्म को पैदा करना चाहिए, कैसे बढ़ावा देना चाहिए। किसान को कैसे अपनी मृदा का परीक्षण कराने में सहयोग हो सकता है। ये प्रैक्टिकल रूप से हमको हमारे इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से करना चाहिए।

सभापति महोदय, आज हो यह रहा है जिस प्रकार का किसान का वृहत एरिया है, जिस प्रकार का 76 प्रतिशत राजस्थान का किसान कृषि पर निर्भर है, उसकी जो बजटिंग है और उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह वाकई में बहुत कम है। उस कृषि की शिक्षा की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारे पास है अगर उसका भी सही मायने में हम उपयोग नहीं करेंगे तो इन विश्वविद्यालयों से इन परिवर्तनों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, कोई फायदा नहीं होने वाला है और ये अपने आपको आटोनोमस बाडी कहते हुए इनकी जो पेपर प्रणाली है, बच्चों की परीक्षा प्रणाली का अपने-अपने अलग-अलग तरीके से जो परीक्षाएं करते हैं इसमें भी आपको सुधार करना चाहिए कि इनकी परीक्षा प्रणाली एकसी हो। इनकी परीक्षा प्रणाली का मापदंड किस प्रकार का हो, उसमें सरकार की दखलंदाजी, सरकार के आपके मंत्रालय की भी उसमें होनी चाहिए। आप जिस विधेयक को लाये हो, उस विधेयक के माध्यम से आपकी कंट्रोलिंग उसके ऊपर नहीं है और कंट्रोलिंग नहीं होने से विश्वविद्यालय अपने हिसाब से काम करते हैं और उस काम का कोई किसान को लाभ नहीं होता है। राजस्थान प्रदेश के किसान को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

इसलिए सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय मंत्री महोदय से इतना ही अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे किसान का जो रिसर्च है, उस रिसर्च में हमारे विद्यालय सहयोगी हो सकें और हमारा रिसर्च सेन्टर का जो सिस्टम है वो महाविद्यालय नहीं, विद्यालय नहीं, पीजी अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम रिसर्च सेन्टर, आज हमारा पूरा का पूरा भरतपुर सम्भाग जिस प्रकार से सरसों का बहुत बड़ा उत्पादक है और जिस प्रकार से सवाई माधोपुर में कृषि कालेज है, इनको पीजी आप करें। यहां गंगापुर में अब कृषि का सब सेन्टर खोलें तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा

(श्री मान सिंह)

कि हमारे राजस्थान के हित में इन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के माध्यम से किसान को लाभदायी हो सके, कृषि की उन्नति हो सके। ऐसी किस्म, आज जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है, मैं, सभापति महोदय, आज धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मीडिया को कि पिछले दस दिन से पहली बार मीडिया में यह चर्चा होने लगी है कि हमारा मौसम तंत्र बदला है और आने वाले दस साल के अन्दर किस प्रकार का मौसम तंत्र होगा यह सकारात्मक सोच के साथ में जो बहस मीडिया ने छेड़ी है, हमारे लिए चुनौती और चिन्ता का विषय होना चाहिए कि आने वाले समय में हम इस प्रकार की बरबादी से किसान को किस प्रकार से बचायें, किसान के लिए किस प्रकार के अनुसंधान हों, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालयों के कोर्स में बजट का प्रावधान ज्यादा होना चाहिए। उनके अन्दर इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए। यही बात कह करके मैं अपना सुझाव देते हुए जो मैंने मेरा प्रस्ताव जनमत जानने के लिए किया था, सभापति महोदय, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बंशीधर। (अनुपस्थित) । श्री नन्द किशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद सभापति जी, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 के एक्ट में संशोधन करके उसके कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र के कालेजों को स्थापित किये जाने, कालेजों को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में यह एक्ट आ रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी अधिकार है। स्थापना के पन्द्रह वर्ष बाद इसकी क्यों आवश्यकता महसूस की गई, ये थोड़ा समझ से परे का विषय है। सम्बन्धित संस्था और कृषि शिक्षा के अनुभवी शिक्षाविदों से इस विश्वविद्यालय के एक्ट में और कोई सुधार करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव आमंत्रित नहीं किये गये या और कोई सुधार की आवश्यकता ही नहीं है या सिर्फ निजी संस्थाओं को मान्यता देना ही एक महत्वपूर्ण संशोधन है। पिछले दस वर्षों से निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, कालेजों ने तकनीकी व मानविकी शिक्षा का स्तर कहां से कहां पहुंचा दिया है, इससे सभी वाकिफ हैं। पिछले दिनों इस सदन में शिक्षा पर चर्चा के दौरान दस विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियों के व्यापार में शामिल बताये गये हैं। हजारों इंजीनियरिंग कालेजों से डिग्री लेकर निकल रहे हैं परन्तु उन्हें पांच हजार की नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी ही हालत हमारे प्रबंध कालेजों की है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

मेरा कहना यह है कि निजी क्षेत्र में पूर्ण सावधानी के साथ ही एफीलियेशन देना चाहिए। जिसमें आवश्यक संसाधन, फैकल्टी और आईसीएआर द्वारा स्थापित मानकों का स्तर यथावत रखा जाए और इन सब कार्यों के लिए प्रदेश में कोई निकाय विकसित करने की शीघ्र आवश्यकता है जो उन मानकों को देख सके। आज देश का सबसे प्रतिष्ठित व पुराना कृषि इंजीनियरिंग कालेज उदयपुर में स्थापित है। हजारों कृषि इंजीनियर आज भी प्रदेश में अपने कैडर की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार उनकी भी आवाज सुने तथा उनके द्वारा ग्रामीण व कृषि विकास में जो योगदान दिया गया है उसके महत्व को समझकर कृषि इंजीनियरों का एक अलग कैडर बनाने की यहां आवश्यकता है। कृषि इंजीनियर आज कोई पंचायत राज में काम कर रहा है, कोई जिला परिषदों में काम कर रहा है, कोई वाटर शैड में कर रहा है, कोई एसडब्ल्यूसी में कर रहा है तो उनका कोई कैडर नहीं होने की वजह से उनके प्रमोशंस, उनकी नौकरी का जो स्तर होना चाहिए और जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग पचास प्रतिशत भू भाग पर सवा करोड़ लोगों द्वारा खेती की जा रही है और सिर्फ पैंतीस परसेंट पर ही सिंचाई हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका बीस-इक्कीस प्रतिशत हिस्सा है और लगभग पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या इस पर आधारित है। इसलिए कृषि के विकास की प्राथमिकता रहना जरूरी है और उसी को ध्यान में रखकर शायद 1987 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1999 में राजस्थान महाराणा प्रताप कृषि और प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना की गई। इसी भांति 2014 में तीन नये कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जोधपुर व कोटा खोल दिये गये, लेकिन विडम्बना यह है कि पांचों कृषि विश्वविद्यालयों में आज जो शिक्षकों की स्थिति है, जो अनुसंधान की स्थिति है वो बिलकुल ठीक नहीं है। बल्कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षो में कृषि क्षेत्र में तैयार होने वाले मानव संसाधन की संख्या व क्षमता बिलकुल कमजोर हो जाएगी जिसका खामियाजा इस प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ेगा।

इस अध्यादेश के माध्यम से कुछ बिन्दु मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ज्यादा संख्या में कृषि विश्वविद्यालय खोलने से अधिक कृषि का विकास नहीं हो जाएगा। जब तक इन विश्वविद्यालयों को

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट मुहैया नहीं होगा। पांच नये विश्वविद्यालय जो आज हैं वो बजट की कमी से किस तरह जूझ रहे हैं, हमें पता है, पेंशन तक दे नहीं पा रहे हैं पुराने कर्मचारियों को। बजट का वो प्रावधान भी बंद कर दिया गया है। धन की कमी सभी में आड़े आ रही है और उसी के कारण पदों में कटौती हो रही है। अनुसंधान के लिए बजट जो स्वीकृत था वो कम हो रहा है और सरकार को पद भरने की स्वीकृति देकर इस महत्वपूर्ण पहलू पर जरूरी विचार करना चाहिए।

सभी विश्वविद्यालयों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के भी काफी पद रिक्त हैं। जबकि आईसीएआर, नई दिल्ली द्वारा संचालित सैंतालीस से ज्यादा परियोजनाओं में स्टाफ की कमी से अनुसंधान कार्य बाधित हो रहा है, इसके कारण किसान भी अनुसंधान से वंचित हो रहे हैं तथा प्रदेश की साख भी राष्ट्रीय स्तर पर गिर रही है। लम्बे समय तक ऐसा होने पर संचालित परियोजनाएं बंद हो जाएंगी। इन परियोजनाओं में स्वीकृत पदों की कमी की जा रही है जो पूरे प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक धक्का सा है। पिछले एक वर्ष में इन कृषि परियोजनाओं में रिक्त पदों की भर्ती पर रोक और लगा दी गई है, जबकि ये परियोजनाएं सौ प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्त पोषित हैं। पुराने कृषि विश्वविद्यालयों में इन पदों की रिक्तता के कारण कृषि शिक्षा और अनुसंधान कार्य बाधित हो रहे हैं। जबकि नये कृषि विश्वविद्यालयों में तो अतिरिक्त पदों की आवश्यकता पड़ेगी तभी इन विश्वविद्यालयों को सुचारु रूप से चलाया जा सकेगा अन्यथा शिक्षक एवं स्टाफ सदस्यों में अजीब निराशा व्याप्त कर रहा है जो भविष्य में प्रदेश की कृषि के बुरे हाल के लिये जिम्मेदार होगा। वर्तमान में पांच कृषि विश्वविद्यालयों के एक्ट में भी काफी भिन्नता है। वह चाहे कुलपति नियुक्ति का मामला हो, चाहे उसके आवश्यक अनुभव व योग्यता का मामला हो। कुलपति के चयन के लिये जो चयन समिति के सदस्यों की संख्या है, विश्वविद्यालय प्रबंधन मंडल के लिये जो कार्यकारिणी सदस्यों का मामला है उसमें सब कुछ व्यक्ति विशेष के चयन के लिये नियम बनाये जा रहे हैं और पांचों विश्वविद्यालयों में अलग-अलग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक में तो विषय इस तरह से चुना जायेगा, दूसरे में इस तरह से। प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं वह समाज के बहुत ही ज्ञानी ध्यानी लोग होने चाहिये लेकिन जिस तरह के सदस्य पिछले कई वर्षों

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

से लिये जा रहे हैं वह बोर्ड की बैठकें सिर्फ औपचारिकता होकर रह गई है। विश्वविद्यालय में कुलपतियों को कार्य करने का भी पूर्ण अवसर नहीं मिल रहा है। आटोनोमस बाडी हैं वह, पूरा खुल कर कार्य करने का अवसर मिले तो शायद ज्यादा अच्छा काम कर पायें। इससे भी एक गलत प्रभाव जा रहा है। आज के दिन जो स्थिति खास तौर से हमारे विश्वविद्यालयों की है उनका मूल्यांकन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। स्टाफ हो चाहे बजट का मामला हो, चाहे नियमों की पारदर्शिता हो, हर पहलू पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में आज जो पांच कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है, कोई नीतिगत एकरूपता नहीं है। अनुसंधान मार्ग दर्शन के लिये कोई शीर्ष परामर्शदात्री संस्था नहीं है जो पांचों के काम का लाभ किसान तक पहुंचा सके। एक ही विषय पर पांचों कृषि विश्वविद्यालय अलग-अलग अनुसंधान कर अलग-अलग निष्कर्ष दे रहे हैं तथा कृषि सम्बन्धित कई फैसले जो व्यापक राज्य हित में होने चाहिये, सभी विश्वविद्यालयों को मान्य होने चाहिये, उनमें आपस में उलझे हुए हैं। इसलिए एक शीर्ष कृषि परामर्श मण्डल का गठन किया जाना बड़ा आवश्यक है। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज को आजकल राजनीतिक खींचतान में उलझाया जा रहा है उससे लाखों हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अपने यहां जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय था अभी उसको बंद करने की समीक्षा चल रही है। तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर था उसके लिये भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था लेकिन अभी वह विधेयकों में उलझ कर रुक रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर था वह बीकानेर सम्भाग में खोलने की पहले अनुमति आई, अब बारां की बात चल रही है। महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर जमीन के मामले में आज भी अटका पड़ा है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सीकर सात साल से सिर्फ पांच करोड़ रुपये उसको मिले हैं। अब सात साल में पांच करोड़ रुपये से एक विश्वविद्यालय क्या करेगा यह सबको समझ में आता है। अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर पहले खुला, आज बंद हो रहा है। इनको बहुत ही सोच समझ कर या तो खोला नहीं जाय और खोलें तो कम से कम इस तरह से बंद नहीं करें। विश्वविद्यालय कोई छोटी-मोटी दुकान नहीं है कि आज खोल दिया, कल बंद कर दिया, कल खोल दिया, परसों बंद कर दिया।

आज फतेहपुर क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर में एआरएस बना हुआ

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

है, उसका फार्म बना हुआ है। वहां किसी जमाने में आज से 35 साल पहले 40 वैज्ञानिक काम करते थे, आज सिर्फ 6-7 वैज्ञानिक रह गये हैं, बाकी के लिये सैलेरी नहीं है या पद भरे हुए नहीं है। यह जो स्थिति है यह दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है इसको सम्भालने की आवश्यकता है। कृषि शिक्षा पर प्रदेश में खास तौर से जोर दिया जाना चाहिये। फतेहपुर क्षेत्र में जो तीन नेशनल हाई-वे उपलब्ध हैं और जितनी जमीन और संसाधन उपलब्ध हैं, अगर कृषि का केन्द्रीय विश्वविद्यालय वहां लाया जाये तो बड़ी सुविधाजनक होगा, प्रदेश का खर्चा भी कम आयेगा और जो मरु क्षेत्र के लिये विशेष तौर से वह विश्वविद्यालय आ रहा है, मरु क्षेत्र वह पहले से है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाय। मैं आपके माध्यम से जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव वाप सलेने की अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने का विधेयक 2015 आज सदन में विचारार्थ लिया गया है। लूणी, सुमेरपुर, गंगापुर, फतेहपुर और विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने निश्चित रूप से सकारात्मक सुझाव दिये हैं। सबसे पहले मैं मेरी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनमत जानने के प्रस्ताव को उन्होंने पहले लिया और विषय वस्तु से हटकर कई प्रकार के कृषि से जुड़े हुए विषयों के सुझाव उन्होंने दिये। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा चूंकि विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वह काफी चिंतित थे कृषि शिक्षा से जुडे हुए विषय पर।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कृषि विश्वविद्यालय का जो असली काम है वह एक्सटेंशन, रिसर्च के साथ में टेक्नोलोजी के बारे में तीनों प्रकार के काम उनको करने होते हैं। अब तक जो रिसर्च हुआ है या अब तक जो टीचिंग का या एक्सटेंशन का जो काम होना चाहिये था उस पर इन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कृषि में नई टेक्नोलोजी आई है और उनके आने से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। आजादी के इतने वर्षों के बाद जितना रिवोल्युशन होना चाहिये नवाचार के क्षेत्र में उसमें थोड़ी कमी रही है, उसमें हम लोग प्रयास

(श्री प्रभू लाल सैनी)

करेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, इसमें हम सुधार करेंगे। आपने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी इंडीजिनस ब्रीड में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है या नस्ल में जिस प्रकार की गिरावट आ रही है इस पर भी माननीय सदस्य ने चिंता की। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राजस्थान में ब्रीड कंफरमेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। एम्ब्रीओ ट्रांसफर का काम भी हम कर रहे हैं और इसके साथ डीएनए फिंगर प्रिंट का काम भी सरकार कर रही है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से दूर होगी। जहां तक न्युक्लियर सीड का प्रश्न है जो कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से तैयार किया जाता है चाहे वह ब्रिडर सीड हो चाहे न्युक्लियर सीड हो, यह सारे काम यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हमारे रिसर्च सेंटर के माध्यम से हो रहे हैं। आज हम देखें चाहे टिश्यू कल्चर की बात आई हो, चाहे हाई ब्रीड सीड की बात हो, चाहे बीटी की बात रही हो या जीएम ट्रायल की बात रही हो, निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा समय-समय पर चिंता व्यक्त की है और वह काम भी कर रहे हैं और सरकार इसके लिये प्रतिबद्ध भी है, हम इसको और आगे बढ़ायेंगे, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि नई टेक्नोलोजी के बारे में आपने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर में कई प्रकार के जो हमारे इम्प्लीमेंट्स बन रहे हैं वह नवाचार के क्षेत्र में कम लागत में अधिक काम करने वाले या अच्छी किस्म का अच्छी तरह से काम करने वाले काम हो रहे हैं।

आपने और गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य दोनों ने एक संयुक्त प्रश्न पूछा है कि हमारे विद्यालयों में जहां कृषि शिक्षा चल रही है उनको पीजी में तब्दील किया जाय ताकि आईसीआर से मिलने वाली ग्रांट उनको मिल सके। मैं दोनों माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर, उनियारा और चिमनपुरा जिन महाविद्यालयों की बात करते हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी मेरी बात हुई है, उनके द्वारा भी प्रस्ताव कृषि विभाग को भिजवाया गया है। निश्चित रूप से एक कमेटी का गठन करा कर फिजिबिलिटी होने पर या उनके पास निर्धारित मापदंड से ज्यादा जितनी जमीन की आवश्यकता होती है लगभग 25 हैक्टेयर से ज्यादा लैंड की जो बात है, उपलब्धता होने पर निश्चित रूप से इसको हम और आगे बढ़ायेंगे।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सैक्शन 7 का उल्लेख करते हुए विशेषाधिकार देना या उसको समाप्त करना या किसी विशेषाधिकार को वापस लेने की जो बात कही है इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य मैं आपको इतना बताना चाहूंगा चूंकि किसी भी प्राइवेट कालेज को या किसी को एफिलिएशन जब मिल जाता है और यदि निर्धारित मापदंड वह पूरे नहीं करता है, ऐसी स्थिति में यह अधिकार देने का विषय रहा है। चूंकि जो भी विशेषाधिकार दिये जायेंगे उनका उपयोग सही ढंग से नहीं होगा तो निश्चित रूप से जितनी उनकी अनियमितता होगी उसी के आधार पर कार्यवाही करने का ध्यान इसमें रखा गया है। आपने कहा कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको किसान के खेत तक जाना चाहिये ताकि उनको प्रैक्टिकल नालेज हो जाये। निश्चित रूप से रिसर्च के क्षेत्र में भी मैं इतना कहूंगा कि सोइल टैस्टिंग लेबोरेट्री का जो काम है हमारे एटीसी सेंटर भी बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको किसान के खेत में जाकर किसानों को नई तकनीक की जानकारी वह दें, यह भी हम लोग प्रयास करेंगे, यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा। फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बहुत बड़ी बात उठाई हैं, अच्छी बात उठाई है कालेज को मान्यता तभी देनी चाहिये जब वह निर्धारित मापदंड पूरा करता हो, जो आईसीएआर के नोर्म्स पूरे करता हो। मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी बिलकुल मंशा यह नहीं है कि हम किसी प्राइवेट कालेज को मान्यता देने के लिये संशोधन लेकर आये हैं। हम यह संशोधन क्यों लेकर आये हैं, इनके क्या कारण हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, मैं आपको अभी निवेदन करूंगा।

जहां तक पद भरने की बात कही गई है, निश्चित रूप से प्रबंधक मण्डल का गठन हो चुका है। चयन प्रक्रिया को हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे ताकि भर्ती की प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मूल विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान में 1987 में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की गई। तत्समय उसका नामकरण स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर उसका नाम रखा गया। उसके बाद उसके क्षेत्राधिकार का हुआ तो पूरे प्रदेश को क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उसको दिया गया कि पूरे प्रदेश में जहां भी कोई एफीलिएशन का काम होगा तो सम्पूर्ण प्रदेश का काम, चूंकि बीकानेर को दिया गया था और महाविद्यालय और संकाय

(श्री प्रभू लाल सैनी)

में कुछ सम्बद्धता प्रदान करना था वह देखते थे। माननीय सभापति महोदय 2000 में फिर से एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बीकानेर। उसकी जब स्थापना हुई, उसका क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया। क्षेत्राधिकार जब निर्धारित हुआ तो उसमें उदयपुर, डूंगरपूर, चित्तौड़, बासंवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और सिरोही, यानी 11 जिलों को उसके अन्तर्गत उनको दिया गया। माननीय सभापति महोदय 15 वर्षों में भी यदि हम यह देखते हैं कि उसकी सम्बद्धता का अधिकार था वह उदयपुर यूनिवर्सिटी के पास नहीं था, बीकानेर के पास ही था। इसके कारण उस क्षेत्र के 11 जिलों में पड़ने वाले जितने भी विद्यालय थे, चाहे निजी क्षेत्र के हो, कोई भी संकाय या एफीलिएशन देने में प्रोब्लम आ रही थी, इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए इस विषय को ध्यान में लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, 2013 में और तीन कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उनमें श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, इन तीनों विश्वविद्यालयों का अलग-अलग से जूरिस्डिक्शन, इनका क्षेत्राधिकार बांटा गया। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की मैं बात कर रहा हूं इसमें अब सात जिलों का जूरिस्डिक्शन इनको बांटा गया सात जिलों में खासतौर से उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, बासंवाड़ा और डूंगरपुर। माननीय सभापति महोदय, जूरिस्डिक्शन तो बंट गया लेकिन 2000 के बाद से अब तक भी उदयपुर विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की सम्बद्धता देने का कोई भी अधिकार उनके नियमों में संशोधन नहीं हुआ। अभी जो संशोधन हुआ, उसी के माध्यम से महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के वर्तमान अधिनियम में कृषि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान का कोई प्रावधान नहीं। इसलिए अधिनियम 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन सदन में आज लेकर आए हैं।

मैं इसके बारे में आपसे और निवेदन करूंगा। कुछ ऐसी धाराएं, छोटा सा एक संशोधन सिर्फ सम्बद्धता से जुड़ा हुआ था लेकिन कुछ धाराएं थीं, धारा 2 जिसमें एफीलिएशन से सम्बन्धित उसका डेफिनेशन देना था उससे सम्बन्धित इसको डिफाइन किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। धारा 4 थी, इसमें क्षेत्राधिकारिता का विषय था। धारा 7 में विशेषाधिकार महाविद्यालयों को

(श्री प्रभू लाल सैनी)

और संस्थाओं को, विश्वविद्यालय को विशेषाधिकार देना या वापिस लेना, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने चिंता की। धारा 12 का विषय, बोर्ड की शक्तियां एवं कृत्य के बारे में, जिसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। धारा 38 में फीस निर्धारण एफीलिएशन एवं अन्य शर्तें निर्धारण करने के प्रोवीजन इसमें किए गए थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान धारा-2 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात:-

(क-क) सम्बद्ध महाविद्यालय से ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों अभिप्रेत है।

इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते हुए धारा 4 में जो संशोधन हुआ उसमें विद्यमान धारा 3 थी, उसको यहां से हटाने का इसमें प्रस्ताव किया गया है। विद्यमान धारा 4 को उप-धारा 3 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रकार से पुर:स्थापित उप धारा 3 के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी। अर्थात:-

राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी संस्थान या महाविद्यालय से विधि द्वारा निर्गमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी सम्बद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से जो आदेश की विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी सीमा तक जो आवश्यक और उचित समझी जाए समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी।

आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान या महाविद्यालय को जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिए जाने से, ऐसी सीमा तक जो आवश्यक और उचित समझी जाए, अपवर्जित कर सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, नियमों में स्पष्ट प्रावधान है, सिर्फ एक ही मंशा है कि जो जिले उदयपुर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ आते हैं उन जिलों में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जनहित को ध्यान में रखते हुए यह एक अमेंडमेंट, एक संशोधन सदन में आज आया जिस पर काफी विचार हुआ है। मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी और सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हम उस क्षेत्र में पड़ने वाले, जनहित को ध्यान में रखते हुए, उन वियालयों को या महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने से जुड़ा हुआ यह विषय है, मैं आपके माध्यम से सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री जोगाराम पटेल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री मदन राठौड़, श्री मानसिंह, श्री नंदकिशोर महरिया ने महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 6 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रभूलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराणा प्रताप कृषि

(श्री सभापति)

और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

कोई माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले प्रस्ताव करो।

विधेयक का पारण

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बहुत अच्छा संशोधन लेकर आए है, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में सम्बद्धता का। पहले उदयपुर में इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं था कि उनसे किसी कालेज को या किसी को सम्बद्ध किया जाए। इसलिए अब यह प्रस्ताव लेकर आए हैं कि इनको सम्बद्ध करने का अधिकार दिया जाए, एफीलिएशन का, उसका मैं स्वागत करता हूं। इन विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा और इन विश्वविद्यालयों का काम भी आगे बढ़ेगा और यह काम कर सकेंगे।

सभापति महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हम यह सामान्य सा संशोधन लेकर आए हैं। यह संशोधन सामान्य है, परन्तु सदन में जब किसी भी विषय पर एक बार चर्चा करते हैं तो उसका स्कोप बहुत व्यापक हो जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी बातें हैं वह स्कोप के अन्तर्गत आती हैं। उसका जवाब देना या नहीं देना वह सवाल उपस्थित नहीं होता है।

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों हुई, भारतीय कृषि अनुसंधान विकास परिषद के माध्यम से, हम देखें, मुझे वह समय याद है जब हम बचपन में थे और एस.के. पाटिल सदोबा पाटिल भारत के कृषि मंत्री हुआ करते थे, खाद्य मंत्री। अमेरिका से पी एल 480 एक समझौता किया गया था जिसके अन्तर्गत अमेरिका ने भारत पर बहुत प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध लगाने के कारण से इस प्रकार का गेहूं वहां से मांगकर लाया जाता था, वह गला-सड़ा गेहूं राशन पर हमारे यहां बेचा जाता था, देश में बहुत बड़ी कमी थी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमको स्वर्गीय लाल बहादुरजी शास्त्री को धन्यवाद देना चाहिए, भारत में क्रांति की शुरूआत हुई, एक टाइम व्रत रखने को कहा, जय जवान और जय किसान का नारा दिया और भारत में हरित क्रांति हुई।

भारत की हरित क्रांति के बाद आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि भारत अन्नपूर्णा है। भारत अन्नपूर्णा है, 125 करोड़ लोगों का पेट भर कर, गेहूं से और चावल से, सरप्लस स्टाक अपने पास रहता है। अकाल में मृत्यु नहीं होती है। हम हरित क्रांति के कारण से इस स्टेज पर आये। लेकिन, सभापति महोदय, अब दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस होती है। उस हरित क्रांति में इन विश्वविद्यालयों का क्या रोल है, यह हमको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय हरित क्रांति की बात हुई, उसमें नहरों से पानी लगाया। इन्दिरा गांधी कैनाल बनी, माही पर आया, सारी दुनिया भर में आया। समझौता हुआ, सतलज, रावी, व्यास में हमको पानी मिला। इंटर स्टेट वाटर के मामले हैं। फिर ट्यूबवैल के माध्यम से, आज 9 लाख से अधिक ट्यूबवैल्स से हमारे यहां सिंचाई होती है। यह सारा काम हुआ, लेकिन धीरे-धीरे अब इस पर नियंत्रण आने लगा है। पानी की कमी आने लग गयी। कुओं में पानी नीचे चला गया। कहीं खारा पानी आने लगा। ड्राई जोन बनने लग गये। इसलिये हमको, अब इस भारत को अन्नपूर्णा बनाये रखने के लिये नई तकनीक और नये संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी। उनमें विश्वविद्यालय कितना काम करते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कितना काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने क्या संरक्षण किया।

हमारे यहां एक बात चलती थी, सबसे पहले, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और तीसरी नौकरी। अब उल्टा हो गया है। प्रथम नौकरी, दूसरा व्यापार और तीसरी खेती। अभी जो सर्वे आया है, उसमें 40 प्रतिशत लोग खेती को छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी में खेती कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, इसलिये खेती कर रहे हैं। सबसे पहले तो किसान का बेटा भी चाहेगा कि कुछ ले-देकर, चाहे कुछ भी हो जाये मुझे नौकरी मिल जाये। वह नौकरी में जाना चाहेगा। तो कैसे परिस्थिति बदली है। उत्तम कृषि की बजाय उत्तम नौकरी हो गयी। नौकरी वालों को बहुत सुरक्षा है। जब तक सर्विस करेंगे तब तक सर्विस करेंगे, बाद में पेंशन है। जो खेती का काम करने वाला है, उसके तो कब ओला पड़ गया, कब बाढ़ आ गयी, कब उसके उसमें से हवा निकल गयी, कब बेमौसम बरसात हो गयी। कई बार, नेताओं की कृपा हुई कि नहीं हुई, किसान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को यह भी सोचना पड़ता है। भगवान के साथ-साथ, उसको राम का और राज का दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। (व्यवधान) हां, राम को भी राज़ी करना पड़ता है और राज को भी राज़ी करना पड़ता है। इसलिये प्रभुजी को भी राज़ी करो तो दोनों काम हो जाएंगे। हमारा सौभाग्य है। एक नाम लेंगे, पहले, सभापति महोदय, दो नाम लेने पड़ते थे, राम का और राज का। राजस्थान को आराम है, प्रभु, प्रभु करो तो कृषि मंत्रीजी, राज भी राज़ी है और भगवान भी राज़ी है। दोनों का नाम है, तो आप उसी हिसाब से इसको देखिये, प्रभुजी। आप कृपा करें, जो बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। दूसरा, यह यूनिवर्सिटीज इस बात को देखें कि मौसम चक्र जो बदल रहा है, यह बदल रहा है। सभापति महोदय, इस बदलते हुए मौसम चक्र को अगर सब्जैक्ट नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मौसम चक्र बदल रहा है। इस समय ए.सी. नहीं चल रहे हैं। इस समय ओले पड़ने का टाइम नहीं था। आंधी का टाइम हो सकता है, ओले पड़ने का टाइम नहीं था। एक-डेढ़ महीने लेट सर्दी पड़ने लग गयी है, बुआई का मौसम भी डिले हो गया है। जो खेती को करने वाले हैं, वे जानते हैं कि पूर्णतया मौसम का परिवर्तन हो रहा है। यह मौसम का परिवर्तन, कम से कम एक-डेढ़ महीने का फर्क आ गया है। उतार-चढ़ाव जितनी तेजी से होने लगा है, जिस प्रकार से अमरीका के अलगोर, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे और बाद में उप राष्ट्रपति रहे, उनसे हार गये थे, उन्होंने पूरी डाकूमेंट्री दिखाई है। उस डाकूमेंट्री को देखने पर, अगर वैज्ञानिक सहमत नहीं हुए, कार्यवाही नहीं की सब सरकारों ने मिलकर तो विश्व का पर्यावरण आगे आने वाले वर्षों में मानव सभ्यता के लिये संकट का कारण बनेगा। संकट का कारण भी बनेगा और अनाज का काम नहीं बनेगा। उन्होंने जो उसमें घोषणाएं की हैं, इंडोनेशिया 25 साल बाद में करीब-करीब आधा डूब जाएगा। भारत का 7 प्रतिशत इलाका, समुद्र का पानी 4 फीट ऊपर आ जाएगा, जिस समुद्र को अपन कहते थे कि समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लांघता, उस समुद्र की स्थिति यह हो जाएगी। वह सारा जो मानव का पलायन होगा, वह मानव का पलायन इधर होगा।

इसलिये इस बदलते हुए मौसम चक्र पर ध्यान रखने के लिये विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी सोचने की बात है। तीन काम विश्वविद्यालय को दिये थे। पहला काम था टीचिंग, कृषि की पढ़ाई, दूसरा काम था कृषि का रिसर्च और तीसरा काम था कृषि का एक्सटेंशन। इन तीन कामों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में हमारे विश्वविद्यालय कहां तक सफल हुए। यह इनका पैरामीटर है। यह हमको देखना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे यहां कृषि की बहुत अच्छी शिक्षा शुरू से रही, पशुपालन की रही है। लेकिन वह परिस्थिति बदल गयी, 3300 किस्म के चावल के बीज थे हमारे यहां। आज उनमें से 200 किस्म के चावल के बीज भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे यहां जितना बढ़िया बाजरे का बीज था, जितना लम्बा उसका सिट्टा होता था, जितना लम्बा उसका फरड़ा होता था, वह बीज आज हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार से अन्य बीज भी धीरे-धीरे हमारे समाप्त हो गये। समाप्त होने के बाद हम विदेशी बीज पर निर्भर होते जा रहे हैं। वह जो विदेशी बीज आ रहा है और जो विदेशी चीजें आ रही हैं, उनसे कहां तक हमारा परिवर्तन होगा, इसका हमको पता नहीं है। इसलिये भूमि की उर्वरा शक्ति जो है, वह भी हमारी नहीं रही है। आज कई बार हम कहते हैं हम परम्परागत तरीके से कृषि छोड़ते हैं। छोड़ दी, परम्परागत हल चलाते थे, नहीं चला रहे। बैल से भी नहीं चला रहे, ऊंट से भी नहीं चला रहे, ट्रैक्टर से चलाने लग गये। यंत्र भी आ गये, संयंत्र भी आ गये, लेकिन बीज और खाद जो उसमें देते हैं, उसमें हमने क्या परिवर्तन किया है। हमारे बीजों को नष्ट करके, किस प्रकार बीज को सुरक्षित रखते थे, जमीन को परख कर कि इस बार जमीन पर क्या बोना है, अगली बार बाजरे की जमीन पर मोठ है, मोठ की जमीन पर अगली बार वह है, इतना अड़ावा छोड़ना है गाय को चरने के लिये। वह सारा चक्र था, वह सारा अपना चक्र टूट गया। तो हमारी जो परम्परागत खेती का सारा का सारा चक्र था, वह टूटा। उस टूटे हुए कृषि चक्र में सबसे पहले थी शिक्षा।

अब शिक्षा क्या है, एक भी उदाहरण अगर यह विश्वविद्यालय दे दें कि हमारे यहां से स्नातक होकर जो एग्रीकल्चर का बच्चा निकला, उसने जाकर यह पढ़ाई की और यह काम उसने अपने खेत में जाकर किया और यह उसने उपलब्धि प्राप्त की, तो ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। जिसने एग्रीकल्चर में स्नातक, स्नातकोत्तर पास कर लिया, वह अपना सर्टिफिकेट लेकर केवल नौकरी के लिये ही घूमेगा। वह खेती के लिये नहीं है। इसलिये टीचिंग खेती के प्रोत्साहन के लिये नहीं है, टीचिंग केवल नौकरी प्राप्त करने के लिये है। विश्वविद्यालयों ने सबसे पहला काम तो यह किया। एक भी उदाहरण नहीं है। बहुत सी योजनाएं हम लाए हैं। लेकिन हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उनको लागू नहीं कर सकीं। दूसरा रिसर्च का है। क्या रिसर्च किया। किस-किस बीज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर किया। ड्राई फार्मिंग के बारे में क्या किया। आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजस्थान में, मैं पुनः कहना चाहूंगा, प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिये, उन्होंने मिट्टी के परीक्षण के लिये, सारे देश में उसके स्वास्थ्य की जांच के लिये बड़ा अभियान चलाया है। अभियान चलाकर मिट्टी का कार्ड देंगे, वह देंगे कि आपकी मिट्टी की क्या स्थिति है। लेकिन सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, महाराष्ट्र का किसान, बालू मिट्टी का किसान, दोमट मिट्टी का किसान, काली मिट्टी का किसान, नदी के बेड में खेती करने वाला किसान, पहाड़ की सीढ़ियों पर अलग से खेती करने वाला किसान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सबका एक सा काम नहीं कर सकती।

इसलिये आवश्यक है कि सभी राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से कृषि अनुसंधान परिषद अलग से गठित की जानी चाहिए। पुरानी जितनी संस्थाएं हैं, जैसे योजना आयोग का ढांचा ध्वस्त किया गया है, उसी प्रकार से यू.जी.सी. का ढांचा ध्वस्त किया जाना चाहिए, ए.आई.सी.टी.ई. का ढांचा ध्वस्त किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ढांचा भी ध्वस्त करने लायक है। उसने विकास के काम में कोई योगदान नहीं किया है। हमने पहली पहल योजना आयोग से की है। वह पहल नीचे तक आनी चाहिए। कंसेप्ट ड्राई फार्मिंग का, कौनसा नया काम किया, यह हम नहीं बता सकते। तीसरा काम एक्सटेंशन का है। कृषि के लिये आपने यहां पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, कृषि विस्तार के लिये क्या किया। किसान सहायता केन्द्र खोले हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र खोले हैं। इन कृषि सहायता केन्द्र और कृषि विज्ञान केन्द्रों ने किसी प्रकार की किसान की सहायता नहीं की है। किसी प्रकार का कुछ नहीं किया है।

अभी लोग बात कर रहे थे तो मैंने मजाक में कहा कि माननीय मंत्रीजी ने जो यूरिया का चार्ट बताया, जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक यूरिया दे दिया। हमारे यहां पर कहावत है, पहले थोड़ा दिया होगा, फिर ज्यादा दे दिया। हमारे यहां एक कहावत है कि माली जितना दो बीघा में पैदा करता है, यादव नौ बीघा में और जाट सौ बीघा में। जोड़ लो, जिसकी इच्छा हो उसका नाम जोड़ लो। इसलिए जितना दो बीघा में होता है, उतना तो पहले ही दे दिया इन्होंने। बाकी नौ बीघा और सौ बीघा का बाद में दे दिया तो देने में तो कसर रखी नहीं तो इन्होंने उसको पूरा किया। इसलिए मैं चाहता यह हूं कि हमारे जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों को फिक्की भी सहायता करना चाहती है और भी सहायता करना चाहती है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में इन तीन बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। रिसर्च, दूसरा हमारा सबसे बड़ा काम है कि किसान को आप सब्सिडी क्यों नहीं देते हो? वह सब्सिडी, आज दुनिया का कोई देश नहीं है, जो किसान को सब्सिडी नहीं देता हो। आज जो ड्राई जोन हो गये हैं, जिनमें पानी की कमी हो गयी है, उनमें तो ऐसी खेती आपको विकसित करनी पड़ेगी जो कम पानी में हो। वह हम विकसित ही नहीं कर पा रहे हैं। हम तो, मैं तो जब से विधान सभा में आया हूं तब से सुन रहा हूं कि मंत्रीजी के साथ किसानों का एक दल इजरायल गया है और इजरायल में पढ़कर आ रहा है। बोलो, कृष्ण के देश में और बलदाऊ के देश में हम सब भूल गये और हम इजरायल जा रहे हैं और इजरायल से क्या ला रहे हैं? खजूर। हुजूर यह खजूर तो, आम ही बहुत है यहां तो। वह खजूर, उस जलवायु में कुछ होता ही नहीं था तो खजूर लगा दिये। यहां पर आम हो रहे हैं, हापुस से लेकर लंगड़े तक, सरोली तक, सरोली आम भी है, लंगड़े आम हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मेरे यहां पर खजूर लोगों ने बोया लेकिन उनका मार्केट नहीं मिला, सिर्फ बम्बई में जाकर उन्होंने बेची और बहुत कम पैसे आए। जो खजूर यह लाए हैं, वह खजूर, मैं आपको कह रहा हूं कि अनार ठीक है लेकिन खजूर कामयाब आप कह रहे हो, उससे ज्यादा अच्छे खजूर नहीं है। इसलिए आपको इसमें चेंज लाना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आइए हुजूर, खाइए खजूर, बैठिए पलंग पर, आगे नहीं बोल रहा हूं मैं। तो खजूर वहां की जरूरत थी, वहां पर चाहिए। वहां पर व्रत तोड़ने के लिए, रोजा रखते हैं उसके बाद शाम को खजूर की आवश्यकता है, खजूर खाते हैं, अच्छा लगता है। मेरे भी जब मित्र लोग जाते हैं हज करने के लिए तो...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): घनश्यामजी, जैतून के बारे में आपका क्या कहना है? खजूर के बारे में तो बता दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या जैतून?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जो फोरेन से जैतून आई है और यहां पर बहुत अच्छी उसकी पैदावार हो रही है, उसके बारे में भी कुछ बता दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यहां यह जैतून-बैतून फोरेन वाली मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे तो देशी चीज पसंद है। खेजड़ी वाला खोखा-वोखा कोई लग जाए तो ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम लाए। अब हमारे यहां पर आम बहुत है। आम की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश करते जो हमने नहीं किया। हम खजूर ले आए। फिर और वह चार-पांच यह लाए, वह लाए, कई पेड़ लेकर आए तो वह सारा काम करीब-करीब फेल है। अब आकड़ों में क्योंकि हमने नौकरी लोगों को लगा रखी है, कर्मचारी रख रखे हैं तो उसके बचाव के लिए अपन कोई बात कह दें लेकिन वह परिस्थिति के हिसाब से चलता है। जैसा देश वैसा वेश, जैसी जलवायु वैसा काम, हमारी जलवायु के हिसाब से यह काम है और वह वहां जा रहे हैं। हम हमारे यहां पर गीत गाते थे खेजड़ी का फोगड़िया को रायतो, फोगड़े सारे खतम कर दिये ट्रैक्टर ने। अब फोगड़ा नहीं मिलता। फोगड़ा खतम हो गया है तो हमारी सारी चीज धीरे-धीरे वह खतम होती जा रही है तो जमीन की सारी उर्वरा शक्ति और वह जमीन का काम भी बदलता जा रहा है। उस पर...(व्यवधान) बेर भी नहीं है, कैर नहीं, सांगरी नहीं, वह तो सारा खतम हो रहा है और उसके साथ फिर जमीन की उत्पादकता समाप्त हो रही है। इसलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को उन चीजों पर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब यह मजाक भी चलती थी, हमारे यहां कोई चलते हैं न बाजार में से तो आम बेचने वाले नारे लगाते रहते थे कि मैम साहब-सरोली, बाबूजी-लंगड़ा, आम होता है, सरोली होता है, लंगड़ा भी होता है। लड़ाई हो गयी। तो इसलिए वह सारी हमारी जो परिस्थिति थी, उन सारी परिस्थितियों को बदला है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके बस का नहीं, सम्पूर्ण देश में, सोच-समझ का काम है कि हम कृषि पर ध्यान दें और किसान पर ध्यान दें और किसान को बचाने पर ध्यान दें। सबसे बड़ा प्रहार अगर किसी पर है इस समय तो वह किसान पर है, सबसे बड़ा ऋणी है तो वह किसान है, सबसे बड़ी बात है तो किसान की है और किसान की मदद, जब तक एग्रीकल्चर का विकास नहीं होगा, खेती पर रिसर्च नहीं होगा, खेती के ऊपर हम टीचिंग नहीं करेंगे और एक्सटेंशन नहीं करेंगे, यह तीनों जो काम हैं वह यूनिवर्सिटीज करें और सम्बद्ध कालेज से मिलकर करें तो हम कृषि को वापस उतम कृषि के रूप में लाएंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

याद रखिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी देश को जरूरत है आज खाद्य सुरक्षा की। हम 120 करोड़ हैं, 150 करोड़ हो जाएंगे तब तक हमारी जनसंख्या सम होगी और 150 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए अन्न, दूध और यह सारी चीज चाहिए और जो देश इसमें आत्मनिर्भर नहीं होगा, उसकी पार नहीं पड़ेगी। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, हम औद्योगीकरण करें, हम औद्योगिक क्रांति भी करें, जब तक पेट भरने की व्यवस्था नहीं करेंगे और उसके लिए किसान को हमको मजबूत करना पड़ेगा, खेती को मजबूत करना पड़ेगा। विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, उनसे सम्बद्ध करने की आवश्यकता है लेकिन इसका एक आकलन किया जाना चाहिए। मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप एक आडिट कराएं, जांच कराएं कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद में कितने लोगों को इस प्रकार की डिग्री दी, कितने लोग गये, प्रत्यक्ष खेती में जाकर कितनों ने काम किया और काम करके रिजल्ट निकालकर दिया और उस रिजल्ट के आधार पर खेती किया, वह कुछ नहीं है। केवल उसके आधार पर नौकरी, एग्रीकल्चर सब्जैक्ट खोलने की मांग, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं कर पाईं। यूनिवर्सिटीज यह काम करें, यही आशा है, यह बिल बहुत अच्छा है, मंत्रीजी लेकर आए हैं, प्रभु की लीला है, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ कामनाएं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि सामान्य प्रकृति का विधेयक है। मैं इसे एक प्रगतिशील कदम मानता हूं। 15 सालों से जिस विश्वविद्यालय के पास सम्बद्धता का अधिकार न हो और यह भी उम्मीद की जा सकती है कि इस विश्वविद्यालय को सम्बद्धता का अधिकार मिलने के बाद कृषि क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होंगे, एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं जिस बात के लिए खड़ा हुआ हूं, मंत्रीजी का सकारात्मक नजरिया है कि कृषि क्षेत्र में विश्वविद्यालय काम कर रहा है तो उसको सम्पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए और कृषि के क्षेत्र में उसका एक योगदान दिखना चाहिए। एक तरफ तो ऐसी सकारात्मक सोच है और दूसरी तरफ मैं कोटा से आता हूं, हाड़ौती से, वह क्षेत्र देश में कृषि क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र गिना जाता है और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, कई बार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कोटा क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार भारत सरकार से, कृषि मंत्रालय से प्राप्त कर चुका है और वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की मांग कई लम्बे समय से चली आ रही थी।

पिछली सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया लेकिन मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, जिस रोज यह विश्वविद्यालय खोला, उसी रोज से ही यह कृषि विश्वविद्यालय वेंटिलेटर पर है। एक कुलपति के अलावा वहां पर कोई संसाधन सृजित नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है और अगर आप पूर्व में कृषि अनुसंधान केन्द्र और एग्रीकल्चर फार्म की स्थिति का जायजा लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज राजस्थान में जितने कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, उन कृषि विश्वविद्यालयों के पास कोटा में मौजूद फार्म और अनुसंधान केन्द्र में जितने संसाधन और जितनी जमीन है, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय के पास नहीं हो सकती।

यह सब होने के बाद भी कोटा का कृषि विश्वविद्यालय वेंटिलेटर पर चले और अब तो सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के कृषि मंत्री हाड़ौती से आते हैं और वहां का विश्वविद्यालय वेंटिलेटर पर है, संसाधन सृजित किये बगैर राजस्थान में इस प्रकार के विश्वविद्यालय खोले जाना एक बेईमानी साबित होगी जो पिछली सरकार ने की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में संसाधन सृजित करें। कोटा कृषि का, देश का बड़ा केन्द्र है विश्वविद्यालय और पर्याप्त पानी है। जब विश्वविद्यालय पूर्ण संसाधनों से सृजित होकर काम करेगा तो मैं समझता हूं कि पूरे हाड़ौती सम्भाग को इसका व्यापक लाभ मिलेगा और यह विधेयक मैं समझता हूं कि प्रगतिशील कदम है सरकार का। मैं इसका समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.50 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले विद्वान माननीय वरिष्ठ सदस्य ने आज सदन में कृषि से सम्बन्धित व्याख्या, किसान से जुड़ी पीड़ा और कई सकारात्मक सुझाव सरकार को देने का प्रयास किया। मैं इनका बहुत आभारी हूं और निश्चित रूप से यह

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कह सकता हूं कि 'जिसके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने दर्द पराई।' किसान का दर्द, किसान ही समझ सकता है और माननीय सदस्य भी खेती करते हैं, इनके भी बहुत बड़ा फार्म है और यह निश्चित ही सही बात है कि एग्रीकल्चर आज किसान के लिये लाभकारी साबित नहीं हो पा रहा है। कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी फसल बहुत अधिक हो गयी तो मंडी में जाकर उसको तकलीफ उठानी पड़ती है। वहां बाजार भाव उसको कम मिलता है।

आपने यहां रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेंशन की भी व्याख्या की है। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हरित क्रांति 1966 में पूरे हिन्दुस्तान में आई और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान सहित पूरा देश आत्मनिर्भर हुआ। अब जो जरूरत है वह ज्ञान-प्रबन्धन क्रांति की होगी। इसके लिये सरकार कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब तक किसान को नालेज नहीं होगी, क्लाइमेंट की नालेज नहीं होगी, सीड और फर्टिलाइजर की नालेज नहीं होगी और आजकल प्राकृतिक आपदाएं जैसा कि माननीय सभापति महोदय, बदलती जा रही हैं। कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, हाई ब्रीड सीड, उच्च तकनीक कृषि, मौसम तंत्र, अरली सोइंग सीड और आपने सूखारोधी बीज के बारे में भी, सूखी खेती में भी किस प्रकार के बीज विकसित किये जायें। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटीज को इसमें काम करने की जरूरत है। हमें आशा है मैं इतना कह सकता हूं कि इतनी उपलब्धियां यहां नहीं मिल पाई हैं, चूंकि 15 हजार से ज्यादा मेडिशनल क्रोप इस हिन्दुस्तान में यदि कहीं हैं तो वह राजस्थान में हैं, लेकिन इस पर यूनिवर्सिटीज के द्वारा अभी कोई काम नहीं हो पाया है। इसलिये अभी सरकार यह प्रयास कर रही है, हम मेडिशनल क्रोप की ओर ध्यान देना चाहते हैं और सेलियक डिजीज, साउदर्न कंट्रीज, अफ्रीका वगैरह में जो हुआ करती थी, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों के सेलियक डिजीज होती थी जौ या गेहूं से, उन बच्चों के होती थी, जौ या गेहूं खाने से उसको उल्टी-दस्त और बीमारी से वह ऐसा कमजोर हो जाता था, वह मिटती नहीं थी। आई.सी.ए.आर. को भी हमने कई बार लिखा है, लेकिन आज दिन तक भी सेलियक डिजीज के बारे में ऐसी कौनसी वैरायटीज गेहूं की या जौ की है, जिसमें ग्लूटनिन और ग्लूटिन की मात्रा अधिक पायी जाती है। अभी इस पर भी रिसर्च नहीं हो पा रहा है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्रकृति से लड़ने के लिये निश्चित रूप से एग्रीकल्चर के साथ-

(श्री प्रभू लाल सैनी)

साथ, चूंकि एग्रीकल्चर में अभी हमको देखना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि ट्रैडिशनल सीड, जो प्राइवेट कम्पनीज के आने से धीरे-धीरे हाई ब्रीड की ओर डाइवर्ट हुआ और हमारा ट्रैडिशनल सीड खतम हो गया और अब जो सीड आ रहा है, वह हाई ब्रीड तो आ रहा है। उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे साल वह टी.एम.सी., टर्मिनेटेड सीड हो जाता है। इसलिये वह बीज बोने के काम नहीं होता। आत्मनिर्भर बनने के लिये अब फिर किसी कम्पनी के ऊपर किसान को निर्भर रहना पड़ता है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस वर्ष हम लोगों ने राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन के माध्यम से हमारे परम्परागत जो सीड थे, जहां पर पूरा राजस्थान, पूरे देश में अव्वल स्थान रखता था, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में, हम एक बार फिर से ट्रैडिशनल सीड की ओर जा रहे हैं और पहली बार राजस्थान राज्य ऐसा राज्य है जिसमें जी.एम. ट्रायल के बारे में नो एण्ड नैवर कहा। हम इसकी ट्रायल राजस्थान में नहीं होने देंगे। वंशानुगत छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सरसों के पौधे में यदि किसी जानवर का जीन डालकर उसके सीड को तैयार किया जाता है, तो उसको भी हम लोगों ने रोका है। मैं तो इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार आगे बढ़ेगी और हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से प्राइवेट सैक्टर में, जिन कालेजों को एफिलियेटेड करके जो मान्यताएं दी जाएंगी, वहां पर रिसर्च, एक्सटेंशन और टीचिंग के जो तीनों विषय हैं, ऐसे करने वाले महाविद्यालयों और ऐसे विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार निश्चित रूप से गुणावगुण के आधार पर हर बार इसकी समीक्षात्मक कार्यवाही करेगी। इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि हाड़ौती में कोटा का जो कृषि विश्वविद्यालय है, वह अभी वेंटीलेटर पर है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि भवन का निर्माण वहां पर किया जा चुका है। वी.सी. की भी शीघ्र वहां पर चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विधि-सम्मत प्रक्रिया अनुसार निश्चित रूप से आपका कालेज काम करने लगेगा। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 श्री गजेन्द्र सिंहजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, जो विधेयक सदन में विचार के लिये लाया गया है और इसके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट उल्लेख किया है कि राज्य सरकार राज्य में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के स्थापन, रख-रखाव, प्रबन्ध और प्रशासन के लिये उपबन्ध करने के लिये राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अधिनियम, 2003 राज्य अधिनियम के नाम से एक अधिनियम लेकर आई थी और इसके बाद विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया, जो 10.2.2006 से प्रवृत्त हुआ। केन्द्र सरकार ने यह अधिनियम लाने के साथ ही राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित राज्यों में विशेष आर्थिक जोन और उनकी इकाइयों के विभिन्न रियायतों और सुविधाएं मंजूर करने के लिये विधि अधिनियम, अधिनियमित करने के लिये यथोचित कदम उठाए। सरकार का यह कहना है कि केन्द्र सरकार की अपेक्षा के अनुरूप हम इस विधेयक को लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, 2003 में पिछली सरकार यह विधेयक लेकर आई थी। इस विधेयक में अध्याय-एक में नाम, प्रसार और प्रारम्भ, जिसमें विकास आयुक्त को डिफाइन किया है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू कर रहा हूं। 'विकास आयुक्त' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो परिक्षेत्र के लिये विकास आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और विकास आयुक्त

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कौन होगा? यह अधिसूचना राज्य सरकार इसको अधिसूचित करेगी। अध्याय-दो में उसकी शक्तियां और उसके कृत्यों का उल्लेख किया गया। अध्याय-तीन में विकासकर्ता के चयन का और नियुक्ति का उल्लेख किया गया 2003 में और इसमें लिखा कि विशेष आर्थिक जोन परिक्षेत्र स्थापित किये जाने के प्रयोजन के लिये विकासकर्ता का चयन राज्य सरकार करेगी। उसकी प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार विहित करेगी और राज्य सरकार विशेष आर्थिक जोन परिक्षेत्र विस्थापित किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिये अग्रेषित किये जाएंगे और उपधारा-4(1) के अधीन अग्रेषित प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विकासकर्ता की नियुक्ति करेगी। अध्याय-चार में धारा-7 में भूमि के अर्जन की विधि इसमें उल्लेखित की है।

माननीय सभापति महोदय, जब यह केन्द्र का अधिनियम आया और इस केन्द्र के अधिनियम में विकास आयुक्त को इन्होंने धारा-11 में परिभाषित कर दिया कि किसी भी राज्य में सेज बने, जो विकास आयुक्त होगा, वह केन्द्र के डिप्टी सैक्रेट्री लेवल के अधिकारी से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा। इसके बाद 2003 में हम जो विधेयक लेकर आये थे राज्य सरकार जिस विकास आयुक्त को अधिसूचित करने की बात अपने एक्ट में कह रही थी, वह निष्प्रभावी हो गयी और उस विकास आयुक्त को धारा-12 में जो शक्तियां दी हैं केन्द्र के एक्ट में, उसका उल्लेख किया गया।

(19.00 बजे)

इस केन्द्रीय अधिनियम में धारा 3 में विशेष आर्थिक जोन को परिभाषित कर दिया। विशेष आर्थिक जोन की स्थापना इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा माल के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने के लिए या दोनों के लिए या मुक्त व्यापार और भण्डारण जोन के रूप में या संयुक्त रूप से पृथक-पृथक रूप से किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की जाएगी और उस स्थापना की एक प्रक्रिया दे दी। विकासकर्ता आर्थिक जोन स्थापित करना चाहता है, क्षेत्र की पहचान करेगा और पहचान करने के बाद केन्द्र के एक्ट में दो प्रोविजन कर दिये कि वो सीधा जो अनुमोदन बोर्ड है, इसमें अनुमोदन बोर्ड का भी उल्लेख किया गया है सैक्शन 8 में जिसमें भारत सरकार के एडीशनल सैक्रेटरी लेवल का अधिकारी इसका

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अध्यक्ष होगा और उसमें कौन-कौन अधिकारी होंगे, सीधा अनुमोदन बोर्ड को वो विकासकर्ता आवेदन करेगा और राज्य सरकार की अनुमति के बाद सीधा ही अनुमोदन बोर्ड सेज के लिए स्वीकृति जारी करेगा। इसमें यह भी प्रोविजन कर दिया कि अगर वो सीधा राज्य सरकार को आवेदन करता है तो राज्य सरकार अपनी सिफारिश के साथ भारत सरकार के अनुमोदन बोर्ड को भेज देगी और उसके बाद अनुमोदन बोर्ड इस पर विचार करेगा।

अब यह जो 2005 का एक्ट हम लेकर आये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं एक-एक धारा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें प्रक्रिया को थोड़ा लम्बा कर दिया। पहले जो आवेदनकर्ता होगा, 'विशेष आर्थिक जोन की स्थापना:- (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन स्थापित करना चाहता है, क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात् ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे दस्तावेजों और फीस सहित, जैसा कि विहित किया जाए, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार को प्रस्ताव कर सकेगा।' उद्योग विभाग राजस्थान सरकार को प्रस्ताव तो देगा और उद्योग विभाग राजस्थान सरकार, उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव को उस प्रस्ताव की संवीक्षा करने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को भेज देगा और रीको विहित रीति से उसका परीक्षण करेगी। यह तो आपने लिख दिया सैक्शन 3 के सब-सैक्शन (3) में लेकिन विहित रीति क्या होगी, इसका इस पूरे एक्ट में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके आगे आपने लिख दिया, रीको इसका परीक्षण करने के बाद राज्य अनुमोदन समिति को भेजेगी।

माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 4 के सब-सैक्शन (2) में राज्य अनुमोदन समिति बना दी। इसका उल्लेख 2003 के एक्ट में भी था और यह अनुमोदन समिति चीफ सैक्रेटरी से लेकर मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के जितने प्रिंसिपल सैक्रेटरीज हैं, सेज में आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी तो ऊर्जा के प्रिंसिपल सैक्रेटरी को ले लिया, पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी को, एनवायर्नमेंट की, जो-जो भी प्रिंसिपल सैक्रेटरीज हैं, रेवेन्यू से लेकर आपको भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी तो, और सी.टी.पी. चीफ टाउन प्लानर से लेकर तमाम प्रकार के सारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी, जिसमें 'क' से लेकर 'ढ' तक सारे अधिकारी, और 'ण' में आपने लिख दिया कि 'पांच से अनधिक ऐसे व्यक्ति या अधिकारी, जो अध्यक्ष द्वारा, राज्य अनुमोदन समिति के समक्ष मामले को ध्यान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में रखते हुए, समय-समय पर नाम निर्देशित किये जाएंगे।' इसका अध्यक्ष आपने चीफ सैक्रेटरी को बना दिया। चीफ सैक्रेटरी इसमें पांच लोगों को नामित करेगा, सारे प्रिंसिपल सैक्रेटरीज इसके मैम्बर होंगे और रीको के जो प्रबन्ध निदेशक होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रोविजंस आपने किये हैं, एक प्रोसीजर को लेंदी करने का और उसमें आपने अनुमोदन समिति को यह अधिकार दे दिये। एक तरफ तो आप सेज लाना चाहते हैं, डवलपमेंट करना चाहते हैं, रोजगार के नये अवसर खड़ा करना चाहते हैं, कि वो अनुमोदन समिति गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके उसको मंजूर करे, ना-मंजूर करे और राज्य सरकार को भेज देगी। सारी की सारी शक्तियां अनुमोदन समिति को दे दीं। कोई तकलीफ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, आप आ जाइये केन्द्रीय अधिनियम की धारा 31 के सब-सैक्शन 5 (घ) में लिखा है उसका फोरमेशन किस प्रकार से होगा, उसमें विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण केन्द्र सरकार बनायेगी और जब तक यह प्राधिकरण नोटिफाई नहीं होगा तब तक विकास आयुक्त काम करेगा और विकास आयुक्त प्राधिकरण के नोटिफिकेशन के बाद इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा लेकिन इसमें पदेन मैम्बर जो होंगे उसमें 5 (घ) में यह उल्लेख किया है, दो से अनधिक व्यक्ति, दो से अधिक नहीं, उद्यमकर्ता या उसके नाम निर्देशी हों जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उस उद्यमी का ख्याल रखा, सेंट्रल एक्ट में अधिकारियों के साथ-साथ उस प्राधिकरण में आपने उस उद्योगपति के द्वारा प्रस्तावित दो नामों को जोड़ने की बात तय कर दी लेकिन जिस जगह पर आप सेज कायम करना चाहते हैं, आपने सारी चीजें पानी देंगे, बिजली देंगे, सब-कुछ देंगे, राजस्व, पर्यावरण, लेबर सारा, सब-कुछ, सारे सैक्रेटरीज को मिलाकर कमेटी बना दी लेकिन उस कमेटी के निर्णय के बाद, उस प्रस्ताव के बाद वहां के सामाजिक प्रभाव क्या होंगे, उसका आकलन क्या होगा, वहां की जमीनी हकीकत इस अनुमोदन समिति के सामने कौन लेकर आयेगा, इस बारे में आपने पब्लिक रिप्रजेंटेशन का कोई इसमें जिक्र नहीं किया। पूरे एक्ट में एक शब्द भी इसका

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिक्र नहीं किया गया कि आखिर आप किस तरीके से वहां के लोगों की व्यावहारिक दिक्कत को समझेंगे, आपके फैसले का सामाजिक प्रभाव वहां पर क्या होगा? आपने सैंट्रल एक्ट में तय कर दिया उद्यमी के दो प्रतिनिधि होंगे लेकिन जिसकी जमीन पर आप सेज लाना चाहते हो, जिस किसान की जमीन पर आप इसको विकसित करना चाहते जो उसकी बात, उसकी आवाज रखने के लिए उस प्राधिकरण में, उस बोर्ड में, आपने जो कमेटी बनायी है, राज्य अनुमोदन समिति, उस अनुमोदन समिति में वहां की सामाजिक परिस्थिति की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व जीरो है, जीरो। आखिर हम इस स्टेट के डवलपमेंट को अगर कम्पलीटली ब्यूरोक्रेरी के हाथों में देना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके से एप्लाई करे, किसी भी तरीके से तो फिर इस सदन का, सरकार का पब्लिक रिप्रजेंटेशन का महत्व क्या रह जाता है? अगर हमको यही तय करना था कि सारे के सारे अधिकार अधिकारियों को देंगे तो मैं समझता हूं कि फिर यह पूरा का पूरा जो सैंट्रल एक्ट है इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम स्वीकार कर लेते।

माननीय सभापति महोदय, आपने सैक्शन 4 में तो कोई प्रोविजन नहीं किया, सैक्शन 5 में विशेष आर्थिक जोन विकास समिति का गठन किया है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल को पूरा पढ़ें, इस बिल में सैक्शन 5 के बाद आपका काम खतम है। सैक्शन 5 के बाद अगर आपका काम कहीं आता है तो सैक्शन 10 में आता है, जो आपने जिम्मेदारी निर्धारण की है, 'अवसंरचना आधार:- (1) राज्य सरकार, या तो स्वयं या राज्य सरकार द्वारा मन्जूर रियायत के अधीन विशेष आर्थिक जोन तक पहुंच अवसंरचना की व्यवस्था कर सकेगी।'

राज्य अनुमोदन समिति आप गठित कर रहे हैं। विशेष आर्थिक जोन विकास समिति का आप गठन कर रहे हैं लेकिन उस विशेष आर्थिक जोन विकास समिति के मैम्बर कौन होंगे, उसके राइट्स क्या होंगे, इसका कहीं इसमें उल्लेख नहीं है और राज्य सरकार की इस सेज में सैक्शन 6 में विकास आयुक्त की जो शक्तियां हैं, इसको आप पढ़ेंगे...।

'केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के अतिरिक्त', जो शक्तियां केन्द्रीय अधिनियम में विकास आयुक्त को दी गई हैं, उसके अतिरिक्त और शक्तियां राज्य सरकार उस विकास आयुक्त को देगी।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अगर आप विकास आयुक्त की शक्तियों को समझेंगे तो राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उस विकास आयुक्त की अनुमति के बिना, बिना पास बनाये यहां राजस्थान का चीफ सैक्रेटरी, व्यावहारिक नजरिये से चला जाये, लीगल फोर्मेशन में वह अनुमोदन समिति का अध्यक्ष होने के बाद भी, सेज की अंदरूनी गतिविधियों में जाकर हस्तक्षेप करने का विकास आयुक्त की परमिशन के बिना अधिकार नहीं रखता है।

आपका काम खतम हो गया, आपने अनुमोदन समिति बना दी। अनुमोदन समिति ने सिफारिश कर दी। राज्य सरकार ने उसको भारत सरकार के बोर्ड को भेज दिया और जैसे ही राज्य की सहमति के बाद बोर्ड उसका अनुमोदन करेगा, अपने आप स्वाभाविक रूप से उसको संपरिवर्तन समझ लिया जायेगा। फिर राज्यपाल नोटिफिकेशन करके उसको एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर देंगे। यह एक प्रक्रिया का हिस्सा इस विधान में बना दिया।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सैक्शन 5 में कौन इसके मेम्बर होंगे? इसकी संरचना क्या होगी? क्या विहित रीति होगी? कानून बनाने की शक्ति अलग विषय है। लेकिन विकास समिति कैसे बनेगी, इसका उल्लेख इस एक्ट में कहीं भी नहीं है। उस विकास समिति के दायित्व क्या होंगे? काम क्या होंगे? कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इसको बंद करने के बाद जब हम सेन्ट्रल एक्ट को पढ़ते हैं तो सेन्ट्रल एक्ट इतना प्रभावी है कि सेज क्षेत्र के अन्दर किसी भी प्रकार के राज्य सरकार का हस्तक्षेप, वहां के किसी अधिकारी को कोई प्रिविलेज नहीं है। सेन्ट्रल एक्ट के सैक्शन 20, 21 और 22 को अगर हम पढ़ेंगे तो कोई हस्तक्षेप की पावर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 7, आप सैक्शन 6 में शक्तियां दे रहे हैं। केन्द्र ने बहुत शक्तिशाली बनाया है विकास आयुक्त को। फिर वह प्राधिकरण की अधिसूचना करेगी। उसके बाद आप और शक्तियां विकास आयुक्त जो केन्द्र का है, डिप्टी सैक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा, उसको देंगे। लेकिन उस पर चैक एंड वाच, उसको सारे अधिकार हैं। आपके टाउन प्लान को स्वीकार भी कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है। नये सिरे से उसका पुनरावलोकन करके प्रस्तुतिकरण भी कर सकता है। सारे असीमित अधिकार आपने विकास आयुक्त को दे दिये हैं, लेकिन विकास आयुक्त पर चैक पाइंट लगाने के लिए आपने इसमें कहीं कोई उल्लेख किसी प्रकार का नहीं किया है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, यह सब कर दिया। विकास आयुक्त को पावरफुल बना रहे हो सब सैक्शन 2 में, और धारा 11 में जो विकास आयुक्त को डिफाइन किया गया है, वह एक से अधिक सेज का भी विकास आयुक्त होगा। अगर राज्य सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य सरकार के अधिकारियों का इनवाल्वमेंट नहीं होगा तो केन्द्रीय अधिनियम के सैक्शन 11 में विकास आयुक्त एक या एक से अधिक जोन का विकास आयुक्त होगा। मैं समझता हूं कि एक विकास आयुक्त अगर हिन्दुस्तान के 5 प्रांतों में सेज का आयुक्त है, तो इसकी ठीक तरीके से मानीटरिंग, किस प्रकार की वहां गतिविधियां चल रही हैं, संतुलित और कानून सम्मत चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण दूर बैठकर, उसका कार्यालय कहां होगा? दिल्ली में होगा? राजस्थान में कितना समय होगा? कितना समय देगा? यह कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इस चीज का स्पष्ट उल्लेख किये बगैर मैं समझता हूं कि न तो कोई नियंत्रण, पर्यवेक्षण की व्यवस्था हो सकती है। इसको ठीक तरीके से डिफाइन किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, धारा 7 में, चूंकि आपका परपज ठीक है। विकास ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप सेज लाना चाहते हैं। सीलिंग एक्ट से मुक्ति का आपने प्रोविजन किया है। मैं समझता हूं कि इसके बिना सेज की स्थापना सम्भव नहीं है। यह स्वागत योग्य कदम है।

माननीय सभापति महोदय, आप सैक्शन 8 में आ जाइए, भूमि का अर्जन, और यह जो पुराना वाला 2003 का अधिनियम है, इसका सैक्शन-7 यह कहता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रोविजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अनुसार भूमि का अर्जन कर सकेगी। 1894 का जो भूमि अधिग्रहण का कानून था उसके अन्तर्गत राज्य सरकार भूमि अधिग्रहीत करेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सैक्शन 8 में क्या कह रहे हैं, मैं इसको पढ़कर सुना रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें, 'राज्य सरकार स्वयं के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन भूमि किसी विकासकर्ता को अंतरित कर सकेगी'। अधिग्रहित और अंतरित, दोनों में अंतर है, ट्रांसफर, अधिग्रहण अलग है। अगर नियंत्रणाधीन, पहाड़ है, सिवाय चक है, पी डब्ल्यू डी की है, ईरिगेशन की है, और स्वामित्वाधीन, स्वामित्वाधीन में एक बड़ी विसंगति

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है, पूरे राजस्थान की जमीन का स्वामित्व सरकार के पास है। किसान टीनेन्ट की हैसियत से, किरायेदार की हैसियत से है। लैंड टीनेन्सी एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन है, वह उस हैसियत से काम करता है। अगर आप इस स्वामित्वाधीन जमीन को अंतरित करने की बात कर रहे हैं तो फिर उस जमीन के अधिग्रहण के उस किसान के साथ कानूनी उपबंध क्या होंगे? किस प्रक्रिया से उसको आप अधिग्रहित करेंगे?

मानीय सभापति महोदय, आपने आगे लिख दिया, मजाक हो गया, मजाक माननीय मंत्री महोदय, आपने लिख दिया, 'करेगी, यदि आवश्यक हो तो भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिकार अधिनियम, 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 और एतदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार भूमि अर्जित करेगी'। आज कौनसी तारीख है, माननीय सभापति महोदय, अप्रैल महीने की 6 तारीख को विधेयक पास हो रहा है। 2013 का जो वह अधिनियम है, वह अधिनियम समाप्त होकर, भारत सरकार उसके अगेंस्ट एक नया आर्डिनेंस लेकर आ गई। नया आर्डिनेंस लोकसभा ने पारित कर दिया, 6 महीने खतम होने के बाद दूसरा अध्यादेश उस पर लेकर आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो बिल ही अस्तित्व में नहीं रहा, जो अधिनियम ही अस्तित्व में नहीं रहा, आप नये बिल में उस अधिनियम के अनुसार मुआवजों का, अधिग्रहण का प्रोविजन डाल रहे हो सैक्शन 8 में? 2013 के अधिनियम के तहत हम इसको एक्वायर करेंगे। उसके हिसाब से मुआवजा देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर आप 2013 के उस पर आना चाहते हो। 2013 का बिल तो मर गया, लेकिन उस बिल के प्रोविजंस को सैक्शन 8 में डाल दीजिये, 80 प्रतिशत किसानों की सहमति होगी तो सब सैक्शन 1, 4 गुना डीएलसी की रेट से मुआवजा देंगे सब सैक्शन 2 में। अगर आप 2013 का जो अधिनियम केन्द्र का था, उसके सारे के सारे क्लाज इस सैक्शन 8 में डाल दें तो यह सारा राजस्थान आपका आभार व्यक्त करेगा।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह ड्राफ्ट करने से पहले आपने देखा नहीं और अधिकारियों से पूछा नहीं कि जिस 2013 के अधिनियम की आप बात कर रहे हैं, वह 2013 का अधिनियम अस्तित्व में नहीं है। आप

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उसके आधार पर भूमि अर्जन करेंगे? उसके आधार पर मुआवजा देंगे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई दूसरी भ्रांति नहीं हो सकती है।

मैं इतना जानना चाहता हूं कि इसमें यह भी खुलासा किया जाना चाहिए कि आप अंतरित कर रहे हैं, वह स्वयं भी खरीद रहा है, सरकार भी उसको दे रही है तो लीज पर देगी या पट्टे पर देगी? अगर लीज पर देगी और सेज के नियमों का उल्लंघन कर दिया तो उसका वायलेशन करने के बाद उसके खिलाफ इस एक्ट में आपको कहीं कोई एक्शन लेने का राइट तक भी नहीं है। अगर सेज के नियमों का पालन नहीं किया, किसी विकासकर्ता ने नियमों का पालन नहीं किया तो राज्य सरकार उसके खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकती है। इस पूरे के पूरे एक्ट को उठाकर के देख लें कहीं इस बात का प्रोविजन नहीं है। इस धारा 8 पर बहुत पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि जिसका जिक्र किया गया है वह अधिनियम आज अस्तित्व में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 9 में विशेष आर्थिक जोन के प्रयोजन के लिए भूमि का संपरिवर्तन, यह एक सामान्य प्रक्रिया है, उचित प्रावधान है। मैं समझता हूं कि सुओमोटो कन्वर्जन से प्रोसेस में तेजी आयेगी। प्रोसेस ही एक ऐसी बीमारी है कि 'भोलाराम का जीव' बना देती है आदमी को। इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से इस दरवाजे, इसलिए सैक्शन 9 उचित प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 10, हम किसान की जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं। सरकारी जमीन विकासकर्ता को दे रहे हैं। हम यह भी कह रहे हैं कि हम उस दरवाजे तक जहां सेज बनेगा पानी भी पहुंचायेंगे, बिजली भी पहुंचायेंगे, सड़क भी पहुंचायेंगे। सब कुछ करेंगे। जो कुछ भी सरकार उस दरवाजे तक कर सकती है, वह सारे के सारे काम करेगी। 60 साल से हम लगातार पानी, बिजली, सड़क मांग रहे हैं किसान के लिए। कानून सम्मत तरीके से हम जिम्मेदारी नहीं ओढ़ पाये। हम एक उद्योगपति के लिए, एक विकासकर्ता जिसको हमने इस एक्ट में नाम दिया है। कानून बनाकर यह जिम्मेदारी ओढ़ रहे हैं कि आप आओ, हम राजस्थान के गरीब किसान को कभी पानी नहीं दे पाये कानून बनाकर। उसको बिजली नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए, जरूरी सुविधाएं नहीं दे पाए लेकिन आप आओ, हम आपको कानून सम्मत तरीके से जिम्मेदारी ओढ़कर यह सारी की सारी सुविधाएं देंगे। अगर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आप सुविधाएं दे रहे हैं तो इस दरवाजे पर, इस सैक्टर में माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब देते समय बताएं कि क्या आपने सारी सुविधाएं उसके दरवाजे पर पहुंचा दीं, सारे कानून बना दिए और जब सेज अस्तित्व में आएगा तो राज्य सरकार का उसमें हस्तक्षेप कितना होगा, उसमें आगे केवल इतना सा आपको कहा गया है कि जो राज्य सरकार के कर हैं उनमें छूट वगैरह प्रदान राज्य सरकार कर सकती है उसके अलावा आपका वहां कोई हस्तक्षेप नहीं और आपने इसमें धारा 11 में, संरचनात्मक सुविधाओं का वर्णन किया है और उपरोक्त मद में कैसे सुविधाओं को देने की बात कही है कि क्या-क्या सुविधाएं होंगी उन सुविधाओं का आपने जिक्र कर दिया। अग्निशमन भी होगा, गैस वितरण भी होगा, सड़कें भी होंगी, नाली भी होगी, जब डवलपमेंट होगा, सेज आएगा, कई बैंकें भी आएंगी, उद्योग भी आएंगे, छोटे -मोटे और भी व्यापार आएंगे लेकिन यह सब जिम्मेदारी आपने डाल दी और सब सैक्शन 2 में आपने उसको बाध्य कर दिया, उप धारा 1 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विकासकर्ता उस उप धारा में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित की गई अवसंरचना सुविधाओं में से किसी की भी योजना बनाने, विकास संनिर्माण, संस्थापन, संचालन, प्रबन्ध, रखरखाव करने के लिए बाध्य होगा, जब कभी भी राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित होगा, इसके लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन मंजूर किया गया हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने कानून सम्मत तरीके से बाध्य कर दिया, आपने कह दिया कि प्रहलाद गुंजल पर यह कानून एप्लाई होगा, लिख दिया, प्रहलाद गुंजल नहीं मानता, प्रहलाद गुंजल को मनाने के तरीके क्या है, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। अगर जिन सुविधाओं का जिक्र इस एक्ट में किया गया है उन सुविधाओं पर अगर वह विकासकर्ता अमल नहीं करता है, गौर नहीं करता है, केवल खानापूर्ति करने का प्रयास करता है और एज पर एक्ट उसका वायलेशन करता है तो इस एक्ट में कहीं पर भी किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, माननीय सभापति महोदय, इसमें सब कुछ करते हुए भी राजस्थान के कितने लोगों को उस सेज में रोजगार मिलेगा, इस बात का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, और तो और फिर अगर वहां पर श्रमिक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विवाद होते हैं, श्रमिक विवादों का निस्तारण भी लेबर कमिश्नर की पावर विकास आयुक्त के पास ही होगी। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार कहती है कि हमारा विकास आयुक्त एक से अधिक सेज का आयुक्त होगा, वह गुजरात का भी हो सकता है, वह पंजाब का भी हो सकता है, वह राजस्थान का भी हो सकता है और राजस्थान सरकार कहती है कि जो नया सेज ला रहे हैं उसमें अगर कोई लेबर प्रोब्लम होती है, लेबर के साथ किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसका वाद दायर करने के लिए लेबर कमिश्नर के पास वह एन्टाइटल नहीं है, लेबर कमिश्नर की और लेबर की सारी की सारी शक्तियां उस विकास आयुक्त के पास हैं, जिस विकास का आयुक्त कार्यालय निर्धारित नहीं है, राजस्थान में कितना समय देगा इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। विवादित प्रक्रिया से प्रभावित श्रमिकों के साथ कब-कब किस प्रक्रिया के तहत वह काम करेगा, कोई उल्लेख नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि उस सेज क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को त्वरित और सस्ता न्याय किसी भी सूरत में इस एक्ट के मौजूदा प्रावधानों के हिसाब से नहीं मिल सकता इसलिए इस प्रकार के भी प्रोविजन्स इस एक्ट में निश्चित रूप से डाले जाने चाहिए।

आपने तय कर दिया धारा 15 के सब सैक्शन 2 में कि नोटिफाई होने के बाद भविष्य में कोई विवाद नहीं, विशेष आर्थिक जोन है, इसका अपना कानून होगा, वहां नगरपालिका और पंचायत के कानून नहीं चलेंगे, जहां भी यह होगा लेकिन अच्छा होता कि आप इसमें यह क्लाज डालते कि विशेष आर्थिक जोन, विशेष आर्थिक जोन जिसको आप कह रहे हैं, जहां इनकम होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, आपने कह दिया, पंचायत के कानून नहीं, नगरपालिका के कानून नहीं तो कम से कम उस आर्थिक जोन से जो इनकम होती उसका हिस्सा उस क्षेत्र की नगरपालिका और पंचायत को आंशिक रूप से देने का या तो आप अपने एक्ट में प्रोविजन करते लेकिन जो सेंट्रल एक्ट को और इसको, दोनों को मिलाकर देखेंगे तो केवल आपका अनुमोदन समिति के बाद सेंट्रल एक्ट के मौजूद रहते हुए कोई काम नहीं बचता, आपका यह एक्ट निष्प्रभावी है। आप यह कर सकते हैं कि उस प्रस्ताव को टर्न डाउन कर सकते हैं या भेज सकते हैं। अच्छा होता आप भारत सरकार से आग्रह करते और एक कामन क्लाज इसमें जोड़ते सेंट्रल और स्टेट एक्ट में, स्टेट एक्ट में कामन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

क्लाज जोड़ते कि ग्राम पंचायत को और नगरपालिका को उसका हिस्सा इन्कम का निश्चित रूप से मिलना चाहिए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में सेज के प्रति आकर्षण बढ़ता और सेज के क्षेत्र से रोजगार और डवलपमेंट के साथ-साथ हमारी स्वायत्तशासी निकाय और सरकारी एजेंसियां हैं वह निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में डवलपमेंट करा सकतीं। आपने सैक्शन 17 में सभी कानूनों को सुपरसीड कर दिया, आजकल सभी कानून ऐसे आ रहे हैं, झील संरक्षण का आए तो कोई दूसरा आए तो, सेज का आए तो मौजूदा कानून इस पर लागू नहीं होंगे, कोई सा भी कानून मौजूद हो, इसी अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, परम्परा बन गई इस प्रकार का हर कानून में उपबन्ध जोड़ना, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धारा 18 में आपने जो सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, अब मेरी समझ में नहीं आ रही कि सद्‌भावनापूर्ण कार्यवाही क्या है और सद्‌भावनापूर्ण कार्यवाही, जहां पर कानूनी रूप से कोई पेचीदगी खड़ी हो रही हो, दोनों में विसंगतियां हैं, एक तरफ तो आप सद्‌भावनापूर्ण कार्यवाही कह रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सद्‌भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, यानी आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के आपके किसी अनुमोदन समिति के मैम्बर ने गलत काम कर दिया तो आप सद्‌भावनापूर्ण कार्यवाही कहकर संरक्षण देने के लिए इस कानून में क्लाज डाल रहे हैं।

श्री सभापति: यह पैरा तो हर बिल का अभिन्न अंग है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अभिन्न अंग बन गया तो आप तय कर रहे हैं कि इस एक्ट में आप जिसको राइट दे रहे हैं, असीमित शक्तियां दे रहे हैं, वह बुलडोजर चला दे किसी पर, सद्‌भावनापूर्ण चला है इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और जो सब सैक्शन 20, 21, 22 में जो विकास आयुक्त को केन्द्रीय अधिनियम के सापेक्ष अगर पढ़ा जाए धारा 20, 21, 22 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि विकासकर्ता किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसका अंकेक्षण, जांच और जब्ती बिना विकास आयुक्त की जानकारी और सहमति के राज्य सरकार को करने का अधिकार नहीं है। सेज आपके यहां है, अगर वह आपका टैक्स चोरी कर रहा है, कोई टैक्स एप्लाई कर दिया उस पर, टैक्स छूट का तो प्रोविजन एक्ट में दे दिया लेकिन माइनर टैक्स भी आपने उस पर एप्लाई कर दिया

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और उसने अगर कर वंचना कर दी तो आप उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। सैंट्रल एक्ट ने उसको इतना बड़ा प्रिविलेज दिया है इसलिए इस मौजूदा सेंट्रल एक्ट के रहते हुए स्टेट का एक्ट केवल सैक्शन 5, सैक्शन 5 – अनुमोदन समिति, सैक्शन 4 और सैक्शन 10 के बाद आपकी भूमिका समाप्त हो जाती है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आपने सैक्शन 8 में 2013 का अधिनियम जोड़ दिया, अब आप इसको संशोधित भी करेंगे, आर्डिनेंस आएगा, जो भी आएगा। आप किसान की जमीन अधिगृहीत करेंगे, किसान की जमीन अधिगृहीत करते समय आप देखें, मैं हरियाणा का एक उदाहरण दे रहा हूं, हरियाणा में सेज की स्थापना की बात आई और हरियाणा स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ने 19 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जमीन एक्वायर की। हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, हरियाणा का जो रीको है, जो हमारा राजस्थान का रीको है, हरियाणा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन, आप इतनी सस्ती कीमतों पर उद्योगपति के लिए जमीन नहीं खरीद सकते, किसानों का रिवोल्ट हुआ और किसानों का रिवोल्ट होने के बाद रिलायन्स सेज ने पहल करके स्वयं जमीन खरीद करने का प्रयास किया और जिस जगह 19 लाख रुपए बीघा में हरियाणा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ने जमीन एक्वायर की थी उसके बगल में रिलायन्स को चार करोड़ रुपए बीघा में जमीन खरीदनी पड़ी, चार करोड़ रुपए बीघा में। क्या करना चाहते हैं? जिस जमीन की कीमत बाजार में चार करोड़ रुपया और सरकारी एजेंसी अगर उसको अधिगृहीत करे तो केवल 19 लाख रुपये बीघा में। जब दो प्रकार के चेहरे, दो प्रकार की स्थितियां सामने आयीं तो पूरे हरियाणा में किसान आंदोलित होने की स्थिति में आ गया और उस रिलायंस, हरियाणा व भारत सरकार को गो-बैक जाना पड़ा और उसको विथड्रा करना पड़ा। आज भी वह पैंडिंग हालात में पड़ा हुआ है। आखिर हम करना क्या चाहते हैं?

हम पहले एक एक्ट लेकर आये। एक सेज पहले भी आया, महेन्द्रा सेज। नो डाउट, पिछली सरकार ने आते ही पहले उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी, सेज एक्ट भले ही वे लाये, उसमें डवलपमेंट नहीं हुआ। धीरे-धीरे डवलपमेंट हो रहा है, कुछ हजार लोगों को रोजगार मिला होगा, लेकिन माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, क्या हम इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं? महेन्द्रा सेज को हमने 3 हजार एकड़ जमीन दी, 14 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर 14 लाख रुपये प्रति एकड़ को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 350 रुपये प्रति मीटर। आज आप जाओ कि मुझे एक छोटी इण्डस्ट्री लगानी है, इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लेक्स, जमीन मांगिए, मुझे कोई बैंक की स्थापना करनी है, 5 से 7 हजार रुपये प्रति मीटर। महेन्द्रा सेज उस जमीन को बेच रहा है। जो जमीन 420 करोड़ रुपये में राज्य सरकार ने महेन्द्रा सेज को उपलब्ध करायी आज महेन्द्रा उस जमीन को मनमानी कीमतों पर 6 से 8 हजार करोड़ रुपये के बीच में बेच रहा है। हमने इण्डस्ट्रीज को घर बैठे ही जमीन बेचने में इतना बड़ा मुनाफा दे दिया कि 5-6 करोड़ रुपये जमीन बेचने में कमाए। यह नुकसान किसका किया? यह सारा का सारा वहां का किसान, अगर महेन्द्रा सेज रिलायंस की तरह जमीन खरीदता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं जिस जमीन को वे 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार रुपये प्रति मीटर में बेच रहा है अगर वह 3 हजार, 4 हजार में भी खरीदता तो उस क्षेत्र का विस्थापित किसान मालामाल हो जाता, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आखिर हम यह सब कुछ करके हम निश्चित रूप से एक पोजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि सेज आएगा, डवलपमेंट होगा, रोजगार होगा, विविध प्रकार के क्षेत्र के लोग उसमें शामिल होंगे, रोजगार के बड़े अवसर जुड़ेंगे, लेकिन हम जिस विधिक प्रक्रिया को अपना रहे हैं वह विधिक प्रक्रिया आत्मघाती है, किसान विरोधी है। सेज अगर स्थापित हो तो सरकारी जमीन पर स्थापित हो, सेज अगर स्थापित हो तो वास्तविक अर्थों में जो अधिनियम समाप्त हो गया 2013 का, उस अधिनियम का जिक्र हटा दीजिए, सैक्शन 8 में जो 2013 के अधिनियम के सारे के सारे क्लाज, डीएलसी की चार गुना रेट और 80 प्रतिशत किसानों की सहमति, ये सारे के सारे प्रावधान जोड़ दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यह सारा राजस्थान आपका स्वागत करेगा कि राजस्थान में आप इण्डस्ट्रियल ग्रोथ लाना चाहते हो, राजस्थान को आर्थिक ग्रोथ की ओर आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन इसके साथ-साथ आप इस राजस्थान के गरीब के घर में भी खुशहाली लाना चाहते हो, यह चिन्तन सैक्शन 8 में 2013 के अधिनियम के प्रावधानों को जोड़ देने के बाद स्वाभाविक रूप से नजर आने लगेंगे और राजस्थान आपकी वाहवाही करेगा। इसके बिना हम अगर सस्ती कीमतों में महेन्द्रा को 350 रुपये वर्ग मीटर। आज 6 हजार, 7 हजार रुपये वर्ग मीटर बेच रहा है। जमीन बेचने में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ही 6 हजार करोड़ का मुनाफा। कर क्या रहे हैं? किसान की जमीन को छीनकर पूंजीपति को दे रहे हैं और इतना मोटा मुनाफा कमाने के लिए? हम इस प्रकार के कानून बनाने के लिए इस सदन में नहीं बैठे हैं। हमें यह विचार करना पड़ेगा, हम जो कानून बना रहे हैं वह राजस्थान के आम आदमी के जीवन में मौलिक बदलाव लाने के लिए है। आम आदमी जहां जिस स्थिति में बैठा हुआ है उसके मौलिक अधिकारों, उसके संवैधानिक और लीगल अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम उसको करटेल करने के लिए, उसका अस्तित्व खतम करने के लिए उसको हटाकर सरकारी कानूनों की मार से उसको परास्त करके एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए इस सदन में हम कानून बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और मैं समझता हूं कि सैक्शन 8 में अगर आप केन्द्र के 2013 के अधिनियम के सारे के सारे क्लाज जोड़ देंगे तो यह राजस्थान खुले मन से आपका स्वागत करेगा। मैं इतनी ही बात कहते हुए मेरे द्वारा जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 पर मुझे अपनी बात इस पवित्र सदन में रखने की इजाजत दी, इसके लिए आपका आभार। कोटा उत्तर से आने वाले विद्वान साथी ने काफी विस्तार से इस सम्बन्ध में बात रखी। मैं उन सारी बातों में नहीं जाकर समय और माननीय सदस्य भी काफी देर से बैठे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षिप्त में कुछ बिन्दु ऐसे रखूंगा और विशेष रूप से कानून मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक बार पहले भी मैंने निवेदन किया था कि जब ला बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वे बातें इसमें थोड़ी-बहुत आ सकें, उस ओर ध्यान दिलाऊंगा।

यह जिस भावना और जिस उद्देश्य से कानून लाया जा रहा है वह स्वागत योग्य है और लाना भी चाहिए। इसके उद्देश्य बहुत जरूरी हैं राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के डवलपमेंट के लिए। जिस परिप्रेक्ष्य में संसार दिनों दिन छोटा होता जा रहा है, भौगोलिक दृष्टि से नहीं, लेकिन यातायात के साधन बढ़ने से, आवागमन बढ़ने से, प्रतिस्पर्धा के युग की वजह से इन सारी वजहों से संसार का हर व्यक्ति आज यह चाहता है कि मैं हर तरह से विकास

(श्री जोगाराम पटेल)

करूं और यह लगे कोई देश, प्रदेश विकास कर रहा है उस दृष्टि से वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में यह एक्ट बहुत ही आवश्यक है।

मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट पेश किया तो उसमें अपनी भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त की और यह बताया कि राजस्थान जैसी भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है उस प्रदेश में ऐसे कानून की आवश्यकता है। विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में जिनका अभी उपयोग ही नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है या और बढ़ाने की आवश्यकता है, सेरेमिक ग्लास है, डेयरी है, एमएसई है, इलैक्ट्रिक सिस्टम में डिजाइन है, मैन्युफेक्चरिंग है, प्लास्टिक से सम्बन्धित है, आयल मैन्युफेक्चरिंग है, पावरलूम है, टैक्सटाइल है, पर्यटन है, ऐसे अनेक सेक्टर हैं जिन सैक्टर्स में हमको और अधिक विकास की आवश्यकता है। इस भावना से इस कानून को लाये हैं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं बनायीं उसमें से जो महत्वपूर्ण योजना है वह निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनायी 2014 की, उन सबका हम स्वागत करते हैं और यह धन्यवाद भी देते हैं मंत्रीजी आपको और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि आपका उद्देश्य बहुत ही उत्तम है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2015 जो आप लाये हैं इससे इस क्षेत्र में बहुत विकास होगा। इन्वेस्टर्स आएंगे, डवलपर्स आएंगे और राजस्थान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा। जो नौकरी देने का या एम्प्लायमेंट देने का हमारा आब्जेक्ट है उसकी काफी पूर्ति होगी। अगर औद्योगिक विकास होगा तो सभी सैक्टर्स का विकास होगा, इस लिहाज से भी स्वागत योग्य है।

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो आपने योजनाएं बनायीं उन पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि आपने योजनाएं बनायी हैं इन योजनाओं से सबको फायदा होगा। इस दृष्टि से आपने टपूकड़ा में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का अभी थोड़े दिन पहले उद्घाटन किया वह और जो आपकी योजनाएं हैं, जो रीको है या दूसरे सेक्टर हैं उनमें बहुत हो रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल रीको का ही लेंगे तो राज्य में 325 औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में दिसम्बर, 2014 तक 74871 एकड़ भूमि काम में आ रही है। यह विषय भी गम्भीर है कि हम वर्तमान में किस युग में जा रहे हैं और अगर इस स्पीड से

(श्री जोगाराम पटेल)

बढ़ते रहे तो क्या हमें जमीन अवेलेबल रहेगी या इस बारे में और कोई विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन की उपलब्धता बढ़ने वाली नहीं है, जमीन की उपलब्धता जितनी है उतनी ही है। इस जमीन की आज की तारीख में 74871.57 एकड़ भूमि हम अवाप्त कर चुके हैं उसमें 42859.63 एकड़ भूमि विकसित करके रीको या किसी के मार्फत हमने डवलपमेंट के लिए दे दी है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए निगम द्वारा अनेक प्रकार की योजना इस अवधि में बनायी गयी है और 53641 भूखण्ड आबंटित भी किये गये हैं जिसमें 34710 इकाइयां उत्पादनरत हैं। निगम की स्थापना से लेकर अब तक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन सबके आधार पर मैं निवेदन यह करूंगा कि एक्ट लाने का जो आपका आब्जेक्ट है, आपका उद्देश्य है वह वाकई स्वागत योग्य है और हम सब मिलकर इसका स्वागत भी करते हैं। मेक इन इण्डिया का नारा है, आपने यहां मेक इन राजस्थान का नारा दिया है। वह भी बहुत स्वागत योग्य और रिसर्जेंट राजस्थान अभी आने वाला है, हम प्रार्थना भी करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस मिशन में सक्सैस होंगे और राजस्थान में हजारों-खरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट आएगा। यह भी स्वागत योग्य कदम है और इसी का पार्ट है। लेकिन उस सबके बावजूद भी जो आपकी सिंगल विंडो डवलप करने की स्कीम है वो भी ठीक है।

कुछ बातें जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना, रख-रखाव, प्रबंध, प्रशासन, ये सारी बातें होने के बावजूद भी जो एम एण्ड आब्जैक्ट आपने इस एक्ट में दिए और उसमें आपने यह बताया कि हमारा 2003 का यह एक्ट था और उसके बाद केन्द्र सरकार का 2005 का एक्ट आ गया और उसके अनुसार ही हमको यह बनाना है। एम एण्ड आब्जैक्ट की अगर आप लाइन पढ़ेंगे और मैं आपसे रिक्वैस्ट भी करूंगा कि आप अपने जवाब में अवश्य बतायें कि क्या ये बातें वाकई में सही हैं या आपने जो एम एण्ड आब्जैक्ट में लिखा है यही गलत है। एम एण्ड आब्जैक्ट का जो मिडिल का पैरा है, ऊपर जो आपने बताया कि 2003 का था, फिर 2005 में आया और 10.02.2006 से प्रवृत्त हुआ इसीलिए हमको यह बनाना जरूरी हो गया। सारी मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, मैं पहले कन्फ्यूज हो गया था, आपको तो इजी रहेगा। "The Central SEZ Act, 2005 provides that the State Governments May, for the purpose of giving effect to the provisions of the Central SEZ Act, 2005, take suitable steps for enactment of a law for grant of various concessions and facilities for SEZs and units therein in respective

(श्री जोगाराम पटेल)

States." आप कृपया अपने जवाब में बतायें कि सैण्ट्रल एक्ट का ऐसा कौनसा प्रोविजन है जो यह प्रोवाइड करता है कि सभी स्टेट या कोई भी स्टेट इसके लिए, जैसा लिखा है "....giving effect to the provisions of the Central SEZ Act, 2005, take suitable steps for enactment of a law for grant of various concessions and facilities for SEZs and units therein in respective States." ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है मेरी निगाह में। हमने कई बार सैण्ट्रल सेज एक्ट को पढ़ने का प्रयास किया लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं है इसलिए कृपया आप बतायें कि यह कौनसा प्रोविजन है जिसके आधार पर एम एण्ड आब्जैक्ट का यह पैरा आया।

दूसरा, जो मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया आप ध्यान दें। "Keeping in view of the provisions of the Central SEZ Act, the existing State SEZ Act needs to be aligned to the Central SEZ Act and also provide for a legal frame work to expedite proposal for setting up of SEZs in the State and the matters connected therewith through a single window mechanism and supervision of the SEZ projects in the State by the different departments/agencies of the State in a coordinated manner. It has been proposed to bring out a new State enactment in place of the existing the Rajasthan Special Economic Zones Development Act, 2003." उसकी जगह आपने यह बनाया और इसमें आपने एक प्रोविजन दिया सैक्शन 15 का। सैक्शन 15 में यह कहा "Declaration of the Zone to be industrial township. The Governor may specify the zone to be an industrial township in accordance with the provisions of Article 243 Q of the Constitution of India." और सब क्लाज (2) जो दिया "(2) The Special Economic Zone shall cease to be under the jurisdiction of, a municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or, as the case may be, a Panchayati Raj Institution constituted under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) with effect from the date of the issuance of a notification under sub-section (1)." अब आप यह कह रहे हैं कि अगर गवर्नर महोदय भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 (q) के अन्दर यह स्पेशल इकोनामिक जोन अगर डिक्लियर कर देंगे तो फिर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो प्रभाव है उस क्षेत्र से वो खतम हो जाएगा। यह आप बता रहे हैं और कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन इससे उल्टा है। कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल 243 यह कहता है, 243 (p) से शुरू होता है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी का कांस्टीट्यूशन किस तरह से होगा, ये दो चैप्टर नये जोड़े गये हैं 73वें अमेंडमेंट के बाद, 243 है वो तो पंचायती राज के लिए है और 243 जो (p) से शुरू हो रहा है वो है पंचायत के लिए। 243 का जो चैप्टर

(श्री जोगाराम पटेल)

नया एड हुआ है चैप्टर 9, वह हुआ है द पंचायत, हम पंचायत के हिस्से में नहीं पड़ते हैं, इन्होंने जो प्रोविजन दिया है वो दिया है चैप्टर 9 (a) द म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपैलिटीज के कांस्टीट्यूशन से सम्बन्धित जो प्रोविजन आया है वह आया है (q) कांस्टीट्यूशन आफ द म्युनिसिपैलिटीज। तो प्रोविजन तो यह है कांस्टीट्यूशन आफ द म्युनिसिपैलिटीज और आप यह डिक्लेरेशन इस प्रोविजन की यह कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नर डिक्लियर कर देगा सेज तो म्युनिसिपैलिटी के जो पावर्स हैं या पंचायत के जो पावर्स हैं वो खतम हो जाएंगे। इसमें मैं दो निवेदन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय, कृपया इसका आप जवाब दें। "There shall be constituted in every State; (a) a Nagar Panchayat, (b) a Municipal Council for a smaller urban area; and (c) a Municipal Corporation for a larger urban area" यह इस चीज से ही कवर होगा (c) a Municipal Corporation for a larger urban areas, in accordance with the provisions of this Part. और प्रोविजो जो बनाया, जिस प्रोविजो के तहत यह डिक्लेरेशन का इसमें जोड़ दिया, आपने प्रोविजो जो बनाया ''provided that a Municipality under this clause may not be constituted…" कि सेज अगर पहले से है तो वहां म्युनिसिपैलिटी आप नहीं बनाओगे यह प्रोविजन हैं कांस्टीट्यूशन के। I again request to read.

''… provided that a Municipality under this clause may not be constituted in such urban area or part thereof as the Governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit, by public notification, specify to be an industrial township." तो अगर पहले से कोई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप आलरेडी डिक्लियर्ड है by the Governor or by anybody else. तो गवर्नर महोदय वहां म्युनिसिपैलिटी को कांस्टीट्यूट नहीं करेंगे। अब आपने पंचायत के प्रोविजो, इस (q) का तो दिया ही नहीं। पंचायत के पावर भी खतम कर दिए और म्युनिसिपैलिटी के पावर भी खतम कर दिए जबकि यह प्रोविजन तो दूसरा है। मेरा कानून मंत्री साहब से भी निवेदन यह है कि अगर आपने डिक्लेरेशन की यह धारा 15 बनाई है इस धारा 15 और कांस्टीट्यूशन के प्रावधानों में कहां एकता है। आप कह तो यह रहे हो "The Governor may specify the zone to be an industrial township in accordance with the provisions of Article 243 Q of the Constitution of India. (2) The Special Economic Zone shall cease to be under the jurisdiction of, a municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or as the case may be, a Panchayati Raj Institution constituted

(श्री जोगाराम पटेल)

under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994)" राजस्थान पंचायती राज एक्ट का न तो रेफरेंस दिया और न 243 के फर्स्ट पार्ट, पार्ट 9 का कहीं रेफरेंस ही दिया। तो जब कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन एप्लाई ही नहीं हो रहा है तो उसके पावर सीज कैसे हो जाएंगे? मेरा दूसरा नम्र निवेदन मंत्री महोदय, आपसे यह है कि यह जिस कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन की आपने एड ली है वो तो उससे विपरीत है। इसलिए इसको आप जवाब में बतायें कि आपने किस तरह से इसको एड किया है।

अभी कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि आपने एक स्कीम बनाई, दो तरह के सेज डवलप होंगे, कोई एक व्यक्ति खुद आकर अपना एक मास्टर प्लान, प्रपोजल दे सकता है कि साहब, यह मेरा सेज है, यह आप करो, तो उसकी एक प्रक्रिया है और अगर गवर्नमेंट खुद चाहती है और सेज कर रही है तो भी उसकी एक प्रक्रिया है और दोनों प्रक्रिया इसमें दी हैं। पहली प्रक्रिया है Any proposal by any person. अब मैं आऊंगा कि पर्सन और डवलपर जो आपने लिखे हैं उसमें सैकण्ड टर्म में आऊंगा, वो अपना प्रपोजल डिपार्टमेंट आफ इण्डस्ट्री को सबमिट करेगा। डिपार्टमेंट आफ इण्डस्ट्री उसको स्क्रूटनी के लिए गवर्नमेंट को भेजेगा और गवर्नमेंट अपना जो डिपार्टमेंट है राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास भेज देगा इसको स्क्रूटनी के लिए और वो आफ्टर स्क्रूटनी, सारी स्क्रूटनी कर लेगा कि परपज ठीक है, सूटेबल है या नहीं है, जो भी है वो एग्जामिन कर लेगा। वह एग्जामिन करके स्टेट एप्रूवल कमेटी के पास भेज देगा और स्टेट एप्रूवल कमेटी उसका रिकमंडेशन करेगी, उसको अलाऊ कर सकती है, डिस-अलाऊ भी कर सकती है या कोई कमेंट्स भी कर सकती है। वह टू द स्टेट गवर्नमेंट जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एप्रूवल आया है वह एप्रूवल के लिए फिर स्टेट एप्रूवल कमेटी को भेज देगी। स्टेट एप्रूवल कमेटी उसको बोर्ड आफ एप्रूवल को भेज देगी। तो इस प्रक्रिया में जो पर्सन एप्लाई कर रहा है उस पर्सन को आपने डिफाइन भी कर दिया सैक्शन 2 सब-सैक्शन (n) में और आपने डवलपर और को-डवलपर को डिफाइन कर दिया (g) और (h) में। अब यह जो सेज बनेगा, व्यक्ति एक प्रपोजल लेकर आया, आपकी सारी प्रक्रिया में जाने के बाद एप्रूव्ड हो गया फिर जैसा विकास आयुक्त जो भी होगा, वो वहां गया और उसने सेज को वहां एस्टेब्लिश नहीं किया एक पर्टिकूलर टाइम में या टर्म एण्ड कंडीशन के अकोर्डिंगली नहीं किया, या दो साल, पांच साल, दस

(श्री जोगाराम पटेल)

साल रखने के बाद में फिर उसने कामर्शियल काम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। इण्डस्ट्रियल टाउनशिप जहां होती है, उसके स्थान पर उसने कोई कालोनी काट दी या वह कुछ भी नहीं करे। आपने उसमें इतनी रियायतें दीं कि उसका लैण्ड कन्वर्जन अपने आप, आटोमेटिक हो गया। उसको लैण्ड कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं, इसके प्रोविजन बना दिये कि ज्योंहि सेज एप्रूव हुआ तो उसको जो एग्जम्पशन मिलेंगे, वह एग्जम्पशन में सीलिंग ला इफेक्ट नहीं करेगी। एक एग्जम्पशन यह दे दिया कि सीलिंग ला कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि नहीं तो अपने आपमें लैण्ड सीलिंग ला है। लैण्ड सीलिंग में पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर तहसील में, पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप लैण्ड ले सकते हैं तो वह सीलिंग लॉ इफेक्ट नहीं करेगी। जितने भी टैक्स हैं, ड्यूटीज हैं, वह सारे एग्जम्प्ट हो जायेंगे। आपको किसी तरह की म्युनिसिपैलिटी की, पंचायत की जो जुरिस्डिक्शन है, वह सारी खतम हो जायेगी। आपको सारे बेनेफिट जो मिलने हैं, वह सारे के सारे बेनेफिट आपको मिल जायेंगे और अगर उसने एस्टेब्लिश नहीं किया, सारे बेनेफिट ले लिये तो कन्वर्जन का पैसा लगा नहीं, कोई टैक्स लगा नहीं। लैण्ड वह कोई लेकर आया, जैसे-तैसे किसी से खरीद ली, वह लेकर आ गया और अपने सारे बेनेफिट लेने के बाद में अगर उसने सेज एस्टेब्लिश नहीं किया according to approval plan तो इसका क्या जवाब है? कौनसा एक्शन आप उसके खिलाफ ले सकते हैं या वह जमीन कैसे वापस हो सकती है? जैसा कि इसमें बताया गया है, इसलिए मैंने एक अमेंडमेंट यह दिया है और यह प्रोविजन भी है। अगर आप ने इस सैन्ट्रल सेज एक्ट की जैसी नकल की है, अगर आप वह पूरी की नकल कर देते तो सैक्शन-10 और सैक्शन-16 को आप पकड़ लेते। इसमें सैक्शन-10 और सैक्शन-16 है, जिसमें अगर कोई सेज एस्टेब्लिश नहीं करता है विदिन टाइम, तो उसके प्रोविजन दिये हैं। सैक्शन-10 है सेन्ट्रल एक्ट का "Suspension of letter of approval and transfer of Special Economic Zone in certain cases" और वह कौन-कौन से केसेज हैं, इसमें इन्होंने डिफाइन कर दिया। टाइम पर नहीं करता है according to approved plan नहीं करता है, वायेलेशन करता है तो उसको वह रिव्यू कर देंगे और सैक्शन-16 में तो उसकी जमीन वापस लेने के प्रोविजन बना दिये। Cancellation of letter of approval to entrepreneur. वह उसका कैंसिल हो जायेगा और इस प्रोविजन के अनुसार जमीन वापस गवर्नमेंट को चली जायेगी।

(श्री जोगाराम पटेल)

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिस कांस्टीट्यूशन के प्रोविजंस की आपने आड़ ली, वह प्रोविजन किस तरह से लागू होते हैं और अगर वह एस्टेब्लिश नहीं करता है अपने सेज को विदिन ए पर्टिकुलर लिमिट और according to approved plan तो आपके पास कौन से प्रोविजंस रहेंगे, उसका कहीं न कहीं आप जवाब दे दें। मेरे विचार से तो नहीं है, इसीलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है और वह अमेंडमेंट यह दिया था कि अगर वह नहीं करता है, जैसा यह प्रोविजन है वैसा, सैकिण्ड मेरा जो अमेंडमेंट था, वह यह, ''परन्तु यदि विकासकर्ता अपने द्वारा प्रस्तावित या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत विशेष आर्थिक जोन निर्धारित समयावधि में या छह माह के अधिकतम नोटिस...'' एक नोटिस उनको देना ही पड़ेगा। इस नोटिस के बावजूद भी उसे मूर्त रूप नहीं देता है अथवा उस क्षेत्र को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लेता है तो अनुमोदित बोर्ड के नियमानुसार उसे निरस्त कर इस अधिनियम के तहत प्राप्त सभी लाभों, सुविधाओं व रियायतों को वंचित कर सकेगा और वह क्षेत्र सरकार में समाहित हो जायेगा?'' अगर आप ठीक समझें, अगर आपका ला डिपार्टमेंट ठीक समझे तो इस अमेंडमेंट की तरफ आप विचार करें और आप यह समझें कि नहीं, इसमें हमारे जो प्रोविजन हैं, वह सफिशियंट हैं, तो कृपया बता अवश्य दें कि ये हमारे प्रोविजन जो हैं, वे इस बात को सेफगार्ड करते हैं, स्टेट के इंट्रेस्ट को, पब्लिक के इंट्रेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट के इंट्रेस्ट को सेफगार्ड करते हैं और स्टेट की पालिसी को सेफगार्ड करते हैं। इसलिए मेरा सब्मिशन यह है, इसलिए जैसा कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, उन्होंने इस बात को अपने वर्डस में बताया, अपनी भाषा में बताया। उसका मीनिंग यही है कि सेफगार्ड इस एक्ट में कहीं भी नहीं बताई गई। कभी भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा कि वह फ्यूचर में होने वाली सारी सम्भावनाओं को सेफगार्ड नहीं करे।

इसके साथ आपने सारे प्रोविजन तो बना दिये। आपने राजस्थान सीलिंग ला का बना दिया। आपने राजस्थान टैक्स एग्जम्पशन का बना दिया। वह सारे एग्जम्पशन बना दिये लेकिन जब तक आप राजस्थान टीनेंसी एक्ट का सैक्शन-64 का एग्जम्पशन नहीं लेंगे, तब तक वह जमीन आपके पास रहेगी कैसे? ज्योंहि कोई काश्तकार, कोई टीनेंट एक पर्टिकुलर टाइम तक अपनी एग्रीकल्चर लैंड का for agriculture purpose use नहीं करता है तो वह एस्टिंग्विश होकर स्टेट में वेस्ट हो जाती है। मेन्डेटरी प्रोविजन है सैक्शन-64

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान टीनेंसी एक्ट में। (व्यवधान) और वह जो सैक्शन-8 इस एक्ट का है, वह अलग चीज है। सैक्शन-8 तो है, वह तो लैण्ड एक्वायर करने की दिशा में जो प्रोविजन है, उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूं। इसीलिए आपको प्रोविजन राजस्थान टीनेंसी एक्ट का भी, जैसे दूसरे राजस्थान सीलिंग एक्ट का आपने एग्जम्पशन लिया है, वैसे का वैसा एग्जम्पशन आपको राजस्थान टीनेंसी एक्ट का भी लेना पड़ेगा अदरवाइज यह आपका एक्ट फेल हो जायेगा। कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इस एग्रीकल्चर लैंड को इस टीनेंट ने पर्टिकुलर टाइम तक for agriculture purpose काम में नहीं ली, इसलिए उसके जो टीनेंसी राइट हैं, वह एस्टिंग्विश हो गये, वह समाप्त हो गये। इसलिए मेरा दूसरा संशोधन आपके सामने जो दिया था, वह इसी उद्देश्य से दिया था कि यह जो आपका सैक्शन-9 है, इस सैक्शन-9 के बाद यह आपको जोड़ना पड़ेगा। "पूर्व में एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 अन्ततः के प्रावधान लागू नहीं होंगे"। आपको यह और लेना पड़ेगा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। इसीलिए आपका सेज सेफ हो जायेगा। यह दूसरा मेरा अमेंडमेंट था।

अब तीसरा, with great respect आपसे निवेदन यह करूंगा, जैसा माननीय सदस्य बता रहे, सैक्शन-8 के बारे में। आप अपने सारे प्रोविजन्स देख लेना और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप सारे प्रोविजन देख लेना। आपने दो व्यक्ति यहां डिफाइन किये हैं जो सेज एस्टेब्लिश करेंगे। एक है आपका डवलपर और को-डवलपर। जो सैक्शन-g और h में और एक आपका है पर्सन। आपका डवलपर होते ही डवलपर की डेफिनेशन में पर्सन आपकी इस डेफिनेशन के अनुसार इन्क्लूड हो जाता है लेकिन को-डवलपर जो है, वह इस डेफिनेशन में साथ है डवलपर के।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा, आप डवलपर की डेफिनेशन देखेंगे "Developer' means a person who or a State Govt. which has been granted by the Central Govt. a letter of approval under the provisions of the Central SEZ Act and includes a Co-Developer" डवलपर जहां वर्ड आयेगा, वहां को-डवलपर अपने आप, प्रीज्यूम माना जायेगा, वह साथ है। फिर भी इस को-डवलपर की डेफिनेशन अलग दे दी। अब यह नकल करते वक्त क्या हुआ। इस सेन्ट्रल एक्ट में तो डवलपर और को-डवलपर अलग डिफाइन है और उसके रीजन भी साथ दिये हैं। पर वह रीजन तो देखे नहीं और एक डेफिनेशन दे दी और इस को-डवलपर के वर्क के बारे में इस पूरे एक्ट में कोई

(श्री जोगाराम पटेल)

एक वर्ड नहीं। जहां एक वर्ड आया है, वह अभी डिफाइन करूंगा। इसमें को-डवलपर को क्या प्रोविजन दिये हैं? मैं सेन्ट्रल एक्ट का पढ़ रहा हूं। "Co-developer" means a person who, or a State Govt. which has been granted by the Central Govt. a letter of approval under sub-section (12) of section 3." उसका अपना एक स्कोप अलग दे दिया को-डवलपर का और डवलपर का दिया "Developer" means a person who or a State Govt. which has been granted by the Central Govt. a letter of approval under sub-section (10) of Section 3 "सैक्शन-12 में जायेगा। उसके प्रोविजन, उसके राइट अलग हैं, वह को-डवलपर हो जायेगा। सैक्शन-3 के सब-क्लाज-10 में जायेगा, वह उसके राइट हैं, वह उसके अलग हैं, वह सैक्शन-10 में जायेगा। यह बात तो यहां उतारते हुए भूल गये और सिर्फ डवलपर और को-डवलपर की डेफिनेशन दे दी। पूरे के पूरे सैक्शन-3 से लगाकर सैक्शन-15 जहां तक डिक्लेरेशन होता है, उसमें को-डवलपर कहीं वर्ड ही नहीं है पूरे के पूरे एक्ट में और इसमें एक जगह जो वर्ड आया है, वह सैक्शन-12 में आया है सिर्फ एक शब्द आया है को-डवलपर। Exemption from State taxes, duties, cess and other levies. The State Govt. may, upon recommendation of the State Approval Committee, by a general or special order, exempt any Developer, Co-Developer or a Unit.." यह यूनिट जो शब्द है, यह अपने आप पहली बार नया आया है। वह जनरल जो भी समझे। "...located in a Special Economic Zone from such taxes, duties, cess and other levies to such extent as may be specified in such order in respect of all transactions within the Special Economic Zone and in respect of supply of goods and provision of Services from the domestic tariff area to the Special Economic Zone." तो डवलपर और को-डवलपर की आपने जो डेफिनेशन दी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका परपज क्या है, उसका मीनिंग क्या है? या तो को-डवलपर का कोई न कोई, जैसा इस सेन्ट्रल एक्ट में प्रोविजन है, उसका राइट है, वैसा कोई राइट आप भी बता देते, अदरवाइज को-डवलपर को कन्फ्यूज करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए तीसरा मेरा निवेदन इसमें है कि आपने जो को-डवलपर को डिफाइन किया है, उसका किसी तरह का कोई मीनिंग नहीं है और को-डवलपर तो, डवलपर के अन्दर पहले से ही इनक्लूड है according to your definition और नैक्स्ट मेरा सब्मिशन है। इस पूरे एक्ट में, चलो लास्ट है जैसा आप फरमायें, वैसा लास्ट है। (व्यवधान)

(20.00 बजे)

अब एक विषय जो माननीय सदस्य ने रखा था। उसमें थोड़ा सा

(श्री जोगाराम पटेल)

करक्शन की आवश्यकता है। सेन्ट्रल एक्ट जो लैंड एक्वीजिशन का सेन्ट्रल एक्ट है उसको अबोलिश नहीं किया है। उसके सर्टेन प्रोविजंस में अमैण्डमेंट करने का आर्डिनेंस लाया है। इसलिए वो जो सेंट्रल एक्ट है लैंड एक्विजिशन का वो एज इट इज ही है। इसलिए इसमें जो सेंट्रल एक्ट लिखा है उससे कोई विशेष इसमें माइनस पाइंट नहीं है, क्योंकि सेंट्रल जो आर्डिनेंस लाया है वह कुछ सर्टेन प्रोविजंस को अमेण्ड करने के लिए लाया है। इसलिए वो ज्योंही इस आर्डिनेंस के रूप में लागू होता है वो सरटेन प्रोविजंस आटोमैटिक उसमें अमेण्ड होंगे। यह सेंट्रल एक्ट तो 2013 का एज इट इज रहेगा। इसमें जो सैक्शन-8 में आपकी यह जो शंका थी कि यह सेंट्रल एक्ट तो रहा ही नहीं, यह शंका थोड़ी सी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सैक्शन-8 में आर्डिनेंस आया फोर अमेंण्डमेंट आफ सरटेन सैक्शन। We correct itself. "The State Govt. may transfer….." आप थोड़ा सा करक्ट हो जाएं, वह नया बिल नहीं आ रहा है उस सम्बन्ध में प्रोविजंस आ रहे हैं "The State may transfer land owned or controlled by it to the Developer..." यह जो एक्ट 2013 का सेंट्रल एक्ट नम्बर-30 लिखा है वो एक्ट अबोलिश नहीं हुआ है। वह एक्ट एज इट इज है जो 80 परसेंट कसेंट वाला जैसा हमने राजस्थान में अभी जो एक्ट लाये। ज्योंही एक्ट मंजूर हो जाएगा, पास हो जाएगा तो वह सेंट्रल एक्ट में ही जाकर के प्रोविजन हो जाएंगे। इसलिए इसमें जो आपने बताया है उस पर विशेष ध्यान देंगे, फिर भी आपने जो विषय रखा है मंत्रीजी इसका जवाब देंगे।

मेरा लास्ट निवेदन यह है कि इन सब एक्ट के बावजूद भी आपने ऐसे कोई भी प्रोविजन नहीं बनाये हैं जो किसी टीनेंट के राइट को सेफगार्ड करता हो। ऐसे प्रोविजन इस नियम में बनाने बहुत जरूरी हैं जो टीनेंट के राइट को सेफगार्ड करते हों। बाकी सारे प्रोविजंस बनेंगे, सेज बन जाएगा, परमिशन मिल जाएगी, एप्रूव हो जाएगा, बोर्ड से एप्रूव हो जाएगा, गवर्नर का आर्डर हो जाएगा, आपकी कमेटी हो जाएगी, लेकिन उन सबके बावजूद भी जैसा आपने अपने शब्दों में कहा सामाजिक जो प्रभाव, अब सामाजिक प्रभाव के साथ ही साथ किसान का जो हित है उस किसान के हित का क्या होगा। उस एरिया में जो डवलपमेंट के लिए प्रोविजंस होंगे उसका क्या होगा? राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट सब जगह फिक्स ला हैं कि इतना परसेंट वो सामाजिक संरचना के लिए खर्च करेंगे। चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे इण्डस्ट्रियल

(श्री जोगाराम पटेल)

डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो। लेकिन इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बताया कि उसकी इन्कम का इतना परसेंट जो है वह उस एरिये के डवलपमेंट के लिए खर्च होगा। काश्तकार के विकास के लिए खर्च होगा या फलां पब्लिक परपज के लिए खर्च होगा। चूंकि इतना बड़ा एक्ट बन रहा है और इतना बड़ा डवलपर को राइट मिल रहा है तो उस डवलपर को राइट देने के लिए कोई न कोई सामाजिक संरचना का जो आपने बताया, किसान की रक्षा के लिए बताना, वह बताना भी जरूरी है। इसमें और आप विशेष ध्यान देंगे माननीय मंत्री महोदय, कि अगर दो डवलपर का डिस्प्यूट हो गया तो? अगर गवर्नमेंट और डवलपर का डिस्प्यूट हो गया तो ऐसे कौन से प्रोविजन हैं इसमें, वो कौन से ला में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा, रिट में जाएगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा। सेंट्रल एक्ट में तो आर्बिट्रेशन के प्रोविजन बना दिये, लेकिन आपने इसमें कोई प्रोविजन नहीं बनाये। वह मेरे पास आएगा तो मैं कहां जाऊंगा? कौनसे कोर्ट में जाऊंगा, किस ला के अन्दर जाऊंगा? तो इसीलिए यह बनाना भी बहुत जरूरी है। लिमिटेशन नहीं बनाया, कोई लिमिटेशन के प्रोविजन नहीं बनाये, बीस साल बाद में डिस्प्यूट हो गया, पांच साल बाद डिस्प्यूट हो गया, दो साल बाद में डिस्प्यूट हो गया। चूंकि यह ला बन रहा है तो आपको इसमें यह प्रोविजन तो बनाने ही पड़ेंगे कि फलां एक्ट के तहत अगर कोई इन्टरनल डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट विदिन गवर्नमेंट हो गया तो उस डिस्प्यूट को निराकरण करने के लिए फलां आथोरिटी या कोर्ट है यह एम्पावर्ड होगी या आर्बिट्रेशन के प्रोविजन लागू कर दो तो आर्बिट्रेशन में चला जाएगा।

आखिर में मैं निवेदन यह करुंगा, मैं आपकी भावना समझता हूं, मैंने सारे पाइंट्स छोड़ दिए हैं। आखिर में मेरा निवेदन यह है कि यह जो एक्ट है, आपकी मंशा है, आपका उद्देश्य है वह बहुत ही स्वागत-योग्य है और इस एक्ट के इफैक्ट भी होंगे, वो राजस्थान के विकास के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस एक्ट के बावजूद भी जो इसमें डिफेक्ट रह गए हैं राजस्थान का एक्ट और सेंट्रल एक्ट के बीच में प्रोविजंस में जो उनमें इनकंसिस्टेंसी रह गई, जो मैंने एक-एक आपके सामने रखी हैं। कांस्टीट्यूशन प्रोविजन के अनुसार नहीं है उन सबके बावजूद भी आप यह बता दीजिए कि पंचायती राज के जो प्रोविजंस हैं, उसकी जो प्रोपर्टी है अगर कोई प्रोपर्टी पंचायती राज की उस डवलपर ने साथ में डाल दी, एक बीघा, दो बीघा, दस बीघा तो यह एग्जम्पशन आपने लिख

(श्री जोगाराम पटेल)

दिया, लेकिन कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन का जो हवाला दिया, वो पंचायती राज के प्रोविजन को अफैक्ट कर ही नहीं सकता था। इसलिए उस सम्बन्ध में भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा।

अंत में मैं निवेदन यह भी करूंगा, माननीय मंत्री महोदय, कि इन सबके बावजूद भी आप इन प्रोविजंस को एक बार देख लें, सरल कर दें, 2003 का जो अपना स्टेट का एक्ट है, 2005 का जो सेंट्रल का एक्ट है इन प्रोविजंस को एक बार देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, ये प्रोविजंस ठीक है तो हम तो आपकी सहमति जता देंगे, लेकिन हमारे निवेदन के अनुसार आप जिस भावना से लाये हैं, जिस उद्देश्य से लाये हैं, वह स्वागत योग्य है। लेकिन ला फ्रेम करते वक्त जो गलती रही है उसे एक बार कंसीडर कर लें, इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: Are you withdrawing? If you don't want, I can't compel you.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): Certainly you can't compel. I hope it.

श्री सभापति: 243 still stands.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने इस अधिनियम में जनमत जानने हेतु और संशोधन के जो प्रस्ताव दिए हैं उसे विथड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विशेष आर्थिक विधेयक पर महान अधिवक्ता सदस्य ने सारा विषय ले लिया है और अधिवक्ताओं का गुण और अवगुण दोनों होते हैं ये किसी बात को सही को गलत भी और गलत को सही भी कह सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, विस्तार में नहीं जाते हुए खाली एक ओवरआल में हम स्पेशल इकानोमिक जोन के लिए कोई नियम ला रहे हैं। जैसे बात चली कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी दुविधा न हो, इन चीजों का तो ध्यान करें ही करें। लेकिन गांवों की जो मौलिक प्रतिभूति है, गांवों की जो मौलिकता है। आप विकास करना, विकास की दुनिया में आप आगे जाओगे, लेकिन विकास करते समय या जिस जोन का विकास करते समय वहां के मौलिक जो वहां का रहवासी है, वहां का किसान बंधु है उसका विचार हम कैसे करेंगे, उसकी सेफ साइड हम कैसे करेंगे, वो बहुत जरूरी है। आज मशीनरी युग

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

है, अब एक तरफ तो आप वहां पर रहने वाले किसानों को कहीं न कहीं बेरोजगार कर देंगे। आटोमेटिक प्लांट लग जाएंगे, इन सारी बातों का विचार हमें करना चाहिए कि जहां पर हम इकानोमिक जोन में यहां के लघु उद्योग के माध्यम से लेबर ओरिएंटेड इण्डस्ट्रीज कैसे डवलप हों, इस तरफ भी सरकार का ध्यान रहे। अब यह भूमि अर्जन वाला विषय आया है, नियम वापस आ रहा है। भूमि अर्जन के तहत मैं सभापति महोदय, एक चीज पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। आज रीको के माध्यम से जमीन कोई एक्वायर कर दी। आज रीको के पास सबसे बड़ी प्रोपर्टी वह जमीन है, दस साल पहले एक्वायर की हुई जमीन, आज दिन तक वहां पर कई जगह पर इण्डस्ट्रीज नहीं लगी हैं। जमीन की कीमतें बढ़ाकर रीको यह कहता है कि मुझे बहुत बड़ा मुनाफा है, मेरा बहुत बड़ा फण्ड है। अब किसान को तो आपने दस साल पहले बेघर कर दिया उस समय और आज अगर किसान की वो जमीन लेते तो किसान का फायदा होता। आपके पास तो ऐसा का ऐसा कहीं इकोनोमिक जोन यह न हो। आपकी जो समिति है चाहे वह अनुमोदन समिति है, चाहे वह विकास समिति है, चाहे वह विकास आयुक्त के माध्यम से हो, जमीन को एक्वायर करते समय वहां पर कोई भी उद्योग कितने समय में डवलप होगा, इसकी कहीं न कहीं रीति नीति हो। जिससे जिस समय जमीन का उपयोग जहां पर करना है उस समय एक्वायर की जाए तो किसान को प्रजेंट जो फायदा है वो मिल सकेगा। माननीय सभापति महोदय, एक विषय तो आया लघु उद्योग वाला। अब इकानोमिक जोन के माध्यम से बात आई बीच में भूमि अर्जन वाली, किसान की उपयोगी जमीन पर, अब उद्योगपति चाहेगा कि हम वहां लगायें, लेकिन सरकार की भूमि जो अनुपयोगी है, वहां पर स्पेशल जोन को हम कैसे ला पायें और वहां पर सुविधाएं हम कैसे ले जाएं, इन बातों पर हम विचार करें तो कम से कम जमीन का उपयोग भी होगा और किसान भी बेरोजगार नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा बाकी सारी चीजें जो भी नियम हैं, नियम-कानून को पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन भूमि अर्जन करते समय वो जो नियम है और किसान एक तो जिस समय आपका उद्योग वहां पर उस जमीन का विकास करना है उस समय एक्वायर करे और उस किसान की वास्तविक ऐसी भागीदारी हो, मतलब नियम तो बनाओगे आप जलेबी के

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जैसा गोल बनाओगे, किसान आंटे खाता जाएगा, वहां का मूल व्यक्ति आंटे खाता जाएगा, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी है? तो वहां के जो रोजगार है, वहां के लोग हैं, कैसे मजदूरी में उनको रोजगार मिले वहां के लोगों की कैसे भागीदारी हो और ये पंचायत एक्ट और नगरपालिका एक्ट इसको भी इग्नोर नहीं करना उस स्पेशल इकोनोमिक जोन, वहां की उस भूमि से कैसे उसकी कनेक्टिविटी हो, इन चीजों को ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये नियम आगे जाकर और जो शून्यता है उससे हम आगे बढ़ पायें और आज अगर हम जमीन ले रहे हैं तो उसका उपयोग कितने दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, विकासकर्ता कितने दिनों में वहां उद्योग लगा पाएगा इसका एक क्राइटेरिया हमको तय करना चाहिए और नहीं लगाया तो सरकार क्या करेगी, ये भी एक कोई न कोई ऐसा नियम लायें तो ठीक रहेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने जो जनमत जानने के लिए निवेदन किया है उसको वापस लेना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित) डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, मैंने 28 वर्ष तक उद्योग पढ़ाये हैं, लेकिन इस प्रकार की रियायतें बिना उसके...

श्री सभापति: एक वर्ष का एक घंटा?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, एक मिनट। एक वर्ष की एक मिनट। इसमें जो उद्देश्य दिया गया है 8 नम्बर के लाइट में मैं बोल रहा हूं, 'राज्य सरकार स्वयं के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन भूमि किसी विकासकर्ता को अंतरित कर सकेगी उसके बाद प्रतिकर देकर और भी ले सकेगी।' मतलब जमीन उपलब्ध करानी ही करानी है उसको और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं करता तो हम ये-ये काम करेंगे। अभी हमारे पिछड़ी कालोनी, गलियां, नगरपालिकाएं उनमें ये चीजें नहीं हैं जो इसमें लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट है ऊर्जा उत्पादन, विद्युत तंत्र इसको विकसित उसके लिए सरकार करेगी। जल उपचार, संरक्षण, वितरण, अपशिष्ट जल उपचार, मल उपचार, सामान्य उपचार, संयंत्र मल नालिका, सड़क उपमार्ग, जल निकासी प्रणाली, गैस वितरण प्रणाली ये इस प्रकार की 15 चीजें हैं। ये डवलप करके देगी सरकार। क्या प्राप्त करेगी। सारी रियायतें देगी। कन्वर्जन की कितनी लाख मीटर जमीन देगी।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(20.13 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

एक गरीब आदमी है अभी ये चल रहा है पृथ्वीराज नगर का, उसमें हमें क्या रिलैक्सेशन किया जो लोग वर्षों से बसे हुए हैं और इस आर्थिक जोन में क्या है। मैं दावे के साथ दावा कर सकता हूं कि स्थानीयकरण और सेन्ट्रलाइजेशन ये दो विवाद चलते रहे बीस वर्ष तक और ये नया सेन्ट्रलाइजेशन हम कर रहे हैं। नया एकाधिकार हम उत्पन्न कर रहे हैं। उसकी लायबिलिटी कुछ तय ही नहीं की, हमने उसको अधिकार ही अधिकार दिये हैं। और किसान को क्या मिलेगा? लूजर की क्या व्यवस्था की? गेनर ही गेनर की सब चीजें हैं, गेनर की क्या व्यवस्था है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं, कल ही हमारी पार्टी ने पास किया है अन्त्योदय के आधार पर विकास करेंगे और अन्त्योदय में और संख्या बढ़ाते जाएंगे जिनकी जमीन ले लेंगे। अन्त्योदय की संख्या भी बढ़ती जाएगी इससे तो। पिछले साठ साल का उदाहरण है जहां-जहां भी हमने छूट दी उसमें भी इनपुट आउटपुट रेशो नहीं निकाला। कभी-भी कैपिटल-लेबर रेशो नहीं निकाला हमने। इसमें यह तो बताओ कि लेबर कैपिटल रेशो क्या रहेगा आर्थिक जोन में? हमें तो राजस्थान की सात करोड़ जनता को रोजगार चाहिए। आर्थिक जोन का उद्देश्य यह होना चाहिए। हम कर रहे हैं क्या लेबर आउटपुट रेशो, निकाला क्या हमने? अभी बिजली की उस दिन चर्चा थी, मैंने कहा था कि बिजली कंपनियां हमें दस पैसे दे रही हैं सौ रुपये पर और ब्याज दे रहे हैं 7.70 रुपये। नैट 7.60 रुपये का लोस था एक यूनिट में। इसमें यही स्थिति है। इसकी कैपिटल तो निकालो कितनी जमीन हम देंगे। अभी महेन्द्रा जोन था, किस भाव से जमीन ली और किस भाव से बेचेगा वो? आज नहीं तो कल क्यों बेचेगा वो पटके रखेगा। तब बेचेगा जब एक लाख रुपये उसका भाव हो जाएगा। पचास-साठ का तो हो गया वहां। इसके लिए दे रहे हैं हम? प्रीवी पर्स और जो अधिकार जागीरदारों को, उसमें तो केवल उनका ही अधिकार था, जनता को कोई डिसपेंस नहीं था। कोई लूजर नहीं था उसमें। उसको खतम करके बहुत वाहवाही लूटी, चुनाव जीत लिये कांग्रेस ने। आज हम करने क्या जा रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। लेबर गारंटी नहीं, लोकल गारंटी नहीं, लूजर को अंश नहीं। दीजिये न, किसान जमीन दे रहा है उसका लैंड एक्ट कैपिटल पहला वाक्य बनता है उसमें। बैलेंस शीट में पहला

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वाक्य है लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड की जितनी कीमत है मार्केट रेट की नहीं, ये जो किसान को दी जाएगी। उसका रेशो निकालकर उतना शेयर दे दीजिये उसको। देखें, देने को कोई तैयार हो जाए क्या? ये तो देना ही चाहिए उसको। क्या सभी चीजें सरकार देगी? तो लेबर कैपिटल को हम देख नहीं रहे हैं इनपुट आउटपुट को हम देख नहीं रहे हैं और जो रेट आफ रिटर्न है यह भी महत्वपूर्ण है और उसमें तो इंक्रीमेंटल रेट आफ रिटर्न होनी चाहिए अगर इस कोण से बात करें तो। उसके इन्वेस्टमेंट से और इन्वेस्टमेंट को गति मिले, इसमें कहीं मालूम पड़ेगा क्या? हम तो वापस लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं। दस साल तक नहीं बनायेगा वो। जो 6 रुपये में बेची थी 1977 में जब जनता पार्टी आई थी उस समय डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से नीचे ले गये थे हम इंडस्ट्री को। 6 रुपये ही था भाव पूरे राजस्थान में। आज तक नहीं लगी। भाव क्या-क्या है वहां देखिये आप। अब बीच में गहलोत साहब ने इनको छूट दे दी कि तुम दुकानें बना सकते हो। ऐसी छूट देंगे हम, क्योंकि टाप लेवल पर जो फाइल जाएगी उनको परचेज कर लेंगे। एक को ही तो परचेज करना है, टाप लेवल पर जो दस्तख्त करेगा उसको ही तो करना है। ये हो रहा है न पूरा खेल। इसमें नहीं हो रहा है क्या टोल में? टोल में एमओयू में लिखा हुआ है कि दो साल पहले बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हर छठे महीने बढ़ जाता है क्योंकि टाप लेवल पर जिस व्यक्ति को यस करना है उसको करोड़ दे दिये, दो करोड़ दे दिये। जिस टोल की इनकम रोज एक करोड़ रुपये है उसको एक करोड़ रुपये देने में कहां दिक्कत है? दस्तख्त किये और बढ़ जाएंगे। आखिर इस प्रकार से स्टेट की जमीन, कीमती जमीन है, जमीन ये बाड़मेर, जैसलमेर की नहीं लेंगे। अब वो जोधपुर का हो गया। जोधपुर की अभी घोषणा की थी पाली और जोधपुर में हम वो जो कारीडोर है उसको बनायेंगे वो कैंसिल हो गया। कहीं भी ले लें वो तो वो सुविधा देख कर लेंगे न। जब जयपुर को हम पानी नहीं पिला सकते, जयपुर के आस-पास अगर हमारे पास दूदू में जमीन है तो पानी कहां से देंगे उनको और इसी नाम पर कह देगा कि मेरे को तो पानी नहीं मिला इसलिए मैं तो नहीं लगा रहा हूं इंडस्ट्री। रेलवे लाइन नहीं इसलिए नहीं लगा रहा हूं। दो कारण ढूंढ लेगा बाकी जमीन तो ले लेगा। जमीन तो अपने को देनी है सरकार को।

ये संपरिवर्तन वाला मेरे को समझ में नहीं आया। निःशुल्क संपरिवर्तन करेंगे हम। किसान सड़क के नीचे रहता है उसको तो इतना परेशान

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कर रखा है कि नहीं, तुम्हें जो सड़क के सहारे जमीन है तुम्हारी, तुम कन्वर्ट कराओ तो इतनी पट्टी छोड़कर बनाओ और जिस दिन इस जमीन को हम लेंगे अधिकारपूर्वक उस दिन तुम्हें मुआवजा एग्रीकल्चर का देंगे। आगे की जमीन भले ही तुम्हारी व्यावसायिक है चाहे आबादी में है लेकिन बीच में जो बैल्ट रह गया उसका एग्रीकल्चर दे रहे हैं अभी। ये सिक्स लेन में ये ही हो रहा है पूरा का पूरा खेल तो उस बेचारे को जिसने आदिकाल से लेकर जमीन का कर रखा है, उसने इस कल्चर को बचा रखा है उसकी कोई गारंटी नहीं। कोई विषय भी नहीं। ये लेबर की गारंटी का एक्ट हमने पास किया था, इस पर तो लागू ही नहीं होगा। लेबर एक्ट जो हमने पूरे भारत में कहा कि हमने पहला लेबर सुधार किया है, रिफोर्म किया है लेबर एक्ट लाये हैं, इस पर लागू नहीं हो, क्या मतलब है? कौनसा विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति से ऊपर भी विशेषाधिकार हो गया इनको तो।

तीसरा जो विषय बार-बार उठा है चाहे यहां कुछ भी कहा जाय हकीकत यह है कि जो आर्डिनेंस कल जारी हुआ है उस आर्डिनेंस के राज्यसभा में अस्तित्व में आने के बाद ही इसकी कोई गारंटी है वर्ना कोई गारंटी नहीं है। होगा कि नहीं, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जितने कानून बनाते हैं वह अस्तित्व में आ जाते हैं क्या, उसका लाभ मिलता है क्या? हम 15 लाख लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उसमें कुछ तो गारंटी मांगते अपन। इकोनोमिक जोन का एक्ट ला रहे हैं उसमें कुछ तो मांगते। हमने घोषणा पत्र में छापा है कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इसमें रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया। स्थानीय की बात छोड़िये, लेबर के बारे में कुछ तो कहा जाय इसमें। केवल विकासकर्ता का शब्द उपयोग में ले लिया और उसके आधार पर हम एक्ट बनाकर ले आये। पंचायती राज के रोडवेज वालों को अब हम सरकारी कर्मचारी बना पाये हैं। इसमें लिख रहे हैं कि यह सरकारी कर्मचारी होंगे। विकास आयुक्त की शक्तियां, विकास आयुक्त के नीचे जो काम करेंगे वह सब आटोमेटिक सरकारी कर्मचारी हो जायेंगे। मतलब जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिये वह हम कर रहे हैं। भूमि की व्यवस्था भी हमें करनी है। सीमा में छूट, अंग्रेजों से बचाकर जमीन लाये, राज्य का पालन किया उनकी हमने सीलिंग लगा दी। फिर कांग्रेस का दामाद आया तब हमने सीलिंग तोड़ दी। अब तोड़ रहे हैं सीलिंग? किन के लिये तोड रहे हैं? आर्थिक लोगों के लिये तोड़ रहे हैं, पैसे वालों के लिये तोड़ रहे हैं। आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज भी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इंडस्ट्री को देश में पांच लाख करोड़ की छूट है और 50 हजार लोग नहीं हैं। प्रत्येक के खाते में सौ करोड़ की सब्सिडी आ रही है, फिर हम उन्हीं को करने जा रहे हैं। इसमें 100 करोड़ से नीचे वाले शामिल नहीं हैं, उन्हीं को फिर देना चाहते हैं। और किसान +++ 18 करोड़ है उसको 700 रुपये सब्सिडी प्रति परिवार देने के लिये हम तैयार नहीं हैं। 1 लाख 30 हजार की तो सब्सिडी है, फूड सब्सिडी भी आ गई, खाद की आ गई, उसको समाप्त कर रहे हैं। गैस की सब्सिडी खतम कर रहे हैं, 14 करोड़ लोग हैं, 70 हजार करोड़ की सब्सिडी है, 500 रुपये आता है, उसको खतम करने के लिये कह रहे हैं, 50 हजार लोगों की पांच लाख करोड़ की जो सब्सिडी है और छूटें अलग हैं उनका केलकुलेशन करे हम। फिर सोशियल इम्पैक्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं। यह तो बड़ा है। अब तक इंडस्ट्रियल एरिया बना देते, उससे बहुत बड़ा है यह। जो हमारा भूमि अधिग्रहण का बिल है उसमें पटरियां बनायेंगे, सड़कें बनायेंगे या कहीं-कहीं देंगे, उसके बारे में तो इतना बवाल खड़ा हो रहा है। जब किसान को यह मालूम पड़ेगा कि ऐसा एक्ट पास कर दिया तो बंगाल और यूपी, जब ऐसा कहेंगे ऐसा कर दिया पूरा का पूरा।

इसलिए मेरा निवेदन यह है आपने अनुमोदन समिति बनाई है इसमें सारे ही अधिकारी हैं। कोई विधान सभा से होते, कोई एमपी होता या कोई इकोनोमिस्ट होते हम उनको लगाते, सरकार की तरफ से लगाये जाते। एक तरफ तो हम नीति आयोग बना रहे हैं जिसमें एक्सपर्ट लोग रख रहे हैं और यहां हम इस प्रकार की...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने किसानों के बारे में कहा +++, +++ शब्द ठीक नहीं है।

श्री सभापति: +++ शब्द को बाहर निकाल दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं वापस लेता हूं उस शब्द को।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उनकी वेदना है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, नहीं, वापस ले रहा हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वेदना तो है लेकिन किसी को +++ कहना भी ठीक नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उनकी वेदना है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वेदना को वेदना ही रहने दो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, किसानों को जो मिला है उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं जब पांचवीं क्लास में पढ़ता था, सूर्य उदय के पहले मेरे कुएं पर मजदूर आता था और सूर्य अस्त के बाद जाता था। सवा दो किलो जौ या बाजरा लेता था, खुशी-खुशी काम करता था। अब कितने गुणा है? वह किसान तो वहीं का वहीं है केवल मजदूरी मजदूरी कहां तक बढ गई, इसका अंदाजा लगा लो। 300 रुपये, गेहूं तो वहीं 400 रुपये, कितने किलो हो गये 400 रुपये के, 15 के हिसाब से लगाये तो कितने रुपये हो गये, 30 किलो गेहूं हो गया। सवा दो किलो से 30 किलो देना पड़ रहा है उस किसान को। वह धनवान बन रहा है और अब जमीन ले रहे हैं, जमीन भी कीमती ले रहे हैं। इसमें मेंशन नहीं किया, हमारे भूमि अधिग्रहण में तो यह मेंशन किया है कि सिंचित, असिंचित, इसमें तो है ही नहीं वह। वह तो अपनी एक करोड़ वाली गाड़ी जहां खड़ी करेगा वहां मांगेगा वह जोन। वहां नहीं मांगेगा जहां अपन देना चाहते हैं। हालांकि जिस उद्देश्य से यह लाया जा रहा है कि राजस्थान में इन्वैस्टमेंट आये, यह अच्छी बात है लेकिन उनके लिये सब कुछ कर दिया जाय, अनावश्यक कर दिया जाय, वह गारंटी देगा क्या? इन्वैस्टमेंट करुंगा ही करुंगा ऐसी गारंटी देगा क्या? कोई न कोई बहाना ढूंढ लेगा। गुजरात को स्टडी किया क्या, वहां इन्वैस्टमेंट बहुत बढ़ा है? बंगाल में नहीं बढ़ा। पहले दक्षिण में इन्वैस्टमेंट आता था, गुजरात में आया ना। क्या इस प्रकार के जोन किये हैं क्या, एक्ट पास हुआ क्या वहां?

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाय, एक-एक चीज को बारीकी से देखा जाय और कम से कम यह जो इकोनोमिक जोन बना रहे हो तो इकोनोमिक इंडिकेटर पर तो विचार किया जाना चाहिये। कितने करोड़ लोग लेंगे वह, वह लोन के आधार पर ही यहां आयेंगे। वह आ रहे थे ना, तेल हमारा, जमीन हमारी और बिना ब्याज के 56 हजार करोड़ रुपया, फिर रिफाइनरी लग गई क्या? छूट देने के कारण से, जीरो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री के नाम से भी इस राजस्थान में अभियान चलते थे। इसी सदन में जीरो इंडस्ट्री के नाम से, आज उस बात की तो चिंता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था जो कोरिडोर जा रहा है उस कोरिडोर में जहां एक ग्रुप ने यह मांगा था कि हम आठ टाउन डवलप

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

करेंगे, रेलवे लाइन बिछायेंगे, स्टेट को 5 परसेंट शेयर देंगे उसको कैंसिल करके कहां ले गये? खुशखेड़ा जहां कीमती जमीनें हैं। 4 करोड़ रुपये बीघा की जमीन है वहां ले गये। और डीएलसी रेट जिससे सारा डवलप होना था उससे आधा फायदा तो हरियाणा को होगा। इस प्रकार के जो हम निर्णय कर रहे हैं इससे राज्य का हित नहीं होगा। प्रयास ठीक है, प्रयास में पवित्रता है लेकिन जिस प्रकार के प्रावधान किये जा रहे हैं उसमें फिर हम असहाय होंगे, निश्चित असहाय होंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप उनको विशेषाधिकार दे रहे हो, यह भी लागू नहीं होगा, यह भी नहीं लागू होगा। कितने एक्ट हैं 6 और 10, फिर क्या लागू होंगे इन पर? सामान्य नियम भी लागू नहीं होंगे। इस कारण से मैंने जो प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी इसको गम्भीरता से लें। अभी केन्द्र का एक्ट पास हो जाये उसके बाद इम्प्लीमेंट करें और इसमें कोई और संशोधन हो तो इसको अगले सत्र में लें तो अच्छा रहेगा और जनता के हित में रहेगा, आपके भी हित में रहेगा। आपका हित का मतलब है अभी चार साल की जवाबदेही तो आपकी ही है ना, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री केसाराम चौधरी (अनुपस्थित) । श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 पर कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने उनका कोटा भी बहुत बड़ा है और समुचित उत्तर भी उन्होंने दिया है और इस पर लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने तो नमक-मिर्च मिलाकर उसको टेस्टी बनाने का पूरा प्रयास किया और विराटनगर से आने वालों ने बहुत विराट रूप से उसकी व्याख्या कर दी तो मैं सोचता हूं कि बहुत अधिक इस पर कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। बहुत अच्छा यह विधेयक है, बहुत संक्षेप में मैं थोड़ी-थोड़ी बात जैसा कि पहले भी जिन विधेयकों पर मैं बोला, थोड़ा संक्षेप में ही मैंने बात रखी थी। जैसे कोई भी व्यक्ति उचित दस्तावेज लेकर जिला उद्योग केन्द्र के पास में आवेदन करेगा। जिला उद्योग केन्द्र उसकी समीक्षा करके और आर.एस.आई.डी.आई.सी. लिमिटेड, राजस्थान इकोनोमिक स्पेशल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन के पास में भेजेगा। आर.आई.सी.डी.आई.सी. उसकी समीक्षा करके राज्य अनुमोदन समिति के पास भेजेगी। यहां तक तो बहुत साधारण-सी प्रक्रिया है। अनुमोदन समिति में मुख्य

(श्री मदन राठौड़)

सचिव से लेकर कई शासन सचिव उसमें हैं, वित्त, उद्योग, नगरीय विकास, राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग और कमिश्नर, फिर श्रम विभाग का प्रभारी, जल संसाधन, पर्यावरण और मुख्य नगर नियोजक और पांच अन्य। मुख्य नगर नियोजक का मेरे ख्याल से इसमें कोई काम नजर आया नहीं। क्योंकि इसमें नक्शा भी पास करेगा तो विकास आयुक्त ही करने वाला है। फिर भी इसमें उसको रखा है, जबकि उसको कुछ भी करने के लिए इसमें नहीं है।

सभापति महोदय, इसमें एक तो विधेयक के खण्ड तीन का चार जिसमें राज्य अनुमोदन समिति प्रस्ताव पर और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वैस्टमेंट कार्पोरेशन की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह प्रस्ताव को नामंजूर करने की सिफारिश करेगी या इसे ऐसे उपांतरणों सहित जिनका वह सुझाव दे या उपांतरणों के बिना अनुमोदन बोर्ड को सिफारिश करेगी।

ठीक इसी का पांच है उसमें लिखा है राज्य सरकार, राज्य अनुमोदन समिति की सिफारिशों के आधार पर या तो प्रस्ताव को नामंजूर करेगी या उसे अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगी। जब यह अनुमोदन समिति अनुमोदन बोर्ड को भेज देगी तो फिर राज्य सरकार अनुमोदन बोर्ड को क्या भेजेगी। मुझे नहीं लगता कि अलग-अलग इसमें कैसे लिखा है। इसका मंत्रीजी थोड़ा सा एक बार, जब बताएंगे।

दूसरी बात यह है कि भूमि की अधिकतम सीमा से छूट, यह छूट देने की क्या जरूरत थी। अधिकतम सीमा, जितनी उसको जरूरत है उससे और अधिक छूट। फिर भूमि का इंतजाम, या तो राज्य सरकार स्वयं के स्वामित्वाधीन या इसके उचित प्रतिकर देकर वह प्राप्त कर लेगी, या विकासकर्ता स्वयं किसी से खरीदकर पट्टे या आबंटन द्वारा भूमि अर्जित कर सकेगा। यहां पर अवसंरचना कौन करेगा? यह राज्य सरकार करेगी? जिसमें ऊर्जा उत्पादन, जल उपचार, अपशिष्ट जल उपचार, मल उपचार, सामान्य बहि स्राव उपचार संयंत्र, मल नालियां, सड़कें, जल निकास, गैस वितरण, अग्निशमन, जल संग्रहण, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार करेगी। यानी कि ये सब व्यवस्थाएं तो राज्य सरकार करेगी। विकासकर्ता तो केवल उसके रख रखाव का ध्यान रखेगा। बाकी खर्चा सारा राज्य सरकार करने वाली है। राज्य

(श्री मदन राठौड़)

सरकार राज्य कर, शुल्क, उपकर और अन्य उद्ग्रहण से छूट यानी यह सब प्राप्त भी नहीं कर सकेगी। यह टैक्स वगैरह भी राज्य सरकार नहीं ले पाएगी, यह इसमें भी छूट देगी। यानि अवसंरचना का निर्माण भी कर लेगी, वहां पर सड़कें, जो कुछ भी निर्माण करना है वह करेगी। टैक्स भी, इसमें भी छूट दे देगी, तो फिर राज्य सरकार को प्राप्त क्या होगा? बाद में होगा, या तो जैसे एम्लायमेंट के बारे में हम विचार कर सकते हैं कि हमारे लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा या उसके 5 साल बाद कोई न कोई लाभ प्राप्त होने वाला है। यह सब बाद में होगा। अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हमारी जीडीपी बढ़ेगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, जीडीपी जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। यह सारा हम कर लेंगे लेकिन जो वहां पर विकासकर्ता है वह वहां पर नहीं करे तो। तो आपके पास ऐसा क्या प्रावधान है। क्या आप वह वापस अधिग्रहित कर लेंगे। उस भूमि को वापस आप अपने अधीन ले लेंगे या क्या करेंगे। यह इसमें प्रावधान मुझे भी कहीं नजर नहीं आया है। जैसा अभी आप बता रहे थे कि हमारे यहां इस प्रकार का, वहां पर निर्माण भी हुआ है लेकिन उसने आगे काम नहीं किया, वहां के स्थानीय लोगों को भी कुछ नहीं दिया। जैसे अभी निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया था कि वहां पर किसानों को भी कुछ नहीं मिला है। न तो उनको कोई नियुक्ति मिली है, जैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर किसी को रोजगार नहीं करवाया है। इसमें एक संदेह और बनेगा कि यह सारी अवसंरचनाएं राज्य सरकार करेगी क्या, किसका करेगी। क्या विकासकर्ता इसके चक्कर काटता रहेगा।

यह देखिए, श्रम आयुक्त की सारी शक्तियां विकास आयुक्त के पास चली जाएंगी और वह उसका सहयोग करेगा। जो विकास आयुक्त होगा, हमारे यहां स्थानीय श्रम आयुक्त की जो शक्तियां हैं वह सब की सब विकास आयुक्त के अधीन रहेंगी और यह कुछ भी नहीं, केवल वहां हाज़िरी बजाने के सिवाय इसके पास कोई भी काम नहीं रहने वाला है।

सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से इसमें हमारे विधान मण्डल का अधिकार है वह भी सीमित कर दिया है। जैसे इसमें दिया है 20 के नियम 2

(श्री मदन राठौड़)

में, कि विधान मण्डल द्वारा ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या यथास्थिति उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो फिर हम किसलिए हैं। फिर हमारे पास यहां रखेगा और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण उसके अधीन पूर्व में की गई किसी भी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह थोड़ा-सा, आप जब बताएं तो क्लीयर तो करें कि यह आखिर फिर हमारे पास आएगा। वहीं होता है ना कि यह विधेयक यहां चर्चा में आया, हम सबने कहा कि जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और फिर हम सब वापस ले लेते हैं। वही हुआ कि यहां केवल आप रखेंगे और वैसा का वैसा ही, जैसा कि यह विधेयक अभी जाने वाला है, मैं भी वापस लेने वाला हूं, बाकी सबने भी वापस लिया है। मैं भी आपसे अनुमति मागूंगा ही। यानी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रावधान इसमें है।

ठीक इसी प्रकार से कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति, उसमें भी है कि यदि अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा। आगे दिया है कि प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन सदन उसमें कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसमें करने के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा यदि कुछ भी करें तो। यह कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिसके बारे में विचार करने की जरूरत है।

जैसे स्थानीय निकाय, पंचायती समिति हो, नगरपालिका हो, उसके अधिकार तो शून्य हो जाएंगे। कुछ भी उसमें परिवर्तन, सुझाव वगैरह नहीं कर पाएगा। यह कुछ बिन्दु थे जो मैंन आपके समक्ष रखे, मंत्रीजी जब जवाब दें तब कृपया इनका ध्यान रखें। फिर यह जो भूमि का सम परिवर्तन होगा, उसमें जो कन्वर्जन होगा उसका कोई चार्ज राज्य सरकार नहीं ले पाएगी।

विकास आयुक्त को बहुत प्रभावशाली बना दिया है कि वह किसी भी विधि के अधीन उसमें आर्थिक जोन की मास्टर योजना, भवन के नक्शे, निर्माण के नक्शे, ऐसे नक्शे में कोई उपांतरण या परिवर्तन, विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित और मंजूर किए जाएंगे। यानी केवल वही इसमें कुछ भी कर सकता

(श्री मदन राठौड़)

है। अपने यहां करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसिलए यह कुछ निवेदन मुझे करने थे। फिर भी यह विधेयक निश्चित रूप से, क्योंकि सेज वैसे है अपने यहां, पहले से ही कार्यरत है और उसका लाभ भी अपने को सबको पता है कि किस प्रकार से वहां पर विकास के काम हो रहे हैं। कई निवेशक आ भी रहे हैं। उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी बहुत जरूरी है। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव किया है, मैं वह वापस लेना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हनुमान बेनीवाल। श्रीमती अलका सिंह। श्री सुरेश सिंह रावत। श्री हरिसिंह रावत। श्री हीरालाल नागर। श्री संदीप शर्मा। श्री रमेश। श्री मानसिंह। श्री राव राजेन्द्रसिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, सबसे पहले तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्पेशल इकोनोमिक जोन को कांस्टीट्यूट करने के पीछे क्या मानसिकता थी? उसका मौलिक कैरेक्टर क्या था और हमने सेज जैसी चीज का आविष्कार किया, इस जैसे नाम का आविष्कार किया। हमारे पास में कई प्रकार के जोन हैं। We have investment zones. We have got industrial zones. Now we have got Special Economic Zones और इन सारों को रैगुलेट करने के लिये हमारे पास आथारिटीज हैं। We have RIICO. We have got DMIC as a SEZ now and we have Port Authority also. अगर इसके पीछे, इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर के पीछे जो हमारा मानवीय उद्देश्य है, वह डवलपमेंट का है, विकास का है, होरिजोण्टल और पैरेलल दोनों हैं। Not limited to one institutional economy but incorporated through a human of an advanced civilization befitting a common man's self-respect. इस पूरी अवधारणा के पीछे सेज जैसी किसी चीज का जन्म हुआ। मैं, आदरणीय, इससे पहले कि सेज के बारे में कोई बात हो, पहले यह सोचना पड़ेगा कि आखिर स्टैण्डर्ड यार्डस्टिक्स आफ इकोनोमिक डवलपमेंट क्या हैं? सबसे पहले अगर आप थामस माल्थ्यूस को देखें तो वे प्रिंसिपल्स आफ पापुलेशन की थ्योरी लाए थे। जो ठीक हमारे फ्रैंच रिवोल्यूशन के कारणों का एक बहुत बड़ा, लेकिन माल्थ्यूस की थ्योरी इंडिया पर लागू नहीं हुई। फ्रांस उस वक्त सिर्फ 17 मिलियन आदमियों का एक देश था लेकिन फ्रांस की अर्थव्यवस्था उस पूरे के पूरे पापुलेशन प्रैशर को सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि वहां की इकोनोमिक व्यवस्था उनको फीड करने की नहीं थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 125

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

करोड़ की जनसंख्या होने के उपरान्त भी, हमने न तो माल्थ्यूस थ्योरी के सामने घुटने टेके और न उसके बाद में जो इकोनोमिस्ट आया था जिसका नाम थामस यंग था, उसने उत्पादन और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और पापुलेशन को डाइरेक्टली कोरिलेट किया। हमने उसके बाद 200 बरस गुलामी के सहन किये। हमारी अर्थव्यवस्था में लिटरेसी रेट 16 प्रतिशत से कम थी। लेकिन थामस मेडिसिन की इकोनोमिक्स की हिस्ट्री अगर हम उठाकर देख लें तो 16वीं ईस्वी और 17वीं ईस्वी तक हमारी जितनी पापुलेशन थी, उसका हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनोमिक्स के अन्दर उतने ही प्रतिशत का निवेश था। हम 26 प्रतिशत थे, पूरे वर्ल्ड की पापुलेशन के। लेकिन 26 प्रतिशत में 25.8 प्रतिशत हमारा निवेश पूरे वर्ल्ड में था।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी जमाने में कार्ल मार्क्स आये। उन्होंने लैण्ड को और लेबर वेजेज को कम्पेयर कर लिया। उन्होंने यह कहा कि जब तक लैण्ड की रेट ऊंची है तब तक लेबर वेजेज की, कभी भी सामान्यतः ऊंची नहीं होगी। उन्होंने वेजेज पर ज्यादा ध्यान दिया। इसी समय, जब यह कार्ल मार्क्स का समय था, तब एक और इकोनोमिस्ट आये, जिनका नाम डेविड रिकार्डो था, उस रिकार्डो ने यह कहा कि अगर इनोवेशन आ जाता है तो पापुलेशन प्रैशर को सस्टेन किया जा सकता है। इनोवेशन के कारण ही यूरोप में जो रिवोल्यूशन हुआ था उसको यूरोप की इकोनोमी ने 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच में ब्रिज कर दिया। जो यूरोप में हुआ, बाद में अमरीका में हुआ, इनोवेशन, और यह माइण्ड के इनोवेटिव सैट की ग्रामर का एक संक्षिप्त अंग है, जिसको हम इकोनोमिक जोन के नाम से मानते हैं।

अब, आदरणीय, आप मुझे यह बताइये, आपका नेशनल सैम्पल सर्वे यह बात कहता है कि एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी टोटल पापुलेशन की 56 प्रतिशत से गिरकर 47 प्रतिशत पर आ गयी है, लेकिन आपका इण्डस्ट्रियल कोर पर इजाफा सिर्फ एक प्रतिशत का हुआ है, डिपेंडेंसी सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ी है। सर्विस सैक्टर पर तीन प्रतिशत बढ़ी है। तो जब एग्रीकल्चर सैक्टर 10 प्रतिशत नीचे गिर गया तो न तो वह जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, वह न इण्डस्ट्रीज में कन्वर्ट हुआ और न ही वह सर्विस सैक्टर में गया। आखिर वह गया कहां। सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है, वह अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में गया। अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में लेबर, एग्रीकल्चर लेबर था, जो 10.6 प्रतिशत पर था, वह 2012-13 के नेशनल सैम्पल सर्वे में बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यानी जो किसान अपने खेत का धनी था, अपने खेत का स्वामी था, वह उसी के खेत पर नौकर बनकर रह गया और वहां से उसका स्वामित्व हट गया। आप और हम यह बात नहीं समझ रहे कि सेज की परिभाषा में सिर्फ एक इण्डस्ट्री नहीं है। हमने जितने हमारे इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, उन इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स को, हमने उनके लैण्ड रूल्स को पिछले पांच साल में इतनी बार अमैण्ड कर दिया कि अब आप इण्डस्ट्रियल एस्टेट में, चाहे वह रीको का हो, चाहे वह और किसी का हो, वहां आप वेयरहाउस लगा सकते हैं, वहां आप होटल खोल सकते हैं, वहां आप स्कूल खोल सकते हैं, वहां आप अफोर्डेबल हाउसेज बना सकते हैं। थ्री-डब्ल्यू के अन्दर पिछले 2010 से लगाकर 2015 तक एक दर्जन से ज्यादा अमैंडमेंट हो गये हैं। बात तो यह है कि जिस वक्त यह इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स के लिये जमीन एक्वायर हुई थी, उस वक्त इण्डस्ट्रीज लगने के लिये हुई थी, एम्पलायमेंट जनरेट करने के लिये हुई थी, या यह इण्डस्ट्रीज, जब आपका लैण्ड एक्वायर हुआ था, आज वेयरहाउसेज, आप विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जिसको सैचुरेटेड इण्डस्ट्रियल एरिया कहते हैं, आप वहां पधार जाएं, वहां आपको मार्टस मिलेंगे। रिलायंस मार्ट मिलेगा, रिलायंस मार्ट वहां प्रोडक्शन कर रहा है। रिलायंस मार्ट कोई रिफाइनरी लगा रही है? रिलायंस ने वहां कोई इण्डस्ट्री डाली है? आप वहां पधार जाएं। आपको बड़ी कम्पनियों के आटोमोबाइल के शोरूम मिलेंगे। स्कोडा ने, वहां, राजस्थान के अन्दर कोई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट आटोमोबाइल की नहीं डाली, उसने उसकी सेल्स और सर्विस यूनिट वहां स्थापित करवा दी। मित्सुबिशी वाले ने आपके यहां कोई अपनी आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग की इण्डस्ट्री नहीं डाली कि उसका शोरूम आपने वहां खड़ा कर दिया। हमने क्या इण्डस्ट्रियल एस्टेट इसलिये डवलप किये थे कि इन इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स में हम रिटेल कामर्स को बढ़ावा दे देंगे। काश्तकार पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि खेती का मतलब क्राप एग्रीकल्चर है। खेती का मतलब हार्टीकल्चर है। आप अगर एग्रो प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री लगाएंगे तो आपको एग्रो प्रोसेसिंग में कन्वर्जन कराना पड़ेगा। चाहे वह उसमें टोटल कन्वर्जन में हमने रिबेट दे रखी है। लेकिन आदरणीय यह तो बतायें कहीं कि यह कहां की मानसिकता है कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगा दूं और उस इंडस्ट्रियल एरिया की जो रिजर्व प्राइस है उस पर कुछ और आगे देकर जो इन्होंने अपने नार्म्स डाले हैं, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग कर लूं और अफोर्डेबल हाउसिंग की टी.डी.आर. को मैं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ट्रेड कर लूं। ट्रांसफरेबल डवलपमेंट राइट, जितना मैं वहां पर कर रहा हूं उसका एफ.ए.आर. का एक पर्टीकुलर पोर्शन को मैं किसी भी मैट्रोपोलिटन टाउन के अन्दर चाहूं तो ट्रेड कर सकता हूं बशर्ते मुझे स्टेट अनुमति दे दे। और स्टेट अनुमति इसलिए देती है क्योंकि वहां उस पर्टीकुलर एरिया में अगर उसके पास में डवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है तो वह उसको ट्रांसफर कर देता है। जिस एस्टेट को हमने सब्सिडाइज करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडाइज्ड रेट पर इसलिए दिया कि वहां पर वह उद्योग स्थापित करेगा। उद्योग स्थापित करने के बाद में वह उस स्टेट की इकोनोमी में वृद्धि होगी। उसकी जी.डी.पी. में वृद्धि होगी। उसको सर्विस सैक्टर के अन्दर एम्प्लायमेंट अपर्चुनिटी मिलेगी। उस एम्प्लायमेंट अपर्चुनिटी के अलावा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होता है, उस पैरीफेरी में तो उस पैरीफेरी के आस-पास के इलाके में भी कामर्शियल एक्टिविटी या कामर्स की एक्टिविटी होती है। जब आपने सारी ही उस एस्टेट में डाल दी तो दुकानदार से तो कौन सामान खरीदेगा, जनरल मर्चेंट से तो? क्योंकि वहां आपने माल खड़ा कर दिया। उस माल में 200 तरह-तरह के कियोस्क लगे हुए हैं, आप वहां से ले लीजिए। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो एस्टेट्स आपके पास में, इंडस्ट्रियल एस्टेट, आदरणीय, जिस इंडस्ट्रियल एस्टेट में आपने किसी को प्लाट दे दिया और वह इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो बिजली विभाग यह कहता है कि मेरे पास तो बिजली नहीं है, मैं तो इंडस्ट्रीज में बिजली नहीं दे सकता।

मैं मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जयपुर शहर की परिधि में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको हम सरना डूंगरी इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, झोटवाड़ा से कुछ आगे है, खातीपुरा से कुछ आगे है। सरना इंडस्ट्रियल एरिया में आपका जो आक्शंड प्लाट है, उस पर इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वहां का बिजली विभाग यह कहता है कि मेरे पास बिजली देने की व्यवस्था नहीं है। हम बात तो सेज लगाने की कर रहे हैं।

मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने लैंड रूल्स को अमेंड कर दिया। अमेंड करने के बाद में आपने होटल इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल एरिया में अब डाल दी। मुझे आप यह बताइये कि हास्पिटिलिटी की इंडस्ट्री को आपने इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में डाल दी तो फंक्शनल हास्पिटेलिटी इंडस्ट्री कहां जाएगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हास्पिटल में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मुझे नहीं मालूम कि जब कूकस का इंडस्ट्रियल एरिया डवलप हुआ था, उस वक्त यह तो बात थी नहीं कि वहां पर मरीडियन जैसी होटल आएगी और मरीडियन जैसी होटल आई तो वह इंडस्ट्रियल एरिया सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया था, आपने उससे हो सकता है कि थ्री टाइम्स ले लिया हो लेकिन उसने थर्टी टाइम्स उससे मुनाफा कमाया है। म्युनिसिपल कारपोरेशन के, जे.डी.ए. के पैरीफेरी एरिया के अन्दर आपने इंडस्ट्रियल एरिया में होटल अलाउ कर दी। 1952 के बाद में 2010 तक जयपुर में कोई बड़ा होटल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि यहां की हास्पिटिलिटी इंडस्ट्री, यहां के लोकल हास्पिटिलिटी में जो वर्चस्व रखते थे, उनके हाथों में थी, उन्होंने उस कारपोरेट सैक्टर से कम्पीट किया।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमारा ट्रेड बढ़ेगा कैसे? अगर, मंत्री महोदय, अपन चाहते हैं कि स्पेशल इकोनोमिक जोन्स आएं तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड बार्डर में ट्रेड प्रैक्टिसेज को और कामर्स को लागू करना पड़ेगा। आज पंजाब वाघा बार्डर से ट्रेड कर रहा है, 137 ऐसे आइटम्स हैं, जिनमें ट्रांजेक्शन ट्रेड हो रहा है। हमारे पास भी तो मुनाबाव-खोखरापार, सिंध पंजाब वाला ट्रेड रूट है। सबसे पुराना हमारा ट्रेड रूट है और यह ट्रेड रूट ट्रांजेक्शन में वायवल है और अगर हम स्पेशल जोन की बात करें तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस ट्रेड रूट को खोलने की बात हम क्यों नहीं करते? कई बार कहते हैं कि जब व्यापार होता है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और अगर इस चीज का मैं आपसे निवेदन करूं कि जो यही ट्रेड पंजाब के माध्यम से हो रहा है, उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शन कास्ट और समय एक ट्रेड के अन्दर 33 दिन ज्यादा लगता है और 46.5 दिन, अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वह ज्यादा लगते हैं। आपको कुछ करना है तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच या हमारी याददाश्त इतनी कम क्यों है? आज यहां इस सदन में ऐसे भी व्यक्ति विराजे हुए हैं जिन्होंने 1977 का भी दशक देखा है। इसी सदन में 1977 में इस प्रकार की इकोनोमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए हमने बाड़मेर के अन्दर सी-पोर्ट की बात की थी सांचौर से जो हम रन आफ कच्छ से लेकर आ रहे थे, 100 किलोमीटर का है वह, 1300 करोड़ की उस वक्त यह स्कीम थी। 2006 में जब हमने उसको री इवैल्युएट किया तो उस समय 1700 करोड़ की थी फिर यह 13000 करोड़ की हुई। मैं यह कहता हूं कि रिफाइनरी लगाने की बात आप कर रहे हैं, 56 हजार करोड़

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

रुपया अगर आपने इसमें लगा दिया तो अरब सागर बाड़मेर तक आ जाएगा, इतनी बड़ी योजना है। स्वेज कैनाल में होता क्या है? एक जहाज इस देश से उस देश तक जाता है। अगर यह जहाज रन आफ कच्छ से ड्रेजिंग करके हम सौ किलोमीटर ले आए तो आमूल-चूल परिवर्तन प्रदेश की आबोहवा का नहीं होगा, यहां की इकोनोमी का हो जाएगा और रेगिस्तान की जमीन जहां पर सूर्य ऊर्जा से एनर्जी जनरेट करेगी, वही अरब सागर की तरल तरंगों से जहाज को जब वह बाड़मेर के गर्भ में ले आएगी तो राजस्थान की इकोनोमी सिंगापुर की इकोनोमी के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी, यह इतनी बड़ी व्यवस्था है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जितने भी डी.एम.आई.सी. के जोन्स हैं, उसमें आपके पास में दो जोन ही आए हैं। एक जोन इंवैस्टमेंट जोन है और एक इंडस्ट्रियल जोन आपका दौसा वाला है। इन दोनों जोन्स को भी अगर आप कम्बाइन कर लें तो कम से कम यह तो पता करें कि जब हम स्पेशल इकोनोमिक जोन ला रहे हैं तो स्पेशल इकोनोमिक जोन हम उस एरिया में लाएंगे क्या कि जहां पर टोटली कमर्शियल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का किसी प्रकार से हम वहां जनरेट नहीं कर पाए और स्टेट की इकोनोमी फर्दरेंस के लिए हम वह जियोग्राफिकल लोकेशन को पकड़ेंगे जिस जियोग्राफिकल लोकेशन में हमारी कामर्स की एक्टिविटी नगण्य है।

मैं इसीलिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपकी सी.ए.जी. की एक बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट है और सी.ए.जी. की लेटेस्ट रिपोर्ट में इसी बात को अंकित किया है। रीको को यह अधिकार नहीं है, चाहे वह सेज के माध्यम से क्योंकि रीको का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। सेज को इनीशियल लेवल पर, प्रिलिमिनरी लेवल पर कंसीव करने के लिए रीको पहली पायदान है लेकिन रीको की खुद की हालत क्या है? एक हजार करोड़ रुपये का व्यय, सब्सिडी के रूप में उन उद्योगपतियों को कर दिया जहां वेरिएबल रेट नहीं लगनी चाहिए थी, जहां पर कांस्टेंट रेट के आधार पर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए थी, मार्केटेबल रेट के आधार पर मिलनी चाहिए थी।

(21.00 बजे)

पूरा का पूरा एनेक्स्चर-15 अगर आप पढ़ लें, सभापति महोदय, तो आंखें खुलने को आ जाएं कि 2010 से लगाकर 2013 तक किस प्रकार से इस राजस्थान की जनता के धन और उसकी सम्पदा का खुला इस राजस्थान के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है। अगर यही काम हमने सेज में होने दिया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो जिस भूमि अधिग्रहण बिल की और जिस अधिग्रहण के कम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, आप आज चार गुणा ज्यादा दे दें, लेकिन 10 साल बाद में वह अपनी इंडस्ट्री को सिक डिक्लियर करके, आज सेज का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पाइंट है, वह यही तो है कि बड़े-बड़े उद्योगपति अपनी लैण्ड बैंक क्रिएट कर देते हैं सेज के और इंडस्ट्रियल एस्टेट के माध्यम से और 10 साल बाद में आप ही की पालिसीज का फायदा उठाकर यूनिट्स को सिक डिक्लियर करके सब-डिवीजन के लिये अलाऊ करते हैं और सब-डिवीजन में वह इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक दूसरा एस्टेट बना देते हैं। क्या आप अलाऊ करते हो? 500-500 मीटर के आपने, 10 हजार स्क्वायर मीटर से ज्यादा जिनको आपने अलाटमेंट किया, आप मुझे बताइये कि भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया क्यों चल रहा है और मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया अलवर का क्यों नहीं चलता। अशोक लेलैण्ड के ट्रक आज भी साउथ इंडिया में क्यों बन रहे हैं? चेसिस वहां बनता है, इंजन वहां लगता है। यहां आकर सिर्फ बिलिंग होती है।

आखिर इकोनोमिक जोन बनाने से कुछ नहीं होगा। इनके फण्डामेंटल करेक्टर को लागू करने के लिये एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ माइंड की भी आवश्यकता है। You can create land. You can get money but if you don't have character then there is no moral value behind it. और शायद इस सेज को लागू करने से पहले हमको अपने इंस्टीट्यूशनल मोरल करेक्टर को परफेक्ट एण्ड ट्रांसपेरेंट डिस्पोजिशन की आवश्यकता है।

यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सेज के सम्बन्ध में जो मेरे सुझाव हैं, वह मेरी आलोचना नहीं है, सुझाव हैं। क्योंकि बहुत-से लोग-बाग़ मेरे सुझावों को आलोचना मान लेते हैं। इसलिये मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आलोचना और सुझाव में बहुत फर्क है। सोचना और समझना उस मानसिकता पर निर्भर करता है, जो इसको किस प्रकार से ग्रहण करता है।

मैं आपकी आज्ञा से मेरा जो अमेंडमेंट है जनमत जानने के लिये, उसको वापस लेने की इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई (अनुपस्थित), श्री भंवर सिंह (अनुपस्थित), श्री बंशीधर (अनुपस्थित), श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (अनुपस्थित), श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, विशेष आर्थिक जोन का विधेयक हमारे सामने है और इस विधेयक में तीन ही ऐसे सैक्शंस हैं, जो प्रभावी हैं, धारा-3, 4 और धारा-5 । मेरा निवेदन यह है कि आपने यह बिल लाकर कोई नया काम नहीं किया है। यह बिल तो 2003 में जो बिल आया राजस्थान में, और उसके बाद भारत सरकार 2005 का बिल ले आई, उस 2005 के बिल से अपन इस बिल में कहीं भी आगे नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कोई अधीनस्थ नियम समिति की तरह काम कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह भी प्रावधान है इसमें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, वह भी है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी, आपने जो परिभाषाएं दी हैं- अनुमोदन समिति से केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम की धारा 13 के अधीन गठित अनुमोदन समिति अभिप्रेत है। अनुमोदन बोर्ड, बोर्ड से केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा 1 के अधीन गठित अनुमोदन बोर्ड अभिप्रेत है। केन्द्रीय सरकार से खैर भारत सरकार का है ही मतलब और केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या इतना अभिप्रेत है। मैं यह भी जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, कि इनके जो प्रावधान हैं, वह आपने इस बिल के साथ क्यों नहीं लगाए, जिससे कि पूरा सदन और हमारे 200 माननीय विधायक इस बात को देख लेते कि आप यह बिल कोई मूल बिल ला रहे हैं या एक अधीनस्थ नियम समिति की तरह कोई बिल ला रहे हैं? जो प्रावधान धारा-3 ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुराना साहब, इनका दोष नहीं है, यह सर्कुलर से आया है इनके पास।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, सर्कुलर तो आया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, उसे घुमाकर कराया है इसको पास।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, 2005 में जब बिल आया, माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ही थी तब। 2005 में बिल आ गया, 2003 से 2008 तक अपन ही यहां थे, आप भी यहां थे। मैं तो नहीं था, पर आप यहां थे। सरकार यहां थी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यह तो बहुत मामूली बात है कि धारा-3 में अपन यह कहें कि कोई डवलपर भूमि चिह्नित करके और विहित रीति से और उन प्रोफार्मा में प्रार्थना-पत्र दे देगा। यह धारा-3(2) जो सेंट्रल एक्ट की है, माननीय मंत्री महोदय, धारा 3(2) में यह कहा है "Any person, who intends to set up a Special Economic Zone, may after identifying the area…" वह भूमि चिह्नित का ले, "..make a proposal to the State govt. concerned for the purpose for setting up the Special Economic Zone." राज्य सरकारों के लिये कहा है कि राज्य सरकार के सामने प्रपोजल रखें और राज्य सरकार के सामने प्रपोजल रखने का यह प्रावधान, यह तो 2005 के एक्ट में ही है। इसके सब-सैक्शन में लिखा है यदि वह व्यक्ति चाहे तो सीधा प्रार्थना पत्र बोर्ड को दे दे। अनुमोदन बोर्ड को दे दे और फिर धारा 3(4) में लिखा है कि यदि राज्य सरकार कोई स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाना चाहे, तो भारत सरकार को सीधे एप्लाई कर दे, "In case a State Govt. intends to set up a Special Economic Zone, it may after identifying the area, forward the proposal directly …"

(21.06 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): केन्द्रीय अधिनियम की धारा 13 में केवल केन्द्र की अनुमोदन समिति के गठन का प्रोसीजर है। स्टेट की अनुमोदन समिति का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। केन्द्र की एक अलग अनुमोदन समिति होगी और उसमें सारे केन्द्रीय अधिकारी होंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अनुमोदन बोर्ड का कांस्टीट्यूशन अलग है, और अनुमोदन समिति जो केन्द्र ने बना रखी है, वह अलग है। नहीं-नहीं, स्टेट ने बनाई हो तो आप बनाइये। प्रपोजल है अपने सामने। मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक से अर्ज करूंगा कि आपने तो सेंट्रल एक्ट भी पढ़ा है। आपका पूरा भाषण मैंने घंटे भर सुना है और ध्यान से सुना है। आपने इस बात को मिस नहीं किया होगा कि अनुमोदन बोर्ड अलग है, अनुमोदन समिति केन्द्र की अलग है। हमारी अनुमोदन समिति, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा क्या अधिकार है हमारी अनुमोदन समिति को, सिर्फ …(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह अधिकार है कि आप यहां लगाओगे तो उसमें हमारी सहमति होगी। हमारी सहमति के बाद फिर कोई अधिकार नहीं है…(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब हमारी अनुमोदन समिति, जिसमें सारी ब्यूरोक्रेसी है, मैंने, माननीय सभापतिजी, प्रवर समिति का प्रस्ताव इसीलिये रखा है जिस दिन मैं चाहता तो मैं भी यह रख सकता था कि जनमत जानने हेतु भेज दिया जाये। जो प्रक्रियाएं हैं, वह थोड़ी बहुत मेरी जानकारी में हैं। प्रवर समिति के लिखने का मतलब ही यह था कि जो इसमें ब्रेविटी होनी चाहिए, जो संक्षिप्तता होनी चाहिए कानून में, वह नहीं है। आपने 14 प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव के नाम से आपने 14 तो सचिव डाल दिये और भारत सरकार ने भी 10 डाले। जो कांस्टीट्यूशन किया है उन्होंने बोर्ड का, उसमें उन्होंने 10 डाले, आपने 14 डाल दिये और काम कितना-सा है कि रीको से जो रिपोर्ट है, उसको अनुमोदन समिति देखेगी और चाहे तो वो रिजेक्ट कर देगी और चाहे वो उपांतरण सहित या बिना उपांतरणों के उसको स्वीकार कर लेगी और यह प्रपोजल अनुमोदन समिति का, हमारी विधेयक की अनुमोदन समिति का, यानी प्रांतीय अनुमोदन समिति का जाएगा राज्य सरकार को और राज्य सरकार, आपने धारा 3 के सब-सैक्शन 5 में लिखा है कि, 'राज्य सरकार, राज्य अनुमोदन समिति की सिफारिशों के आधार पर, या तो प्रस्ताव को नामंजूर करेगी या उसे अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगी।'

तो मैंने जो सेंट्रल एक्ट की धारा 3 पढ़ी, 3 (3) के बारे में निवेदन किया और धारा 3 (4) जिसमें राज्य सरकार सीधा भारत सरकार को स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाने का निवेदन कर सकती है और यहां तक लिखा है कि भारत सरकार बिना अनुमोदन बोर्ड को रैफर किये, बिना अनुमोदन समिति को रैफर किये उसे स्पेशल इकोनोमिक जोन को घोषित कर सकती है। यानी स्पेशल इकोनोमिक जोन घोषित करना भारत सरकार का काम है। यह अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, अनुमोदन बोर्ड स्वयं स्पेशल इकोनोमिक जोन की सिफारिश कर सकता है, उसको मंजूर कर सकता है।

मेरा निवेदन है कि यह जो एक्ट है, हमने अनुमोदन बोर्ड को भेज दिया, उसके बाद, माननीय उद्योग मंत्रीजी, क्या होगा? जो सेंट्रल एक्ट में लिखा हुआ है, जो उसके प्रावधान हैं और उसमें जो भी बाडीज कांस्टिट्यूटेड है और उसमें अनुमोदन बोर्ड में एक प्रतिनिधि है हमारा, राज्य सरकार का और अनुमोदन बोर्ड धारा 8 में उसका प्रावधान है, "A nominee of the State Govern-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ment concerned", जो सेंट्रल अनुमोदन बोर्ड है उसमें एक नोमिनी होगा राज्य सरकार का। तो आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो भी प्रस्ताव जाना है उसमें आपका एक सदस्य बैठना है और जो कुछ तय होना है वो वहां तय होना है।

मैं यह अर्ज नहीं करता कि स्पेशल इकोनोमिक जोन नहीं बनने हैं। मुझे ध्यान है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जापान गयी हैं, बहुत बड़ा रिसर्जेंट राजस्थान का सम्मेलन होना है, ढाई लाख करोड़ रुपये आने की बात अखबारों में आ रही है और ढाई लाख करोड़ जो आएगा और उनको भी जमीन चाहियेगी और राजस्थान में कुछ स्पेशल इकोनोमिक जोन बनने हैं। मेरी जानकारी में अभी तो दो ही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तीन हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, तीन हो गये होंगे। एक तो जेम्स एण्ड ज्वैलरी है, एक महिन्द्रा सेज है, माननीय, तीसरा भी कोई होगा।

श्री सभापति: एक आई.टी. का है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, एक आई.टी. का है। तो अभी तीन हैं और निश्चित रूप से राजस्थान को औद्योगिक छलांग लगानी है तो हमें शायद चार-पांच और भी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है।

मेरा निवेदन है कि हम इस एक्ट को इस धारणा से न लाएं कि हम कोई स्वीकृतियां कर देंगे स्पेशल इकोनोमिक जोन की। स्वीकृतियां भारत सरकार को करनी है, केन्द्र का जो अनुमोदन बोर्ड है उसको करनी है। ठीक है वो सेंट्रल एक्ट है, हम पर लागू है, सारे देश में लागू है और लागू रहेगा भी क्योंकि जहां पर उन्होंने लेजिस्लेशन कर दिया है और आपने खुद ने भी इसमें यह कहा है कि यदि कोई इकतलाफ है, आपने धारा 23 में सेविंग्स में कहा है कि, 'इस अधिनियम की किसी भी बात का अर्थ, केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन अधिनियम और केन्द्रीय विशेष आर्थिक जोन नियमों के उपबंधों को अल्पीकृत करने में नहीं लगाया जायेगा।' तो ठीक है यह तो आपके दिमाग में भी क्लीयर है कि सेंट्रल एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा और हम कोई ऐसी बात नहीं कहने वाले हैं कि जिससे सेंट्रल एक्ट पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और पड़े भी तो आपने कह दिया कि असंगतता के हद तक सेंट्रल एक्ट ही प्रभावी होगा।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस सेंट्रल एक्ट की धारा 3 को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम कोई नया

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कानून नहीं बना रहे हैं, जो प्रावधान 2005 में ही अधिनियमित कर दिये गये उनको ही हमने अपने एक्ट में डाल दिया है और अपने एक्ट में इसलिए डाल दिया है क्योंकि आपको जो विशेष आर्थिक जोन बनने हैं उनमें धारा 7 को लागू करना है, भूमि की अधिकतम सीमा में छूट देनी है और यह छूट, मैं समझता हूं कि कोई भी स्टेट स्पेशल इकोनोमिक जोन बनायेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 73 के प्रावधानों से उसको मुक्त रखना आवश्यक भी है।

जो धारा 8 है, जिसका काफी जिक्र कोटा उत्तर से और लूणी से आने वाले माननीय सदस्यों ने किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विकासकर्ता आज यदि कोई भी स्पेशल इकोनोमिक जोन में आता है, सभापतिजी, तो वो निश्चित रूप से 100, 150 करोड़, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिये बिना नहीं आता। यह विकासकर्ता कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं होता है कि चाहे जो आदमी आये और एक विकासकर्ता की दरख्वास्त लगा दे। 100-200 करोड़ का जहां काम है, एक लिमिटेड लोग आने वाले हैं और जो लिमिटेड लोग आने वाले हैं, निश्चित रूप से आपके पास कोई लैंड बैंक है तो आप उनको भूमि ट्रांसफर जल्दी से कर सकते हैं और यदि भूमि ट्रांसफर जल्दी से नहीं करेंगे तो ढाई लाख करोड़ रुपया आना भी नहीं है।

इसलिए जिन सम्भावनाओं के चलते आप यह बिल लाये हैं उन सम्भावनाओं से यह सदन परिचित है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस बात को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि धारा 8, धारा 9 के जो भी प्रावधान हैं और डवलपमेंट कमिश्नर के रूप में जो भी धारा 11 में प्रावधान किये हुए हैं सेंट्रल एक्ट में, हम उस एक्ट को देखें तो, सभापति महोदय, जो धारा 8 है उसमें करीब 19 आदमियों की कमेटी है जिसमें अप्रूवल बोर्ड बना है, अप्रूवल बोर्ड जिसको हम कहते हैं, अनुमोदन बोर्ड कहते हैं। उसका अध्यक्ष एडीशनल सैक्रेटरी लेवल का आदमी होगा और उसमें राजस्व से सम्बन्धित मामलों के और इकोनोमिक अफेयर्स के विशेषज्ञ के तौर पर जो भी हैं वो होंगे, डाइरेक्टर आफ फोरेन ट्रेड होगा, आई.आई.एम. के प्रोफेसर भी उसमें हैं और हमारा भी राज का एक प्रतिनिधि है। तो यह कुल 19 आदमियों की कमेटी जब हिन्दुस्तान के सारे इकोनोमिक जोन को देख रही है और उसको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एप्रूव कर रही है तो निश्चित हमारे राजस्थान के आर्थिक जोनों को भी वो देखेगी।

सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि इस एक्ट में जो प्रावधान केन्द्रीय एक्ट के प्रभावी हैं वो प्रावधान हमें न-सिर्फ कोट करने चाहिए और प्रवर समिति का मेरा प्रस्ताव भी इसी दृष्टि से है कि वो कौन-कौन से प्रावधान इसमें लिख दिये जाएं और सेंट्रल एक्ट के हवाले से लिखे जाएं ताकि पढ़ने वाले को मालूम है कि यहां तक तो राजस्थान सरकार की सीमा है और इसके आगे भारत सरकार के अप्रूवल बोर्ड की सीमा है, अप्रूवल कमेटी की सीमा है, डवलपमेंट कमिश्नर की सीमा है।

जो भी इसमें संशोधन खास तौर से इस खतरे को ध्यान में रखकर लाये गये हैं कि, डवलपर जो है वो काम करेगा ही नहीं, इकोनोमिक जोन के लिए ही लेगा और कोई माल बना लेगा, मैं इन आशंकाओं से प्रभावित नहीं हूं। जिसको इकोनोमिक जोन बनाना है वो निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज का बनायेगा, सर्विस का बनायेगा, वेयरहाउसिंग बना सकता है, ट्रेड का बनायेगा।

तो इन सब को ठीक ढंग से विकसित करने के लिए मेरा निवेदन है कि आपने जो इसमें सिर्फ एक इनोवेशन इसमें किया है वो यह है कि आपने एक विशेष आर्थिक जोन विकास समिति का गठन धारा 5 में किया है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने यह इनोवेशन इसमें किया है तो इसकी संरचना और इसके कार्य-संचालन के समय विशेष आर्थिक जोन समिति द्वारा अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये। मैं प्रक्रिया को तो समझ सकता हूं कि जो आपके द्वारा प्रेस्क्राइब कर दी है पर इसकी संरचना को मैं नहीं समझ रहा हूं कि संरचना को आप इस सदन से क्यों नहीं एप्रूव कराना चाहते? विशेष इकोनोमिक जोन के विकास में जो भी कमेटी या स्टेट्यूटरी बाडी होगी उसकी संरचना यहां से कराइये।

आप सेन्ट्रल एक्ट को देखें। बोर्ड आफ अप्रूवल की कांस्टिट्यूशंस सरकार ने, भारत सरकार ने रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं की है। कौन होंगे उसमें, यह साफ कहा है कि कौन-कौन उसमें मनोनीत किये जायेंगे। यह तो भारत सरकार का काम है कि भारत सरकार नियुक्त करेगी। जहां उनको डायरेक्टर, फोरेन ट्रेड को लिखना था, उन्होंने लिख दिया कि By virtue of post वह आएंगे। जहां स्टेट गवर्नमेंट का नामिनी लिखना है, उन्होंने लिख दिया है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप धारा 6 में संरचना को छिपायें नहीं, संरचना क्या होगी, यह सदन के सामने रखें। सदन की चर्चा का उसमें लाभ लें। इसी तरह से आपने अनेक स्थानों पर डवलपमेंट कमिश्नर तक के नीचे जो कमेटी है भारत सरकार में, उसमें साफ लिखा है कि कौन होंगे। डवलपमेंट कमेटी, धारा 11 में है और डवलपमेंट कमिश्नर, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि यह डिप्टी सैक्रेटरी के लेवल का होगा। उसके बाद उनके विकास आयुक्त के फंक्शंस के बारे में, क्रिया-कलाप क्या होंगे, यह साफ लिखा है, 'उसका प्रमुख दायित्व सेज को द्रुत गति से विकास व सेज से निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि करना है'।

माननीय सभापति महोदय, सेज तो मुख्यतः निर्यात ओरिएंटेड ही बनते हैं और उसमें डवलपमेंट कमिश्नर की स्वीकृति के बिना कोई भी इकाई लग नहीं सकती है। जो पूरे हिन्दुस्तान का क्षेत्र है, जिसमें स्पेशल इकानामिक जोन एक्सक्लूडेड हैं, भारत के पूरे डोमेस्टिक टैरिफ क्षेत्र यानी भारत से कौनसा सामान उसमें जायेगा, कौनसा निर्यात किया जायेगा, कौनसा आयात किया जायेगा, इसको भी डवलपमेंट कमिश्नर ही तय करता है। यूनिट कौनसी लगेगी, कौनसी नहीं लगेगी, इसको भी डवलपमेंट कमिश्नर ही तय करता है। यूनिट लगाना भी आपके हाथ में नहीं है, डवलपमेंट कमिश्नर के हाथ में है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल को, चूंकि इस पर चर्चा काफी लम्बी हुई है, इसमें आपने जहां अनेक बातों में विहित प्रक्रिया लिख दी है। उसमें विकास जोन के लिए जो आपने कमेटी बनाई है, धारा 5 में, विशेष आर्थिक जोन विकास समिति, इसकी संरचना यहां से तय कराएं। अनेक बातें ऐसी हैं जिस पर चर्चा की जानी आवश्यक है। धारा 8 में जो आपने सेन्ट्रल एक्ट का जिक्र किया है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सेन्ट्रल एक्ट के रैफरेंस से ही 4 गुना मुआवजा तय होता है। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य के सुझाव को मानकर यदि इसमें उन कम्पनसेशन के प्रावधानों को भी लिख दिया जाये तो वह आम जनता के लिए अधिक मुफीद और काश्तकारों के लिए भी अधिक जानकारी देने वाला होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मुआवजा तो डीएलसी रेट से होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जी?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मुआवजा तो डीएलसी रेट से है न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, डीएलसी रेट से।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): डीएलसी तो है ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कोई बात नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक लाख, दो लाख डीएलसी है। करोड़ रुपये की जमीन है और डीएलसी एक लाख, दो लाख है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, यह डीएलसी नहीं है। मार्केट रेट है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां, मार्केट रेट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कम्पनसेशन कानून में, माननीय कृपलानी जी, land acquisition act 1894 में भी कम्पनसेशन का मतलब है इक्विलेंट मार्केट वैल्यू। इक्विलेंट मार्केट वैल्यू क्या है, कई बार सेल डीड से भी छिपाई रखते हैं। सेल डीडें भी फर्जी होती हैं कई बार। कम कीमत की होती हैं। लेकिन मार्केट वैल्यू ऐसी चीज है जिसको रेफरेंस कोर्ट को भी तय करने का अधिकार है। इसलिए मार्केट वैल्यू का फोर टाइम्स किसानों को मिले। मैं सिद्धांतत उस बात का पक्षधर हूं।

माननीय सभापति महोदय, भूमि अर्जन भी की जा सकती है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब जल्दी करें, लेट हो रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कनक्लूड ही कर रहा हूं सभापतिजी। चूंकि इसमें भूमि अर्जन के मुद्दे भी हैं। जो आपने सम्परिवर्तन किया है वह तो बहुत आवश्यक है। यदि सम्परिवर्तन आप नहीं करेंगे तो कौन उद्योगपति ऐसा है कि वह चक्कर लगाता रहे कि इसमें सम्परिवर्तन हो। अनेक प्रावधान जो आपने किये हैं वह बहुत उपयोगी हैं, बहुत आवश्यक है लेकिन इन प्रावधानों के साथ सेन्ट्रल एक्ट के प्रावधानों को जोड़कर करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आसन के अधिकारों का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का मेरा प्रस्ताव है और चूंकि मुझे मालूम है कि होगा वही जो आप चाहेंगे, इसलिए मैं उसको विदड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप बोलें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय

(श्री गजेन्द्रसिंह)

सदस्य गुंजल साहब, जोगारामजी, शंकर सिंहजी, भिण्डा साहब, राव साहब, सुराणा साहब, आप लोगों के सुझावों के लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपका मैं सुझाव ही मानूंगा, इसको आलोचना नहीं मानूंगा। आपने जैसा फरमाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह आपकी दरियादिली है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो मेन इश्यू अपने सामने है कि सेज का परपज क्या है? सेज का यह बिल क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? माननीय सदस्य, इसको आप देखें। आप एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति और नागरिक की तरह देखें। आज जो सबसे भारी मांग है वह है नौकरी की, नौकरी आज की तारीख में इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि लोग खेती छोड़कर नौकरियों की ओर जा रहे हैं। जो हमारी प्राकृतिक समस्याएं हैं, चाहे वह ओला हो, आंधी हो, चाहे दावा हो, इन चीजों से किसान की जो जिंदगी है, उसकी जो इनकम है, वह स्थिर नहीं है। लोगों का आज जो माइग्रेशन हो रहा है शहरों की तरफ, एम्पलायमेंट के लिए लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे शहर बहुत तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी जापान पधारी हैं और ज्यादा से ज्यादा निवेश राजस्थान के अन्दर लाया जाये। राजस्थान के अन्दर चाहे वह हमारे प्रदेशवासी हैं, चाहे इंटरनेशनल जो देश हैं, वह राजस्थान के लिए समझते हैं कि एक अच्छी क्लाइमेट आ गई है इनवेस्टमेंट की। उनको हमारी सरकार पर भरोसा है कि हमारी जो नीतियां होंगी वह इनवेस्टमेंट फ्रेंडली होंगी और easy to do business जैसी नीतियां होंगी।

सभापति महोदय, जब तक इनवेस्टमेंट नहीं आयेगा, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी। इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो रोजगार नहीं होगा। There is no way. हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हर महीने 10 लाख युवक नौकरियों के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं। हर महीने 10 लाख युवकों का, यह 2020 तक का प्रोजेक्शन दिया गया है। हम सोच रहे हैं कि अपने इंडस्ट्रियल जोन बनाकर, स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाकर हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, foreign direct investment लेकर आयें, हमारे

(श्री गजेन्द्रसिंह)

एक्सपोर्ट भी बढ़ें। इसी से हमारे प्रदेश में खुशहाली और हमारे प्रदेश का उत्थान होगा।

सभापति महोदय, आज समय है Survival of the fittest. हमारे आपस में जितने भी प्रदेश हैं, हम सब काम्पीटीशन में हैं। हमारे आसपास में जितने भी प्रदेश हैं, हमसे सब काम्पीटिशन में हैं। हम यह नहीं सोचें कि हम जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि दूसरे प्रदेश भी हमसे बेहतर कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा आपने लीलैण्ड की बात की थी, सारी आटो इण्डस्ट्री तमिलनाडू जा रही है, हमारे होण्डा मोटर्स बड़ी मुश्किल से राजस्थान में आई है और इसका कारण है कि हर स्टेट इण्डस्ट्रियलिस्ट को रियायतें दे रहा है और उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि अपना निवेश वह वहां लाकर लगाएं।

माननीय सभापति महोदय, अपना जो एक्ट आया था 2003 में, अपन पायोनीयर्स थे पूरे देश के अन्दर, लोगों ने राजस्थान के बारे में बहुत चर्चा की थी कि बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है और इसके पश्चात् 2005 में एसईजेड एक्ट केन्द्र ने भी पास किया और मोदीजी का जो नारा है 'मेक इन इण्डिया', अपना है, 'मेक इन राजस्थान' । यह जो एक्ट ला रहे हैं अपन, जो बिल पास करने जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि स्पेशल इकोनोमिक जोन, आपने जैसे अपने भाषण में बोला था कि रीको इण्डस्ट्रियल स्टेट आ रहे हैं, दूसरे जोन आ रहे हैं, तो यह एक और ड्राइविंग फैक्टर है, एक और अपार्च्युनिटी अपने लोगों के लिए है। केन्द्र सरकार ने यह इनसिस्ट किया था कि राज्य सरकार एक सिंगल विण्डो, हैसल फ्री, ईज टू डू बिजनस पालिसी लाएं और एसईजेड का एक्ट अपने प्रदेश में लाएं। इसके अन्दर 2005 के बाद जब सेंट्रल एक्ट आया, उसके बाद गुजरात पहला प्रदेश था जो 2007 के अन्दर अपना एक्ट लेकर आया, फोलोव्ड बाई हरियाणा, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडू और पंजाब। पंजाब 2009 में लेकर आया। हमारी सरकार में गहलोतजी जब मुख्य मंत्री थे तो 2009-10 में बजट का अनाउन्समेंट किया और हमारे पास खाली 2 च्वाइसेज थी, या तो 2003 के एक्ट को अमेंड किया जाए या फिर एक नया एक्ट लाया जाए। क्योंकि नम्बर आफ अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा थे इसलिए यह निर्णय किया गया कि एक नया एक्ट लाया जाए।

फरवरी, 2014 में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने क्लीयरेंस दिया कि सेंट्रल

(श्री गजेन्द्रसिंह)

गवर्नमेंट के लेबर कमिश्नर के पावर ट्रांसफर किए जाएं हमारे स्टेट के अन्दर डवलपमेंट कमिश्नर को। जो डवलपमेंट कमिश्नर है माननीय सभापति महोदय, उसका जो रोल है वह एक फेसिलिटेटर का है। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की, उसको आप एक तानाशाह टाइप का रोल समझ बैठे हैं, उसका खाली यह है कि कोर्डिनेट कैसे करना है, वेरियस डिपार्टमेंट को कैसे साथ लाना, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट करने आए वह इधर से उधर दौड़ता नहीं रहे। जो डवलपमेंट कमिश्नर है उसकी एक कमेटी है और वह भी उसके पावर एक्ट के तहत गवर्न हैं। उसका एक रेगुलेटरी रोल भी है और जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे यू डी एच है, आपके लेबर डिपार्टमेंट है, आपके बिल्डिंग प्लान और स्टेट लेबर कमेटी, बिजली बोर्ड, उसका काम है कि यह सब चीजों को कोआर्डिनेट करके एक प्रोसेस सिंगल विण्डो और फास्ट प्रोसेस को करे।

अभी जो महिन्द्रा सेज है इसके अन्दर कुछ कमियां थीं जिसको हमने इस एक्ट के तहत सुधार करने की कोशिश की। लेबर कमिश्नर के पावर्स जैसा कि मैंने बताया डवलपमेंट कमिश्नर के पास आ गए हैं। मास्टर प्लान पावर पहले यू डी एच और रीको के पास थे; कन्वर्जन जो गांव में था, ग्रामीण क्षेत्रों में कलक्टर के पास पावर थे और शहर में यू.आई.टी. और जेडीए के पास था; इन्फ्रास्ट्रक्चर; रोड्स; अलग-अलग डिपार्टमेंट्स इसके अन्दर आ गए थे, कोआर्डिनेशन में मुश्किल हो रही थी और डवलपर और को-डवलपर डवलपमेंट कमिश्नर के अण्डर डाइरेक्ट काम करेंगे, यह नहीं हो रहा था पहले। तो जो अपन जो चेंजेज लाए हैं माननीय सभापति महोदय, उसके अन्दर जो स्पेशल एडवांटेज अपन ने दिए हैं, सीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एण्ट्री फी, नो कन्वर्जन चार्ज और जो लैण्ड सीलिंग एक्ट के जो फायदे दिए हैं, यह सब था बेसिकली इन्वेस्टमेंट लाने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, पहले तो मल्टी परपज सेज होते थे जहां 1000 हैक्टेयर भूमि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उसमें संशोधन करके 500 हैक्टेयर कर दी गई है। तो जो बहुत बड़े-बड़े जोन्स थे उनको छोटा कर दिया गया है और जो सैक्टर्स स्पेसीफिक्स हैं, जो सिंगल प्रोडक्ट हैं उनको हमने 50 हैक्टेयर तक अलाउ कर दिया है। मिनिमम लैण्ड रिक्वायरमेंट है जो आईटी के इन्वेस्टर्स आना चाहते थे, उनको 10 हैक्टेयर से, पहले प्रोविजन था, उससे कम कर दिया और हमने उसका बिल्टअप एरिया 25000 से लेकर 100000

(श्री गजेन्द्रसिंह)

स्क्वायर मीटर तक सिटी टू सिटी और ग्रामीण क्षेत्र में हमने वेरिएशन किया है। यह हमने संशोधन किया है।

लैण्ड एक्विजिशन है उसके मुआवजे में भी हमने संशोधन किया है। उसमें जैसे लेटेस्ट सेलिंग प्राइस है इसके अन्दर एक फार्मूला है उसके अन्दर भूमि अधिग्रहण होगा उसमें हमने फायदा इसके अन्दर किया है। जो डवलपर है उसके पास च्वाइस है कि वह सीधा प्राइवेट लैण्ड भी खरीद सकता है, सरकार या तो सरकारी जमीन देगी या एक्वायर करेगी। जो छोटे यूनिट अब कर दिए हैं, इसके अन्दर माननीय सदस्यों के मन में यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि आकर यह कोई बहुत बड़ा 1000 हैक्टेयर का या 1500 हैक्टेयर का एक्वायर कर लिया जाएगा। इसके अन्दर इन्वेस्टर के पास च्वाइसेज हैं, सरकार के थ्रू भी एप्लाई कर सकता है और डाइरेक्ट भी कर सकता है।

माननीय सदस्यों ने कई इश्यूज रेज किए थे, मैं लूणी से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कन्वर्जन के मामले में टीनेन्सी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। टाइम लिमिट के बारे में आपने बोला कि अगर वह टाइम लिमिट के अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और उनकी जमीन वापस अगर प्राइवेट जमीन है तो उसके अन्दर तो कन्वर्जन के जो चार्जेज देने पड़ेंगे वह उनको देने पड़ेंगे, अलग से अदरवाइज कन्वर्जन-फ्री थी और उनको वहीं पर तुरन्त उनके असेट्स और जमीन, सरकार की जमीन से डी नोटिफाई करके उनसे ले लिए जाएंगे। तो आपके मन में जो आशंकाएं हैं उनको मैं क्लेरीफाई करना चाहता हूं। (व्यवधान) कब्जा करेगी सरकार।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी, वह सब काम डवलपमेंट कमिश्नर करेगा। वह सब प्रावधान लिखे हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार को नहीं करना है। सेज घोषित होने के बाद सारी कार्यवाही उस पर डवलपमेंट कमिश्नर के जो भी प्रावधान है, सैक्शन 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, उसके तहत होंगे और उसमें यह सुरक्षा है कि वह एक डवलपर की जगह दूसरा डवलपर भी ला सकते हैं और उन टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स पर ला सकते हैं जो उसमें लिखे हुए हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, गुंजल साहब ने यह पूछा था कि हमारे जो लोकल लोगों को क्या

(श्री गजेन्द्रसिंह)

बेनीफिट मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, सीएसआर का फण्ड क्रिएट होगा, इण्डस्ट्रीज आएंगी उससे ग्रामीण क्षेत्र को, आसपास के लोगों को विशेष फायदा रहेगा। यह अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तभी फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जब आप कहते हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली है तो इन्वेस्टर के कांफिडेंस का जो एरिया है, जहां वह सोचता है कि उसको लाभ होगा, अगर वह देखेगा कि एन्वायरमेंट फ्रेंडली है तभी वह अपना निवेश हमारे प्रदेश के अन्दर लेकर आएगा।

हमारा जो एक्ट है इसमें आप लोगों ने कई सुझाव दिये थे। इस एक्ट को हमने, जो सेंट्रल एक्ट है और जो तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा इन सब एक्ट को स्टडी करके हमने इस बिल को पेश किया है।

माननीय गुंजल साहब ने कमेटी के बारे में बोला, आपने बोला कि इसमें कोई जन-प्रतिनिधि होना चाहिए। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, यह सम्भव नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, जो केन्द्र की अनुमोदन समिति है उसमें भी उद्योगपति का प्रतिनिधि है और जो विकास प्राधिकरण बना रही है उसमें भी उद्योगपति का प्रतिनिधित्व है। उद्योगपति और केन्द्रीय अनुमोदन समिति व प्राधिकरण मिलकर जो चाहेंगे वह करेंगे क्योंकि उद्योगपति का प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन किसान के साथ जो डीलिंग होगी, आपने कह दिया प्रशासनिक कमेटी है, आखिर प्रभावित तो किसान होगा। उसके ऊपर जो सामाजिक प्रभाव होंगे, उसकी रक्षा करने के लिए कहीं तो हमारा पोलिटिकल विजन होना चाहिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसे टाटानगर, मोदीनगर जो एस्टेब्लिश हुए हैं इसके अन्दर पूरे एरिया को लाभ हुआ है। हमारे बगरू है, कूकस है, ये जितने भी औद्योगिक क्षेत्र आये हैं इन्होंने एम्प्लायमेंट जनरेट किया है। अगर आप इन्वेस्टर के साथ इंटरफियरेंस करेंगे, पालिटिकल इंटरफियरेंस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बंगाल के अन्दर आपने देख ही लिया कि टाटा मोटर्स का पूरा कारखाना उखड़कर बंगाल से चला गया और नुकसान किसका हुआ, बंगाल के नागरिकों का हुआ।

राजपुरोहितजी ने फरमाया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में बोला था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गये वे तो।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय भिण्डा साहब ने। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: पास करा दो।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): वह नहीं है, वह नहीं है। आप बोलो तो बोलूं? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें। अभी ऐसे पास नहीं होगा, पास हम करेंगे जब होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी तो आपकी मदद ही कर रहे हैं।

श्री सभापति: मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे भी नियम के आधार पर ही चलना पड़ेगा।

प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, श्री जोगाराम पटेल, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री मदन राठौड़, राव राजेन्द्र सिंह और श्री मानिक चन्द सुराना ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन, विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने एवं प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने, प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष आर्थिक जोन, विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 24 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 – कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री गजेन्द्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष आर्थिक जोन, विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय...(व्यवधान) बहुत संक्षेप में मैं बात कहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आपको बहुत धन्यवाद है और कम से कम विधेयक की धाराओं के बारे में सबके विचार आ गये। लेकिन मैं एक बात की ओर माननीय मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम उस राज्य में इस विषय पर आज विचार कर रहे हैं कि जिस राज्य ने सारे हिन्दुस्तान भर में औद्योगिक क्रान्ति का शंखनाद किया। भारत में अगर औद्योगिक क्रान्ति का शंखनाद करने का श्रेय जाता है तो जमशेदजी टाटा को और घनश्यामदासजी बिड़ला को जाता है, जिन्होंने भारत में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत करके इसको यहां तक पहुंचाया।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वे सिंगापुर और जापान, बहुत-बहुत दूर जाकर हमारे यहां पर 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रयत्नशील हैं और उसके लिए आप बिल लेकर आये हैं, लेकिन मेरी भी आप मंत्रियों तक थोड़ी-बहुत पहुंच है इसलिए छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट का रास्ता मैं भी आपको सुझाने का प्रयत्न करता हूं।

हमारे हिन्दुस्तान के जो 100 बड़े उद्योगपति हैं, उनकी सूची प्रकाशित है, उसमें 38 लोग राजस्थान के हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूं, बिड़ला,

(श्री घनश्याम तिवाडी)

बागड़ी, बजाज, बाजोरिया, भरतिया, चांदगोठिया, डालमिया, डीडवानिया, दुजोदवाला, गादिया, गनेड़ीवाला, गोयनका, जयपुरिया, जाजू, जालान, झुंझुनूंवाला, कानोड़िया, खेतान, केडिया, कोठ्यारी, लोहिया, मोर, मित्तल, मोदी, मुरारका, परसरामपुरिया, पौद्दार, पीरामल, रुइया, रूंगटा, शेखसरिया, सिंघानिया, शारदा, सांघी, सोमानी, सुराणा, तोदी, बांगड़। इन लोगों का हिन्दुस्तान भर में बहुत बड़ा एक बिजनैस है और जो टाप 100 हिन्दुस्तान की कम्पनियां हैं, उन 100 टाप कम्पनियों में 22 बड़ी कम्पनियां राजस्थान के लोगों की है। हिण्डालको है, ग्रासिम है, बजाज आटो है, केयर्स इण्डिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, जिंदल स्टील एण्ड पावर है, हिन्दुस्तान जिंक है, आइडिया सेलुलर है, लुपिन है, श्रीसीमेंट है, चम्बल फर्टिलाइजर, आदि-आदि कंपनियां हैं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि ये लोग जो राजस्थान के हैं, राजस्थान के बाहर गये हैं, ये राजस्थान में आते भी हैं। ये सेज में उद्योग लगाने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन साल में दो बार मेलों में जडुला उतारने के लिए और अपने पूर्वजों के यहां पर आते हैं, जाते हैं और काम करते हैं। हमने कभी इनको औद्योगीकरण के लिए टच किया है क्या? इनको बुलाया है क्या? हमने बात की है क्या? वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट राजस्थान, वाइब्रेंट मध्यप्रदेश, वाइब्रेंट तमिलनाडु, इनमें सभी लोग जाते हैं। हम इतनी दूर-दूर तक तो जा रहे हैं, पर अगर कहें कि घर का पूत कुंआरा डोले, पड़ोसी का फेरा। डूंगर की आग दिख रही है, पगा बळती आग दिखायी कोनी दे रही। थोड़ी सी कोशिश यह भी कर लेते।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, इसीलिए हम एटमोस्फियर क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वह राजस्थान का हो, चाहे वह कहीं का भी हो। जब तक एटमोस्फियर क्रिएट नहीं होगा तब तक वह यहां घाटा खाने के लिए नहीं आएगा, उसे सरकार पर विश्वास नहीं होगा। हम वह एटमोस्फियर क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी जापान गई हैं, सब उद्योगपतियों से मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं, एक एटमोस्फियर क्रिएट करें। लोगों के अन्दर यह कांफिडेंस आने लग गया है कि राजस्थान की जो सरकार है हमें उससे आशा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिलकुल सही बात है। मैं भी एटमोस्फियर क्रिएट करने में ही लग रहा हूं। (व्यवधान) मैं उसी में सहायक हूं आपका।

माननीय सभापति महोदय, ये मारवाड़ी लोग....

श्री सभापति: अगर एटमोस्फियर आप क्रियेट करेंगे तो क्या शासन सिर्फ क्लाइमेट तक ही सीमित रह जाएगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शासन क्लाइमेक्स तक जाएगा, सभापति महोदय। मारवाड़ी छोटे-छोटे गांवों से निकलकर चीन, मिडिल ईस्ट, आसाम, दूर तक गये।

सभापति महोदय, मैं आपको छोटा सा इतिहास बताता हूं। शेखावाटी के एक टकनेत हैं जिन्होंने राजस्थान के लोगों का बाहर जाने का एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है। उस इतिहास में उन्होंने लिखा है कि बाहर जाने के ट्रेड के रास्ते थे। मुगल काल के समय और राजाओं के समय राजा और मुगल लोग व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे और वो व्यापार करते थे। फिर वो जब बाहर जाने लगे तो कोस-मीनारें बनाई गईं, ट्रेवलर्स के लिए स्टोन के रास्ते बनाये गये और उनको सुरक्षा प्रदान की गई और इस कारण से वो जाकर ट्रेड लेकर आते थे। उनको बिणजारा भी कहते थे, व्यापारी भी जाते थे और वो काम करते थे।

इसमें परिवर्तन आया और मुगल जब कमजोर हुए तो उसके बाद मराठों और पिण्डारियों ने लूट का काम शुरू कर दिया। व्यापारियों को सुरक्षा देना छोड़, ये खुद राजा ही व्यापारियों को लूटने लगे तो टैक्सेशन काफी अधिक कर दिया। राजाओं द्वारा लोन दिया गया वो व्यापारियों को लौटाया नहीं गया, ट्रेड रूट पर चुंगी शुरू कर दी, लूट शुरू कर दी और टाउन में प्रवेश करने पर वस्तुएं महंगी हो गई। ऐसे समय में ब्रिटिश राज आया और ब्रिटिश राज ने उनको सुरक्षा प्रदान की। इसलिए राजस्थान के जो व्यापारी थे वो यहां से छोड़कर वहां पलायन कर गये। यह पलायन की सबसे पहले शुरूआत वहां से शुरुआत हुई।

1813 में एक चार्टर एक्ट बनाया जिसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारों की मोनोपाली खतम कर दी तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपाली कायम कर दी 1830 में। उन्होंने मुम्बई और कलकत्ता में अपने लोकल एजेंट्स नियुक्त किए और व्यापारियों को संरक्षण देना प्रारम्भ किया। जैसे अब आप करना चाहते हो न सेज में, उसी प्रकार का उन्होंने संरक्षण देना प्रारम्भ किया।

टकनेत ने आगे लिखा है कि लोकल ट्रेडर्स एण्ड ब्रिटिश इण्डिया क्षेत्र में संरक्षण दिया जिससे पहले राजस्थान से मारवाड़ी कलकत्ता में शिफ्ट हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गये और वहां कलकत्ता के औद्योगीकरण में उन्होंने योगदान किया। 20वीं सदी की शुरूआत में मारवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश कर गये और धीरे-धीरे उनकी पहचान हो गई। 1857 की क्रांति के बाद लार्ज स्केल पर मारवाड़ियों की शिफ्टिंग हुई। इन सब के कारण से आज जो स्थिति उनकी है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय, आज जो राजस्थान की स्थिति है उसमें उद्योग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार ने जो अभी आंकड़ा दिया, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे यहां लगभग 5 करोड़ 92 लाख पशु है, लाइवस्टाक। केवल 1.86 लाख किलोमीटर की अपनी सड़क है, 322 इण्डस्ट्रियल एरिया हमने विकसित किये हैं, औद्योगिक प्लाट हमारे पास हमने 39 हजार के लगभग विकसित किए जिनमें से सिर्फ 27 हजार में इण्डस्ट्रीज हैं और बाकी को इण्डस्ट्रियलिस्ट ने बेच दिए, 49 हजार क्रियेट किये, इण्डस्ट्री लगाने के लिए उनको दिए और उनमें 27 हजार को बेच दिया, यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। लार्ज इण्डस्ट्री हमारे यहां सिर्फ 206 लगीं जिनमें 1 लाख 17 हजार वर्कर हैं। मीडियम इण्डस्ट्री 64 लगीं जिनमें 11 हजार वर्कर हैं, स्माल इण्डस्ट्रीज 64 हैं जिनमें 13.16 लाख वर्कर हैं और कुल मिलाकर 14 लाख 44 हजार हमारे वर्कर हैं। इसके विपरीत, जिनसे हम जमीन लेना चाहते हैं वो राजस्थान में 1 करोड़ 31 लाख किसान हैं। कृषि में कार्यरत श्रमिक 25 लाख हैं और भारत की जी.डी.पी. में 4.2 का योगदान है। वाहन हमारे यहां 70 लाख हैं राजस्थान में। करौली, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, प्रतापगढ़ में एक भी इण्डस्ट्री की बड़ी इकाई नहीं है। यह हमारी वहां की रिपोर्ट है। केवल भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा में ही 10 या अधिक मध्यम या वृहत् इकाइयां हैं, अलवर-भिवाड़ी में 74 यूनिट हैं, भीलवाड़ा में 38 हैं, जयपुर में 27 हैं। कुल 10 हैं।

राजस्थान में जो सेज हैं उनकी स्थिति यह है कि सेज फोर जेम्स एण्ड ज्वैलरी, सीतापुरा, जयपुर में सिर्फ 51 प्लाट्स हैं। सेज फोर हैण्डीक्राफ्ट्स बोरूंदा, जोधपुर में 291 प्लाट्स हैं। सेज फोर जेम्स एण्ड ज्वैलरी, सीतापुरा में 190 प्लॉट्स अलग हैं। सेज महिन्द्रा पी.पी.पी. में 2500 एकड़ लैण्ड है और वहां जाकर देखो, वो जयपुर के पास में ही है, पहले मेरी कांस्टीट्यूएंसी में था और अब मेरी कांस्टीट्यूएंसी के पास है, सभापति महोदय, सारी जमीन खाली

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़ी हुई है और 6-7 हजार करोड़ रुपया उसने केवल जमीन बेचने में कमाये हैं।

यह सेज का माडल अच्छा नहीं लगा और अब जो आप सेज का माडल लेकर आ रहे हो उसमें हम बिलकुल सही रूप से कर सकते हैं लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं।

आप अब जो सेज का माडल लाये उस सेज के माडल के अनुसार एक व्यक्ति पहचान करेगा और आपको एप्लाई करेगा। एप्लाई किसको करेगा? रीको को करेगा। रीको कौन होता है? क्यों करे रीको को? क्या है रीको? रीको को एप्लाई करे और रीको फिर उसको अनुमोदन समिति को भेजेगी। वह सारा आपने बताया कि अनुमोदन समिति को जाएगा, राज्य सरकार को जाएगा। यह सारा काम करेंगे। इतना काम करने की क्या जरूरत थी? इस प्रक्रिया में जो आपने दिया है उसमें पहली बात तो यह है कि आपने रीको को कोई समय सीमा ही नहीं दी कि क्या समय सीमा है। रीको को उसने एप्लाई कर दिया तो कितने समय में रीको करेगी? पारदर्शी भी नहीं है, इसमें खुलापन भी नहीं है।

अनुमोदन समिति में आपने 16 सचिव लगा रखे हैं। इतिहास उठाकर देखिये इन कमेटियों का, ये कमेटियां कभी हुई ही नहीं। यह कितना बड़ा गलत काम हो रहा है कि सारे जितने भी कानून इस बार आये हैं सारे कानूनों में मंत्रियों को हटाकर मुख्य सचिव या सचिव को अध्यक्ष बना दिया। आप अपने अधिकार क्यों कम कर रहे हैं, यह मेरी समझ में ही नहीं आया। राज्य सरकार मतलब मिनिस्टर, जो भी समिति बननी चाहिए वो मंत्री के अन्तर्गत बननी चाहिए। मंत्री और राज्य सरकार पर्यायवाची हैं। मुख्य मंत्री और मंत्री में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कैबिनेट मंत्रियों में मुख्य मंत्री एक नम्बर पर हैं और बाकी सब उनके बराबर हैं। तो क्यों न मंत्रियों को इनका अध्यक्ष बनाया जाए? सब मंत्री योग्य हैं, सब मंत्री जवाब देते हैं। सचिव की कमेटियों की बहुत खराब रिपोर्ट है और आप 16-16, 20-20 सचिवों को करेंगे तो कौन कहां रहेगा, कब आएगा, पूरा होगा या नहीं होगा, किसका क्या प्रारूप होगा, यह सारे इस ढांचे को नष्ट करने का काम है। इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। राज्य सरकार कब मंजूर करेगी, कब नहीं करेगी, इसका भी पता नहीं। इसके बाद में सारा काम तो भारत सरकार का है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसमें संशोधन करें और इन कमेटियों की कोई आवश्यकता नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, एक चैक लिस्ट होनी चाहिए कि एप्लाई करने वाले आदमी के पास यह चैक लिस्ट है, वो चैक लिस्ट मंत्री के पास आये, चाहे रीको के थ्रू आये या किसी के थ्रू आये, और एक टाइम फ्रेम में आप उसको हां-ना करिये।

अब सबसे बड़ी बात आपको स्पष्ट करना यह है कि भूमि सम्बन्धी आपके क्या प्रावधान हैं। यह बहुत बड़ी बात है और इस पर बहुत लम्बी चर्चा हुई है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ने पूंजी को महत्व दिया है। औद्योगिक क्रांति के बाद, यह उधार और इस सारे समय में भूमि सबसे बड़ी है जिसका इम्पोर्टेंट सैक्शन 10 है। अब एक सबसे बड़ा काम है कि प्राइवेट डवलपर के लिए भी इन्फ्रास्ट्रक्चर आप ही बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे और किसके लिए नहीं बनाएंगे, इसका भी आपने कुछ नहीं किया। जो जिसको पसन्द आ जाएगा, उसके लिए बना देंगे और जिसके लिए पसन्द नहीं आएगा, उसके लिए नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए पसन्दगी और नापसन्दगी क्यों है, इसका मूल्यांकन किया जाए और लागत क्या होगी, कितनी होगी इस पर भी आप विचार करें। अगर प्रस्ताव आपने नामंजूर कर दिया तो क्या होगा? उसने जमीन खरीद ली, आपने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, पिछली सरकार आई तो उसने अपनी नीतियां बदल दीं, दूसरी सरकार आये तो वो नीति बदल देगी। तो सरकारें बदलती हैं। यद्यपि अपनी यह सरकार तो परमानेंट रहेगी लेकिन फिर भी सरकारें बदल जाती हैं। इसलिए हम ऐसा तो कोई काम करें जिससे इन्वेस्टर को यह पता हो जाए कि हम जो काम करेंगे वो सुरक्षित रहेगा।

राज्य में उद्यमियों का जो कालान्तर में पलायन हो रहा है उसका कारण है आधारभूत संरचना की कमी। मंत्रीजी, जब तक इंस्पैक्टर राज और आधारभूत संरचना को हम पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहां काम नहीं होगा। हमने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए रीको की स्थापना की, ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन, BIP की स्थापना की, रीको ने इण्डस्ट्रियल क्षेत्र बनाए, आर.एफ.सी. ने लोन दिए। आर.एफ.सी. ने युवा उद्यमिता को लोन देने का काम किया। मैंने कल वैबसाइट देखी थी और कुल मिलाकर 2010 से लेकर अब तक उसमें 103 उद्यमियों को आपने लोन दिया है। 103 । ये स्पीड एकल खिड़की की है। वैसे हमारे यहां तो एकल खिड़की ही है, दो खिड़कियां हमारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां हैं ही नहीं। आये और अपना काम करें। तो इसलिए उद्योगों के संरक्षण की नीति में जब तक आप काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा।

(22.00 बजे)

एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इण्डस्ट्रियल एरिया में बड़े प्लाट्स को छोटा करके बेचने का आदेश गहलोत सरकार ने निकाला। फिर उसको हमने और छोटा कर दिया और उसको छोटा करने के बाद में, मैं पूछना चाहूंगा कि 500-500 स्क्वायर मीटर के कितने प्लाट्स बेच दिये गये और उसमें राज्य सरकार को क्या मिला और किस-किस इण्डस्ट्रियलिस्ट को कितना फायदा मिला? आपने 10,000 गज जमीन दी उसको, किस काम के लिए? इण्डस्ट्री लगाने के लिए, उसने इण्डस्ट्री नहीं लगाई, जमीन पड़ी है उसके पास। आपने उसको परमिशन दे दी, अशोक गहलोतजी ने उसको परमिशन दे दी। सारी जमीन किसान की लेकर जो राज्य की सम्पत्ति बनी है, उस राज्य की सम्पदा पर, उस जमीन पर आप कब्जा करते। उसको 500-500 मीटर का टुकड़ा बेचने की इजाजत कैसे दी? तो सेज में आगे नहीं हो, इसकी व्यवस्था के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, यह बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, वित्त विभाग ने 8 अक्टूबर, 2014 को इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम निकाली जिसके अन्तर्गत वैट, इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लैंड टैक्स, मंडी फीस, स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्जेज में 50 प्रतिशत की छूट दी गई। अब मैं संक्षेप में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में यदि उद्योग बढ़ाना चाहते हैं तो हम हमारे उद्योगपतियों को लायें। सरकार ईमानदारी से विश्लेषण करे कि पिछली बार जब हम थे, हमने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत एमओयू किये, उनमें कितने एमओयू सही हुए? अपन कह सकते हैं कि दूसरी सरकार आ गई और उसके गलत कामों के कारण से हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब 15 महीने हो गये। आगे समय जा रहा है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जापान जायें, अमेरिका जायें, सिंगापुर जायें, ताइवान जायें, एफडीआई लायें, जो लाना है सो लायें लेकिन राजस्थान के उद्योगपति जो राजस्थान में काम कर सकते हैं, उनकी ओर ध्यान दें। हमारे उद्योग-धंधों की ओर ध्यान दें और राजस्थान के लोगों को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका ध्यान दें। मैं औद्योगीकरण के पक्ष में हूं, लेकिन उद्योग केवल उद्योग के लिए होना चाहिये। जमीन लेकर बिजनस करने के लिए सेज नहीं बननी चाहिये। इस बात को हम ध्यान रखें।

जितना इस समय काम हुआ है, आप वित्त मंत्रीजी, स्वयं फाइल मंगाकर देख लें अन्यथा मेरे पास जो कागज उपलब्ध हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा कि 500-500 मीटर के कितने प्लाट्स बनाकर बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट ने सेल किये हैं? यह किसको लाभ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसको देखें।

कानून में जो सारी बातें थीं, वह सुराना साहब ने, जोगारामजी ने और प्रहलादजी ने और सबने आपको बता दी। मदनजी ने भी आपको बता दी तो वह आपके समझ में आ ही गई और आपने सबको समझा ही दिया। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर राज्य के औद्योगीकरण में सहयोग दें। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार।

श्री सभापति: मंत्री महोदय आप कुछ बोलेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2015 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 22.04 बजे मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज देने की योजना

193. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी राशि आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिये आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना प्रवाह के रूप में प्रत्येक विभाग के बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि आबंटित करती है। वर्ष 2014-15 में कुल राज्य प्रावधान 6982005.37 लाख रुपये में से 917809.70 लाख रुपये जनजाति उपयोजना प्रवाह के रूप में आबंटित किये गये हैं, जो राज्य योजना का 13.15 प्रतिशत है। विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर सलंग्न है।

(2) जनजाति उपयोजना प्रवाह को 12.56 प्रतिशत से बढ़ाकर दिनांक 13.5.2013 को 13 प्रतिशत किया गया है।

परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'स' पर सलंग्न है।

(3) बजट घोषणा 2014-15 में ढांचागत अंतराल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 1000.00 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2015

कोटा के ई.एस.आई. चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाएं

8. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) कोटा सम्भाग में ई.एस.आई. के अधीन श्रमिकों व कर्मचारियों की संख्या कितनी है व कोटा के ई.एस.आई. चिकित्सालय में मरीजों के लिये कौन-कौनसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा के विज्ञान नगर में स्थित ई.एस.आई. चिकित्सालय के भवन का निर्माण कब हुआ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय का भवन कई जगह से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार कोटा के ई.एस.आई. चिकित्सालय में जिला चिकित्सालयों के समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में ई.एस.आई. के अधीन जिला कोटा एवं भवानीमंडी, जिला झालावाड़ में श्रमिकों की संख्या क्रमश: लगभग 25000 एवं 7000 कुल 32000 है एवं चिकित्सा सेवा देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के 140 पद स्वीकृत हैं जिनमे से 119 पद भरे हुये हैं। कोटा के ई.एस.आई. चिकित्सालय में वर्तमान में मरीजों के लिये बहिरंग एवं अन्तरंग सुविधाओं के अन्तर्गत मेडिसन, सर्जरी, अस्थी रोग, पैथोलोजी, बाल रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवाएं एवं एक्स-रे व लैब जांच की सुविधायें उपलब्ध हैं।

(2) कोटा के विज्ञान नगर में स्थित ई.एस.आई. चिकित्सालय के भवन का निर्माण वर्ष 1984 मे हुआ था। जी हां, उक्त चिकित्सालय के भवन की मरम्मत की आवश्यकता है। मरम्मत कार्य स्वायत्तशासी निकाय ई.एस.आई. कार्पोरेशन, नई दिल्ली के स्तर से सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। क्योकि ई.एस.आई. चिकित्सालय कोटा सिर्फ 60 बिस्तरों वाला चिकित्सालय है, जिसका संचालन स्वायत्तशासी निकाय ई.एस.आई. कार्पोरेशन, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में किया जाता है।

सूथला गांव (जोधपुर) की खातेदारी भूमि का प्रकरण

194. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री तरुण राय कागा)

(1) गांव सूथला, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 124/1 की 25 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नं. 136 की 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर संवत् 2011 से 2023 तक कौन-कौन खातेदार दर्ज रहे हैं? खातेदारी की नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि संवत् 2012 से 2015 की जमाबंदी में खसरा नं. 124/1 व 136 के खातेदार तारासिंह को हटाकर संवत् 2019 से 2022 से खातेदारी बादर व सुआ के नाम दर्ज की गई है? यदि हां, तो क्यों व किन आदेशों के तहत? आदेशों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या संवत् 2022 से 2025 की जमाबंदी में खसरा नं. 124/1 व 136 के खातेदार तारासिंह/बादर व सुआ को हटाकर भूमि सरकारी दर्ज की गई? यदि हां, तो किस आदेश/म्युटेसन से?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को बिना किसी आदेश के सरकारी दर्ज की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम सूथला, तहसील जोधपुर की आराजी ख.न. 124/1 व 136 सम्वत 2012-19 की जमाबन्दी में तारासिंह पुत्र आतमसिंह, सम्वत 2019-26 में बादर पुत्र अरजन वगैरह के नाम तथा सम्वत 2027-34 में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रही है।

जमाबन्दी की नकलें परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) संवत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 124/1 व 136 के खातेदार तारासिंह को हटाकर संवत 2019-22 में खातेदार बादर, अरजन वगैरह के नाम दर्ज कर दिया गया। जमाबन्दी में इन्द्राज परिवर्तन सम्बन्धी कोई नोट/आदेश का अंकन नहीं है।

(3) सम्वत 2022 से 2025 की जमाबन्दी नही बनी है। सम्वत 2023 से 2026 की जमाबन्दी में खातेदार बादर पुत्र अरजन तथा सम्वत 2027 से 2030 में खसरा नम्बर 124/1 व 136 के खातेदार तारासिंह/बादर वगैरह के स्थान पर सरकारी भूमि दर्ज की गयी। जमाबन्दी में इन्द्राज परिवर्तन सम्बन्धी कोई नोट/आदेश का अंकन नहीं है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(4) जमाबन्दी में इन्द्राज परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी कोई नोट/आदेश अंकित नहीं है।

जमाबन्दी की नकलें परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में महिला बाल विकास कार्यालय हेतु भवन निर्माण

195. **श्री नारायण सिंह देवल** (दांतारामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जालौर जिले में विभाग के सभी कार्यालय सरकारी भवन में संचालित हो रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने कार्यालय निजी भवनों में कब से संचालित हो रहे हैं? क्या उन निजी भवनों को किराये की राशि का भुगतान किया जा रहा है?

(3) क्या निजी भवनों को किराया राशि भुगतान किये जाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निजी भवनों में संचालित सरकारी विभागों के किराये की राशि कितनी-कितनी एवं कब किसको भुगतान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा ऐसे कार्यालय जो निजी भवनों में चल रहे हैं, को अन्य विभाग के भवन जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उनमें संचालित किए जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या किराए के भवनों में चलने वाले कार्यालयों के लिए भूमि आबंटन किए जाने एवं उनके भवनों के निर्माण हेतु सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जालौर जिले में एक उप निदेशक कार्यालय, एक कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं 8 परियोजना कार्यालय संचालित हैं। जिसमें

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

से क्रमशः एक कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, एक उप निदेशक कार्यालय एवं 3 परियोजना कार्यालय सायला, सांचोर तथा चितलवाना सरकारी भवन में संचालित है। बाल विकास परियोजना कार्यालय आहोर, जालौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा किराये के भवनों में संचालित है।

(2) 1. बाल विकास परियोजना कार्यालय आहोर - वर्ष 1982 से

2. बाल विकास परियोजना कार्यालय जालौर - वर्ष 1988 से

3. बाल विकास परियोजना कार्यालय रानीवाड़ा - वर्ष 1994 से

4. बाल विकास परियोजना कार्यालय भीनमाल - वर्ष 1994 से

5. बाल विकास परियोजना कार्यालय जसवंतपुरा - वर्ष 1995 से

जी हां। उक्त निजी भवनों में संचालित सरकारी कार्यालयों के किराये का भुगतान किया जा रहा है।

(3) निजी भवनों को किराया राशि भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) -

कार्यालय का नाम	किराया भुगतान का विवरण
बा.वि.प.अ. आहोर (कार्यालय कम गोदाम)	अक्टूबर, 2010 से रु. 7000/- मासिक भुगतान मकान मालिक श्री नरपत राज कोठारी, आहोर।
बा.वि.प.अ. जालौर	रु. 1740/- मासिक भुगतान मकान मालिक श्री निहाल चन्द भण्डारी, जालौर।
बा.वि.प.अ. रानीवाडा	1. वर्ष 1994 से 2004-05 तक रु. 2097/- मासिक भुगतान मकान मालिक श्री उदयराज/ त्रिभुवनमाली, रानीवाड़ा। 2. वर्ष 2005-06 से रु. 4832/- मासिक भुगतान मकान मालिक श्रीमती दशरथ कुंवर/ अर्जुन सिंह, रानीवाडा।
बा.वि.प.अ. भीनमाल	रु. 1417/- मासिक भुगतान नगरपालिका, भीनमाल।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

कार्यालय का नाम	किराया भुगतान का विवरण
बा.वि.प.अ. जसवंतपुरा	1. वर्ष 1995 से 2006-07 तक रु. 1538/- मासिक भुगतान मकान मालिक श्री भूरमल/पूनमाजी, जसवंतपुरा। 2. वर्ष 2007-08 से रु. 3500/- मासिक भुगतान मकान मालिक श्री नरेन्द्र कुमार/कान्ता देवी, जसवंतपुरा।

(5) विभाग द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार जिला कलक्टर से भवन उपलब्धता हेतु पत्र लिखा जाता है। जिसके उपरान्त सरकारी कार्यालय उपलब्ध नहीं होने पर किराये पर लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिसके उपरान्त ही सरकारी कार्यालय के भवन किराये का भुगतान किया जाता है।

(6) जी नही। कोई कार्यवाही विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर में प्रस्तावित नवीन 33 के.वी.जी.एस.एस.

196. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कितने 33 के.वी. जी.एस.एस. चालू हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में विद्युत छीजत को रोकने के लिए नवीन 33 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां व इनकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वर्तमान में संचालित 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में उपरोक्त के अतिरिक्त 33/11 के.वी. के पांच सब-स्टेशन स्वीकृत हैं, जिनका विवरण प्रपत्र 'ब' पर

(ऊर्जा मंत्री)

उपलब्ध है। वर्तमान में अन्य नये सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

प्रपत्र 'अ'

मुण्डावर में वर्तमान में 33/11 के.वी. संचालित सब-स्टेशनों का विवरण निम्नानुसार है :-

मुण्डावर उपखण्ड		नीमराणा उपखण्ड	
1	मुण्डावर	1	नीमराणा
2	पेहल	2	आशियाना
3	खानपुरअहीर	3	जापानी जोन
4	बासनी,	4	कोलीला
5	मैनपुर	5	कुन्दनसिंहपुरा
6	टोडरपुर	6	शांजापुर
7	नांगल उदिया	7	डोरडांकरी
8	चिरूणी	8	सिरयानी
9	राजवाडा	9	रीको शाजापुर
10	जाट बहरोड	10	ई.पी.आई.पी.
11	पलावा		
12	सोडावास		
13	ततारपुर		
14	मातौर		
15	जिन्दौली		
16	नांगल बावला		
17	टेहडकी		
18	शामदा		

प्रपत्र 'ब'

वर्तमान में 33/11 केवी के निम्न 4 सब-स्टेशन स्वीकृत हैं। जिनके कार्य वित्तीय प्रबन्ध एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार किया जावेगा :-

क्रम संख्या	स्वीकृत सब स्टेशन का स्थान	स्वीकृत की दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	करनीकोट	18.02.2010	भूमि का आबंटन हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2	मानका	18.02.2010	भूमि का आबंटन हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है
3	मोलावास	18.02.2010	भूमि का आबंटन नहीं हुआ है।
4	प्रतापसिंहपुरा	22.02.2011	भूमि का आबंटन नहीं हुआ है।
5	रीको गिलोट	04.10.2013	निर्माण कार्य प्रगति पर है

इनके अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी नया सब-स्टेशन का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं है।

विराटनगर में दो नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना

197. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के पावटा एवं विराटनगर में दो विकास खण्ड हैं तथा दोनों में एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खण्डों में जनसंख्या के अनुरूप दो-दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(3) पावटा एवं विराटनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्मिक एवं पैरा मेडीकल के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति विराटनगर एवं पावटा में आगामी वित्तीय वर्षों मे वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकतानुसार एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(3) पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी (चिकित्सकों)/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष चिकित्सकों को नियुक्ति के समय यथा सम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

टपूकड़ा (अलवर) के औद्योगिक क्षेत्रों में रेडीमेड वस्त्र उद्योगों की स्थापना

198. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर के टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रेडीमेड वस्त्र निर्माण उद्योगों की स्थापना हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त घोषणानुसार रेडीमेड वस्त्र निर्माण उद्योगों की स्थापना कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त उद्योगों से अलवर के कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अलवर के टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रेडीमेड वस्त्र निर्माण उद्योगों की स्थापना हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित निम्न घोषणा संख्या-159 वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। ''वस्त्र उत्पादन में राजस्थान महत्वपूर्ण स्थान है। टपूकड़ा अलवर में विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र

(उद्योग मंत्री)

में 250 एकड़ भूमि, रियायती दर पर रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके माध्यम से लगभग 36 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से एवं 56 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। इस परियोजना में 850 करोड रुपये का निवेश प्रस्तावित है। वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी 'वस्त्र -2012' का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अन्य राज्यों के साथ-साथ विभिन्न देशों की कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित कम्पनियां भी भाग लेगी।''

(2) जी नहीं। अभी तक अलवर के टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रेडीमेड वस्त्र निर्माण उद्योगों की स्थापना नहीं हुयी है।

डूंगरपुर जिले में दुग्ध डेयरी प्लांट की स्थापना

199. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा किन-किन जिलों में दूध डेयरी प्लांट संचालित किये जा रहे हैं? क्या उक्त प्लांटों में कोल्ड स्टोरेज व पैकिंग प्लांट भी लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डूंगरपुर जिले में दूध डेयरी प्लांट प्रारम्भ कर वहां कोल्ड स्टोरेज व दूध पैकिंग प्लांट भी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, (डूंगरपुर) बाड़मेर (धौलपुर), भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ (प्रतापगढ़), चूरू, गंगानगर (हनुमानगढ़) जालौर (सिरोही), जयपुर (दौसा), झालावाड़ (बारां) जोधपुर (जैसलमेर) कोटा (बून्दी) नागौर, पाली, सीकर (झुन्झुनूं), सवाई माधोपुर (करौली), टोंक, उदयपुर (राजसमन्द) में डेयरी संचालित की जा रही है।

नागौर दुग्ध संघ के अतिरिक्त सभी डेयरियों में कोल्ड स्टोरेज व पैंकिग प्लांट की सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में है जिसका मुख्यालय बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में 30000 लीटर प्रतिदिन कार्य क्षमता का मिल्क प्लांट कार्यरत है। यह क्षमता बांसवाड़ा व

(डेयरी मंत्री)

डूंगरपुर दोनों जिलों के लिए दुग्ध आपूर्ति के अनुरूप है। विगत वर्षों में जब जब भी डूंगरपुर में दूध डेयरी व पैकिंग प्लांट प्रारम्भ किया गया तो दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में डूंगरपुर जिले में दूध डेयरी प्रारम्भ कर कोल्ड स्टोरेज व दूध पैकिंग प्लांट लगाने का विचार नहीं है।

उच्च न्यायालय के निदेशानुसार दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही

200. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आपराधिक वारदात में लिप्त नाबालिग व युवा पहचान छिपाने के लिये कपडे से चेहरा ढक कर दुपहिया एवं चौपहिया वाहन चलाते हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त आपराधिक वारदातों को रोकने के लिये कोई कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपराधों की रोकथाम हेतु दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना कब तक कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चेहरा ढक कर दुपहिया एवं चौपहिया वाहन चलाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र जोधपुर में दिनांक 26.08.2013 को 2 अज्ञात लड़कों द्वारा मोटर साइकिल पर बैठकर आपराधिक वारदात करने के उद्देश्य से मुंह कपड़े से बांधकर एक महिला की चैन छीन लेने पर एक प्रकरण मु. न. 249/13 धारा 392 भा.द.स. में पंजीबद्ध हुआ है। उक्त प्रकरण में माल मुल्जिमान की तलाश के बावजूद पता नहीं

(गृह मंत्री)

चलने पर एफ. आर. अदम पता दी गई है। प्रकरण का विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय स्तर से क्रमांक- र-9ख( ) अप शाखा/विधि/2015/2503-58 दिनांक 10-03-15 आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त जिलों को पालना हेतु परिपत्र जारी किया गया है जो परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली में माडा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

201. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में माडा योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 से दिसम्बर, 2014 तक विधान सभा क्षेत्र करौली में किस-किस ग्राम पंचायत से कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुये तथा कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतवार आबंटित की गई तथा आबंटित राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत क्या-क्या कार्य करवाये जा सकते हैं एवं उक्त क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें उक्त योजना के तहत आती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा क्षेत्र में कार्य स्वीकृति के कोई लिखित मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

माडा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधित राशि एवं क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में उपलब्ध राशि के आधार पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाकर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) वर्ष 2010 से दिसम्बर, 2014 तक विधान सभा क्षेत्र करौली के माडा क्षेत्रों की 10 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए जो परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

आबंटित राशि से करवाये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं यथा विशेष केन्द्रीय सहायता, जनजाति कल्याण निधि एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों की सूची निम्नानुसार है:-

1. सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य।
2. एनीकट निर्माण कार्य।
3. सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
4. जनजाति आश्रम छात्रावासों के मरम्मत का कार्य।
5. हैण्डपम्प एवं पेयजल सम्बन्धी निर्माण कार्य।

विधान सभा क्षेत्र करौली की पंचायत समिति करौली में माडा क्षेत्र में चयनित गावों की सूची उक्त परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में कृषि भूमि के नामान्तरण खोलने के मानदण्ड

202. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले की किस-किस तहसील में कृषि भूमि बेचान के कौन-कौन से प्रकरण जिनका पंजीयन हो चुका है परन्तु खरीददार के पक्ष में नामान्तरण किन-किन कारणों से कितनी-कितनी अवधि से होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खरीददार द्वारा पंजीयन के दस्तावेज पेश करने के बाद नियमानुसार कितने दिन के अन्दर नामान्तरण दर्ज किया जाता है।

(3) क्या सरकार द्वारा इसके लिये कोई अवधि निश्चित की गई है? यदि हां, तो कितनी अवधि? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई अवधि निश्चित करने का विचार रखती है?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(4) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि बेचान के प्रकरण में पंजीयन दस्तावेज पेश करने पर तहसीलदार द्वारा उसके पक्ष में नामान्तरण दर्ज कर दिया जाता है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बेचान के दस्तावेज के पंजीयन के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव में स्वीकृति मिलने के बाद ही नामान्तरण दर्ज किया जाता है? यदि हां, तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग नियम किन-किन कारणों से बने हुये हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बेचान के अनेकों प्रकरणों में पंजीयन दस्तावेज पेश करने के बाद भी नामान्तरण दर्ज होने में लम्बी अवधि लगती है? यदि हां, तो क्या सरकार नामान्तरण दर्ज करने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान नियम लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में हुए कृषि भूमि बेचान के प्रकरण, जिनमें पंजीयन हो चुका है, परन्तु खरीददार के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खोला जा सका, का विवरण निम्नानुसार है-

नाम तहसील	प्रकरण	कारण	अवधि
पाली	-	-	-
रोहट	42	विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन/बिना संपरिवर्तन कराये/अब्दुल रहमान प्रकरण	2007 से आज तक
सोजत	10	न्यायालय में वाद विचाराधीन/स्थगन से	1 वर्ष
रायपुर	-	-	-
जैतारण	33	कोर्ट से स्थगन, भूमि रहन से, विधि विरुद्ध हस्तान्तरण	1 वर्ष
सुमेरपुर	-	-	-
बाली	140	कृषि भूमि के भूखण्ड बिना संपरिवर्तन कराने से	2012 से
मारवाड़ जंक्शन	47	कृषि भूमि के भूखण्ड बिना संपरिवर्तन कराने से	2012 से
देसूरी	4	कोर्ट से स्थगन	24.12.13 से
रानी	5	न्यायालय स्थगन एवं विवादित होने से	6 माह से

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) खरीददार द्वारा पंजीयन के दस्तावेज पेश करने के बाद 7 दिवस में नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है।

(3) जी हां। नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु पटवारी स्तर पर 7 दिन, भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच 10 दिन एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णित करने की अवधि 30 दिन व कुल 47 दिन की अवधि निर्धारित है। ग्राम पंचातय कोरम द्वारा निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण 30 दिवस में निर्णित किया जाता है।

(4) शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि बेचान के प्रकरण में पंजीयन दस्तावेज पेश करने पर पटवारी द्वारा दर्ज नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा निर्णित किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेचान के दस्तावेज पेश होने पर पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा निर्णित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत न होने के कारण नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को अधिकारी होने से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया जाता है।

(5) नामान्तरकरण निर्धारित अवधि में दर्ज किया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया की पालना को छोड़कर शेष नामान्तरकरण निर्धारित अवधि में ही दर्ज किये जाते हैं।

नामान्तरकरण दर्ज करने की वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु छूट का प्रावधान

203. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला भौगौलिक दृष्टि से दूर-दूर ढाणियों में बसा हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के अन्य जिलों को मध्यनजर रखते हुए बनाई जाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन बाड़मेर जिले में करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

(श्री कैलाश चौधरी)

(3) क्या सरकार बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए विशेष छूट प्रदान का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिला कस्बों एवं गांवों के साथ-साथ भौगोलिक दृष्टि से दूर-दूर ढाणियों में बसा हुआ है।

(2) जी नहीं। इस प्रकार के दूरस्थ एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं उनके संचालन हेतु जनसंख्या और शैक्षणिक योग्यता में शिथिलन दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभागीय योजना एवं कार्यक्रमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने में किसी भी कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता है।

(3) भारत सरकार द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर जिलों सहित सभी रेगिस्तानी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए विशेष प्रावधान है। सामान्यत: ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में 150-400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 400-800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र में 150-300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 300-800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान है।

खराब ट्रांसफार्मर बदलने के मानदण्ड

204. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत ट्रासंफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर उनको ठीक कराने के लिए सम्बन्धित कार्यालय ले जाने, लादने, उतारने का समस्त कार्य किसान को ही करना पड़ता हैं? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा क्या नियम बनाए हुए हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कुल कितने ट्रांसफार्मर जले अथवा खराब हुए? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्युत ट्रासंफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर उनको ठीक कराने व बदलने का कार्य सामान्यतया विद्युत निगमों द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि, अगर कृषि उपभोक्ता विद्युत ट्रासंफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर उपभोक्ता अपनी परिसर से विद्युत कार्यालय में लाने व ले जाने में सहयोग करता है तो, नियमानुसार प्रति ट्रासंफार्मर 300 रुपये विद्युत उपभोक्ता के आगामी बिलों में समायोजित कर दिये जाते हैं। सम्बन्धित आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) के विगत वर्षों 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में कुल 1780 थ्री फेस व 690 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जले व खराब हुये हैं। जिनका ग्रामवार व वर्षवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के मानदण्ड

205. **श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में वर्ष 2009 से 2014 तक संचालित कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अराई (अजमेर) में वर्ष 2009 से 2014 तक कितने-कितने मरीज किस-किस रोग के उपचार हेतु आये? वर्षवार संख्या विवरण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में चिकित्सा विभाग द्वारा सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने एवं क्रमोन्नत किये जाने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। परन्तु 50 शैयाओंयुक्त चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैटेलाइट चिकित्सालय के समान हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत शैयाओं की उपयोगिता (बैड आक्यूपेन्सी रेट) के अनुसार एवं वितीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर शैयाओं में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है।

(2) अजमेर जिले में वर्ष 2009 से 2014 तक 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 से 50 शैयाओं में क्रमोन्नत किया गया है। जिनका विवरण निम्नप्रकार है :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विधान सभा क्षेत्र
पीसांगन	नसीराबाद
पुष्कर	पुष्कर

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अराई में वर्ष 2009 से 2014 तक आउटडोर में आये मरीजों का वर्षवार एवं रोगवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अराई के आउटडोर में आने वाले मरीजों की संख्या में वर्ष 2012 से वृद्धि हो रही है।

जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अराई में वर्तमान में 30 शैयाएं स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2014 में 35.95 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अराई को 30 से 50 शैयाओं में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले में तीरंदाजी की अन्तरराष्ट्रीय अकादमी की स्थापना

206. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी अथवा डूंगरपुर जिले के किसी अन्य स्थान पर तीरंदाजी एवं हाकी के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर की अकादमी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुशील कटारा)

(2) जिला डूंगरपुर में तीरंदाजी, फुटबाल, हाकी के प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु जिला स्तर पर प्रति वर्ष कितने उपकरण एवं बजट का आबंटन किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौरासी एवं जिला डूंगरपुर में तीरंदाजी व हाकी खेल की अन्तरराष्ट्रीय खेल-सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में तीरंदाजी व हाकी अकादमी स्थापित करने का विचार नहीं है।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जिलों में सम्बन्धित खेल के प्रशिक्षक की मांग एवं जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकतानुसार खेल उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस हेतु खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों को पृथक से बजट उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान

207. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के अन्तर्गत डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान राशि देने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो वर्तमान में कौन-कौन से जिलों हेतु और अधिकतम कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम राशि की सीमा पहले की तुलना में कम कर दी गई है? यदि हां, तो कितनी राशि कम की गई है व क्यों?

(3) क्या सरकार डिग्गी निर्माण हेतु वर्तमान में किसानों की लागत को देखते हुये अनुदान राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न क्षमताओं की डिग्गियों पर देय अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सभी जिलों में समान क्षमता की डिग्गियों पर समान अनुदान राशि देय है। वर्तमान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बून्दी एवं कोटा जिलों में डिग्गियों का निर्माण करवाया जा रहा है।

(कृषि मंत्री)

(2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2013-14 तक डिग्गियों की निर्माण लागत का 50 प्रतिशत या रुपये 3.00 लाख जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय था। वर्ष 2014-15 में इस योजना के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा संशोधन करते हुये यह प्रावधान किया है कि डिग्गी निर्माण की कुल लागत का 25 प्रतिशत राशि ही अनुदान के रूप में देय होगी। अत: वर्ष 2014-15 से डिग्गी निर्माण लागत का 25 प्रतिशत राशि या रुपये 3.00 लाख जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय है।

(3) जी नहीं। डिग्गियों का निर्माण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत करवाया जा रहा है जो कि भारत सरकार की योजना है एवं इस योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

परिशिष्ट-1

विभिन्न क्षमताओं की डिग्गियों पर देय अनुदान राशि का विवरण

क्र. सं.	डिग्गी का प्रकार	डिग्गी की क्षमता (लाख ली. में)	इकाई लागत (लाख रुपये)	देय अनुदान (लाख रुपये)
1	पक्की डिग्गी	4	3.50	0.88
		8	4.7	1.19
		12	6.03	1.51
		16	7.45	1.86
		20	8.36	2.09
		25	9.78	2.45
		35	12.36	3.00
2	प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी	4	1.72	0.43
		8	2.28	0.57
		12	3.86	0.97
		16	3.50	0.88
		20	3.88	0.97
		25	4.52	1.13
		35	5.59	1.40

जैसलमेर जिले में संचालित पशु शिविरों की अवधि बढ़ाने की योजना

208. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में सरकार द्वारा निश्चित कार्यावधि के लिए पशु शिविर स्वीकृत किये गये हैं?

(2) क्या सरकार पूर्व में स्वीकृत पशु शिविरों की कार्यावधि बढ़ाकर 15 जुलाई, 2015 तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा जिले में अब तक संचालित पशु शिविरों पर व्यय की तुलना में कितना प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है? जिले में स्वीकृत पशु शिविरों के लिए सरकार कब तक पूर्ण बजट उपलब्ध करवाकर भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ मानदण्डों में स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस या 31 जुलाई, 2015 तक जो भी पहले हो तक ही पशु शिविर संचालित किया जाना अनुमत है।

(3) जिला जैसलमेर में सम्वत 2071 में संचालित पशु शिविरों के भुगतान हेतु राशि रुपये 2247.28 लाख का बजट आबंटन हुआ है, जिसमें से राशि रुपये 966.10 लाख का भुगतान गया है। जिला स्तर पर 329 बिलों की राशि 1176.81 लाख रुपये का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान प्रक्रियाधीन है। जैसे-जैसे संचालक संस्थाओं से बिल प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार निरन्तर भुगतान किया जा रहा है। संचालित पशु शिविरों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।

भीम को टी.एस.पी. की परिधि में सम्मिलित करने की योजना

209. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम को मगरा एवं बिखरी आबादी में बसे होने के कारण टीएसपी की परिधि में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं उक्त विधान सभा क्षेत्र में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम जनजाति उपयोजना प्रवाह में आता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण विधान सभा क्षेत्र भीम को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र भीम में बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत सुविधाएं दी जाती हैं।

परिशिष्ट-अ

अनुसूचित क्षेत्र के गठन सम्बन्धी मानदण्ड

संविधान की 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को ''अनुसूचित क्षेत्र'' के रूप में घोषित करने के लिये मानदण्ड निम्नलिखित है-

1. जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य
2. Compactness तथा क्षेत्र का उचित आकार
3. व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे जिला, ब्लाक या तालुक
4. निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन

उक्त मानदण्डों के अनुसार किसी क्षेत्र को निम्नानुसार ''अनुसूचित क्षेत्र'' घोषित किया जाता है-

सर्वप्रथम वे सम्पूर्ण जिले जिनकी जनजाति जनंसख्या 50 प्रतिशत या अधिक हो।

तत्पश्चात

ऐसी तहसीलें जिनकी जनजाति जनसंख्या 50 प्रतिशत या अधिक हो।

तत्पश्चात

ऐसी पंचायत समितियां जिनकी जनजाति जनंसख्या 50 प्रतिशत या अधिक हो।

तत्पश्चात

उपरोक्त क्षेत्रों से जुडी ऐसी पंचायतें जिनकी जनजाति जनंसख्या 50 प्रतिशत या अधिक हो। (जैसे वर्ष 1981 में जारी वर्तमान अधिसूचना के अन्तर्गत गिर्वा तहसील के केवल 21 पंचायतें ही अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हैं)।

तत्पश्चात

उपरोक्त क्षेत्रों की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए बीच के गांव

उपरोक्त समस्त क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में से जनजाति जनंसख्या का प्रतिशत 50 अथवा इसके अधिक होना आवश्यक है।

प्रदेश की विभिन्न राजस्व अदालतों में विचाराधीन प्रकरण

210. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ऐसे किसानों को अपने खेतों तक जाने के लिए रास्ते उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, जिनके खेतों में जाने का अभी तक कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो किस योजना या नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की सभी तहसीलें व सब रजिस्ट्रार आनलाइन सेवा से जुड़ गये हैं? यदि नहीं, तो सरकार इन्हें कब तक आनलाइन से जोड़ने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी भी तरह से कृषि भूमि का हस्तान्तरण होने पर या उत्तराधिकार में प्राप्त होने पर म्यूटेशन प्रणाली को खतम कर, हस्तान्तरण या उत्तराधिकार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) प्रदेश की विभिन्न राजस्व अदालतों में विभिन्न प्रकार के कुल कितने प्रकरण कब से विचाराधीन हैं? क्या सरकार इन विचाराधीन प्रकरणों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ऐसे किसान, जिनके खेतों में जाने का अभी तक कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है, को अपने खेतों तक जाने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

(राजस्व राज्य मंत्री)

इसके लिये विधि (विधायी प्रारूपण) (ग्रुप-2) विभाग द्वारा 18 जनवरी, 2012 को अधिसूचना जारी की गई है। जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में 11 पूर्णकालिक व 29 पदेन उप पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 80 अन्य उप पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। इसी प्रकार शेष सभी तहसीलों व सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से आनलाइन किया जायेगा।

(3) किसी भी तरह से कृषि भूमि का हस्तान्तरण होने पर या उत्तराधिकार में प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की वर्तमान म्यूटेशन प्रणाली को परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन नही है।

(4) प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दिनांक 31.12.2014 को लम्बित प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम कार्यालय	कुल विचाराधीन प्रकरण
1	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	61431
2	सम्भागीय आयुक्त	3761
3	अति. सम्भागीय आयुक्त	1467
4	जिला कलक्टर	12474
5	अति. जिला कलक्टर	13901
6	राजस्व अपील प्राधिकारी	17953
7	भू-प्रबन्ध अधिकारी	12694
8	उपखण्ड अधिकारी	244315
9	सहायक कलक्टर	35060
	योग	403056

सरकार द्वारा लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :-

1. राज्य में 50 नये सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खोले गये हैं।

(राजस्व राज्य मंत्री)

2. पीठासीन अधिकारी को सप्ताह में न्यूनतम 3 दिवस न्यायिक कार्य के लिये पाबन्द किया गया है।

3. पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को नियमित भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

4. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पीठासीन अधिकारियों के किये गये राजस्व प्रकरणों के निस्तारण पर त्रैमासिक/वार्षिक समीक्षा की जाकर ग्रेडिंग की जा रही है।

5. पीठासीन अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी राजस्व प्रकरणों के निस्तारण का कालम जोड़ा गया है।

6. राज्य में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाकर लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती हेतु मानदण्ड

211. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती हेतु क्या नियम प्रक्रिया तथा मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम प्रक्रिया तथा मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु भी पद आरक्षित रखे जाते हैं? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 एवं 2007 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से महिला पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति निकाली गई थी? यदि हां, तो उस समय कुल कितने पद रिक्त थे और उनमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु कितने पद आरक्षित थे? विज्ञप्ति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2006-07 की भर्ती में उक्त वर्ष तक के रिक्त पदों की तुलना में काफी अधिक और आगामी कई वर्षों तक की भर्ती कर ली गई, जिससे आगामी वर्षों में योग्यता हासिल करने वाली कार्यकर्ता

(श्री निर्मल कुमावत)

भर्ती से वंचित रह गई? यदि हां, तो क्यों और कितने पदों पर भर्ती की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती में सामान्य वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रखा गया था? यदि हां, तो सामान्य वर्ग की 40 वर्ष से अधिक उम्र की तथा 10 वर्ष से कम अनुभवी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति किस कारण से दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापन स्थान से हटाकर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 बने हुए हैं। जिसके अनुसार पर्यवेक्षकों के 75 प्रतिशत पद खुला बाजार अभ्यार्थियों से तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से, जो दसवीं पास एवं जिन्हें 10 वर्ष का निरन्तर कार्यानुभव हो, से भरे जाने का प्रावधान है। विभागीय सेवा नियम की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभागीय सेवा नियम, 1998 में पर्यवेक्षकों के 25 प्रतिशत पद पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरे जाने का प्रावधान है। विभागीय सेवा नियम की प्रति परिशिष्ट 'अ' में ही समाहित है।

(3) जी हां। वर्ष 2006 में महिला पर्यवेक्षक के कुल 502 पद रिक्त थे, उनमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु 135 पद आरक्षित थे, जिनके लिए निदेशालय द्वारा दिनांक 06-05-2006 को उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को विज्ञप्ति भिजवाते हुए दिनांक 01.04.2006 को कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आवेदन पत्र प्राप्त कर विभाग में प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करने हेतु लिखा गया था। विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त विज्ञप्ति के क्रम में विभाग के आदेश दिनांक 12.07.2007 के द्वारा 130 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-स संलग्न है। वर्ष 2007

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

में महिला पर्यवेक्षकों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई।

(4) जी नहीं। वर्ष 2006-07 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु आरक्षित 135 रिक्त पदों के विरुद्ध 130 पदों पर ही भर्ती की गई थी।

इसके अतिरिक्त विभागीय पत्र दिनांक 02-09-2004 द्वारा उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पर्यवेक्षकों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे के 25 प्रतिशत पदों को भरने के लिए विभाग में दिनांक 01.04.2004 को कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया था। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। उक्त पत्र के क्रम में आदेश दिनांक 07-09-2006 के द्वारा 262 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु आरक्षित रिक्त पदों के विरुद्ध 234 महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती की गई। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(5) जी हां। विभागीय पत्र दिनांक 02-09-2004 अनुसार सामान्य वर्ग की ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी, 2005 को 44 वर्ष से अधिक नहीं हो, को आवेदन के लिए पात्र माना गया था।

विभागीय पत्र दिनांक 06-05-2006 अनुसार सामान्य वर्ग की ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी, 2007 को 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, को आवेदन के लिए पात्र माना गया था। विधवा/परित्यक्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई।

निर्धारित 10 वर्ष के कार्यानुभव से कम अनुभवी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

(6) जी नहीं। जांच का कोई बिन्दु अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-265

(स्थगित)

टोडारायसिंह (टोंक) में नवीन फीडर की स्थापना

266. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह की धाकड कालोनी को राजीव गांधी फीडर से अलग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार टोडारायसिंह कस्बे में एक अतिरिक्त फीडर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मालपुरा व टोडारायसिंह के जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. में अधिकारियों व कार्मिक के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह की धाकड कालोनी को 11 केवी राजीव गांधी फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिस पर वर्तमान में 40-50 एम्पीयर लोड चलता है व यह फीडर ओवर लोड नहीं है, ना ही इस फीडर पर वोल्टेज की कोई समस्या है। वर्तमान में घाकड कालोनी में दो 100 केवीए के तथा एक 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अतः उक्त कालोनी के लिए अलग से फीडर खींचने की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में टोडारायसिंह कस्बे में तीन 11 केवी फीडरों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, इन फीडरों पर ना तो ओवरलोड की कोई समस्या है, ना ही वोल्टेज की कोई समस्या है। इसलिए अलग फीडर खींचने की आवश्यकता नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जयपुर विद्युत वितरण निगम के मालपुरा व टोडारायसिंह उपखण्ड कार्यालयों में अधिकारी वर्ग में कोई पद रिक्त नहीं है। मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी तथा अधीनस्थ तकनीकी श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। अधीनस्थ तकनीकी श्रेणी के अन्तर्गत तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रक्रिया जारी है।

प्रपत्र-अ

टोडारायसिंह एवं मालपुरा उपखण्डों में स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद	स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त	
		टोडाराय सिंह	मालपुरा	टोडाराय सिंह	मालपुरा	टोडाराय सिंह	मालपुरा
1.	मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी	12	12	6	10	6	2
2.	अधीनस्थ तकनीकी श्रेणी	54	66	41	57	13	9

जमवारामगढ़ में कृषि व घरेलू विद्युत कनेक्शन के लम्बित आवेदन

267. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2009 से 1 जनवरी, 2015 तक कृषि विद्युत कनेक्शन एवं घरेलू कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिये गये? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में प्राप्त कृषि कनेक्शन एवं घरेलू कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों के कनेक्शन जारी नहीं करने के क्या कारण रहे तथा लम्बित आवेदनों को कनेक्शन कब तक जारी कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(3) क्या यह भी सही है कि घरेलू कनेक्शन हेतु आबादी भूमि का होना जरूरी है? यदि हां, तो जो किसान कुएं पर मकान बनाकर रहते हैं, उन्हें घरेलू कनेक्शन किस प्रकार जारी किया जावेगा? क्या यह भी सही है कि आबादी भूमि होने के उपरान्त भी जिनके पास मकान का पट्टा नहीं होने पर घरेलू कनेक्शन जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आबादी भूमि होने पर आवेदक को घरेलू कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) विद्युत कृषि कनेक्शन उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसके पुत्रों के नाम उक्त कनेक्शन को ट्रांसफर करने के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) कृषि विद्युत उपभोक्ता की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र द्वारा नये कनेक्शन जारी करवाने का आवेदन प्रस्तुत करने पर क्या उसे भी वरीयता सूची अनुसार ही कनेक्शन जारी किया जाता है, जबकि उसके स्व. पिताजी द्वारा लिये गये कृषि कनेक्शन (पूर्ण स्वामित्व) ट्रांसफार्मर (विद्युत लाइन) कुएं पर होते हुए तथा उस ट्रांसफार्मर में 7.5 एच.पी. का कनेक्शन जारी किये जाने की केपेसिटी (गुंजाइस) होने पर भी उसके पुत्र को नया कनेक्शन वरीयता क्रम अनुसार ही जारी किया जावेगा? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में विशेष छूट प्रदान करते हुए उसके वारिशों को कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2009 से दिनांक 1 जनवरी, 2015 तक 2788 कृषि कनेक्शन एवं 17694 घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनके सापेक्ष 645 कृषि कनेक्शन एवं 7738 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2009 से दिनांक 1 जनवरी, 2015 तक प्राप्त आवेदन एवं जारी कृषि विद्युत कनेक्शन एवं घरेलू विद्युत कनेक्शनों की ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) वर्तमान में मार्च-2009 तक प्राप्त सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों के मांगपत्र जारी किये जा चुके हैं। मांगपत्र जमा होने एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। इसके बाद सामान्य श्रेणी के प्राप्त आवेदनों को तकनीकि साध्यता व संसाधनों की उपलब्धतानुसार कनेक्शन दिये जावेंगे। घरेलू विद्युत कनेक्शन नियमानुसार एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी किये जा रहे है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(3) जी नहीं। आबादी भूमि में घरेलू विद्युत कनेक्शन विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन-2004 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित राशि जमा कराने पर जारी किये जाते हैं। जो किसान कुएं पर मकान बनाकर रहते हैं, उन्हें जेपीआर 5-545 के प्रावधानों के अनुसार स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 11 के.वी. लाइन व ट्रांसफार्मर का सम्पूर्ण खर्चा वहन करना होता है। जेपीआर 5-695 के प्रावधानों के अनुसार आबादी भूमि में आवेदक के पास मकान का पट्‌टा नहीं होने की स्थिति में परिसर के स्वामित्व के समर्थन के रूप में एक हल्फनामा विधिवत नोटेरी द्वारा प्रमाणित और राजस्व प्राधिकारी/ ग्रामसेवक से आवेदक द्वारा सत्यापित कराने पर घरेलू कनेक्शन जारी किये जाते हैं। आदेशों की प्रति प्रपत्र 'ब 1 से ब 3' पर उपलब्ध है। पट्‌टे के अभाव में कोई भी घरेलू कनेक्शन देने की पत्रावली लम्बित नहीं है।

(4) जी हां। आबादी भूमि पर नियमानुसार घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(5) नियमानुसार कृषि विद्युत कनेक्शन उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात उपभोक्ता के वारिसान के नाम राजस्व विभाग द्वारा जारी वैधानिक प्रमाण-पत्र के आधार पर कृषि विद्युत कनेक्शन का नाम परिवर्तन करने का प्रावधान है। आदेश की प्रति प्रपत्र 'स 1 से स 2' पर उपलब्ध है।

(6) जी हां। उपभोक्ता की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र द्वारा नये कनेक्शन जारी करने का आवेदन करने पर उसे अलग से वरियता बनाकर कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने का प्रावधान नहीं है।

ट्रांसफार्मर की क्षमता में गुंजाइश होने पर भी नया कनेक्शन अलग से वरीयता बनाकर जारी करने का प्रावधान नहीं है। इस तरह के मामलों में अलग से वरीयता बनाकर कृषि कनेक्शन देने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पश्चिमी राजस्थान को सोलर बिजली उत्पादन का हब बनाने की योजना

268. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान सौलर बिजली के उत्पादन का सबसे उपयुक्त स्थान है? यदि हां, तो सरकार ने इसे सौलर बिजली के उत्पादन का हब बनाने हेतु कब-कब व क्या-क्या कार्यवाही की है तथा वर्तमान में सोलर बिजली का हब बनाने हेतु क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में सोलर बिजली के उत्पादन हेतु कम्पनियों से सौलर बिजली उत्पादन हेतु इकरार किया है? यदि हां, तो कब व इस हेतु किन-किन कम्पनियों से, किन-किन शर्तों पर कितनी अवधि के लिए, कितने मेगावाट बिजली के उत्पादन हेतु कितनी राशि के?

उत्तर

(1) जी हां। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की राजस्थान में अपार सम्भावनाएं है। पश्चिमी राजस्थान में औसत वर्षा कम होने के साथ सौर किरणों की तीव्रता भी अधिकतम है एवं रेगिस्तानी भूमि भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अत: पश्चिमी राजस्थान की राज्य में सोलर हब के रूप में उभरने की पूरी सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी सौर ऊर्जा नीति 2011 का पुनरावलोकन करते हुये नवीन राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2014 जारी की जा चुकी है। इस नई सौर ऊर्जा नीति में सरकार द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा से 25000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा 26000 मेगावाट क्षमता के सौलर पार्कों को जोइंट वेन्चर कम्पनियों के माध्यम से विकसित करने एवं 14000 मेगावाट क्षमता के सौलर पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु करार/समझौता पत्र (एमओयू) किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

यह उल्लेखनीय है कि इन करारों के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली के बेचान की पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनियों की होगी।

इन करारों के तहत कम्पनियों को भूमि आबंटन, राजस्थान भू-राजस्व (गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन संयत्रों की स्थापना) नियम

(ऊर्जा मंत्री)

2007 तथा उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के तहत ही किया जायेगा। सोलर पार्कों को विकसित करने हेतु किये गये जोइंट वेंचर एग्रीमेन्ट/एमओयू के तहत राज्य सरकार तथा उक्त कम्पनियों द्वारा ज्वाइन्ट वेंचर कम्पनियों का गठन किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की अंशपूंजी भूमि की कीमत को शामिल करते हुए 50 प्रतिशत तक होगी। राज्य सरकार इन पार्कों/सोलर पावर प्लांटों से उत्पादित बिजली की निकासी का तंत्र विकसित करने में फेसिलिटेशन का कार्य करेगी। मै. अडानी एन्टरप्राईजेज लिमिटेड तथा मै. रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा लाइसेंसधारक के रूप में विद्युत निकासी तंत्र विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल में विद्युत कनेक्शन देने की योजना

269. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार वर्तमान में प्रदेश के गांवों में बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे रही है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम पंचायत चिरावाला गढा में विद्युत लाइन हेतु खम्भे लगाये गये हैं? यदि हां, तो विद्युत खम्भों की संख्या कितनी है व कौन-कौन से पाडे व मोहल्ले में खम्भे लगाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत चिरावाला गढ़ा में गांव सवा का पाडला को विद्युत लाइन लगाने से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा गांवों में साध्य पाये जाने पर वर्ष 1988-89 से वर्ष 2004 तक बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन 'कुटीर ज्योति प्रोग्राम' के तहत उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2005 से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (वर्तमान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) के तहत बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(2) जी हां। जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम पंचायत चिरावाला गढ में विद्युत लाइन हेतु कुल 462 खम्भे लगाये गये हैं,

(ऊर्जा मंत्री)

जिन पर तार खींच कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लगाये गये खम्भों का पाडे व मोहल्लेवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. चिरावाला गढा - 62 (बुनकर एवं राजपूत मोहल्ला)
2. नागनसेल - 59 (पाटीदार मोहल्ला एवं आदिवासी बस्ती)
3. सिंगपुरा - 66 (पाटीदार मोहल्ला, बुनकर मोहल्ला एवं आदिवासी बस्ती)
4. बुडा -132 (बुनकर बस्ती, स्कूल पाडा और डूंगरी पाडा)
5. सवा का पाडला - 111 (बुझपाडा, यादव मोहल्ला एवं डामोर पाडा)
6. खडनकोड - 32

(3) जी नहीं।

सरदारशहर में 132 के.वी. के जी.एस.एस. का निर्माण

270. **श्री भंवरलाल** (सरदारशहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार आपके द्वार अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भानीपुरा एवं मीतासर में 132 के.वी. के जी.एस.एस. बनाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों ग्रामों के जी.एस.एस. के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ग्रामों के जी.एस.एस. के निर्माण में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त दोनों ग्रामों के जी.एस.एस. का कब तक निर्माण कर चालू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त दोनों ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की योजनाएं अभी तक स्वीकृत नहीं हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम से प्रसारण निगम को कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें भानीपुरा एवं मीतासर में 132 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इन प्रस्तावों का राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के मापदण्डों के अनुरूप तकनीकी एवं आर्थिक परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी एवं आर्थिक परीक्षण में साध्य पाये जाने पर तथा विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

किशनगढ़ में कुटीर ज्योति एवं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत कनेक्शन

271. **श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में कुटीर ज्योति/राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कहां-कहां, कितने-कितने विद्युत कनेक्शन कब-कब दिये गये? वर्षवार, ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को, कब-कब एवं कहां-कहां पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वंचित बी.पी.एल. परिवारों एवं अल्प आय के ग्रामीण जनों के घरों के मध्य एक से अधिक विद्युत पोल लगने के कारण विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसे वंचित परिवारों को कब तक विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे व नहीं, तो क्यों? वंचित परिवारों की ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 333 घरेलू बी.पी.एल.

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन जारी किये गये जिनका वर्षवार ग्रामवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त योजना के अन्तर्गत जारी विद्युत कनेक्शनों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। योजना के मानदण्डों के अनुरूप योजना में सम्मिलित बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये।

(3) जी नही। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 10वीं प्लान में अजमेर जिले के ग्रामवार 11 केवी, एलटी लाइन एवं 16 केवी के सब-स्टेशनों का स्कीम में प्रावधानानुसार कार्य कर बी.पी.एल. कनेक्शन जारी किये गये। इस योजना के प्रावधानानुसार एक से अधिक विद्युत पोल होने पर भी कनेक्शन जारी किये गये हैं। शेष लम्बित बी.पी.एल. परिवारों को 12वें प्लान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रावधानानुसार जारी किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली में आबकारी थाने की स्थापना

272. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा निर्मित अवैध शराब बिक्री को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी निरीक्षक थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में कोटपूतली आबकारी थाना दिनांक 28.10.2005 से गठित किया हुआ है जिसका कार्य क्षेत्र कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र है।

छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाईएश का आबंटन

273. **श्री रामपाल** (बारां-अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट द्वारा फ्लाईएश के निस्तारण हेतु टेण्डर जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो मार्च, 2013 से फरवरी, 2015 तक किस-किस ब्रिक, टाइल, ब्लाक, सीमेंट केन्द्रों, पाइप सीट रेडिमिक्स

(श्री रामपाल)

प्लांट आदि में कितनी-कितनी मात्रा में, कम्पनीवार फ्लाईएश का आबंटन एवं आपूर्ति की गई? प्रत्येक आवेदक कम्पनी एवं फर्म के आवेदन एवं आबंटन पत्र की प्रति मय तुलनात्मक विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन के फ्लाईएश आबंटन करने के क्या प्रावधान हैं? इस सम्बन्ध में अब तक जारी आदेश, नियम परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के 3 नवम्बर, 2009 के फाइन ड्राफ्ट नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) छबड़ा थर्मल पावर प्लांट से फ्लाईएश के आबंटन के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट से फ्लाईएश के निस्तारण के लिए सीमेन्ट कम्पनियों से 5 साल के लिए निःशुल्क फ्लाईएश देने का एग्रीमेन्ट किया गया था। जिसके तहत मै. अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड तथा मै. श्री सीमेन्ट लिमिटेड को 90 प्रतिशत फ्लाईएश छबडा थर्मल पावर प्लांट द्वारा दी जा रही है। शेष 10 प्रतिशत राख ब्रिक्स, टाइल, ब्लाक, फर्मों को आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार दी जा रही है।

(3) भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 3 नवम्बर, 2009 के फाइन ड्राफ्ट नोटिस की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा सम्भाग के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरण

274. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग के कई अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो गत 10 वर्षों से किस-किस अधिकारी के विरुद्ध किस-किस आरोप में?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जांच कर कई प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो जांच के उपरांत किस-किस प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की गयी और किस-किस प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही नहीं की गयी? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान नियमों के तहत अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की स्थिति में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का प्रावधान है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार नियमों में संशोधन कर ऐसे अधिकारियों की सम्पत्तियों से राजकोष में हुयी हानि की भरपाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग के अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 102 प्रकरण गत 10 वर्षों में दर्ज किये गये हैं जिनमें से 36 प्रकरण अनुसंधान की विभिन्न प्रक्रियाओं में लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज सभी प्रकरणों का अनुसंधान किया गया है अथवा किया जा रहा है। अनुसंधान के उपरांत की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के अंतिम कालम में दर्ज है।

(3) भ्रष्टाचार के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी के विरुद्ध अनुसंधान से अपराध प्रमाणित पाये जाने पर ब्यूरो द्वारा सम्बन्धित अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति सक्षम अधिकारी से धारा 19 पीसी एक्ट, 1988 के तहत प्राप्त की जाती है। अधिकारी के सेवानिवृत होने की स्थिति में धारा 19 पीसी एक्ट 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। अत: ऐसे अधिकारी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायालय में ब्यूरो द्वारा चालान प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान के दौरान आरोपी अधिकारी की मृत्यु होने की स्थिति में ब्यूरो द्वारा अंतिम प्रतिवेदन फोती मुलजिम में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

(4) राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को प्रदेश में राजस्थान राजपत्र में दिनांक 11-12-2012 को प्रकाशित किया जा चुका है जिसमें भ्रष्ट आचरण से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद की विद्युत कनेक्शन से वंचित ढाणियां

275. **श्री रामनारायण** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण)

(1) क्या सरकार 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों को विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में उक्त योजना में कितनी ढाणियां सम्मिलित हैं तथा कितनी वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतिकृत ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 27 जिलों की 28 योजनायें स्वीकृत कराई गई हैं। शेष 5 जिलों की योजनायें भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। बाड़मेर जिले की योजना राज्य स्तरीय स्टेरिंग समिति की अभिशंसा उपरांत भारत सरकार को भिजवायी जा रही है। स्वीकृत योजनाओं का कार्य टर्नकी आधार पर होना है। इन स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वन हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं/दिए जा रहे हैं। उक्त ढाणियों का विद्युतीकरण कर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में उक्त योजना में 100 से अधिक आबादी वाले 241 आंशिक विद्युतिकृत गांव/ढाणियां तथा दो अविद्युतिकृत ढाणियां सम्मिलित हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस विधान सभा क्षेत्र की 100 से अधिक आबादी वाली कोई भी ढाणी उक्त डीपीआर में स्वीकृति से वंचित नहीं है।

प्रदेश के कारागृहों में कैदियों के रखने के मानदण्ड

276. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय कारागार अलवर में कितने कैदी रखने की क्षमता है और वर्तमान में कितने कैदी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिले में कुल कितने उप कारागृह हैं एवं उनमें कितने कैदी रखने की क्षमता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बहरोड़ उप कारागृह में कितने कैदी रखने की क्षमता है और वर्तमान में कितने कैदी हैं? क्या उप कारागृह बहरोड़ मानवाधिकार आयोग

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

द्वारा निर्धारित सभी मानदण्डों के अनुरूप है? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कारागृह, अलवर ''ए'' श्रेणी की बंदी क्षमता 524 बंदियों की है जिसके विरुद्ध वर्तमान में (दिनांक 14.02.2015 की स्थिति) 693 बंदी निरुद्ध हैं।

(2) जिला अलवर में दो उप कारागृह किशनगढ़बास एवं बहरोड़ हैं जिनकी बंदी क्षमता क्रमशः 77 एवं 25 बंदियों की है।

(3) उप कारागृह, बहरोड़ में वर्तमान में 25 बंदियों को रखे जाने की क्षमता है जिसके विरुद्ध (दिनांक 14.02.2015 की स्थिति) 59 बंदी निरुद्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जेल भवनों के लिये किसी प्रकार के मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

प्रदेश में सरकारी सेवा के लिए अधिकतम दो सन्तान के नियमों में संशोधन की योजना

277. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्याओं का एक कारण यह भी है कि सरकार द्वारा अधिकतम दो संतान होने पर ही सरकारी सेवा प्रदान करने का नियम है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सरकारी सेवा में अधिकतम दो संतान होने के नियम में संशोधन कर एक से अधिक लड़कियां हैं, तो उन्हें एक इकाई मानने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसी धारणा के समर्थन में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 एवं 24.02.2011 जारी करने का मूलतः उद्देश्य राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण एवं परिवार

(कार्मिक मंत्री)

कल्याण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करना है, जो कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। इस नियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध कार्यवाही

278. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत चार वर्षों में कितने पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से निवास करते हुए पाये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवैध रूप से निवास कर रहे नागरिकों में से कितनों को अब तक निर्वासित किया गया व कितने शेष हैं तथा उन्हें कब तक निर्वासित कर दिया जायेगा?

(3) उक्त अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में प्रदेश में कुल 237 पाकिस्तानी अवैध रूप से निवास करते हुये पाये गये हैं, जिनमें 213 जिला जोधपुर शहर में एवं 24 जिला अजमेर में निवासरत रहे।

(2) उक्त अवैध रुप से निवास कर रहे नागरिकों में से 67 पाक नागरिकों को अब तक निर्वासित किया जा चुका है। शेष रहे 170 पाक नागरिकों को निर्वासित करने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के अनुसार उक्त अवैध रूप से निवास कर रहे पाक नागरिकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चूरू जिले में प्राकृतिक आपदा में देय सहायता के लम्बित प्रकरण

279. **श्री जय नारायण पूनिया** (तारानगर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जयनारायण पूनिया)

(1) चूरू जिले में गत पांच वर्षों में आगजनी प्राकृतिक आपदा की घटनाएं कहां-कहां हुईं तथा कितना जान-माल व पशु धन का नुकसान हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आगजनी से पीड़ित व्यक्तियों को किन मानदण्डों के अनुसार कितना-कितना मुआवजा दिया जाता है व चूरू जिले के मुआवजे के कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मानदण्डों के अनुसार दिये जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखैं।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तारानगर में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में गत पांच वर्षों में तहसीलवार आगजनी प्राकृतिक आपदा की घटनाएं व जान-माल एवं पशु क्षति तथा नियमानुसार दी गई आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) आगजनी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाता है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। कार्यालय स्तर पर भुगतान हेतु कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मानदण्डों की समीक्षा कर राशि में वृद्धि की जाती है। राज्य सरकार के स्तर पर वृद्धि नहीं की जा सकती है।

(4) तारानगर में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अग्निशमन यंत्र के संचालन हेतु आवश्यक कार्मिक पदस्थापित करने पर यंत्र उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में चिकित्सकों को डीएसीपी का लाभ देने की योजना

280. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में नियुक्त चिकित्सकों को सरकार द्वारा 10, 20 एवं 30 वर्ष पर एसीपी का लाभ प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चिकित्सकों की सरकार से समय-समय पर हुई वार्ता में हुए समझौते के अनुसार डीएसीपी का लाभ प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चिकित्सकों से कनिष्ठ एवं वरिष्ठ चिकित्सकों को डीएसीपी का लाभ प्रदान कर दिया गया है? यदि हां, तो उन्हें किन नियमों तथा किन समझौतों के तहत उक्त परिलाभ प्रदान किया गया है तथा उपरोक्त वंचित चिकित्सकों को डीएसीपी का लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त चिकित्सकों को लगभग 25 वर्ष की लम्बी सेवा अवधि के उपरांत भी एसीपी का लाभ तथा सरकार एवं चिकित्सकों के बीच हुए समझौते के अनुसार डीएसीपी का लाभ प्रदान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(5) क्या उपरोक्त विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी भी जिम्मेदार है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार अब उपरोक्त चिकित्सकों को 10, 20 व 30 वर्ष पर एसीपी का लाभ तथा सरकार एवं चिकित्सकों के बीच हुए समझौते के अनुसार डीएसीपी का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान), नियम, 2008 के नियम 19 एवं 20 के अर्न्तगत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को 10, 20 एवं 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी का लाभ प्रदान किया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। अखिल राजस्थान राज्य सेवारत चिकित्सक संघ एवं तत्कालीन सरकार की मंत्रीमण्डलीय उपसमिति के बीच वार्ता उपरान्त हुआ समझौता दिनांक 11.07.2011 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2012, द्वारा नियम 24बी एवं 24बीबी जोड़ा जाकर चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अर्न्तगत पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 की छाया प्रति परिशिष्ट-'अ' पर सलंग्न है।

(3) जी नहीं। वरिष्ठ चिकित्सकों से कनिष्ठ चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. की स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है।

विद्यमान नियमों के अन्तर्गत डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति दिये जाने से उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण हेतु तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अभिशंसा पर दन्त चिकित्सा सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समकक्ष पद/कनिष्ठ विशेषज्ञ, जिनकी सन्तोषप्रद सेवा दिनांक 11.07.2011 को 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष एवं 24 वर्ष से अधिक तथा 2 वर्ष की सेवा उक्त पदों पर पूर्ण कर चुके हैं, को दिनांक 11.07.2011 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अर्न्तगत पदोन्नत करने हेतु डी.ए.सी.पी. नियमों में 3 अतिरिक्त अपवाद जोड़े जाने प्रक्रियाधीन है।

(4) अखिल राजस्थान राज्य सेवारत चिकित्सक संघ एव तत्कालीन सरकार की मंत्रीमण्डलीय उपसमिति के बीच वार्ता उपरान्त हुआ समझौता दिनांक 11.07.2011 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2012 द्वारा नियम 24बी एवं 24बीबी जोड़ा जाकर चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान की जा रही है। विद्यमान नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत किये जाने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है।

(5) जी नही।

(6) जी हां। नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार चिकित्सकों को दिनांक 11.07.2011 से पूर्व 10, 20 एवं 30 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय ए.सी.पी. का लाभ दिया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। उक्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा 3103 चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उच्च पदों पर पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा

281. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर स्थित राजकीय चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्धन मरीजों को इलाज के अभाव में जिले के बाहर जाना पड़ रहा है?

(3) क्या यह सही है कि चिकित्सालय में उपलब्ध वेंटीलेटर काफी समय से बंद पड़े हैं तथा चिकित्सालय में वरिष्ठ विशेषज्ञों व अन्य पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व कब से?

(4) क्या सरकार की श्रीगंगानगर मुख्यालय पर स्वाइन फ्लू की जांच एवं निदान हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या?

(5) क्या सरकार श्रीगंगानगर चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय जिला चिकित्सालय गंगानगर में स्वाइन फ्लू रोग की जांच की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। परन्तु उक्त चिकित्सालय में आने वाले सम्भावित स्वाइन फ्लू रोगियों का सैम्पल लेकर नि:शुल्क जांच हेतु राजकीय एस.पी. मेडिकल कालेज बीकानेर में भिजवाये जाकर जांच करवाई जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) स्वाइन फ्लू रोगी एवं सम्भावित रोगियों को जिला चिकित्सालय गंगानगर में निम्न उपचार निःशुल्क उपलब्ध है :-

1. स्वाइन फ्लू रोगियों के लिए चिकित्सालय में अलग से आइसोलेशन वार्ड व आईसीयू उपलब्ध है।

2. स्वाइन फ्लू रोगियों एवं सम्भावित स्वाइन फ्लू रोगियों के सैम्पल लेकर निःशुल्क जांच हेतु राजकीय एस.पी. मेडिकल कालेज बीकानेर को भिजवाये जाते हैं।

3. स्वाइन फ्लू रोगी एवं सम्भावित रोगियों को निःशुल्क औषधियां (टेमीफ्लू) व मास्क उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(3) राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध वेंटिलेटर सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

राजकीय जिला चिकित्सालय गंगानगर में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राजकीय जिला चिकित्सालय गंगानगर हेतु कोई कार्य योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है किन्तु स्वाइन फ्लू रोगियों एवं सम्भावित स्वाइन फ्लू रोगियों के लिए वर्तमान में निम्न उपचार उपलब्ध है -

1. स्वाइन फ्लू रोगियों के लिए चिकित्सालय में अलग से आइसोलेशन वार्ड व आईसीयू उपलब्ध है।

2. स्वाइन फ्लू रोगियों एवं सम्भावित स्वाइन फ्लू रोगियों के सैम्पल लेकर निःशुल्क जांच हेतु राजकीय एस.पी. मेडिकल कालेज बीकानेर को भिजवाये जाते हैं।

3. स्वाइन फ्लू रोगी एवं सम्भावित रोगियों को निःशुल्क औषधियां (टेमीफ्लू) व मास्क उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(5) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी (चिकित्सकों)/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानांतरण से प्रतिबंध हटने पर अथवा प्रतीक्षा सूची के शेष चिकित्सकों में से पीजी चिकित्सक उपलब्ध होने पर नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्तियों के समय अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बगरू के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद

282. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में राजकीय आयुर्वेद औषधालय व 'अ' श्रेणी औषधालय कहां-कहां संचालित हैं? उक्त में कितने-कितने चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर के पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित समस्त औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं और सरकार द्वारा उक्त पदों पर कब तक पदस्थापन किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में संचालित 19 राजकीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची एवं इन औषधालयों में चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू में संचालित औषधालयों एवं चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों का कोई पद रिक्त नहीं है। नर्स/कम्पाउण्डर के 3 पद रिक्त हैं, जिन पर शीघ्र नियमानुसार पदस्थापन किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों की योग्यता

283. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) अलवर जिले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर एवं फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया से मान्यता प्राप्त कौन-कौन से मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज, हास्पिटल संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निजी मेडिकल कालेजों, फार्मेसी कालेजों एवं हास्पिटल में कार्यरत कार्मिकों हेतु क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अलवर जिले के उक्त कालेजों, हास्पिटलों में निर्धारित योग्यताओं से कम योग्यता एवं अनुभवी कार्मिकों को नियुक्त किया हुआ है? यदि हां, तो कार्यरत कार्मिकों की योग्यताओं एवं अनुभवों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से सम्बद्ध कोई मेडिकल कालेज/हास्पिटल संचालित नहीं है। वर्ष 2013 14 के बजट में अलवर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से 4 फार्मेसी महाविद्यालय क्रमश: फार्मेसी कालेज बालाजी, अलवर फार्मेसी कालेज, लार्डस कालेज आफ फार्मेसी एवं सिद्धी विनायक कालेज आफ फार्मेसी संचालित है।

(2) उक्त फार्मेसी कालेजों में कार्यरत कार्मिकों हेतु निर्धारित योग्यताएं परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अलवर जिले के फार्मेसी कालेजों मे कार्यरत कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली पंचायत समिति (उदयपुर) में संचालित आयुर्वेद औषधालय

284. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर में वर्तमान में कितने राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(2) क्या यह सही है कि कई ग्राम पंचायतों में राजकीय आयुर्वेद औषधालय के भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायतों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जर्जर हो चुके भवनों को दुरुस्त या नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत ईन्टाली, तहसील-मावली, जिला उदयुपर के आयुर्वेद भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त औषधालय को अन्यत्र संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर की ग्राम पंचायत ईन्टाली में संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में वर्तमान में कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) पंचायत समिति मावली के सभी ग्राम पंचायतों के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में किस-किस संवर्ग के पद स्वीकृत हैं व उक्त पदों में कितने पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर में वर्तमान में 1 राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं 17 राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति मावली के राजकीय आयुर्वेद औषधालय ईन्टाली की स्थिति जर्जर हो चुकी है।

(3) जी हां। जिला आयुर्वेद अधिकारी से प्रस्ताव/तकमीना प्राप्त कर राज्य सरकार से यथानियम प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही करा नवीन निर्माण करवाया जावेगा।

(4) जी नहीं। ग्राम पंचायत-ईन्टाली, पंचायत समिति-मावली, जिला उदयपुर के आयुर्वेद भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा असुरक्षित

(आयुर्वेद मंत्री)

घोषित नहीं किया गया है। भवन किराये पर लेने हेतु प्रयास किया जा रहा है, किन्तु वर्तमान तक कोई भवन किराये पर प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर की ग्राम पंचायत-ईन्टाली में संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में श्री प्रदीप सोनी, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी दिनांक 28.03.2013 से तथा श्री रमेश चन्द्र वैष्णव, परिचारक दिनांक 07.01.2011 से कार्यरत है।

(6) पंचायत समिति मावली की ग्राम पंचायतों में संचालित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब में संलग्न है। आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के 1945 पदों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों के 980 पदों को भरने की कार्यवाही विश्वविद्यालय जोधपुर एवं राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के पंचायत मुख्यालयों पर स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

285. **श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वास्थ्य केन्द्र विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं, की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रावधान हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में निर्धारित मानदण्ड से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए उक्त विधान सभा क्षेत्र की उप स्वास्थ्य केन्द्र विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

286. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र इत्यादि कितने संख्या में किन-किन गांवों में स्वीकृत तथा वर्तमान में संचालित हैं? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साकर्मी एवं कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के किस-किस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस 104 व 108 कार्यरत हैं? उन पर सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में संविदा पर कितने पुरुष एवं महिला कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में आशा सहयोगिनी के कितने पद सृजित किये गये हैं तथा सरकार द्वारा इनका कितना मानदेय व पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) बाड़मेर जिले में संचालित 104 जननी एक्सप्रेस व 108 एम्बुलेंस की सूची तथा कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(108 एम्बुलेंस पर कार्यरत कर्मचारी सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई द्वारा ही लगाये जाते हैं।)

(3) बाड़मेर जिले में संविदा पर 283 पुरुष व 382 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

जी नहीं। संविदा कार्मिकों को नियमित करने का प्रावधान सेवा नियमों में नहीं है। यदि विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती में उक्त कार्मिकों का वरीयता सूची में स्थान आता है तो इन्हें नियमानुसार नियुक्ति दी जायेगी।

(4) आशा सहयोगिनी का पद चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत न होकर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वीकृत होता है। आशा सहयोगिनियों के पद का सृजन एवं उनको देय मानदेय का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा होता है। आशा सहयोगिनियों को 1600/- रुपये का मानदेय का भुगतान प्रतिमाह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। पारिश्रमिक के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसका विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा में संचालित चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि

287. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा में वर्तमान में कितने आईसीयू वार्ड/बर्न वार्ड/स्टाक यूनिट/पोस्ट आपरेटिव वार्ड संचालित हैं?

(2) क्या उक्त यूनिट चिकित्सीय मानदण्डों के आधार पर उपचार हेतु पूर्ण रूप से वातानुकूलित एवं इंफेक्शन रहित हैं एवं क्या ये तीनों वार्ड एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा जैसे सम्भागीय मुख्यालय पर चिकित्सा हेतु पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनकी संख्या बढ़ाकर इन्हें पूर्ण रूप से वातानुकूलित एवं इंफेक्शन रहित करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोटा से सम्बद्ध एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा में वर्तमान में एक आईसीयू, एक आईसीसीयू, एक सर्जीकल आईसीयू, एक बर्न वार्ड, एक स्ट्राक यूनिट एवं एक पोस्ट आपरेटिव वार्ड संचालित है।

(2) जी हां। एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा में आईसीयू, आईसीसीयू, सर्जीकल आईसीयू, बर्न वार्ड, स्ट्राक यूनिट एवं पोस्ट आपरेटिव वार्ड पूर्ण रूप से वातानुकूलित एवं इन्फेक्शन रहित है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 20 बैड का स्ट्राक यूनिट आईसीयू वार्ड न्यू टीचिंग हास्पिटल में निर्माण होना प्रस्तावित है। जिससे स्ट्राक यूनिट से सम्बन्धित मरीजों की समस्या का समाधान हो सकेगा।

वैर के चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि करने की योजना

288. श्री भजन लाल जाटव (वैर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालय, भुसावर, वैर एवं हलेना में पर्याप्त चिकित्सक/नर्सिंग स्टाफ नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों मरीजों की मृत्यु हो रही है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक/नर्सिंग स्टाफ पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस-किस चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने चिकित्सकों के पद कब-कब से रिक्त चल रहे हैं? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वैर, भुसावर एवं हलेना के चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या को देखते हुए शैयाओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी (चिकित्सकों)/ विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र वैर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र वैर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर एवं भुसावर में वर्तमान 30-30 शैयाएं स्वीकृत हैं, उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत शैयाओं की वर्ष 2014 में क्रमश: 30.93 एवं 42.30 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शैयाओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्राम हलेना पंचायत समिति वैर जिला भरतपुर के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पंचायत समिति वैर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र वैर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित चिकित्सा संस्थावार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की दिनांक
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	06-03-2013
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	01-07-2008
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	01-07-2008

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की दिनांक
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुसावर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	30-09-2014
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	25-05-2011
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	20-12-2009
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	05-06-2012
		चिकित्सा अधिकारी	1	17-07-2013
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलेना	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी	1	01-02-2015
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथैना	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी	1	23-02-2015
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निठार	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी	1	01-07-2013
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलेनपुर कलां	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी	1	01-07-2013
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बल्लबगढ़	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी	1	01-12-2017

अजमेर के राजकीय महिला चिकित्सालय में शैयाओं में वृद्धि करने की योजना

289. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर के राजकीय महिला चिकित्सालय में कितनी अन्तर्वासी रोगी शैया हैं तथा कितने अन्तर्वासी रोगी औसत रहते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक बैड पर दो या तीन अन्तर्वासी रोगियों को भी रखा जाता है? जिससे इन रोगियों की दवाईयां बदल जाती हैं व पर्याप्त स्वच्छता नहीं रहती है तथा संक्रमण होने की पूरी सम्भावना रहती है?

(3) क्या सरकार अन्तर्वासी रोगियों की संख्या अन्तर्वासी शैयाओं से अधिक होने के कारण होने वाले सम्भावित संक्रमण से बचाव के लिए संसाधन (शैया) विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर में वर्तमान में 300 शैयाएं स्वीकृत हैं। राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर में माह जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक बैड ऑक्यूपेंसी की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। माह जुलाई 2014 से पूर्व मरीजों के अत्यधिक भर्ती होने पर अतिरिक्त पलंग लगाये जाकर उन्हें चिकित्सालय में रखा जाता था, एक पलंग पर दो मरीज नहीं रखे जाते हैं।

आज दिनांक तक किसी भी रोगी के द्वारा दवाइयां बदलने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

चिकित्सालय में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। चिकित्सालय में सफाई का ठेका निजी फर्म को दिया गया है। चिकित्सालय में आपरेशन थियेटर, क्लिन लेबर रूम, सैप्टिक लेबर रूम का समय-समय पर फयूमिगेशन करवाया जाता है।

(3) शैयाओं में वृद्धि करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर माह जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक की बैड आक्यूपेंसी की सूचना

माह	बैड ऑक्यूपेंसी प्रतिशत में	मसिक अन्तर्वासी रोगी संख्या
जनवरी 2014	153.60	2526
फरवरी 2014	157.33	2257
मार्च 2014	153.36	2323
अप्रैल 2014	169.30	2330
मई 2014	175.95	2505
जून 2014	193.20	2896
जुलाई 2014	111.93	2862
अगस्त 2014	125.32	3157
सितम्बर 2014	112.10	2903
अक्टूबर 2014	131.07	3015
नवम्बर 2014	123.58	2859
दिसम्बर 2014	107.27	2570

अलवर में ए.सी.बी. न्यायालय की स्थापना

290. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर में ए.सी.बी. न्यायालय स्थापना किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ए.सी.बी. न्यायालय अलवर में स्थापित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब, कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2012-13 में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, पाली, अजमेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर एवं अलवर में 7 नये ए.सी.बी. न्यायालय खोलने की घोषणा की गई थी।

(2) विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(4) न्याय/96 दिनांक 14.09.2012 के द्वारा अलवर में विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर की स्थापना कर दी गई है जिसकी बैठक का स्थान अलवर तथा क्षेत्राधिकार अलवर जिला निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में दुग्ध की कीमतों पर नियंत्रण की कार्य योजना

291. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जयपुर डेयरी द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणी के दूध की कीमतों में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2014 तक कितनी-कितनी बढ़ोतरी कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दूध की कीमतों पर नियंत्रण रखने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि में जयपुर डेयरी द्वारा विभिन्न श्रेणी के दूध की कीमतों में की गयी बढ़ोतरी का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(डेयरी मंत्री)

(2) जी नहीं। जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को देय दुग्ध क्रय दर का निर्धारण, संघ विशेष की वित्तीय स्थिति, बाजार परिदृश्य, प्रोसेसिंग लागत एवं मांग आपूर्ति इत्यादि के आधार पर किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर में किसानों को बीज उपलब्ध कराने की योजना

292. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं मिल पा रहे हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में ग्राम सेवा सहकारी/क्रय विक्रय सहकारी समितियों, निजी कृषि आदान विक्रेताओं के माध्यम से तथा विभागीय योजनाओं में आबंटन एवं दिशा-निर्देशानुसार बीज उपलब्ध करवाया गया है। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में खरीफ-2014 एवं रबी 2014-15 में वितरित बीज का फसलवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) गत वर्षों में वितरित बीज, किसानों की मांग तथा सम्भावित बुवाई क्षेत्र के मद्देनजर आगामी खरीफ 2015 में ग्राम सेवा सहकारी/क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं निजी कृषि आदान विक्रेताओं के माध्यम से बीज की पर्याप्त उपलब्धता करवाने की कार्य योजना तैयार की गई है तथा विभागीय योजनाओं में आबंटन एवं दिशा-निर्देशानुसार वांछित फसल/किस्मों का बीज उपलब्ध करवाया जायेगा। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में खरीफ-2015 हेतु फसलवार बीज की अनुमानित आवश्यकता का आकलन परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर कृषि उपज मण्डी समिति में सदस्यों का मनोनयन

293. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कृषि मंडी बाड़मेर में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है?

(2) क्या सरकार द्वारा कृषि मण्डी बाड़मेर में सदस्यों का मनोनयन कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन का व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि स्थानीय विधायक को उक्त में अभी तक मनोनीत नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार स्थानीय विधायक इसमें पदेन मनोनीत सदस्य होता है?

(4) क्या सरकार स्थानीय विधायक बाड़मेर को कृषि मण्डी में सदस्य मनोनीत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर 'अ' श्रेणी की मण्डी है। राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 7 के तहत 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है-

1. विधान सभा सदस्य - एक
2. सहकारी विपणन समितियों का प्रतिनिधि - एक
3. केन्द्रीय सहकारी वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधि - एक
4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य - दो

(2) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी बाड़मेर में अधिसूचना दिनांक 31.01.2014 के द्वारा निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन किया गया है-

1. श्री राजाराम भादू - सहकारी विपणन समिति
2. श्री मोहनलाल छाजेड़ - केन्द्रीय सहकारी वित्तीय संस्था
3. श्री छतरसिंह राठौड़ - राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
4. श्री घमूराम मेघवाल - राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

(कृषि विपणन मंत्री)

5. श्री लादूराम, माननीय विधायक, गुढामालानी को अधिसूचना दिनांक 22.07.2014 के द्वारा मनोनीत किया गया है।

(3) जी हां। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 (IV) में विधान सभा सदस्य के मनोनयन का प्रावधान है, स्थानीय विधायक को ही मनोनीत किया जावे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर में विधान सभा सदस्य श्री लादूराम, विधायक, गुढामालानी को उक्त प्रावधान के अनुसार मनोनीत किया हुआ है।

प्रदेश में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

294. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में गत 5 वर्षों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा प्रयोगशाला के लिए क्या-क्या संसाधन जुटाए गये?

(2) उक्त प्रयोगशाला का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है तथा कहां-कहां कितने-कितने कर्मचारी लगाये गये हैं?

(3) उक्त एक मृदा प्रयोगशाला पर प्रतिवर्ष अनुमानित कितनी राशि व्यय की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में अब तक कितने किसानों की मृदा की जांच की गई व कितने किसान लाभान्वित हुए? नाम सहित जिलेवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में 12 भ्रमणशील व 14 स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली गईं। इन्हें उपलब्ध कराये गये संसाधनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इन प्रयोगशालाओं को निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर संस्थाओं द्वारा संचालित कराया जा रहा है। इन संस्थाओं द्वारा प्रयोगशालाओं में लगाये गये कार्यकर्ताओं का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(3) प्रयोगशालाओं में वर्षवार अनुमानित व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) उक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2013-14 तक 2.01 लाख, मृदा/पानी नमूनों की जांच कर कृषकों को लाभान्वित किया गया। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रीको द्वारा झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित भू-खण्ड

295. **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कितने आबंटियों को भूखण्ड रीको भू-निपटान नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत निरस्त कर पुन: किस-किस को कब-कब आबंटित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में निर्धारित समयावधि में औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गईं, उन्हें कब-कब सरकार द्वारा नोटिस जारी किये गये? भूखण्डधारी का नाम मय भूखण्ड संख्या व जारी नोटिस की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 10 वर्षों में उक्त क्षेत्र में कितने भूखण्ड औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं करने के कारण निरस्त किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भूखण्डधारियों का आबंटन रद्द कर नियमानुसार अन्य को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रीको भू-निपटान नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कोई भी भूखण्ड निरस्त कर पुन: आबंटित नहीं किया गया है।

(2) झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना उद्योग विभाग द्वारा की गई थी। उक्त औद्योगिक क्षेत्र दिनांक 18.09.1979 की अधिसूचना के माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा रीको को हस्तान्तरित किया गया था।

प्रश्नगत वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) विगत 10 वर्षों में झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड पर औद्योगिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं करने के कारण निरस्त किये गये भूखण्डों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। रीको द्वारा समय पर उत्पादन शुरू नहीं करने वाले अथवा लीजडीड की शर्तों का उल्लंघन करने वाले उद्यमियों को रीको भू-निपटान नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किये जाते हैं। निश्चित समयावधि में जवाब नहीं देने अथवा जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर भूखण्ड का आबंटन नियमानुसार निरस्त किया जाता है। निरस्त किये गये भूखण्ड के आबंटियों के पास निगम की प्रचलित बहालीकरण नीति अथवा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का विकल्प उपलब्ध होता है। भूखण्ड बहालीकरण हेतु आवेदन अथवा अपील प्रस्तुत करने का निगम की नीति के अनुसार भूखण्ड सम्बन्धित आबंटियों के पक्ष में बहाल किये जाते हैं। जिन भूखण्डधारियों द्वारा निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध बहालीकरण का आवेदन/अपील प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर, भूखण्ड को नीलामी/मोहरबंद निविदा के जरिये आबंटित किया जाता है। वर्तमान में ऐसे किसी निरस्त भूखण्ड का कब्जा निगम के पास नहीं है। इसलिये अन्य किसी को आबंटित किये जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के गांवों में पायका योजना के तहत खेल स्टेडियम का निर्माण

296. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में 5000 की आबादी के ग्रामों में पायका योजना के तहत खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी राशि जिला परिषद, जयुपर को कब आबंटित की गई तथा उक्त योजना के तहत कितने ग्रामों में खेल स्टेडियम बनने थे और कितने बनकर तैयार हो गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? हां, तो कितनी राशि कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजनान्तर्गत खेल मैदानों के विकास हेतु जिला परिषद जयपुर को जिले की एक ब्लाक पंचायत कोटपूतली एवं 80 ग्राम पंचायतों हेतु प्रथम किश्त दिनांक 13.05.2009 को 41.50 लाख रुपये एवं द्वितीय किश्त दिनांक 19.05.2011 को 41.50 लाख रुपये कुल 83.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

जारी की गई राशि से विकसित खेल मैदानों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2014 में राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान योजना प्रारम्भ की गई है। राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 से 2019 तक चरणबद्ध रूप से राज्य की समस्त ब्लाक पंचायतों में इण्डोर हाल हेतु 80.00 लाख रुपये एवं 80.00 लाख रुपये आउटडोर खेलों के लिए मैदान बनाये जाने हेतु दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये जाने की योजना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में तीन नये उपखण्ड मुख्यालय बनाने की योजना

297. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले मे वर्तमान उप खण्ड मुख्यालय से इसके क्षेत्र में आने वाले गांवों की दूरी 150 किलोमीटर से अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में तीन नये उप खण्ड रामगढ़, मोहनगढ़ और नाचना बनाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रस्तावित राजस्व उपखण्ड मोहनगढ़, रामगढ़ एवं नाचना में 6 उपनिवेशन तहसीलें कार्यरत हैं। इनका अधिकांश क्षेत्र उपनिवेशन में होने से वर्तमान में इस क्षेत्र में राजस्व सम्बन्धी कोई विशेष कार्य सम्पादित नहीं हो रहा है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में नवीन जिला गठन के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु डा. परमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में

(राजस्व राज्य मंत्री)

पुनर्गठित उच्च स्तरीय समिति में प्रशासनिक आवश्यकता के मध्य जिलों, उपखण्डों एवं पुलिस उपखण्डों को सह सीमान्त अधिकार क्षेत्र कर पुनर्गठन/सृजन का परीक्षण किया जा रहा है। समिति गठन के आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जनहित/प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जायेगा।

वर्तमान में जैसलमेर जिले में रामगढ़, मोहनगढ़ और नाचना में नये उपखण्ड सृजन के कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित राजकीय मन्दिरों की देखरेख की व्यवस्था

298. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग के अधीन राज्य एवं राज्य से बाहर कुल कितने व कौन-कौन से मंदिर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिरों की देखरेख के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग में निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर निरीक्षक कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने व नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) देवस्थान के अधीन राज्य एवं राज्य से बाहर निम्नानुसार राजकीय मंदिर हैं:-

क्र.सं.	श्रेणी मंदिर	संख्या
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	390
2	राजकीय आत्म निर्भर	204
3	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	342
	योग	**936**

(देवस्थान राज्य मंत्री)

मंदिरवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त मंदिरों की देखरेख के लिये देवस्थान विभाग द्वारा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर (फर्स्ट/सैकिड)/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/ऋषभदेव/हनुमानगढ/वृन्दावन एवं अन्य स्टाफ कार्यरत है।

(3) देवस्थान विभाग में निरीक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त पद	पद रिक्त होने की दिनांक		
					क्र सं.	पद सं.	दिनांक
1	निरीक्षक ग्रेड-I	15	2	13	1	1	1.11.2000
					2	1	1.2.2000
					3	1	1.4.2002
					4	1	29.4.2006
					5	1	2.2.2007
					6	1	1.4.2010
					7	7	1.4.2011
					योग	13	
2	निरीक्षक ग्रेड-II	21	3	18	क्र सं.	पद सं.	दिनांक
					1	3	1.11.2000
					2	1	1.4.2006
					3	9	1.4.2011
					4	1	16.1.2012
					5	1	10.2.2012
					6	1	8.8.2012
					7	1	8.8.2012
					8	1	30.10.2012
					योग	18	

(देवस्थान राज्य मंत्री)

(4) रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवा दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डग में नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की योजना

299. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 250 की आबादी वाले ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की नीति निर्धारित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डग के दोनों उपखण्डों में विभिन्न ग्रामों में 250 की आबादी होने के उपरान्त भी राजस्व ग्राम नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त विधान सभा क्षेत्र में 250 की आबादी वाली ढाणी/मजरे/खेड़े व ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने बाबत जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(16)राज./ग्रुप-1/07, दिनांक 20.08.2009 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग के दोनों उपखण्डों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप मजरे/ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हाल ही में राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग की तहसील पचपहाड़ में 6 मजरे/ढाणियों (बांडी, मेहरपुरा, ताई का खेडा, हरिपुरा, भगवानपुरा व दांता का खेडा) व तहसील गंगधार में 3 मजरे/ढाणियों (गणेशपुरा, भवानीपुरा व ताजखेडी) को राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए जो प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में रिक्त पद

300. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्तमान में कुल कितने मुकदमे लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजस्व न्यायालयों में राजपत्रित व अराजपत्रित संवर्ग में किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं और अब कब तक रिक्त पदों को भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारियों को निजी सहायक उपलब्ध कराने हेतु शीघ्रलिपिक के पद स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कब व कितने? उक्त पदों को भरने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये और अब कब तक उक्त रिक्त पदों को भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दिनांक 31.12.2014 को लम्बित प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.सं.	नाम कार्यालय	शेष
1	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर	61431
2	सम्भागीय आयुक्त	3761
3	अतिरिक्त, सम्भागीय आयुक्त	1467
4	जिला - कलक्टर	12474
5	अतिरिक्त जिला कलक्टर	13901
6	राजस्व अपील प्राधिकारी	17953
7	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं	12694
8	उपखण्ड-अधिकारी	244315
9	सहायक-कलक्टर	35060
	योग	**403056**

(2) राजस्व न्यायालयों में राजपत्रित व अराजपत्रित संवर्ग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को लिखा गया है।

(3) जी हां। राजस्व मण्डल के पत्र क्रमांक 6457 दिनांक 28.4.2008 के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं सहायक जिला कलक्टर कार्यालयों में शीघ्र लिपिक के 206 पद स्वीकृत किये गये थे। मण्डल में रिक्त शीघ्र लिपिक के पदों को भरे जाने हेतु बिन्दु संख्या-2 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों/सहायक जिला कलक्टर कार्यालयों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही जिला कलक्टर कार्यालयों के स्तर से की जा रही है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विजयपुरा ग्राम (जामडोली) में गलत सैटलमेंट को दुरुस्त करने की कार्यवाही

301. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम विजयपुरा (जामडोली) तहसील एवं जिला जयपुर के खसरा नं. 97 से 103, 105, 106, 212, 353, 354 व 384, 385 सम्वत 2015 से 2034 तक किसके नाम दर्ज रहे? वर्तमान में उक्त खसराओं के क्या नम्बर बने एवं यह किसके नाम दर्ज हैं? खसरों के रकबों सहित मिलान क्षेत्रफल व नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सैटलमेंट में गलती से उक्त खसरे दूसरों के नाम दर्ज हुए? यदि नहीं, तो किस आधार पर नामांतरण खोले गये ततम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सैटलमेंट में हुई गलती को दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम विजयपुरा (जामडोली) तहसील एवं जिला जयपुर के खसरा नं. 97 से 103, 105, 106, 212, 353, 354 व 384, 385 सम्वत 2015 से

(राजस्व राज्य मंत्री)

2034 में दर्ज एवं वर्तमान में दर्ज खातेदारी का रकबा सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सम्वत 2015 के पश्चात कोई भू-प्रबन्ध प्रक्रिया नहीं हुई है। अतः मिलान क्षेत्रफल नहीं बना है। नक्शे की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) सम्वत 2015 के पश्चात कोई भू-प्रबन्ध प्रक्रिया नहीं हुई है। अतः अप्रासंगिक होने से उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(3) प्रश्न संख्या-2 के उत्तर अनुसार।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की योजना

302. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2013 को 1148 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों के लिए भर्ती हेतु परीक्षा की तिथि 19 जनवरी, 2014 निर्धारित कर 1 जनवरी, 2014 को प्रवेश पत्र भी भिजवा दिये गये थे? इसके उपरान्त दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आवेदको को परीक्षा स्थगित करने का संदेश भिजवाया गया? यदि हां, तो अब सरकार उक्त परीक्षा कब तक कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 19-1-2014 को विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा दिनांक 16-1-2014 को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया जाकर परीक्षा स्थगित की गई।

वर्तमान में उक्त स्थगित की गई पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा पुनः आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया हुआ है। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय उपरान्त ही भर्ती परीक्षा आयोजन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

शेरगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

303. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर, 2009 से अब तक कितने आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं कौन से में नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में परियोजना शेरगढ़ एवं बालेसर परियोजना संचालित हो रही है। दिसम्बर 2009 से अब तक परियोजना शेरगढ़ में 18 आंगनबाड़ी केन्द्र और 12 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बालेसर परियोजना में 24 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 56 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गये। कुल 42 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 68 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गये की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में परियोजना शेरगढ़ में स्वीकृत 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 16 एवं स्वीकृत 12 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 9 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा परियोजना बालेसर में स्वीकृत 24 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 21 आंगनबाड़ी केन्द्र व स्वीकृत 56 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 45 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। परियोजना शेरगढ़ में 2 आंगनबाड़ी केन्द्र व 3 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बालेसर परियोजना में 3 आंगनबाड़ी केन्द्र व 11 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र निर्धारित योग्यताधारी पढ़ी-लिखी महिलाएं

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

उपलब्ध न होने के कारण केन्द्र संचालित नहीं हो सके हैं। संचालित नहीं हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत किया जा सकता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजस्व गांव जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं की सूची परिशिष्ट 'स' पर तथा जिन राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) जी हां। किन्तु नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए राजस्व ग्राम होने का मापदण्ड नहीं रखा गया है। इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्र की जनसंख्या मापदण्ड निर्धारित है।

भारत सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 14-1/2004-सीडी-1(Vol. II) दिनांक 10.4.2007 के अनुसार 150 से 300 की जनसंख्या के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 300 से 400 की जनसंख्या के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान है। वंचित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुशंसा के आधार पर निदेशालय द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जाता है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी मानी गयीं

सांगोद उपखण्ड मुख्यालय पर न्यायालय की स्थापना

महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बजट के दौरान कोटा जिले में तीन परकाम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) न्यायालय की घोषणा की गई थी जबकि सांगोद उपखण्ड में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग का न्यायालय विगत 33 वर्षों से कार्यरत है। सांगोद उपखण्ड स्थित न्यायालय में वर्तमान में 2000 से भी अधिक प्रकरण न्यायालय में जैरकार हैं। सांगोद न्यायालय में वर्तमान में 934 वारन्ट कैसेज, 722 समन कैसेज, 178 मुतफरिक फौजदारी, 130 दीवानी वाद पत्र, 79 दीवानी मुतफरिक, 27 इजराय, 7 मुकदमे कृषि ऋण निवारण न्यायालय के विचाराधीन है एवं न्यायालय में कुल 2077 मुकदमे विचाराधीन है जिनमें लगभग 200 मुकदमे, 138 एन.आई. एक्ट में विचाराधीन है। सांगोद उपखण्ड मुख्यालय कोटा जिले की सबसे बड़ी तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय है जहां लगभग 212 गांव हैं। सांगोद उपखण्ड मुख्यालय पर उप जिला कलक्टर पूर्णकालिक न्यायालय है। एक नगरपालिका, पंचायत समिति मुख्यालय, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग कार्यालय, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय, उपनिदेशक कार्यालय कृषि विभाग एवं सहायक अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग सहित राजकीय महाविद्यालय स्थित हैं। सांगोद में अलग से न्यायालय स्थापित करने हेतु भवन तथा पीठासीन अधिकारी के आवास हेतु मकान भी बना हुआ है। जिससे अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना करने बाबत् राज्य सरकार को अधिक भार पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा अभिभाषक परिषद सांगोद सभी सुविधाएं जुटाने में सहयोग हेतु तत्पर हैं।

महोदय, वर्तमान मे सांगोद क्षेत्र में सम्बन्धित 228 (2) सीआरपीसी के तहत सुनवाई हेतु सेशन न्यायालय मे भिजवाये जाने वाले लगभग 400 मुकदमों से अधिक जो एसीजीएम न्यायालय कोटा या अपर सेशन न्यायालय में जैरकार हैं। उपखण्ड मुख्यालय से रामगंजमंडी के लिए 120 कि.मी. एवं

कोटा के लिए 80 कि.मी. यात्रा करनी पड़ती है। वर्षा ऋतु में नदी नाले आने के कारण क्षेत्र के लोग समय पर न्यायालय में नहीं पहुंच पाते हैं।

महोदय, सांगोद विधान सभा क्षेत्र की जनता के हितों को देखते हुए सांगोद उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय एवं सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कार्यालय व सांगोद उपखण्ड मुख्यालय पर अलग से परकाम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) न्यायालय की स्थापना कर मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करें।

हीरालाल नागर

(सांगोद)

बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर बालोतरा को जिला बनाना

महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला विषम भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित बाड़मेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कई राज्यों से भी बड़ा होने के साथ-साथ कई देशों से भी बड़ा है। जिला मुख्यालय से कई गांव 200 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित होने के कारण आमजन को अपने सरकारी कामकाज के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बालोतरा क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए अनावश्यक धन और समय बर्बाद करना पड़ता है और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाड़मेर जिले में अधिकांशत अकाल व सूखा ही पड़ता है। यहां के निवासियों को पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क मार्ग आदि की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है।

बालोतरा को जिला बनाने की मांग काफी समय पहले से ही की जा रही है। बालोतरा जिला निर्माण एवं विकास समिति की ओर से भी बालोतरा को जिला बनाने की मांग को समुचित माना गया है। समिति ने उल्लेख किया है कि जब बाड़मेर जिले के क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल से भी कम क्षेत्रफल के जिले अपने राज्य में बनाए गए हैं तो बालोतरा की जनता की मांग तो बिलकुल वाजिब है।

बाड़मेर जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बालोतरा को जिला बनाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों की तरह विशेष तरजीह देते हुए मरुस्थलीय क्षेत्र में बालोतरा को जिला बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाकर बालोतरा को जिला बनाना चाहिए।

बालोतरा को जिला बनाने से बालोतरा की आम जनता को सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा जनता को नया जिला बनाने से आम जनता का सीधा जुड़ाव हो जाएगा। आम जनता को अपने कार्यों के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बालोतरा को जिला बनाया जाता है तो यहां सरकारी भवन आदि की भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला बनाने के उद्देश्य से बालोतरा में 934 बीघा जमीन भी अवाप्त करके रखी हुई है।

पश्चिमी राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यदि बालोतरा को जिला बनाने के लिए नियमों में शिथिलता देने की आवश्यकता हो तो भी नियमानुसार शिथिलता दिलवाकर बालोतरा को जिला बनाना चाहिए।

अतः पश्चिमी राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बालोतरा को जिला बनाने की स्वीकृति दिलवाकर आम जनता को राहत प्रदान कराएं।

कैलाश चौधरी

(बायतू)

अलवर ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान

महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि अलवर जिले में अलवर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए जनता जल योजना, सेक्ट्री फोम, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना, सिंगल फेस इन चार योजनाओं द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीने के पानी व्यवस्था की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इन उपरोक्त चारों योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतें संचालन करने हेतु योजनाएं हस्तांतरित कर दी गई, इन योजनाओं को चलाने हेतु बिजली का बिल ग्राम पंचायतें जमा करायेंगी, ग्राम पंचायतों के पास कोई निजी आय नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतें बिजली का बिल जमा कराने में असमर्थ हैं। कई-कई स्कीमों में बिजली के बिल 15-20 लाख रुपये बकाया है। बिजली विभाग का स्कीमों के बिजली के बकाया बिल की वजह से बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं या कट जायेंगें। पेयजल योजनाओं में बोरिंग में पानी कम हो गया। सप्लाई लाइन पुरानी होने के वजह से टूट रही है, या कम पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों को पानी का संकट गहरा गया है। कांग्रेस शासनकाल में केन्द्र की योजना जो बनी राजीव

गांधी ग्रामीण पेयजल स्कीम ग्रामीणों को दे दी गई परन्तु कांग्रेस पार्टी को पानी पीने के लिए ग्रामीणों की चिंता नहीं थी क्या, इनको यह पता नहीं था कि ग्राम पंचायतों के पास निजी आय नहीं है, बिजली का बिल कहां से जमा होगा इसलिए मेरी मांग है कि इन चारों स्कीमों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी द्वारा जो ग्राम पंचायतों को थोपा गया है। पी.एच.ई.डी. विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के विभाग अपने पजेशन में ले ताकि ग्रामीणों को पीने का पानी मिले।

महोदय, मेरी यह भी मांग है कि उपरोक्त जिन स्कीमों में बिजली के कनेक्शन कट गये हैं या कटने वाले हैं उनके बिल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जमा कराए जो स्कीम लगभग 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक पुरानी है उनमें पानी के बोरिंग सूख गये हैं, वहां बोरिंग कराये जाएं तथा पुरानी पाइप लाइनें चौक हो गई हैं। विभाग द्वारा पाइप लाइनें डाली जाएं। ताकि ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। अलवर जिले में पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। भविष्य की चिंता करते हुए चंबल के पानी की योजना बनाकर पानी लाया जावे ताकि पीने के पानी की ग्रामीणों को व्यवस्था हो सकें।

जयराम जाटव

(अलवर ग्रामीण)

चाकसू में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाकसू, जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तथा टोंक चाकसू से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस 50 -60 किलोमीटर के क्षेत्र में तीन तहसीलें चाकसू, फागी, कोटखावदा तथा अनेक छोटे बड़े गांव, कस्बे व ढाणियां आदि बसे हुए हैं। जिनकी आबादी लगभग 5-6 लाख है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। बढ़ते शहरीकरण तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण इस क्षेत्र के लोग कृषि और पशुपालन से दूर होने लगे हैं। बढ़ती मंहगाई के कारण मंहगे होते खाद बीज तथा कम होते खेत व बारिश की अनिश्चितता के कारण कृषि में अब लागत भी प्राप्त नहीं होने के कारण लोग जीवनयापन के लिए मजदूरी करने को प्राथमिकता देने लगे हैं। साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाने व व्यावसायिक प्रशिक्षण युक्त शिक्षा दिलाने लगे हैं। जिसके कारण यहां के निवासी शहरों में फैक्ट्रियों, कम्पनियों व अन्य व्यवसायों में

मजदूरी करने लगे हैं। विधान सभा क्षेत्र चाकसू व आसपास से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जयपुर व अन्य शहरों में रोजगार के लिये आते जाते हैं। अगर चाकसू क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाती है, तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और व्यापारियों को कम लागत में व्यापार करने का मौका मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में सरकारी भूमि, पानी और बिजली तथा कुशल व अर्द्धकुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। तथा कच्चा माल लाने और तैयार माल पूरे देश में भेजने के लिए सड़क (रा.रा.मार्ग-12) व (चाकसू व शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन) रेल यातायात के साधन हैं।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया से आग्रह करता हूं कि वे चाकसू, (जयपुर) क्षेत्र में अतिशीघ्र, प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र (RIICO) खोलने की कृपा करें।

लक्ष्मी नारायण बैरवा

(चाकसू)

मेड़ता सी.एच.सी. में ब्लड बैंक व सोनोग्राफी सेंटर की स्थापना

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

मेड़ता नागौर जिले का एक बड़ा केन्द्र है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग N.H. 89 पर स्थित है चूंकि N.H. 89 आने के कारण मेड़ता क्षेत्र एवं इसके आसपास एक्सीडेंट आए दिन होना आम बात है। मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अस्थि रोग चिकित्सक, महिला रोग चिकित्सक, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ निश्चेतक (एनेस्थेटिक) विशेषज्ञ सहित अन्य पद रिक्त पड़े हैं इन पदों पर चिकित्सक नियुक्त किये जाएं।

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2,50,000 लाख है और शहर के आसपास 200 गांव व ढाणियां हैं। 24 घण्टे आपातकाल में मरीज आते रहते हैं। पिछले वर्ष ओ.पी.डी. में 154621, आईपीडी में 7447 व आपातकालीन में 2300 मरीज आये व लगभग 1000 आपरेशन हुए और इस क्षेत्र में निकटतम जिला चिकित्सालय 80 किलोमीटर दूर है। अत: मेड़ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड़ का घोषित किया जावे। साथ ही ब्लड बैंक की स्थापना व सोनोग्राफी सेंटर खोला जावे ताकि यहां आने वाले मरीजों को इसका लाभ मिल सके।

पूर्व में मेड़ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहर में स्थित भवन में चल रहा था जो अब शहर के बाहर स्थित हो गया। वह भवन बहुत बड़ा व अब खाली पड़ा है व किसी उपयोग में नहीं आ रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस पुरानी बिल्डिंग में महिला चिकित्सालय खोला जाए ताकि महिलाओं को शहर के मध्य ही डिलीवरी की सुविधा मिल सके।

सुखाराम
(मेड़ता)

मनोहरथाना के किसानों को राहत पैकेज

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 296 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि हाड़ौती के किसानों के साथ-साथ मनोहरथाना विधान सभा का किसान पिछले तीन वर्ष से लगातार आलोवृष्टि, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसलों के नुकसान की मार झेल रहा है।

विडम्बना यह है कि इन तीन वर्षों से S.D.R.F. के मानदण्डों के अनुसार 50 प्रतिशत नुकसान से अधिक फसल क्षति की सीमा पार नहीं कर पाने से अनुदान से वंचित रह जातें है। जब कि रिपोर्ट के अनुसार उस किसान का 45 प्रतिशत नुकसान होता ही आ रहा है। इस प्रकार इन तीन वर्षों में उसके नुकसान का प्रतिशत जोड़ा जाये तो लगभग 135 प्रतिशत नुकसान की मार हाड़ौती के किसान झेल चुके और आर्थिक सहायता के नाम पर S.D.R.F. के मानदण्डों के अनुसार 1 प्रतिशत भी मुआवजा नहीं दिया गया।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि S.D.R.F. के मानदण्डों में परिवर्तन करते हुए ओलावृष्टि राहत पैकेज में किसान हित में किसान को इकाई मानते हुए लगातार 3 वर्षों से हो रहे प्राकृतिक प्रकोप के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नुकसान के प्रतिशत को 3 वर्ष का सम करते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये या सर्वे रिपोर्ट में जितना प्रतिशत नुकसान का आकलन किया गया है उसके अनुपात में प्रत्येक किसान को मुआवजा वितरण करने का प्रावधान किया जाये।

कंवर लाल
(मनोहरथाना)

विद्याधर नगर के वार्ड 1 व 2 की पेयजल समस्या का समाधान

महोदय, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री महोदय का ध्यान

आकर्षित कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर वार्ड संख्या 1 (पुराना) जो कि वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र की रचना के हिसाब से बंटा हुआ है। अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के अन्दर वाला भाग शहरी क्षेत्र मानते हुए सिटी डिविजन से जुड़ा हुआ है। जबकि वार्ड नं. 1 सम्पूर्ण भाग एवं वार्ड नं. 2 का कुछ भाग अर्थात चौमूं की तरफ वाला भाग ग्रामीण क्षेत्र में माना गया है। आपको विदित होगा कि एक बार नगरीय सीमा में परिभाषित कर वार्ड का भाग बनाने के पश्चात् ऐसा क्षेत्र नगपालिका के नियम के तहत शहरी क्षेत्र की परिभाषा में आता है। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र में 170 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से बजट का की नियोजन होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 65 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब बजट आबंटित होता है। ऐसी स्थिति में एक ही वार्ड के कुछ भाग को अधिक एवं कुछ भाग को कम पेयजल उपलब्ध होता है। जिससे मोनेटिरिंग व शिकायत निवारण में भी विलम्ब होता है। यह विभाग की इन्टरनल व्यवस्था है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूँं कि उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में कई बार मीटिंग की जा चुकी है तथा लिखित में भी मैं पत्र प्रेषित कर चुका हूं लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा बराबर मनमानी की जा रही है1 आम जनता पेयजल व्यवस्था से परेशान है। वर्तमान में उक्त वार्ड में नींदड़, हरमाड़ा, मांचड़ा आदि क्षेत्र में जल स्तर 500 फीट से नीचे जाने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बीसलपुर योजना में मांचड़ा तथा नींदड का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में निर्मित बहुमंजिला इमारतों अर्थात सेन्ट्रल स्पाइन के 47 टावरों में वर्तमान पेयजल सप्लाई स्वयं के नलकूपों से की जा रही है। जल स्तर नीचे गिर गया है ऐसे में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन जारी करने का विषय नीति आधारित है जिस पर शीघ्र निर्णय किया जाना आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इन भूखण्डों की नीलामी सन् 1982 में 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति भूखण्ड की गई थी। जविप्रा द्वारा सन् 2011/2012 में पेयजल लाइन मेरे प्रयासों से डाली लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गए हैं। यह भी एक गम्भीर विषय है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होने पर भी परिसम्पत्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत अतिशीघ्र निर्णय कराया जावे ताकि क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध हो सके।

नरपत सिंह राजवी

(विद्याधर नगर)

मकराना में सड़क निर्माण कार्य का भुगतान

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया प.स. मकराना में वर्ष 2009-10 में ग्रेवल सड़क निर्माण नान्दोली मेड़तिया से बड़ू, ना.मे.से. धान्धोली, धान्धोली से ततारपुरा तक कार्य स्वीकृत हुए जिस पर ग्राम पंचायत ने कड़वा कन्स्ट्रक्शन नान्दोली मेड़तिया को सामग्री सप्लाई हेतु आदेश दिया जिस पर कड़वा कन्स्ट्रक्शन ने सामग्री सप्लाई कर बिल वाउचर ग्राम पंचायत मे पेश कर दिये जिस पर प.स.ने उक्त भुगतान ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया को कर दिया। ग्राम पंचायत ने उक्त भुगतान कड़वा कन्स्ट्रक्शन ना.मे. को नहीं कर उक्त भुगतान रु. 883697/- मेड़तिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी सिरसू को कर दिया। इस सम्बन्ध में कड़वा कन्स्ट्रक्शन में उच्च अधिकारियों को शिकायत की जिस पर जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक एमजीएनआरईजीएस, नागौर ने लेखाधिकारी (ई.जी.एस.) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) व अधिशासी अभियंता (ई.जी.एस.) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) नागौर द्वारा जांच कराई। जिस पर उक्त दोनों अधिकारियों ने दिनांक 24.10.2014 के अनुसार ग्राम सेवक एवं तत्कालीन सरपंच को दोषी मानकर मेड़तिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी सिरसू से राशि वसूलने का भी अपनी जांच में खुलासा किया है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेड़तिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी सिरसू से गलत किये गये भुगतान को वसूल कर कड़वा कन्स्ट्रक्शन नान्दोली मेड़तिया जो वास्तविक सामग्री सप्लायर है, को भुगतान कराने की कृपा कराएं।

श्रीराम भींचर

(मकराना)

कुशलगढ़ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के

नियम 295 के तहत विशेष उललेख के तहत निवेदन है कि मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो तहसील कार्यालय तथा दो उपखण्ड कार्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं। एक नगरपालिका है, ग्रामीण एवं बिखरी बस्ती हैं, क्षेत्र में 71 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं तथा दो पंचायत समितियां कार्यरत हैं, क्षेत्र काफी लम्बे भू भाग में फैला हुआ है, पूरे क्षेत्र में मात्र एक अग्निशमन नगरपालिका क्षेत्र में उपलब्ध है, आये दिन आगजनी की कोई ना कोई घटना होती ही रहती है। वर्तमान में नगरपालिका कुशलगढ़ में एक ही पूरे क्षेत्र में फायर बिग्रेड की व्यवस्था है, जो पर्याप्त नहीं है।

एक अग्निशमन की व्यवस्था सज्जनगढ़ एवं एक खेड़ा धरती क्षेत्र छोटी सावा क्षेत्र में जरूरी हैं अभी पिछले 12 मार्च को खेड़ा धरती में एक कच्चे मकान में अचानक आग लग जाने से चार लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि अग्निशमन अधिक दूरी पर होने से समय पर नहीं पहुंच सका और चार व्यक्ति जलकर मर गये गये तथा जब तक अग्निश्मन पहुंचा तब तक वह मकान भी पूरी तरह से जलकर खतम हो गया तथा कई बार मेरे क्षेत्र में ऐसी घटनायें हुई हैं, घास जल जाना, कभी खेतों में पड़ा अनाज भी जल जाता है तथा कई छोटे- छोटे कस्बे हैं वह एक दूसरे कस्बे से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

इन दोनों ब्लाकों में पुलिस थाने कार्यरत हैं पुलिस थाना सज्जनगढ़, पुलिस थाना पाटन, ये दोनों थाने एक दूसरे क्षेत्र से दूर हैं तथा रास्ते भी काफी खराब होने से समय पर अग्निशमन नहीं पहुंच पाता है। मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो और अग्निशमन की व्यवस्था हो ताकि आगजनी की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

धन्यवाद।

भीमा भाई

(कुशलगढ़)

लिपिक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करना

महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के विषय में निवेदन है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष जुलाई 2013 में लिपिक ग्रेड सैकिण्ड के 7538 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें करीबन 7.5 लाख, से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जिसकी प्रतियोगी परीक्षा आरपीएससी द्वारा

वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में 11 जनवरी, 2014 को आयोजित करवाई, जिसके बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी की आस जगी, लेकिन उक्त परीक्षा के एक वर्ष से भी अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी आरपीएससी द्वारा इसका परिणाम जारी नहीं करने से अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने उक्त एलडीसी सैकिण्ड ग्रेड भर्ती को माह अप्रैल 2014 में रद्द कर दी जिसके बाद अभ्यर्थियों के रोष व धरने प्रदर्शन के बाद उक्त भर्ती को पुनः बहाल कर आरपीएससी को लिखित में आदेश देकर परिणाम जारी करने को कहा गया, परन्तु आपीएससी अभी तक एल डी सी भर्ती का परिणाम जारी नहीं कर रही है। पिछले माह में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार में आरपीएससी सचिव ने रिजल्ट जल्द तैयार कर परिणाम जारी करने का स्टेटमेंट दिया, जबकि अभी तक परिणाम को लेकर आरपीएससी कोई जवाब नहीं दे रही है।

आरपीएससी द्वारा एलडीसी सैकिण्ड ग्रेड 2013 का परिणाम जारी नहीं करने पर दूसरे चरण की कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा को लेकर लाखों अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनमें भी परीक्षा परिणाम को लेकर असमंजस की स्थिति है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनवरी 2014 में आयोजित उक्त लिपिक ग्रेड सैकिण्ड के 7538 पदों की भर्ती परीक्षा के परिणाम शीघ्र जारी कराने के लिए आरपीएससी को निर्देशित करें।

सुखराम विश्नोई
(सांचौर)

टोडाभीम के कतिपय गांवों की पेयजल समस्या

महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पीने का पानी की भारी समस्या है। 52 प्रतिशत से ज्यादा हैण्डपम्प खराब पड़े हैं सिंगल फेस पंप भी ज्यादा तर खराब पडे हैं। बाकी बिजली के बिल जमा नहीं कराने की वजह से बंद है। पुरानी योजना में जमीनी पानी का स्तर कम हो गया है।

नादौती पूरी तहसील में टैंकरों से पानी की आपूर्ति होती है जिससे

भारी घोटाला होता है गांवों के लोग खुद के पैसों से 700 से 800 रुपये देकर पानी पीते हैं। इस वजह से जनता भारी परेशानी में है।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के गांव कैमा, ल्हावट, खुडा, मिलापाडा, कैमरी, तसगाव शहर, सोप, कैमाला, बड़ा गांव, खेडला, खेडली, रोसी, घोलेटा, बरदाला, नादौती, डहरीया, पदमपुरा, बैरोज, नागल शेरपुर, खेडी नागललाट, महस्वा, रानोली, किरवाडा, कमालपुर, मोहनपुरा, धवान इत्यादि गांवों में पेयजल की भारी किल्लत है। नादौती, सवाई माधोपुर, चंबल पेयजल परियोजना का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। सरकार से मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी करवाया जाये।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि क्षेत्र के उपरोक्त गांवों में पेयजल संकट का समाधान कर ग्रामीण जन को राहत प्रदान कराएं।

घनश्याम

(टोडाभीम)

जायल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के पद बहुत लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। इस सामुदायिक केन्द्र में फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थिटिक व गायनिकी के पद रिक्त हैं। इसके अलावा 41 पद ए.एन.एम. के रिक्त हैं, इससे ग्रामीण जनता को बहुत परेशानी हो रही है। क्षेत्र की जनता को चिकित्सकों के अभाव में उपखण्ड मुख्यालय से 50-50 किलोमीटर दूर नागौर व डीडवाना जाना पड़ता है। गम्भीर रूप से घायल व अचानक हृदयघात होने पर चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अधिकांश मरीज काल के ग्रास में समा चुके है, इससे ग्रामीण जनता में बहुत आक्रोश है। उपखण्ड चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने से महिलाओं को बहुत परेशानी होती है।

चिकित्सालय में 350 से 400 की आउटडोर है, जिसमें केवल एक चिकित्सक है, जिससे जनता का चिकित्सक के साथ आये दिन विवाद होता रहता है। अत: इस ओर शीघ्र ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय जो अभी 30 बैड का है, उसे 50 बैड में क्रमोन्नत करने की कृपा करावें एवं शीघ्र ही चिकित्सकों एवं ए.एन.एम. के रिक्त पदों को सृजित पदानुसार भरने करने की कृपा करावें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

धन्यवाद।

डा. मंजू बाघमार

(जायल)